राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 7 चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का 30वाँ दिवस संख्या 24

मंगलवार, दिनांक 7-4-70

विधान सभा की बैठक म. पू 11-बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, योजना, चिकित्सा, समाज कल्याण, अकाल सहायता, पंचायत, वित्त, वन, परिवार नियोजन, सिंचाई, खाद्य, यातायात, देवस्थान विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

जालोर महाविद्यालय में अर्थशास्त्र एवं विज्ञान विषय

561 **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) की अनुपस्थिति में (श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर के केन्द्र की महाविद्यालय में अब तक अर्थशास्त्र एवं विज्ञान के विषयों की मंजूरी सरकार द्वारा नहीं दी गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) उक्त महाविद्यालय में उपरोक्त विषयों की पढ़ाई की मंजूरी कब तक सरकार द्वारा कर दी जायेगी ? क्या इसी वर्ष उरोक्त विषयों की मंजूरी सरकार देना उचित समझती है ? अगर नहीं तो क्यों ?

(3) उपरोक्त महा विद्यालय के विकास के लिए सरकार भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उपमन्त्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) :

(1) राजकीय महाविद्यालय जालोर में अर्थशास्त्र विषय पढ़ाया जा रहा है तथा इस विषय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1969-70 में निम्न प्रकार रही है:—

प्रथम वर्ष कला	3
द्वितीय वर्ष कला	2
तृतीय वर्ष कला	2

Page No 2

(श्री धीरसिंह)

हां जालोर महाविद्यालय में विज्ञान की कक्षाएं नहीं चल रही हैं।

(2) धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है। गुणावगुण के आधार पर अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार किया जावेगा।

(3) आवश्यकता को देखते हुए यथा सम्भव प्रयास किये जायेंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, जिला नागोर में विज्ञान के विषय के लिए कब व्यवस्था, जो किस साल तक कर दी जायेगी जिससे कि हमें सन्तोष हो ?

श्री धीरसिंह : प्रावधान है इस साल के बजट में और बहुत से कालेजों की एप्लीकेशन्स् हैं उन सब पर मेरिट्स् के आधार पर कंसीडरेशन करके फिर निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री डागा।

विकास योजनाओं पर व्यय

562. **श्री मूलचन्द डागा** : (पाली) क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में विकास संबंधी राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय में अब तक प्रति व्यक्ति सबसे कम व्यय कौन से तीन जिलों में हुआ है और इन जिलों में विकास संबंधी क्या योजना सरकार द्वारा बनाई जारही है।

उपमन्त्री योजना (श्री खेतसिंह) : द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना एवं वर्ष 1966–67 से 1968–69 तक की तीन वार्षिक योजना में हुए कुल योजनान्तर्गत व्यय में से जिलों में वितरित व्यय का प्रति व्यक्ति औसत सब से कम बाड़मेर, जालोर एवं नागौर जिलों में आता है। इन तीन जिलों के विकास के लिए कोई अलग से योजना नहीं बनाई जा रही है और सभी जिलोंकी तरह इनके विकास की योजनाओं का समावेश राज्य की योजना में किया जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : जब दूसरे जिले आगे प्रगति कर लेंगे, विकास कर लेंगे, बाड़मेर, जालोर पिछड़े रह जायेंगे। क्या आपकी कोई अलग से प्लान है इन जिलों के विकास करने की ?

श्री खेतसिंह : मैंने इस प्रश्न के जबाव में निवेदन किया है योजना के अन्तर्गत जितना पैसा खर्च होता है उसमें ये जिले पिछड़े हुए हैं लेकिन जैसे अकाल है वह नान-प्लान है और उसका खर्चा मिलेगा तो बहुत अधिक खर्चा वहां दिया गया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : (बाड़मेर) उसका कोई नतीजा निकला है ?

श्री खेतसिंह : अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। आंकड़े शामिल किये जा रहे हैं और उसमे मालूम हो जायगा कितना व्यय हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : इससे जो रीजनल इम्बैलेन्स पैदा करेंगे उससे जनता में अस-

Page No 3

(श्री मूलचन्द डागा)

न्तोष पैदा होगा । जैसे तेलंगाना में असन्तोष पैदा हुआ है इन्हीं कारणों से वह असन्तोष यहां हो सकता है ।

श्री आईदानसिंह : (भीनमाल) क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब पहले तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उस समय पिछड़े हुए जिलों के लिए अलग से प्रावधान रखा गया ?

श्री खेतसिंह : यह तो अलग से प्रश्न है। हां रखा गया था ।

श्री आईदानसिंह : तीसरी पंचवर्षीय योजना जब बनाई गई थी जब ये जिले पिछड़े हुए थे । उसके बाद इनका कोई विकास नहीं हुआ, क्या कारण है ? तीसरी पंचवर्षीय योजना के कोर्थईयर में इसका कोई प्रावधान क्यों नहीं रखा गया ?

श्री खेतसिंह : ज्यादातर भौगोलिक स्थिति इसके लिए मुनस्सर है। कोटा और दूसरे जिलों में चम्बल बहती है और ऐसी किसी योजना की जालोर जिले में संभावना नहीं है और बाड़मेर में तो उससे भी कम है।

श्री आईदानसिंह : योजनाबद्ध खर्च आप कर रहे हैं उसका एवरेज 225/- पर केपिटा है और जालोर में वह 75'22 पर कैपिटा है ।इसको मेक अप करने की आपकी क्या योजना है ?

श्री खेतसिंह : निश्चित तौर पर इसको मेकअप करना चाहिए । जैसा कि निवेदन किया है कुछ ऐसे हैडस् थे जिसके अन्दर आपके यहां खर्च हुआ है । वह मिला कर मालूम हो जायेगा कि कितना पर कैपिटा खर्चा हुआ है ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : निश्चित तौर पर करना चाहिये । यह आप महसूस करते हैं । इसी लिये यह प्रश्न है कि आप विशेष व्यवस्था करके इन जिलों को दूसरे जिलों के मुकाबले में लाने का प्रयास करें । अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्रीमती मदनकौर : (पचपदरा) अध्यक्ष महोदय, यह जिला बैकवर्ड है । क्या यह सही है कि भारत सरकार ने पिछड़े प्रांतों के लिए कुछ अलग से धन राशि की व्यवस्था की है ।

श्री खेतसिंह : हां यह सही है ।

श्रीमती मदनकौर : क्या सरकार प्रांत के पिछड़े जिलों के लिये भी यह व्यवस्था करेगी ?

श्री खेतसिंह : अकाल में वहां बहुत खर्च किया जा रहा है । इसके अलावा कोई ऐसी योजना हो सकती है तो उसको निश्चित तौर पर किया जायेगा । विद्युतीकरण से आपके यहां कोई लाभ नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री आईदानसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जालोर का विद्युतीकरण ही अगर कर दिया जाये तो वह आप के अन्य जिलों के बराबर आ सकता है । और खर्चा पर कैपिटा कम होगा ।

श्री खेतसिंह : जालोर के विद्युतीकरण के लिये आप अलग से प्रश्न पूछें। हम आपको बता देंगे कि वहाँ किस प्रकार से विद्युतीकरण की प्रगति की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जो जिले पिछड़े हुए हैं वे अब भी तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा जो चौथी पंचवर्षीय योजना चालू है उसमें भी उनकी उपेक्षा की जारही है।

श्री खेतसिंह : यह सही नहीं है।

प्रश्न संख्या 563

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)।

श्री विरदाराम।

जिला जालोर का समाज कल्याण विभाग का कार्यालय

564. **श्री विरदाराम** (जालोर सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जालोर से समाज कल्याण विभाग का कार्यालय हटाने के क्या कारण है ?

(2) जिला जालोर के अधीन समाज कल्याण हेतु कितनी धनराशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई और उसमे से कितनी राशि किस प्रकार बाँटी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त राशि में सायला और बागला में छात्रावास खोलने का भी प्रावधान है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं और कब तक यह प्रावधान कर दिया जावेगा ?

राज्य मन्त्री : समाज कल्याण विभाग, (श्री बी, एन. जोशी)

(1) जिला जालोर से समाज कल्याण विभाग का कार्यालय हटाने का कारण आर्थिक कटौती है। अब इस जिले का कार्य जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सिरोही द्वारा किया जाता है।

(2) जिलेवार जो धनराशि स्वीकृत होती है वही व्यय होती है। जितनी राशि जिस जिस प्रकार खर्च की गई है उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। अर्थाभाव के कारण उक्त स्थानों पर छात्रावास खोलना संभव नहीं है। प्रत्येक स्थान पर जहां सैकेन्डरी स्कूल हो छात्रावास खोलने की न विभाग की नीति ही है और न आर्थिक दृष्टि से यह सम्भव ही है। अतः उक्त स्थानों पर छात्रावास स्थापित करने के विषय में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री विरदाराम : यह निवेदन है कि 8000 मंजूर हुए और 7000 ही खर्च क्यों हुए। कम खर्च क्यों हुआ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दीजिये।

श्री बी. एन. जोशी : मैं समझता हूँ,

(श्री बी० एन० जोशी)

आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई होगी इसलिए कम खर्च हुआ।

श्री विरदाराम : इस साल में कितनी धनराशि जालोर जिले के वास्ते खर्च हुई और उस वास्ते कितनी मंजूर हुई है। और वाकी रही तो क्यों रही ?

श्री बी. एन. जोशी : अलग अलग कार्यों के लिये अलग अलग रूप से राशि मंजूर है। सारी जानकारी विना नोटिस के नहीं दे सकता।

श्री आईदानसिंह(भीनमाल) : जालोर जिले में पहले ही कम मुख्यालय है फिर यह विभाग वहां से क्यों हटाया जा रहा है ?

श्री **बी. एन. जोशी** : इकनोमी कट के फलस्वरूप हमको 5-6 विभाग के मुख्यालय के कार्यालयों को हटाना पड़ा है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कार्यालयों में उनको मर्ज करना पड़ा है और उनमें जालोर भी एक है।

श्री आईदानसिंह : क्या सरकार का अर्थाभाव जालोर जिले पर ही पड़ रहा है ? वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की संख्या ज्यादा है, और जहां से प्रश्नकर्त्ता आये हैं उनको कांस्ट्रीट्यूएन्सी सिड्यूल एरिया में है। मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि यह सायला और वागरा में होस्टल क्यों नहीं खोल रही है ? और इसकी व्यवस्था नहीं कर रही है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री बी. एन. जोशी : मैंने प्रश्न के उत्तर में बतलाया है। जहां सेकेन्डरी स्कूल है, वहां हर सेकेन्डरी स्कूल पर छात्रावास खोलना सरकार के लिए संभव नहीं है। और यह नियम है कि 5 मील के अन्तर्गत रहने वाले विद्यार्थी उस होस्टल में दाखिला नहीं ले सकते। सायला में होस्टल खोला जाये तो भी कोई लाभ नहीं होगा। वे लोग प्रवेश नहीं ले सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री वालसिंह सोढ़ा।

श्री विरदाराम : अध्यक्ष महोदय, जालोर एक पिछड़ा जिला है और सायला के आस पास में बहुत जनसंख्या है। सरकार द्वारा वहां पर होस्टल खोला जाये वह बार-बार निवेदन किया गया है। हमारा जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है और उसके सुधार के लिये शिक्षा पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: ध्यान देंगे मन्त्री महोदय।

श्री रामसिंह कुड़ी : (जायल) इस सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया था विरदाराम जी के चुनाव के समय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जैसलमेर जिले में अकाल राहत कार्य

565- **श्री बालसिंह सोढ़ा** : (जैसलमेर) क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैसलमेर जिले में 19-8-69 में कितने अकाल राहत कार्य आरम्भ किये

Page No 6

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

गये ? वर्ष बार ब्यौरा मय कार्य के नाम के सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि 16 अक्टूबर से जैसलमेर जिले में पूर्ण रूप से अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये गये हैं ? अगर हां, तो इस समय कितने कार्य अपूर्ण हैं ? इनकी सूची सदन की मेज पर रखें । क्या सरकार कार्यों को पूर्ण करना आवश्यक व उपयोगी नहीं समझती है ।

(3) क्या यह सही हैं कि 16 अक्टूबर 1969 के बाद भी वहीं एक अकाल एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर का दफ्तर स्थित है ? अगर हां, तो उसकी क्या उपयोगिता है और क्या सरकार भविष्य में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

उपमन्त्री, अकाल राहत (श्री गंगाराम चौधरी) (1) वर्ष 1968 में खोले गये अकाल राहत कार्यों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां । अपूर्ण कार्यों की सूची उपरोक्त सूची में अंकित है इनमें से स्थायी उपयोगिता कार्य पूर्ण करवाना सरकार उपयोगी नहीं समझती ।

(3) जी हां । 16 अक्टूबर 1969 के बाद एक अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय जैसलमेर में है । और अब एक महीने से फलौदी स्थानान्तरित कर दिया गया है । स्थायी उपयोगिता कार्य की देखरेख और नियन्त्रण के लिए तथा पिछले वर्ष के हिसाबात समायोजन करने के लिए इस कार्यालय को रखा जाना आवश्यक था । राज्य सरकार ने स्थायी उपयोगिता के 26 खड़ीन कार्य तथा 8 सड़क कार्यों की स्वीकृति दे दी है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बालसिंह सोढा : जैसा कि मन्त्री महोदय ने फरमाया अक्टूबर में कार्य बन्द कर दिया गया । एक्जीक्युटिव इन्जीनियर को फरवरी तक रखा गया । क्या सरकार 6 महीने तक और रखना केवल हिसाबात के लिये वाजिब समझती है ?

पंचायत मन्त्री : (श्री परसराम मदेरना) वर्क-लोड और अकाउन्ट्स को साफ करने के लिए 6 महीने ही क्या अगर आवश्यकता पड़े तो 8 महीने भी रखा जाना उचित है । जब तक एग्जीक्युटिव इन्जीनियर से अकाउन्ट्स पेश नहीं होते तब तक सेंट्रल असिस्टेन्स की ग्रान्ट मिलना डिफीकल्ट होती है । इस तरह से करोड़ों रुपया हमारा जाता है जहां हमें केवल 15-20 हजार रुपये ही अधिक खर्च करने पड़ते हैं पूरे मुकम्मिल हिसाबात आजाने चाहिये । जब एग्जीक्युटिव इन्जीनियर ने वहां का काम समाप्त कर दिया उसके बाद उसको बाड़मेर भेजा गया उसके थोड़े दिनों बाद उनका हेड क्वार्टर फलौदी कर दिया गया ।

श्रीबालसिंह सोढ़ा:तो इससे यह स्पष्ट है कि 15 अक्टूबर तक अकाल राहत कार्यों का हिसाब नहीं हुआ ?

श्री परसराम मदेरना : कई जगहों का नहीं हुआ ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इसी कारण लोगों को पूर्ण भुगतान नहीं हुआ आज भी कई लोग अपने पेमेन्ट के लिये घूम रहे हैं अभी तक अनपेंड मामले पड़े हुए हैं ?

श्री परसराम मदेरना : अकाउन्सट् तैयार होने के बाद कुछ अनपेड मामले भी रहे हैं।

श्री बालसिंह सोढा : आपने सूची दी वह पढ़ी तो जाती नहीं फिर भी एक सड़क जो नोखा से भदेसर बताई गई है जिस पर 5.85 लाख खर्च हुआ बताया गया हैं उस सड़क का पता ही नहीं है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (डूंगरपुर) क्या यह अनियमितता की पराकाष्ठा नहीं है ?

श्री परसराम मदेरना : भ्रष्टाचार को तो मैं रसातल में पहुँचाने का पूरा प्रयास करत हूं। रोड है या नहीं यह मै जांच करा लूगा।

श्री **बालसिंह सोड़ा :** कलेक्टर ने भी यही कहा है कि ऐसी रोड वहां पर नहीं है !

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : रोड के निशान भी नहीं होंगे ?

श्री **परसराम मदेरना :** मैंने आपको फेक्ट्स की जानकारी दो है। उसके उपरान्त आप यह कह सकते हैं कि यह रोड़ नहीं है तो मैं यह निवेदन कर दूं कि एक एक रोड के बारे में ज्ञान रखना मुमकिन नही है। मेरी जगह आप भी होते तो आप भी याद नहीं रख सकते हैं। फिर भी रोड्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा याद रखने की कोशिश करता हूं। हर एक रोड के बारे में किस पर कितेना ग्रेवल बिछा, कहां पर कितना डामर लगा यह सब जानकारी रखना मुमकिन नहीं है और यह ह्यूमेनली भी पोसीबिल नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : विवाद में न पड़े प्रश्न का उत्तर दें।

श्री परसराम मदेरना : फेक्टस की जांच करालूंगा अध्यक्ष महोदय, जिस दिन मेरा टर्न हो सटरडे को में इसका जवाब दूंगा और इस पर स्टेटमेण्ट देना पसन्द करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप स्टेटमेण्ट देंगे ?

श्री परसराम मदेरना : यह इर्रेलेवन्ट सवाल पूछा है फिर भी में इसका स्टेटमेण्ट देना पसन्द करूंगा। कवश्चन आवर में सिर्फ इनफोमेंशन्स मांगी जाती है आप को साठ सत्तर रोड्स की सूची दी है आपने उठाकर एक रोड के बारे में कह दिया इसलिये मेरा यह निवेदन है कि मुझे इस बारे में केटेगोरिकली स्टेटमेण्ट देने का अवसर दिया जाय।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मंत्री मेरे प्रश्न के बारे में यह कहते हैं कि इर्रेलेवेन्ट था तो मैं यह भी कह सकता हूं कि उनका उत्तर भी बिल्कुल इर्रेलेवेन्ट है और वे इर्रेलेवेन्ट बोल रहे हैं। यह प्रश्न मैंने कटौती प्रस्ताव द्वारा भी उठाया था लेकिन उस पर भी मन्त्री महोदय ने जवाब नहीं दिया। आपको खुद को यह

Page No 8

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

पता नही रहता कि कौनसी रोड़ कहां पर है आप दूसरों के लिये कहते हैं कि इर्रेलेवेन्ट है। यह रोड़ जो आपने सूची में दी है उसका नामो-निशान भी नहीं है।

श्री परसराम मदेरना : कट मोशन्स में हजारों बातें होती हैं। मेरे जवाब के बाद भी आप पूछ सकते थे। आपने जो सूचना दी है उस पर मैं मालूम कर लूंगा। इर्रेलेवेन्ट कहने का मतलब मेरा यह था सप्लीमेण्टरी द्वारा इतनी जानकारी हासिल नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पर आइये।

श्री परसराम मदेरणा : क्वश्चन के समय आप इनफोर्मेशन मालूम कर सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सदन की प्रक्रिया होती है प्रश्न पूछने का हमें अधिकार है। कटमोशन द्वारा भी हम कोई बात उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। माननीय मन्त्री महोदय का यह कर्तव्य है कि उन पर प्रकाश डालें। यह प्रश्न साफ तौर से पूछा गया हैं कि अमुक स्थान पर सड़क बनी है या नहीं। प्रश्न कर्ता कहते हैं कि सड़क वहां है ही नहीं वैसी हालत में सरकार का पुनीत कर्तव्य है सड़क नहीं बनी है तो उस पर प्रकाश डालें। इसमें इर्रेलेवेन्सी कैसी है, इस पर इर्रेलेवेन्सी का क्या अर्थ है, इसका स्पष्टीकरण करें। It is very relevant. Hon. Minister is being very irrelevant about it.

श्री परसराम मदेरना : You may say what you like........रोड के बारे में जो प्रश्न किया गया उसके बारे में मैंने निवेदन किया है, मैं इनफोरमेशन कलेक्ट कर लूंगा। मेरे पास जो भी सूचना थी वह मैंने आपको दी है उसको पाने का प्रयत्न नहीं किया। यह हयुमैनली पोसीबल भी नहीं कि तमाम सड़कों के बारे में ज्ञान रखा जाय। मैंने यह कहा है इसकी जानकारी कर लूंगा। और हाउस में बयान दूंगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : (बाड़मेर) फिर क्यां है बयान देने को तैयार है।

श्री **बालसिंह सोढा** : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की सूचना के लियें निवेदन करदूं मैंने इस सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव भी दिये थे बजट भाषण में भी मेन्सन किया था उसको मन्त्री महोदय ने नोट भी किया था लेकिन आपने जबाव नहीं दिया यह आपकी इच्छा है।

श्री **सतीशचन्द्र : अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर): शनिवार को स्टेटमेन्ट देने को कहा है उस दिन तो सदन की बैठक नहीं होगी।

श्री परसराम मदेरना : शनिवार को नहीं तो सोमवार को दे दूंगा। आपने बजट भाषण में कट मोशन के जरिये कहा है। मैंने जबाव नहीं दिया हो सकता है उस समय याद नहीं रहा हो। मैं यह कहना चाहता हूँ जहां भी करप्सन हुआ है इर्रेगुलैरिटी हुई है उसको शील्ड नहीं करता। मैं इस बारे में स्टेटमेन्ट दूंगा।

Page No 9

श्री दौलतराम सारण : (डूंगरगढ़) क्या शनिवार को भी सदन की बैठक होगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री ने शनिवार को देने को कहा है लेकिन यह तो सुविधाजनक स्थिति को देखकर ही मैं जिस दिन रखूंगा उसी दिन रह सकता है । शनिवार की बैठक होगी या नहीं यह प्रश्न नहीं है । बिजनेस के अन्तर्गत सुविधाजनक स्थिति को मैं देखूंगा ।

श्री देवीलाल बुरासिया

सी. टी. डी. की राशि

566. श्री **देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी पंचायत समित के शिक्षकों के वेतन से काटी जाने वाली सी. टी. डी. की राशि पोस्ट आफिस में नियमित रूप से जमा नहीं कराई गई ?

(2) अगर हां, तो कब से व कब तक कितनी राशि जमा नहीं कराई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि कुछ अध्यापकों की सी. टी. डी. की राशि का हिसाब तक कहीं पर उपलब्ध नहीं होता ? यदि हां, तो ऐसे कितने अध्यापक हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि नियमित रूप से सी. टी. डी. की राशि जमा नहीं कराना सरकारी धन के दुरुपयोग की परिधि में आता है ? अगर हां। तो इस पर अनुशासनात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई ? यदि की गई है तो उक्त कार्यवाही की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ?

उपमन्त्री पंचायत (श्रीमती प्रभामिश्रा) : (1) शिक्षकों के वेतन से काटी जाने वाली सी. टी. डी. की राशि पोस्ट आफिस में बराबर जमा कराई जाती है ।

(2) जमा कराने के योग्य कोई राशि बकाया नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

(4) राशि बराबर जमा करायी जाती है अतः धन के दुरुपयोग होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री **देवीलाल बुरासिया** : यह आपका उत्तर स्पष्ट गलत है मैंने प्रश्न के भाग (1) में पूछा है कि नियमित रूप से जमा नहीं कराई गई। मैं इस सम्बन्ध में १७.७.७० को शिक्षकों की तरफ से प्रधान पंचायत समिति केकड़ी को जो प्रार्थना पत्र दिया गया वह सदन की मेज पर रखता हूं और वह पढ़कर भी सुनाता हूं :—

" श्री प्रधान महोदय पंचायत समिति केकड़ी द्वारा अप्रसारित आपका दिनांक १४.३ ७० का नोट जिसमें अध्यापकों की सी. टी. डी. पासबुकों के सम्बन्ध में कुछेक बिन्दुओं पर आश्वासन चाहा गया है, मिला । इस सन्दर्भ में समिति कार्यालय पत्रांक शिक्षा

Page No 10

(श्री देवीलाल बुरासिया)

एफ० जी० (३४) ७०।४६१० दिनांक १३-३-७० के अन्तर्गत आपको पूर्व में ही सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जा रही और जो भी निर्णय होगा, आपको शीघ्र सूचित कर दिया जावेगा। मेरा यह प्रयास है कि किसी भी अध्यापक को जहां तक संभव होगा, कोई आर्थिक हानि नहीं होने दी जावेगी।

दिनांक १४।३।७० के नोट में व्यक्त बिन्दुओं पर भी कार्यवाही प्रारम्भ करदी गई है चूंकि यह करीब ५ वर्ष पुराना मामला है अतः इस माह की २० तारीख तक इसका निराकरण किया जाना संभव नहीं है क्योंकि इसमें कतिपय मामलों पर तत्कालीन सम्बन्धित अधिकारियों से भी वस्तु स्थिति स्पष्ट करना एवं जाँच करना आवश्यक है।"

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा।

श्री देवीलाल बुरासिया : "जो पास बुकें परिपक्व हो गई हैं उन्हें समिति द्वारा पूर्ववत ही लौटाना प्रारम्भ किया जा चुका है जो अध्यापक जिनको पास बुकें जारी हैं, पास बुकें लेना चाहें तो समिति को इसमें कोई आपत्ति नहीं है और न ही समिति ने कभी मना किया है।

इस सम्बन्ध में आप यदि और शंकाओं पर विचार विमर्श करना चाहें तो सहर्ष कभी भी आ सकते हैं। ह० विकास अधिकारी केकड़ी।"

श्री अध्यक्ष : माननीय पंचायत मंत्रीजी।

श्री देवीलाल बुरासिया : क्या यह सही है कि पास बुकें तैयार नहीं होने से अध्यापक लोगों ने वेतन नहीं उठाया है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, यह तो क्यूमेलेटिव डिपोजिट का प्रश्न है। जो मुझे जानकारी है, पंचायत समिति द्वारा और डिप्टि डी० डी० ओ० द्वारा वह यह है कि चार महीनों में देरी हुई है, बाकी उनके पास फन्ड नहीं थे-फेमिन में लगे हुएथे इसलिये देरी हुई सी० टी० डी० की जो धनराशि थी वह पोस्ट आफिस में जमा कर दी गई थी। १-२ महीने की देरी अवश्य हुई है। अब ये आपके नये तथ्य सामने आये है। आप एप्लीकेशन दे देंगे तो मैं जांच करवा लूंगा।

श्री देवीलाल बुरासिया : यह मसला लगातार पांच सालों से उलझा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जांच करने का आश्वासन दे दिया है।

श्री हरजी राम बुरड़क।

समाचार पत्रों को विज्ञापन

567. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि लौटरी विभाग द्वारा कई समाचार पत्रों को विज्ञापन दिया जाता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? इस सम्बन्ध में कोई नियम हों तो उन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(२) क्या यह भी सत्य है कि विभाग द्वारा किसी ऐजेन्सी को यह कार्य दिया गया है कि जिसके द्वारा विज्ञापनों का भुगतान समाचारपत्रों को किया जाता है? यदि हां, तो किस एजेन्सी को कब किस आधार पर तथा किन शर्तों पर दिया गया ?

(३) उक्त एजेन्सी से क्या कार्य लिया जा रहा है तथा उनको क्या कमीशन दिया जा रहा है ?

(४) अब तक कितना रुपया विज्ञापन के पेटे समाचार पत्रों को दिया गया जिसमें से उक्त एजेन्सी को कितना रुपया मिला ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्यवित्त मंत्री (श्री बी० एन० जोशी) : (१) जी हां। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पत्रों को विज्ञापन राज्य सरकार की स्वीकृत दर के अनुसार दिये जाते हैं। राजस्थान के बाहर के पत्रों को विज्ञापन डी० ए० वी० पी० भारत सरकार से स्वीकृत दर पर विज्ञापन दिये जाते है।

(२) जी हाँ। राजस्थान के बाहर के समाचार पत्रों में अगस्त, ६९ में पहले ऐशियन एडवरटाईजिग कं०, दिल्ली, फिर न्यू फील्ड्स ऐडवरटाईजिग कं० दिल्ली तथा जनवरी ७० से जूपीटर पब्लिसिटि, दिल्ली नामक एजेन्सियों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशनार्थ भेजे जाते हैं तथा राजस्थान के स्वीकृत पत्रों को विज्ञापन माह जनवरी, ७० से मैसर्स नेशनल एडवरटाईजिंग कं०, जयपुर द्वारा जारी किये जाते हैं। यह व्यवस्था राज्य के बाहर के पत्रों के लिये अगस्त, ६९ तथा राजस्थान के पत्रों के लिये माह जनवरी, ७० से चालू की गई है।

(३) उक्त ऐजेन्सियों के माध्यम से विज्ञापन का डिजाईन बनाने तथा उसको प्रकाशित करने और लाटरी के लिये पोस्टर व टिकट इत्यादि के डिजाईन तैयार करवाने का कार्य लिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा एजेन्सियों को इस कार्यालय के लिये कोई कमीशन नहीं दिया जाता।

(४) राजस्थान के बाहर छपने वाले समाचार पत्रों को जिन एजेन्सियों के माध्यम से लाटरी के विज्ञापन दिये गये हैं तथा समाचार पत्रों को अब तक जितना रुपया दिया गया है, निम्नांकित है:—

(१) ऐशियन ऐडवरटाईजिग कम्पनी, नई दिल्ली, २१,२०१.४७

(२) न्यूज फील्ड, नई दिल्ली ४५,३३६.१२

(३) जूपिटर पब्लिसिटि, दिल्ली २६,६०१.४३

(४) नेशनल ऐडवरटाईजिग कम्पनी, जयपुर ११,३९५.४६

राजस्थान में छपने वाले समाचार पत्रों को नेशनल ऐडवरटाईजिग कम्पनी के माध्यम से विज्ञापन दिये गये हैं तथा समाचार पत्रों को तदर्थ रुपये ११,३९५.४६ का भुगतान अब तक किया गया है।

श्री हरजीराम बुरडक : प्रश्न के उत्तर में आपने यह नहीं बताया कि यह

Page No 12

(श्री हरजीराम बुरड़क)

विज्ञापन का कार्य उन ऐजेन्सियों को किन शर्तों और किन आधारों पर दिया गया है जबकि प्रश्न में यह स्पष्ट है।

श्री **बी. एन. जोशी** : आधार मैंने आपको बताया हमारा उनसे ऐग्रीमेंट यह है कि विभाग के लिए पोस्टर्स व डिजाइन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी वे विभाग को फ्री करके देंगे, विभाग उसके लिए पैसा नहीं देगा। हमारे यहां से जो विज्ञापन दिए जाते हैं वे फ्री करेंगे, अखबारों से वे लेंगे। गवर्नमेन्ट से एक पैसा भी चार्ज नहीं करेंगे।

श्री **हरजीराम बुरड़क** : प्रश्न के भाग ४ के उत्तर में आपने कमीशन भी बताया, समाचार पत्रों से कितना कमीशन लेते हैं ?

श्री **बी. एन. जोशी** : सरटेन पर्सेन्टेज है वह उनसे·······

श्री **हरजीराम बुरड़क** : कितना पर्सेन्टेज है ?

श्री **बी. एन. जोशी** : समाचार पत्रों पर····

श्री **देवीदत्त गाड़िया** : (बारां) क्या सरकार ने जो डी. पी. आर. विभाग खोल रखा है उसको विज्ञापन देना उचित नहीं समझती है ?

श्री **बी. एन. जोशी** : पब्लिसिटी के लिए यहां ४० दिन का पीरियड होता है और हमारा विज्ञापन टिकट सेल होजाने से पहले होजाना चाहिये। दूसरे विभाग से करें तो देरी हो जाना स्वाभाविक है इसलिए प्रारम्भ से यह व्यवस्था रखी गई है लाटरी विभाग स्वयं अपने आप प्रबन्ध करे।

श्री **देवीदत्त गाड़िया** : क्या आप इस विभाग को अयोग्य समझते हैं ?

श्री **अध्यक्ष** : श्री नत्थीसिंह।

श्री **नत्थीसिंह** : (भरतपुर) क्या आपका सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय अकुशल है इस लिए आप अपने माध्यम से करना चाहते हैं ?

श्री **बी. एन. जोशी** : विलम्ब को देखने का सवाल है। पहले हम अपने अधिकारियोंको कहें और वे अधिकारी उन अधिकारियों से सम्पर्क रखें इसमें ४० दिन का समय निकल आता है और हमारा मतलब खत्म हो जाता है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि राज्य सरकार ने इस प्रकार के नियम बनाये हैं जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार की ओर से समाचार पत्रों को दिये जाने वाले भी विज्ञापन केवल मात्र सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय से ही दिये जायेंगे ?

श्री **बी. एन. जोशी** : जनरल किस्म के नियम हैं इन नियमों को इस विभाग के लिए रिलैक्सेसन दिया हुआ है—

This is a relaxation of a Particular rule.

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या यह मानकर चला जाये और राज्य सरकार

Page No 13

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ने गवर्नमेन्ट ऐडवरटाईजमेन्ट देने के नियम बनाये हैं उनका रिलैक्सेसन कर दिया गया है और अब विज्ञापनों के लिए यह नियम लागू नहीं है ? क्या नियमों में इस प्रकार का रिलैक्सेसन किया है और किया है तो कब किया है ?

श्री **बी. एन. जोशी** : कम्पीटेन्ट ग्राथौरिटि से किया जा चुका है। लाटरी विभाग जब से राजस्थान में आर्गेनाईज हुआ उसी वक्त से यह रिलैक्सेसन कर दिया गया था।

श्री **हरजीराम बुरड़क** : नियमों में रिलेक्सेसन सभी विभागों के लिये होगा ?

श्री **बी. एन. जोशी** : इसी विभाग के लिये है केवल।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री जुझारसिंह।

सेन्ट्रल एरियड जोन रिसर्च इन्सटीट्यूट जोधपुर द्वारा एक्सपेरीमेन्ट।

568. श्री **जुझारसिंह** : (रामगढ़ मन्डी) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि सेन्ट्रल एरियड जोन रिसर्च इन्सटीट्यूट, जोधपुर ने रेगिस्तानी क्षेत्र में पनप सकने वाले पेड़ व पौधों पर एक्सपेरीमेंट करके उनका प्लान्टेशन बढ़ाने हेतु राज्य सरकार से सिफारिश की है ? यदि हां, तो किन किन किस्म की किस किस क्षेत्र के लिए कब कब सिफारिश की गई है ?

(२) रिसर्च इन्सटीट्यूट की सिफारिश के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा कितने क्षेत्र में पेड़ लगाये हैं और उन पर कितना खर्चा किया गया है और उनकी प्रोग्रेस कैसी है ?

वन मन्त्री (श्री नारायणसिंह) : (१) इस प्रकार की शिफारिश की जानकारी वन विभाग को नहीं है।

(२) सिफारिश वन विभाग को प्राप्त नहीं हुई है अतः प्रश्न नहीं उठता।

श्री **जुझारसिंह** : क्या यह आपके नालेज में है कि सेन्ट्रल ऐरियड रिसर्च इन्सटीट्यूट जैसी संस्था जोधपुर में स्थित है और वह इस प्रकार का काम करती है ?

श्री **नारायणसिंह** : सेन्ट्रल एरियड जोन रिसर्च इन्सटीट्यूट जोधपुर में जरूर है और बेसिक रिसर्चेज पर काम करती है। किस किस प्रकार का प्लान्टेशन करते हैं और डेजर्ट को एडवान्स होने से रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं यह उन्होंने हमें लिखित में नहीं बताया है।

श्री **जुझारसिंह** : क्या आपके अधिकारी और इन्सटीट्यूट के अधिकारियों के बीच में कोई डिसीजन नहीं हुआ है ?

श्री **नारायणसिंह** : अधिकारियों के बीच में सम्पर्क रहता है विभागीय तौर पर नहीं है।

श्री **जुझार सिंह** : क्या १४ मई, १९६४ और १८ मई, १९६५ को आपके

Page No 14

(श्री जुझारसिंह)

अधिकारियों के और वहां के अधिकारियों के बीच में कोई मीटिंग हुई है और उसमें सरटेंन डिसिजन्स लिये हैं कि अमुक प्रकार के वृक्ष डेजर्ट को पनपने से रोक सकते हैं ?

श्री नारायण सिंह : निर्णय लिये गये होंगे कौन कौन किस किस प्रकार के वृक्ष लगाये जा सकते हैं। उनके अनुसार जूली-फ्लोरा काफी मात्रा में डेजर्ट को रोक सकता है और भी प्रकार के बंबूल राजस्थान केनाल पर लगाये गये हैं और उससे ६६-६७ में १६० हैक्टर, ६७-६८ में ५६० हैक्टर ६८-६९ में ५४५ हैक्टर इस प्रकार से उन भूमियों पर इन वृक्षों का इस्तेमाल किया जाता है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : आपने पहले जवाब दिया था वह सही है या आपके विभाग को कोई जानकारी नहीं है और अब आपने जानकारी के आधार पर कार्य किया है ? कौन सा सही है ?

श्री नारायणसिंह : मैंने जो प्रश्न था उसका जवाब दिया है कि इस प्रकार की सिफारिश कोई नहीं आई है लिखित रूप में केवल सम्पर्क द्वारा ही जो निर्णय लिये हैं ? वह हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि डेजर्ट रिसर्च इन्सटीट्यूट ने सिफारिश की है कि जूली-फ्लोरा वहां पर सक्सेसफुल नहीं है और दूसरी वैराइटी ग्रो की जानी चाहिए ?

श्री नारायणसिंह : उन्होंने जो सिफारिश की है विभिन्न क्षेत्रों के लिए जुली-फ्लोरा कहां सक्सेसफुल हो सकता है उसी प्रकार से कार्यवाही की गई है। जैसे राजस्थान केनाल मे जुली-फ्लोरा की जगह दूसरे प्रकार का बंबूल लगाया है।

श्री जुझारसिंह : मेरा शुरू से प्रश्न है उसमें ना किया है और अब जवाब देते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह सिफारिश नहीं है। सम्पर्क के जरिये हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : यह २।३ हिस्से में राजस्थान के विकास का सवाल है इस प्रश्न पर माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि हमारी जानकारी और रिसर्च के परिणाम हैं। उन्होंने कोई सूचना नहीं दी जब कि स्थिति यह है कि आपने आगे स्वीकार किया है कि विभागीय बैठकें होती रहती हैं उनमें निर्णय लिये गये हैं और उन निर्णयों के मुताबिक योजनायें बनती हैं और उन पर क्रियान्विति होती है—ऐसा अभी बताया तो मैं जानना चाहूंगा कि जो अब तक निर्णय लिये गये हैं उनके परिणाम क्या रहे ? क्या राज्य सरकार उनसे सहमत है और वह निर्णय रेगिस्तान को रोकने के लिए सफल हैं ?

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन यही कर रहा था कि सिफारिश होकर किसी प्रकार से सरकारी तौर पर निर्णय लिये गये हैं ऐसी बात नहीं है। केवल सम्पर्क द्वारा जानकारी ली गई है और सलाह की गयी है और उसके अनुसार यह प्लान्टेशन की एक्टीवीटीज की गयी हैं।

Page No 15

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा कि पेड़ और पौधे राजस्थान केनाल पर लगाये गये हैं । क्या मैं यह जान सकता हूं कि वहां के एरिड एरिया और किसी क्षेत्र में भी तरह-तरह के बंबूल और अन्य पौधे लगाये गये हैं ? अगर लगाये गये हैं तो इन पर अभी कितना खर्चा हुआ है ? क्या मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में भी प्रकाश डालेंगे और क्या मन्त्री महोदय यह भी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि रिसर्च इन्सटीट्यूट और राजस्थान सरकार के बीच में तालमेल है ? उसका बेसिस क्या है ? इस सम्बन्ध में दो शब्द यदि वह कह सकें तो मैं आभारी होऊंगा ।

श्री नारायणसिंह : यद्यपि यह प्रश्न बहुत व्यापक है और कुछ अलग तौर का भी है फिर भी मै निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक तालमेल का सवाल है सम्पर्क करते रहते हैं, सलाह लेते रहते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं । अब जो विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, अधिकांश राजस्थान केनाल और एरिड एरियाज के अन्दर जहां जहां उनसे सलाह लेकर या हमारी तौर पर उचित समझा गया है, प्लान्टेशन किया गया है और माननीय विरोधी दल के नेता को यह भी अवगत है कि डूंगरपुर और उस एरिया में भी जुली फ्लोरा जिसको विलायती बंबूल कहा जाता है उसको प्रचुर मात्रा में वहां लगाने के लिए कदम उठाये गये हैं प्लान्टेशन के अन्दर चाहे वन महोत्सव के मार्फत, चाहे और तरह से । और खर्चे का जहां तक सवाल है इस मद में १९६६-६७ में ४.०७ लाख खर्च हुआ है, १९६७-६८ में ५.९९ लाख रुपया खर्च हुआ है, १९६८-६९ में ७.४१ लाख रुपया खर्च हुआ है और और १९६९-७० में ४.७३ लाख रुपया खर्च हुआ है ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि उनमें जो सिफारिश की गयी हैं उनके अनुसार विभाग ने कुछ ही क्षेत्रों में नहीं किया ?

श्री नारायणसिंह : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि सिफारिश कोई नहीं की गयी है और सिफारिश के आधार पर कोई काम उठाया गया हो ऐसी बात नहीं है । सलाह मशविरे के साथ में जो भी विभागीय तौर पर उचित समझा गया वह किया ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि शिफ्टिंग सैण्ड ड्यून्स के लिए सिफारिश की गयी है, नेचुरल ग्रेजिंग लेण्ड को इम्प्रूव करने की सिफारिश की गयी है ? क्या यह सही है कि रोड साइड प्लान्टेशन की सिफारिश की गयी है ? क्या यह सही है कि केनाल के दोनों तरफ प्लान्टेशन की सिफारिश की गयी है ?

श्री नारायणसिंह : इस प्रकार के उन्होंने निर्णय निकाले ।

श्री दौलतराम सारण : उन्होंने नहीं आपके विभाग के अधिकारियों ने और चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स ने निर्णय लिये और कहते हैं कि उन्होंने निकाले ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री नारायणसिंह : इस प्रकार के उन्होंने एक्सपेरीमेन्ट करके निर्णय निकाले और उनसे सम्पर्क करके जहां ठीक समझा यथासम्भव हमने प्रयत्न किया। यह मैं कह चुका हूं।

श्री दौलतराम सारण : क्या आप एक भी सड़क बता सकते हैं एरिड जोन में जहां प्लान्टेशन किया है ?

श्री नारायणसिंह : विभिन्न स्थानों पर किया गया है। 1966-67 में 10 कि. मी. सड़क पर, 1967-68 में 20 कि. मी. सड़क पर, 1968-69 में 30 कि. मी. सड़क पर और 1969-70 पर 20 कि. मी. सड़क पर प्लान्टेशन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी सम्पर्क और निर्णय जो यह दो शब्द हैं बार-बार आते हैं सम्पर्क भी, निर्णय भी और बातचीत भी इन सब का कहीं लेखा जोखा पत्रावलि में है क्या ?

श्री नारायणसिंह : वही मैं निवेदन कर रहा हूं कि पत्रावलि में इस प्रकार से निर्णय विभागीय तौर पर नहीं हुए हैं। कोई पालिसी निर्णय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में कोई कागज इधर से उधर नहीं चले हैं ?

श्री नारायणसिंह : हां, कागज इधर से उधर नहीं चले हैं।

श्री दौलतराम सारण : फिर खर्च किस प्रकार से कर दिया ?

श्री जुझारसिंह : मीटिंग होती हैं और डिसीजन हुए हैं और जैसा श्री दौलतरामजी ने कहा कि रोड साइड प्लान्टेशन हो गया, हनुमानगढ़ में 500 एकड़ में प्लान्टेशन हो गया और सेण्ड-ड्यून्स को स्टेबेलाइज करने के लिए प्लान्टेशन हो गया....

श्री अध्यक्ष : हां, वह जवाब दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा एक ही सप्लीमेन्टरी सवाल है। मन्त्री महोदय ने कहा कि यह विविध प्रकार के पेड़ और पौधे राजस्थान केनाल पर लगाये हैं। अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न एरिड एरिया का है। राजस्थान केनाल के दोनों तरफ अगर आप यह पौधे लगाते हैं तो यह एक्सपेरीमेन्ट आपका अवास्तविक होगा। मेरा सिर्फ प्रश्न यह है कि जब तक आप एरिड एरिया के अन्दर पौधे नहीं लगा पाते तब तक आपका अनुसंधान ठीक मार्ग पर नहीं चल सकता। क्या उसके साथ ही साथ मैं यह भी जान सकता हूं कि इजराइल में ऐसा एक्सपेरीमेन्ट किया गया है और सफलतापूर्वक किया गया है ? राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा और इजराइल के लांगी-ट्यूड की स्थिति है वह भी करीब-करीब मिलती जुलती है। एरिड एरिया जो इजराइल में है उसके अन्दर जो लाभ इजराइल ने प्राप्त किया है उससे कोई सबक सीख कर यहां पर व्यवस्था करने के लिए सरकार विचार रखती है ?

श्री नारायणसिंह : माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने बहुत अच्छा सुझाव

Page No 17

(श्री नारायणसिंह)

दिया। अध्यक्ष महोदय इजराइल जाने की मेरी भी इच्छा हुई है....

श्री देवीदत्त गाडिया : जैसे डिप्टी मिनिस्टर हरिद्वार और देहरादून गये हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि उन्होंने आपको विलायती बंबूल लगाने को मना किया है और उस हिस्से में पनपते हुए पौधों को व्यापक रूप से फैलाने के लिए सुझाव दिया है ?

श्री नारायणसिंह : कहां ?

श्री दौलतराम सारण : एरिड जोन में।

श्री नारायणसिंह : कौन सा एरिड जोन ?

श्री दौलतराम सारण : जहां रेत रुकती है।

श्री नारायणसिंह : उन्होंने विशेष एरिड जोन के ऊपर जुली फ्लोरा को उन्होंने लगाने की सलाह के लिए कहा है जैसे राजस्थान केनाल करीब-करीब है, दूसरा एरिया है। बहुत बड़ा एरिड जोन है, अजमेर भी एरिड जोन है वहां नहीं कहा।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री दौलतराम सारण : क्या खैर के पेड़ को कामशियल बेसिस पर लगाने का उन्होंने सुझाव दिया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गंगा सहाय।

श्री दौलतराम सारण : पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, सुनते नहीं और उत्तर दे देते हैं।

प्रश्न संख्या ५६९

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासहाय।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह ।

जवाई बांध की नहरों से पानी की चोरी

५७०. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जंवाई बांध की नहरों से अब तक किस किस व्यक्ति के विरुद्ध सिचाई के पानी की चोरी के मामले ध्यान में आये हैं ? कृपया नाम पते सहित इन व्यक्तियों की तालिका सदन की मेज पर रखते हुए यह बताने का कष्ट करें कि इन व्यक्तियों ने अब तक किस किस प्रकार से कितना पानी चुराया है और इनके पास कितनी कितनी काश्त की भूमि है ?

राज्यमंत्री जन-स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा देवी) : क्योंकि यह प्रश्न सिचाई विभाग से जन-स्वास्थ्य विभाग को कल शाम को ही प्राप्त हुआ था इसलिए इस सम्बन्ध में वांछित सूचना एकत्रित नहीं की जा सकी है इसलिए इसको अगले टर्न तक स्थगित किये जाने का निवेदन करती हूं।

श्री भैरोंसिंह : कब तक ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपस में तय कर लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने सुझाव जो दिया है वह ठीक है।

श्री भैरोसिंह : आप फर्मा दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आसन को क्यों बीच में घसीटते हैं ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। शीघ्रातिशीघ्र लेने का प्रयास किया जायगा।

प्रश्न संख्या ५७१

श्री लादूराम मुलानियां :

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केशरीसिंह हाड़ा :

वनों की लकड़ी

५७२. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान के वनों से लकड़ी किस किस काम में आने वाली उपलब्ध है ?

(२) काश्त के कार्य के लिए कौन कौन सी लकड़ी अधिक काम में आने वाली होती है ?

(३) क्या सरकार काश्तकारों के खाते पर काश्त की लकड़ी मुफ्त देती है ? अगर हां, तो किस कार्य की और कितनी ?

(४) काश्तकारों को काश्त के लिए लकड़ी किस किस शर्त पर दी जाती है ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) :

(१) कत्था बनाने योग्य खैर की लकड़ी तथा जलाऊ व इमारती लकड़ी।

(२) काश्त की बाड़ हेतु खैर, धोंकड़ा, आदि कांटेदार झाड़ियां व काश्त के औजारों के लिए बबूल, बांस धोंक, तेन्दू व सागवान की लकड़ी अधिक काम में आती है।

(३) जी हां ! किन्तु काश्त की लकड़ी मुफ्त उन्हीं काश्तकारों को दी जाती है जिन्हें वन बन्दोबस्त से इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं अथवा जिन्हें राज्य सरकार से सुविधाएं दी हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी व कृषकों को हल, जूड़ा, कुली, ढाणा, रहट, डागला आदि कृषि कार्यों के लिए लकड़ी मुफ्त दी जाती है। निर्धारित मात्रा सलग्न है।

(४) काश्तकारों को काश्त के लिए लकड़ी निम्न शर्तों के अनुसार कृषि सम्बन्धी यन्त्रों के निर्माण व मरम्मत हेतु दी जातीहै।

(१) लकड़ी आरक्षित वृक्षों से दी जावेगी किन्तु जहां आरक्षित वृक्षों की इमारती लकड़ी उपलब्ध न हो वहां ऐसी लकड़ी रक्षित वृक्षों की दी जा सकेगी।

(२) कूप कटे बन्द जंगल से लकड़ी नहीं ला सकेंगे।

(३) सुविधाओं का उपयोग १५ जून से ३१ अक्टूबर तक बन्द रहेगा।

(४) लकड़ी वन विभाग के नाकेदार से परमिट प्राप्त कर उसी वन क्षेत्र से लाई जा सकेगी जहां से वर्ष क्रमानुसार ऐसी लकड़ी दिये जाने का प्रावधान हो।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No 19

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के खण्ड (१) में जो आपने उत्तर दिया है लाख, खैर इत्यादि की लकड़ी काम में आती है। क्या राज्य सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है कि कब तक यह लकड़ी काम में आती रहेगी और कब समाप्त हो जायगी ? जिस रफ्तार से जंगल कटते जा रहे हैं तो कब तक वह समूचा लाभ प्राप्त करते रहेंगे और कब तक वे नष्ट हो जायेंगे और लकड़ी कतई नहीं मिल सकेगी ?

श्री नारायण सिंह : वर्किंग प्लान में इन सब बातों का विवरण दिया गया है कि कितनी लकड़ी कहां पर उपलब्ध है और उसी तरह से कन्सेशनिस्ट्स को गाइड किया जाता है। कब खत्म हो जायगी यह इतना कठिन और दर्दनाक प्रश्न है कि उसका जवाब न दूं तो ठीक है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का तात्पर्य यह है कि जिस तेजी से जंगलात की लकड़ी—क्या बबूल, क्या खैर, इत्यादि, इत्यादि, जो भी लकड़ी है सब नष्ट होती जायगी, और जंगल में केवल कंकर ही दिखते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या राज्य सरकार ने प्लान तैयार किया है कि समूचा जंगल कब तक नष्ट हो जायगा ? इसकी सूचना दें।

श्री नारायण सिंह : समूचा जंगल कब तक नष्ट हो जायगा इसका अनुमान नहीं किया है। मास्टर प्लान नहीं है।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या यह सही है कि फारेस्ट एन्क्वायरी कमेटी ने फारेस्ट की मांग पर लोड कम हो वह करने के लिए कांटेदार तार और टीन काश्तकारों को सप्लाई करने की सिफारिश की है ? उस पर वन विभाग ने कहां तक अमल किया है ?

श्री नारायण सिंह : कांटेदार तार व टीन सप्लाई करना वन विभाग का काम नहीं है।

श्री जुझारसिंह : फोरेस्ट एन्क्वायरी कमेटी द्वारा सिफारिश की गई है....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री जुझारसिंह :....कि आप इस बात की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, इसी वजह से जंगल कटते जा रहे हैं और फारेस्ट एन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश का ध्यान नहीं देते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): खार-कांकड़ वगैरह का थोड़ा सा पैसा जमा करा के जंगल को तहस-नहस किया जा रहा है तो क्या खार-कांकड़ को बन्द करने की योजना बनाई है ताकि जंगल प्रिजर्व रहें ?

श्री नारायण सिंह : कन्सेशन्स को बन्द करने की सिफारिश है क्या ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : खार-कांकड़ के दो रुपये जमा कराकर मनमाने ढंग से जंगल डेस्ट्राय कर रहे हैं। अगर

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

उसको बन्द नहीं किया गया तो जंगल का नाम भी नहीं रहेगा ।

श्री नारायण सिंह : कन्सेशनिस्ट्स को जिन बातों की छूट दी गई है उतनी लेते हैं। चौकसी भी रखी जाती है और अधिक भी ले आते हैं ।

श्री केशरीसिंह : मेरे प्रश्न के खण्ड (३) में आपने उत्तर दिया है कि काश्तकारों को बबूल की लकड़ी खेती के लिए दी जाती है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूँगा कि जो लकड़ी आपने बताई कि हल के लिए, कुलो के लिए दी जाती है क्या वह अभी तक दी जा रही है अथवा नहीं दी जा रही है ?

श्री नारायण सिंह : बड़ा जनेरेलाइज्ड प्रश्न है । दी जाती है। पूरी मात्रा में नहीं दी जाती होगी, सम्भव है। परन्तु जिस प्रकार से वनों की कमी होती जा रही है, भाव भी बढ़ रहे हैं और कमी भी होती जा रही है, उससे ऐसा हो सकता है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र के रहने वाले किसानों को यह खेती की लकड़ी दिये जाने की सुविधा प्राप्त नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहीं, अध्यक्ष महोदय, उससे ताल्लुक रखता है। यह आपने कहा है कि किसानों को लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है तो क्या नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर जो किसान लोग हैं उनको आज तक लकड़ी काटने की सुविधा प्राप्त नहीं है ?

श्री नारायण सिंह : जिनको जो कन्सेशन दे रखे हैं उतने कन्सेशन माकूल हैं। उनसे अधिक देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : लकड़ी लाने वालों को रोक लेते हैं और १००-२०० और ५०-५० रुपया लेते हैं····

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वे किसानों को लूटते हैं। आज लखपति बन गये हैं। वन विभाग इस नाम से सारा पैसा खा गया। आप क्या व्यवस्था करते हैं····

श्री अध्यक्ष : माननीय गाड़िया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : लाखों रुपया खा गये और किसानों को लकड़ी लाने नहीं देते हैं····

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह विभाग निकम्मा है। अध्यक्ष महोदय, इनको जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई । स्थगित प्रश्न ३७६ ।

स्थगित प्रश्न

(३०-३-७०)

अकाल राहत कार्यो के अन्तर्गत सीमेन्ट की खरीद

३७६ श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा डिविजन में इरिगेशन विभाग ने अकाल राहत मद से ८ लाख का सीमेन्ट खरीदा जो अभी तक खर्च नहीं हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि यह सीमेंट उन स्कीमों के नाम पर व्यय बताकर रख लिया गया है जिसका वास्तविक खर्च नहीं हुआ ? यदि नहीं, तो किन किन स्कीमों पर खर्च हुआ ?

(३) क्या यह सही है अकाल राहत के नाम से सार्वजनिक निर्माण विभाग (बांसवाड़ा डिविजन) द्वारा १३ लाख का डामर, ४ लाख का सीमेंट व २ लाख का लोहा खरीदा जो बिना व्यय के पड़ा हुआ है ? यदि व्यय हुआ तो कितना ?

(४) क्या यह सही है कि यह सब अब अकाल राहत कार्य समाप्त होने पर आया है ? यदि नहीं तो किस तारीख में आया ?

उपमंत्री, अकाल राहत (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी नहीं। केवल ५,३७,६००) रु० की सीमेंट अकाल राहत मद से खरीदी गई है, जो वास्तव में अकाल राहत के कार्यों पर ही व्यय हुई है।

(2) जी नहीं। सीमेंट वास्तव में योजनाओं पर ही व्यय की गइ है। यह उन सभी सिंचाई कार्यों पर व्यय की गई है, जो अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत चलाये गये हैं।

(३) जी नहीं। अकाल राहत के कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग (बांसवाड़ा डिविजन) द्वारा केवल 4,10,690 रु० का डामर, 4,15,369) रु० का सीमेंट व 94,025) रु० का लोहा खरीदा गया है, इसमें से 81,340) रु० का डामर, 3,01,665) रु० का सीमेंट और 86,787) रु० का लोहा खर्च किया जा चुका है।

(4) जी हा। यह सारा सामान जुलाई माह में प्राप्त हो गया था।

श्री हीराभाई : क्या यह भी सही है कि पहले सीमेंट की बोरियां कितनी थीं ? आपने रकम बताई है लेकिन बोरियां कितनी आई थीं और उन बोरियों से कौन कौन से एनीकट बनाये हैं, और कौनसा पक्का काम जो सिंचाई विभाग के जरिये का था वह बनाया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : कौन से काम में लगाया था यह बड़ी लम्बी-चौड़ी सूची है जिसकी मेरे पास में इस वक्त जानकारी नहीं है।........

एक माननीय सदस्य : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे...........

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री गंगाराम चौधरी : लेकिन सिंचाई विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग की अलग अलग जो बोरियां है उनका ब्योरा में,

Page No 22

(श्री गंगाराम चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से माननीय सदस्यों को बता देता हूं। 90,572 बोरियां सारी आई थीं।

श्री हीराभाई : यह तमाम सीमेंट जो अभी तक आया है आपके कहने के अनुसार हो चुका है।

श्री गंगाराम चौधरी : अभी तक कुछ सामान बाकी है तो इस वक्त में जो कार्य चल रहे है सिंचाई विभाग के अन्तर्गत चल रहे हैं और सार्वजनिक निर्माण के चल रहे हैं उनमें जो बचा हुआ सामान है वह लग जायगा।

श्री हीरा भाई : यह जो बचा हुआ, सामान है, वह कितना है। विभाग के पास कितना मौजूद है ?

उप मन्त्री सिंचाई : (श्री मुल्कराज थिन्द) बचा हुआ सामान 1 लाख 50 हजार रुपये का सिंचाई विभाग के पास पड़ा हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास लोहा 70, 238 रुपये और सीमेन्ट 1 लाख 7 हजार 16 रुपये का पड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हीराभाई : कितना डामर खर्च हुआ है ? वह कितने किलो मीटर कहां-कहां डाला गया है ?

श्री मुल्कराज थिन्द : अलग अलग मुझे पता नहीं है'

श्री हीरा भाई : अध्यक्ष महोदय, कोई भी काम में खर्च नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीरा भाई : अभी भी इधर उधर ले जा रहे हैं। बेच रहे हैं। कौनसी सड़क पर डामर किया गया है ?

श्री नाथूराम : (बागीडोरा) अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ........

अकाल राहत मन्त्री : (श्री परसराम मदेरणा) 4 लाख 10 हजार 69 का डामर फैमिन के समय काम में लिया गया। उसमें 1 लाख करीब का सड़कों पर काम हुआ। उसमें से 3,29,000 का डामर रहा है। जो कन्सोलीडेशन कार्य में ज्यादा आवश्यक होगा।

श्री हीरा भाई : कितने किलो मीटर डामर डाला है ?

श्री परसराम मदेरणा : कितने किलो मीटर डामर डाल दिया गया है ? मैंने कहा है कि 3,29,000 का डामर स्टाक में है।

कई माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री हीरा भाई : अध्यक्ष महोदय, कोई सड़क नहीं बनाई है। कुशलगढ़ में बनाई है, बाकी कोई सड़क नहीं बनाई है।

(श्री नाथूराम और श्री हीरा भाई के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। नेक्स्ट।

Page No 23

(श्री नाथूराम, श्री हीरा भाई और श्री देवीदत्त गाड़िया के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) बांसवाड़े में जो काम हुआ, उसमें खुला भ्रष्टाचार हुआ।.......

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गाड़िया। श्री गाड़िया, ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप उस भ्रष्टाचार की जांच करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया, ऑर्डर प्लीज। श्री सोढा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कई प्रश्न हैं। श्री सारण का प्रश्न है। श्री भैरोंसिंह का प्रश्न है। ऑर्डर माननीय सदस्य। श्री सोढा।

श्री विट्ठल भाई : (पीपलखूंट) अध्यक्ष महोदय, जो बोल रहे हैं वह महत्त्वपूर्ण हैं।

श्रीदेवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय ....(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया, ऑर्डर प्लीज। श्री सोढ़ा। श्री सारण ?

कई माननीय सदस्य एक साथ : (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोई काम नहीं हुआ है। 18 हजार टैक्स के नाम पर दे दो।

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया का भाषण अंकित नहीं किया जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री परसराम मदेरणा : डामर परचेज के सम्बन्ध में पूछा था। वह जानकारी दी है। मेरी समझ में नहीं आता है आप क्या आरोप लगा रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री परसराम मदेरणा : किसी अधिकारी या मन्त्री का नाम लेने से मैं किसी को दोषी नहीं बना सकता हूं। आपके पास कोई फैक्ट हो, उसको साबित करने के लिए तैयार हों, तो राज्य सरकार को जांच करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सीमेन्ट ज्यादा खरीदने का क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता महोदय।

श्री महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (डूंगरपुर) अध्यक्ष महोदय, घर घर यह चर्चा है कि यह सामान, लोहा या सीमेन्ट जो बचा हुआ है, इसके ऊपर तरह तरह के स्कैण्डल्स हैं। और यह सामान लुट रहा है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह जांच कराने

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार से भाषण अंकित नहीं किया गया

Page No 24

(श्री महारावल लक्ष्मणसिंह)

के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह के मामले की जांच में स्पेसिफिक इन्स्टांसेज इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो विचार व्यक्त किये गये हैं, वह बहुत स्पष्ट हैं। क्या सरकार इस आधार पर जांच कराने के विचार रखती है ?

श्री पी. के. चौधरी : (फुलेरा) जो बच जाता है उसको दुबारा रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है ? इसकी क्या व्यवस्था रखी है ?

श्री नाथूराम : क्या मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि कितना सामान खर्च किया है, रिलीफ के काम में ? एग्रीकल्चर में मिस्टर रावत ने लाखों रुपयों का सीमेन्ट बेचा है। यह रतलाम और उदयपुर में बेचा है। इसी तरह से राम सहाय इन्जीनियर ने बेचा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : (मांडलगढ़) अध्यक्ष महोदय, नाम लेकर एलीगेशन लगाये जा रहे हैं तो इन्क्वायरी तो होनी ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

महरावल श्री लक्ष्मण सिंह : रतलाम और उदयपुर तक में सामान जाता है। इस सम्बन्ध में जांच करानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गुजरात गई है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे याद नहीं है जिस एक्स. ई. एन. के बारे में बागीडौरा से आने वाले माननीय सदस्य बतला रहे थे क्या वह वही एक्स० ई० एन० है, जिस एक्स० ई. एन० के खिलाफ एन्टी करप्शन में केस चल रहा है। लेकिन एक एक्स. ई. एन. के खिलाफ एन्टी करप्शन में केस चल रहा है।

श्री नाथूराम : उसका नाम बताया है।

श्री परसराम मदेरणा : उसके नाम का मुझे पता नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : रावत है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे नाम याद नहीं है। लेकिन एक एक्स. ई एन. के खिलाफ एन्टी करप्शन में केस रजिस्टर कर लिया गया है और मैं समझता हूँ कि वही एक्स. ई. एन. होना चाहिए, या ई. एन. है—यह मुझे पता नहीं है।

श्री नाथूराम : अगर वह नहीं हो तो क्या आप रावत के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : जो कुछ मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं, चाहे लोहे का सामान बेचा हो या सीमेन्ट का कहीं पर दुरुपयोग किया हो, सीमेंट का ब्लैक मार्केट किया हो, और सीमेंट किसी राहत कार्य में नहीं लगाई गई हो जिसके सम्बन्ध में यहां बात कही है, तो मैं इसकी जांच करा लूंगा

(श्री परसराम मदेरणा)

तकनीकी बहुत बड़े ऑफिसर को भेज कर। इरिगेशन और पी. डब्ल्यू. डी. दोनों के मार्फत यह काम हुए हैं और जो सामान खरीदा गया है वह दोनों एजेंसी के मार्फत खरीदा गया है। इरिगेशन का जितना सीमेंट बचा था उसको सस्पेन्स अकाउन्ट में डाल दिया था, वह प्लान वर्क के लिए जरूरी था। लेकिन इस साल फेमिन हो गया तो कुछ सीमेंट का इस साल उपयोग किया है, अब कितना सीमेंट किस किस काम के लिए खर्च हुआ है, उसका क्या तखमीना था और आया उसका दुरुपयोग हुआ है या नहीं— इसकी पूरी जांच करा लूंगा !

श्री अध्यक्ष : श्री सोढ़ा !

श्री हीरा भाई : कोई पुरानी पुलिया बता दी तो उसके बारे में क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री हीरा भाई : मेरा मतलब यह है....

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न आने दीजिये।

श्री हीरा भाई : कोई पुरानी पुलिया बता देंगे तो आप क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुआ ! श्री सोढा !

स्थगित प्रश्न

(30-3-70)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत फलोदी-चाड़ी सड़क

338. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि फलोदी-चाड़ी सड़क का गत कई वर्षों से अकाल सहायता विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा है ? अगर हां, तो किस वर्ष में प्रथम निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया और किस वर्ष में कितना खर्च इस सड़क पर किया गया है, आज तक कुल कितना खर्च हुआ ? वर्ष वार खर्च का ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) चाड़ी-नागौर सड़क अकाल सहायता विभाग द्वारा प्रथम किस वर्ष में प्रारम्भ की गई और आज तक कितना इस सड़क पर खर्च हुआ ? वर्ष वार ब्योरा सदन की मेज पर रखें। इस सड़क का कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा और प्रति मील कितना खर्चा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त सड़क पर किस वर्ष में रिलीफ कैम्पस किस किस जगह रखें ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम चाड़ी में हर वर्ष रिलीफ कैम्प चलता ही रहा हैं ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, काहे को तकलीफ करते है। मुझे सूची दी ही नहीं है। सूची के बिना मैं क्या सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछूंगा ?

Page No 26

श्री अध्यक्ष : स्थगित श्री दौलतराम सारण !

स्थगित प्रश्न

(30-3-70)

अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत सिंचाई कार्य के लिये आवंटित धनराशि

379 **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिंचाई विभाग को कुल कितनी धनराशि अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत सन् 68-69 तथा 69-70 में सिंचाई कार्य करने हेतु आवंटित हुई ?

(2) कितने सिंचाई कार्य कहाँ कहां किये गये और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ? कार्यवार विवरण दिया जाय।

(3) क्या यह सही है कि अकाल सहायता के अन्तर्गत चलने वाले सिंचाई कार्यों के लिये औजार और वाहन भी सिंचाई विभाग द्वारा खरीद किये गये हैं ? यदि हाँ, तो कुल कितनी धनराशि इस पर व्यय की गई ? उसमें कितने मूल्य के कितने, कौन से औजार, कितने मूल्य के कितने ट्रक और कितनी राशि की कितनी जीपें खरीद की गई हैं ? क्या ये उपरोक्त राशि में से ही खरीदी गई ?

(4) इस खरीद का निर्णय कब किस स्तर पर किसके द्वारा लिया गया ? खरीद हेतु किस कम्पनी को किस के द्वारा कब आदेश दिये गये ? माल की डिलीवरी कब किसके द्वारा कहाँ ली गई ? क्या सब कार्य खरीद की शर्तों और नियमों के अनुसार हैं ?

(5) ये वाहन और औजार कहाँ कहाँ किन किन अधिकारियों को कब दिये गये ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) सिंचाई विभाग को सन् 68-69 व 69-70 में कुल 696.29 लाख रु० अकाल सहायता मद के अन्तर्गत सिंचाई कार्य करने हेतु आवंटित किये गये।

(2) 1746 सिंचाई कार्यों पर 722.69 लाख रु० फरवरी 70 तक खर्च किये गये जिनका कार्य वार विवरण संलग्न है।

(3) जी हाँ, कुल 19, 39 लाख रु० व्यय किये गये। इनमें से 15, 42 लाख रु. के औजार (गेंती, फावड़ा, तगारी, सब्बल, हथौड़े आदि) व 3.77 लाख रु० के 10 ट्रक एवं 20 हजार की एक जीप उपरोक्त राशि में से ही खरीदी गई।

(4) सूची संलग्न है। खरीद का सब कार्य खरीद की शर्तों व नियमों के अनुसार हुआ है।

(5) वे वाहन व औजार अधिनस्थ सहायक अभियन्ताओं व अधिदर्शकों को विभिन्न अकाल राहत कार्यों पर उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार दिये गये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण : इन कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये और कितने अधूरे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 68-69 व 17 काम और 1969-70 में 896 काम पूरे हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री भैरोंसिंह शेखावत !

स्थगित प्रश्न

(30-3-70)

टीचिंग स्टाफ के स्वीकृत पद

393. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशन-पोल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ के विभिन्न श्रेणी के पदों की स्वीकृति का क्या आधार है ? इस आधार पर दिसम्बर, 1969 तक विभिन्न विषयों में विभिन्न पदों की संख्या की सूची की मेज पर रखी जाये ।

(ख) इन स्वीकृत पदों में कितने कितने खाली हैं और कब से और क्यों ?

(ग) विभिन्न विषयों की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(2) बीकानेर और उदयपुर में मेडिकल कालेजों में फर्मकोलेजी विभाग में रीडर के पद कब व किस आधार पर स्वीकृत किये गये ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें निवेदन यह है कि मुझे जो सूची दी गई है, वह मेरे पढ़ने में नहीं आती ।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : यह हमेशा होता है ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, आपने इस सम्बन्ध में कई बार फर्माया है ।

श्री अध्यक्ष : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । बार-बार माननीय सदस्यों की यह शिकायत रही है और मेरी भी यह शिकायत है कि मैं कई प्रश्नों का उत्तर स्वयं नहीं पढ़ पाता । भविष्य में, मैं समझता हूं जिन प्रश्नों का उत्तर अस्पष्ट होगा, साफ टाइप किया हुआ नहीं होगा तो उसके सम्बन्ध में मैं मौन रहकर बैठ जाऊंगा और उस प्रश्न को स्थगित कर दूंगा ।

श्री हंसराज आर्य (मादरा) : सूची बिल्कुल पढ़ने में नहीं आती है । पांचवे नम्बर की कापी भेज देते हैं तो बिल्कुल पढ़ने में नहीं आती है ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, जो विभाग वाले इस तरह का जवाब देते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए । हजार, बारह सौ की तनख्वाह मिलती है तो भी साफ सूची नहीं दे सकते हैं । गवर्नमेन्ट को क्या दिवालिया करना चाहते हैं ।

Page No 28

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : नौकर-शाही।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

(अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर)

सिरोही चिकित्सालय

563 **श्री मोतीलाल (रेवदर) :** क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार सिरोही जिला मुख्यावास पर स्थित चिकित्सालय की दुर्दशा के कारण जनता में फैल रहे व्यापक असंतोष के प्रति जागरूक है?

(2) यदि हां, तो इस चिकित्सालय को क्रमोन्नत कर इसमें आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष सरकार ने क्या प्रावधान रखा है?

(3) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि यह चिकित्सालय पांच लाख जनता का एक मात्र सहारा है और इसमें राज्य के अन्य जिलों पर स्थित चिकित्सालयों में उपलब्ध रोग शय्या की संख्या के अनुपात से सबसे कम रोग शय्या उपलब्ध हैं?

(4) क्या सरकार इस तथ्य से भी अवगत है कि इस चिकित्सालय में किसी भी प्रकार के क्लीनिक यानीनेत्र–क्लीनिक, दंत क्लीनिक एवं टी०बी० क्लीनिक की सुविधा आज तक तीन पंच वर्षीय योजना समाप्त होने पर भी उपलब्ध नहीं की गई है? जबकि ये सुविधा अन्य जिलों के चिकित्सालयों में उपलब्ध कर दी गई है?

(5) क्या सिरोही चिकित्सालय में राज्य सरकार 30 रोगी शय्या का वार्ड, ऑपरेशन थियेटर का निर्माण एवं टी०बी० क्लीनिक की सुविधा तत्काल उपलब्ध करने की आवश्यकता अनुभव करती है? यदि हाँ, तो इस वर्ष कौन-कौन सी सुविधा उपलब्ध की जाने का प्रावधान है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गत वर्ष सिरोही में एक टी०बी० क्लिनिक खोलने का प्रावधान था जो खोला जा चुका है।

(3) वर्ष 1970–71 में इस अस्पताल की रोगी शैयाऐं 55 से 100 करने के लिए कदम उठा रही है। इस वर्ष में रुपया 50,000) वार्ड बनवाने के लिए दिये जावेंगे और रु० 50,000) जनता के दान से प्राप्त करना होगा।

(4) इस वर्ष यहां एक टी०बी० क्लिनिक खोली जा चुकी है एवं आगामी वर्ष 1970–71 में एक दन्त क्लिनिक खोलने का प्रावधान रखा गया है।

(5) इस वर्ष रु० 50,000) वार्ड बनवाने के लिए दिये जावेंगे एवं रु० 50,000) जन सहयोग से प्राप्त होगा। टी०बी० क्लिनिक खोलदी गई है और आगामी वर्ष 1970–71 में एक दन्त क्लिनिक खोलने का प्रावधान रखा गया है।

Page No 29

परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक

569 **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने मलेरिया सर्वेलेन्स वर्करों को परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों (फैमिली पलानिंग हैल्थ असिस्टेन्ट) के पदों पर नियुक्त किया गया है ?

(2) क्या इन नव नियुक्त परिवार नियोजन सहायकों को वेतन उनके नये पद के अनुसार दिया जा रहा है ? यदि हां, तो वह वेतन शृंखला कौन सी है ? यदि उन्हें वेतन पुराने पद का दिया जा रहा है तो क्यों !

उत्तर

(1) परिवार नियोजन कार्यक्रम में 119 सरप्लस मलेरिया सर्वेलेन्स वर्क्स को परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों के रिक्त पदों पर ओब्जोर्पशन द्वारा नियुक्त किया गया है।

(2) जी नहीं।

चूंकि यह कर्मचारी सरप्लस घोषित किये जाने पर परिवार नियोजन कार्यक्रम में ओब्जोर्पशन द्वारा अपने पदों से ऊंचे पदों पर लगाये गये हैं। अतः इन्हें स्वयं की ही वेतन शृंखला में वेतन दिया जा रहा है।

जयपुर जिले की पंचायतों के ग्राम ग्रुप सचिवों के पद

571 **श्री लादूराम सुलानियां** (फागी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर जिले में ग्राम पंचायतों में ग्रुप सचिवों के पद पर नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब-कब से ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि ग्रुप-सचिवों की नियुक्तियों के पश्चात् पंचायतों के कार्य में बजाय प्रगति के रुकावटें उत्पन्न हुई हैं ?

(3) क्या सरकार इन ग्रुप सचिवों के पदों को समाप्त करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) 13 पंचायत समितियों में ग्रुप सचिव योजना लागू की गयी है। नियुक्तियों का विवरण सदन सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र की शराब की दुकानें

587. **श्री देवी लाल बुरासिया** (केकड़ी) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में कुल कितनी शराब की दुकानें हैं और उनके कौन कौन ठेकेदार हैं ? क्या दुकानें लगाने के लिये कोई खास नियम बने हुए हैं, अगर हां, तो प्रति सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उनसे आबकारी कर कितना कितना वसूल किया जाता है ? सूची सदन में रखें।

(3) कितने ठेकेदारों की गारण्टी की रकम कब से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1969-70 की पंचायत समिति क्षेत्र को कुल कितनी गारण्टी की आय थी ?

उत्तर

(1) केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 10 शराब की दुकानें हैं। इन दुकानों के वर्ष 1969-70 के लाइसेन्सियों (ठेकेदारों) के नाम निम्न है:—

नाम दुकान 1.	नाम लाईसेन्सी 2.	रकम लाईसेन्स फीस 3
धुवरी	श्री कन्हैयालाल पुत्र हरीराम	7,830
कादेड़ा	श्री कन्हैयालाल पुत्र हरीराम	12,850
मगेरा	श्री श्रीकृष्णा पुत्र देबीलाल	24,570
सदारा	श्री रामगोपाल पुत्र गंगाराम	10,501
जूनीया	श्री घीसालाल पुत्र रामचन्द्र	17,400
पारा	श्री सोहनलाल पुत्र भूरालाल	13,170
मरू कलां	श्री देबीलाल पुत्र नन्दलाल	10,201
देवगांव	श्री श्रीकृष्णा पुत्र देबीलाल	9,320
सावर	श्री हरिनारायण पुत्र गंगाराम	44,380
प्रानहेड़ा	श्री सोहनलाल पुत्र भूरालाल	10,501

मदिरा की दुकानें स्वीकृत करते समय राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के प्रावधानों का ध्यान रखा जाता है।

(आबकारी मन्त्री)

(2) इन दुकानों की वर्ष 1969--70 की लाईसेन्स फीस प्रश्न 1 के उत्तर में अङ्कित मानचित्र के कालम 3 में बताई गई है।

(3) गारन्टी प्रणाली वर्ष 1962-63 से 1967--68 तक प्रचलित थी, इन दुकानों में वर्ष 1967--68 को छोड़ कर अन्य वर्षों की (1962-63 से 1966-67 तक) गारन्टी की कोई रकम बकाया नहीं है।

(4) वर्ष 1967-68 में समय पर मदिरा सप्लाई नहीं होने के कारण गारन्टी पूर्ति में रही कमी का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। अतः इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक वर्ष 1967-68 की वसूली योग्य राशि का निर्धारण अभी नहीं किया जा सका है। वर्ष 1969-70 में गारन्टी प्रथा प्रचलित नहीं थी। वर्ष 1968-69 से देशी मदिरा की दुकानें एकाकी विशेषाधिकार पद्धति पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर दी जाती हैं। वर्ष 1969-70 अभी ही समाप्त हुआ है। अतः पंचायत समिति क्षेत्र केकड़ी की ऊपर बताई गई दुकानों में वर्ष 1969-70 में माह फरवरी तक कुल 1,67,529.82 की आय हुई।

सरकारी अधिकारियों को कार खरीदने के लिये ऋण

588 **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या वित्त (नियम) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों को कारें खरीदने के लिये ऋण दिया जाता है ? यदि हाँ, तो दिनांक 1 अप्रेल, 1969 से अब तक किस किस अधिकारी को कितना कितना ऋण कब कब दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि कार खरीदने के लिये दिये जाने वाले ऋण को प्राप्त करने वाले अधिकारी के लिये तनख्वाह की सीमा निर्धारित कर रखी है कि अमुक स्केल तक वेतन पाने वाले अधिकारी ही कार का ऋण ले सकते हैं ? यदि हाँ, तो कितने रुपये कम से कम वेतन पाने वाले को यह ऋण दिया जाता है ?

(3) उपरोक्त ऋण किस किस अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया ?

उत्तर

(1) जी हाँ, सरकारी अधिकारियों को कार खरीदने के लिये दिनाङ्क 1-4-69 से अब तक जो ऋण दिया गया है उसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। सूचना प्रश्न 3 में बताये गये अधिकारियों से प्राप्त की जा रही है। सूचना प्राप्त होने में करीब करीब 1 माह का समय लगेगा।

(2) वेतनमान को ध्यान में न रखते हुये उन्हीं सरकारी अधिकारियों को कार के लिये ऋण दिया जाता है जिनका वेतन 700) रु० या इससे अधिक प्रति माह है।

(3) सरकारी अधिकारियों को कार ऋण स्वीकृत करने के लिये निम्नलिखित सक्षम अधिकारी हैं:—

(वित्त नियम मन्त्री)

(1) जिलाधीश—सम्पूर्ण अधिकार।

(2) नियुक्ति विभाग—सचिवालय के समस्त अधिकारियों व अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को ऋण स्वीकृति हेतु सम्पूर्ण अधिकार।

(3) उच्च न्यायालय—राजस्थान न्यायायिक सेवा और उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को ऋण देने हेतु सम्पूर्ण अधिकार।

सहायक निदेशक, प्रचार का पद

589. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि स्टेट लोटरी विभाग में सहायक निदेशक, प्रचार के पद पर जन सम्पर्क विभाग के सहायक निदेशक, श्री प्रहलाद जोशी को लगाया था? यदि हाँ, तो कब और किन शर्तों पर तथा इनकी सेवा किस विभाग की मानी गई?

(2) क्या उक्त अधिकारी को पदोन्नत करके उप-निदेशक बनाया गया है? यदि हाँ, तो कब और किस विभाग द्वारा तथा किन कारणों से? जन सम्पर्क विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या राय जाहिर की गई थी?

उत्तर

1. हाँ। प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 13-10-67 मध्याह्न पूर्व) को कार्यभार सम्भाला। नियुक्ति आदेश में शर्तों का कोई उल्लेख नहीं है। सेवायें जन सम्पर्क विभाग की ही है।

2. हाँ। राज्य सरकार के आदेशानुसार वित्त विभाग (अल्प बचत एवं स्टेट लोटरी) द्वारा दिनांक 23-7-69 से उप-निदेशक के पद पर पूर्णतः अस्थायी रूप से पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति गृह विभाग की सहमति से की गई है।

लाटरी के टिकटों से आय

590. **श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान स्टेट लोटरी जब से चालू हुई है तब से लेकर 31 दिसम्बर, 1969 तक टिकटों की बिक्री से कितने रुपये प्राप्त हुए हैं? यह रुपया किस किस काम में खर्च हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्थान स्टेट लोटरी का प्रथम ड्रा जो कि दिनांक 1 जनवरी, 1969 को सम्पन्न हुआ, उसके टिकटों की बिक्री सितम्बर, 1965 के अन्तिम सप्ताह में प्रारम्भ हुई थी। दिसम्बर 1969 तक टिकटों की बिक्री से रु० 1,13,99,777) प्राप्त हुये। बिक्री की राशि राज्य की संचित निधि में जमा करा दी है। इस प्रकार यह राशि स्वतः ही विकास कार्यों के लिये उपलब्ध है।

राघवेन्द्र अस्पताल, बूंदी की डेन्टल चेयर

591. **श्री केशरी सिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

(1) बूंदी राज्य के समय में क्या राघवेन्द्र हास्पिटल में एक जर्मनी की बनी हुई डेन्टल चेयर थी ?

(2) क्या यह डेन्टल चेयर मरम्मत के लिए कहीं गई थी ? यदि हां, तो किस साल और कहां गई ?

(3) क्या यह डेन्टल चेयर मरम्मत होकर वापिस बूंदी आई अथवा नहीं तथा इसकी मरम्मत पर क्या व्यय आया ?

(4) यह चेयर अभी कहां पर है और इसको बूंदी क्यों नहीं लाया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। दिनांक 24-2-1960 को मैसर्स ईस्ट एशियाटिक कम्पनी इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड बम्बई को मरम्मत के लिए भेजी थी।

(3) जी हां, इसकी मरम्मत पर रुपया 1,000 व्यय हुआ।

(4) बूंदी चिकित्सालय में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गंगापुर में अस्पताल

592. **श्री रिद्धी चन्द पल्लीवाल :** (गंगापुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में ऐसे कौन कौन से नगर हैं जिनकी आबादी सन् 1961 की जनगणना के अनुसार दस हजार से अधिक है ? उपरोक्त नगरों में कहां कहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, रेफरल होस्पिटल तथा अन्य तरह के राजकीय अस्पताल हैं और इनमें कितना कितना कौनसा स्टाफ है ?

(2) क्या यह सच है कि गंगापुर सिटी में एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में एक ही डाक्टर है जो गंगापुर सिटी तथा पूरी तहसील जिसकी आबादी एक लाख है को देखने के लिए काफी है ?

(3) सरकार गंगापुर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को रेफरल होस्पिटल में कब तक बदलने का विचार रखते हुए लेडी डाक्टर भेजने की व्यवस्था करना चाहती है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। अधिकांशतः संस्थाओं में स्टाफ राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशनालाइज्ड पैटर्न के अनुसार उपलब्ध कराया जा जाता है। पूरे राज्य में प्रत्येक संस्थावार स्टाफ की स्थिति देना शक्य नहीं है।

(2) जी हां। गंगापुर तहसील में राजकीय चिकित्सा संस्थाएं चिकित्सा सुविधा के लिए उपलब्ध हैं जो पर्याप्त हैं। उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

मुख्यालय पर स्थित	रोग संस्थाएं
१-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	१२

(चिकित्सा मन्त्री)

२–मातृ शिशु कल्याण केन्द्र ४
३–परिवार नियोजन केन्द्र —

तहसील स्थित

राजकीय डिस्पेन्सरी वजीरपुर
वेस्टर्न रेलवे डिस्पेन्सरी गंगापुर ६

प्रा० स्वा० केन्द्र के उप केन्द्र

१–बजीरपुर
२–उकाईकालू
३–वूढ टटवरा
१–परिवार नियोजन उप केन्द्र ५
२–आयुर्वेदिक औषधालय ५

(3) मामला सहकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

ग्राम पंचायत सहरोद के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

593. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत एवं विकास विभाग, राजस्थान ने आदेश नं० एफ. 3 (वीमेलू) (क) कोटा पंजि जांच 67 4459, जयपुर दिनांक 3-5-67के द्वारा अटरू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सहरोद के सरपंच, श्री विश्वनाथ शर्मा को अनेक गम्भीर आरोप लगाकर निलंबित कर दिया था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

1. **श्री विश्वनाथ शर्मा :** सरपंच पंचायत सहरोद के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा, 419, 420 के अपराध में कार्यवाही न्यायालय में चलने से दिनांक 3-5-67 को निलंबित किया था। यह निलम्बन आदेश राज्य सरकार ने दिनांक3-7-67 को वापस ले लिया। यह मामला प्रथम श्रेणी दण्डनायक छाबड़ा के न्यायालय में गैर कार्यवाही है। अतः प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति, लाड़पुरा द्वारा अनुदान के रूप में दी गई राशि

594. **श्री बृज बल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम खेड़ा रसूलपुर में सन् 1964 से जनवरी सन् 70 तक क्या क्या निर्माण कार्य हुए ?

(2) किस किस कार्य में किस किस साल में पंचायत समिति लाड़पुरा द्वारा कितनी कितनी धनराशि अनुदान में दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) यह कार्य क्या पंचायत ने स्वयं कराया अथवा ठेकेदार द्वारा ? यदि ठेकेदारों के द्वारा, तो टेण्डर सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(पंचायत मन्त्री)

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी सूचना में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

(3) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में यह उल्लेख भी कर दिया गया है कि कौन से कार्य ठेके पर कराये गये। टेन्डरों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

सिरकियों की खरीद

595. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 अक्टूबर, 69 से अब तक अकाल राहत कार्यों के लिए किस किस अधिकारी द्वारा कहाँ कहाँ से किस किस माप की, किस किस माह में, किस किस दर से, कितने रुपयों की सिरकियां खरीदी गई ?

(2) किस किस जिले में कितने कितने राहत कार्यों पर किस किस माह में कितनी कितनी सिरकियां भेजी गई ? जिन राहत कार्यों पर यह सरकियां भेजी गई उन राहत कार्यों पर उन महीनों में मजदूरों की संख्या कितनी कितनी थी ?

(3) सिरकियां खरीदने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कब कब आदेश प्रसारित किए गए ? कृपया ऐसे आदेशों की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) सिरकियां खरीदने के सम्बन्ध में किस प्रकार की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी ?

(5) क्या राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं जिनमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो कौन कौन से मामले और उनमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(स्थगित किया गया)

झुन्झुनू जिले के अकाल राहत कार्यों के मजदूरों की बकाया

596. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि झुन्झुनू जिले में पिछले वर्ष के अकाल के समय की मजदूरों की मजदूरी काफी तादाद में अभी तक बकाया है और उसके अभी तक चुकाये जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो कितने मजदूरों की कितनी धनराशि चुकाई जानी अवशेष है ? वह धनराशि कब तक चुका दी जावेगी तथा अब तक नहीं चुकाये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

झुन्झुनू जिले में पिछले वर्ष के अकाल के समय को मजदूरी भुगतान करने से 15,031.05 रु० शेष हैं। यह 1,261 मजदूरों

(अकाल सहायता मंत्री)

को बकाया देय है। मजदूरी के भुगतान के लिए सम्बन्धित विकास अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। भुगतान शीघ्रातिशीघ्र करने का प्रयत्न किया जा रहा है। किन्तु सूची में जिन मजदूरों के नाम हैं वे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इस कारण चुकाने में देर हो रही है।

झालरापाटन तहसील के अभावग्रस्त गांव

597. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालरापाटन तहसील में कितने ग्रामों को इस वर्ष में अभावग्रस्त घोषित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इन ग्रामों में वर्षा की कमी से फसल पैदा नहीं हुई, कई लोग बेकार हो गये ?

(3) इन ग्रामों में कहाँ कहाँ सहायता कार्य खोले गये ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या यह सही है कि जिले से इसके लिये मुनासिब कार्य करने का निवेदन किया जा चुका है ?

उत्तर

(1) झालरापाटन तहसील में इस वर्ष किसी भी गांव को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई सूचना राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं है।

(3) अभावग्रस्त घोषित नहीं किये जाने के कारण कोई सहायता कार्य नहीं खोले गये हैं।

श्री गंगानगर जिले के गांवों में ओलावृष्टि से क्षति

598. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला श्री. गंगानगर में गाँव फतुई भदेरा रोहिड़ा वाली के काश्तकारों की फसल ओला वृष्टि से बरबाद हो गई थी ?

(2) यदि हाँ, तो कुल कितने काश्तकारों की फसल को नुकसान हुआ ? अलग अलग नाम व तादाद नुकसान सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि ओलावृष्टि से जिन काश्तकारों की फसल बरबाद हुई थी उनको सहायता दी गई ? नाम व तादाद रकम के वर्णन सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) उपरोक्त सूची में सूचना अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

नागौर जिले में अध्यापकों की नियुक्ति

599. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला शिक्षणालय, नागौर द्वारा इस वर्ष कितने अध्यापकों की नियुक्तियां की गईं ?

(2) जिला शिक्षणालयों द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

(3) मैरिट लिस्ट बनाकर उसमें से नियुक्तियां करने के सरकार के आदेशानुसार मैरिट लिस्ट कब बनाई गई ?

(4) उक्त मैरिट लिस्ट में से किन किन को नियुक्त किया गया ?

(5) मैरिट लिस्ट किस आधार पर बनाई गई ?

उत्तर

(1) 120 अध्यापकों को।

(2) जिला नियोजन कार्यालय, नागौर को मांग पत्र भेजकर दि० 30-12-69 को तथा उसके पश्चात् प्रत्याशियों की सूची तथा प्रार्थना पत्र प्राप्त कर आवश्यकतानुसार निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेशों के अनुपालन में नियुक्तियां की गईं।

(3) सूची तथा प्रार्थना पत्रों का रजिस्टर में विषयानुसार इन्द्राज कर स्थाई आदेश संख्या 20/66 को ध्यान में रख कर मैरिट लिस्ट तैयार की गई। मैरिट लिस्ट 30-12-69 को बनाई गई।

(4) उक्त लिस्ट से आवश्यकतानुसार हायर सैकेन्डरी विज्ञान, वाणिज्य, कला तथा सैकेन्डरी विज्ञान, वाणिज्य तथा व व्यायाम शिक्षक, संस्कृत, उर्दू, चित्रकला, बी. ए. बी. एड., बी. एस. सी तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अन्य व प्रत्याशियों को नियुक्ति दी गई। सूची संलग्न है।

(5) स्थाई आदेश संख्या 20/66 के आधार पर।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

विदेशों में शिक्षा के लिये गये विद्यार्थी

600. **श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान के कितने विद्यार्थी इन्जीनियरिंग, एग्रीकल्चर व मेडिकल शिक्षा हासिल करने के लिये विदेशों में गये हुए हैं ?

उत्तर

(1) ऐसी सूचना इस विभाग में संकलित नहीं की जाती।

शिक्षा विभाग द्वारा अधिग्रहण किये गये भवन

601 **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग

Page No 38

(श्री हरजीराम बुरड़क)

को दानदाताओं द्वारा स्कूलों के लिये या अध्यापकों के निवास के लिए दिये गये भवनों को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अभी तक अधिग्रहण नहीं किया है ? यदि हां, तो जिला नागौर में ऐसे कौन-कौन से भवन कहां-कहां पर कब-कब से बने हुए हैं तथा शिक्षा विभाग को कब-कब दिये गये और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उन्हें अधिग्रहण नहीं किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) दानदाताओं द्वारा भवन देने और सार्वजनिक निर्माण विभाग के लेने के बीच के समय में उक्त भवनों की मरम्मत आदि किस के द्वारा की जाती है ?

(3) इस प्रकार से इतने लम्बे समय तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवनों को अधिग्रहण नहीं करने का क्या कारण है ? विभाग द्वारा इसके लिए क्या-क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

(4) भविष्य में देरी नहीं लगे इसके लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) इस बीच भवनों की मरम्मत किसी के द्वारा नहीं की जाती ।

(3) व (4) सार्वजनिक विभाग ऐसे भवनों को अधिग्रहण करने में आपत्ति करता रहा है, क्योंकि बहुत से भवन निर्माण विभाग के "स्पेसिफीकेशन" के अनुसार नहीं होते। इस बारे में निर्माण विभाग से राज्य सरकार के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है। आशा की जाती है कि अब ऐसे भवनों के दानपत्र भरवाने में कोई कठिनाई नहीं आयेगी। निर्माण विभाग के अलावा "स्टांप ड्यूटी" व "रजिस्ट्रेशन फीस" के न होने के कारण भी भवनों के दान पत्र भरने में कठिनाई आती थी। परन्तु अब इसका भी एक्सम्पशन मिल गया है और यह भी दिक्कत दूर हो गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

चम्बल नहर के कारण असुविधा

602 **श्री बृजबल्लभ बोहरा (दौगोद)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उकलदा से कल्याणपुरा जाने के लिये एवं किसानों के माल आदि ले जाने के लिए जो रास्ता था वह चम्बल नहर के कारण बन्द हो गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यहां के लोगों को कल्याणपुरा डिस्ट्रीब्यूट्री पर होकर जाने से रास्ते की तकलीफ दूर हो जायेगी ? यदि हां, तो किसानों को कब से आवागमन की स्वीकृति देदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) क्योंकि नहर द्वारा रास्ता बन्द नहीं हुआ है अतः स्वीकृति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

छबड़ा-गुगोर बांध की योजना

603. **श्री देवीदत्त गाडिया (बारां)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला कोटा में पारवती नहर सिंचाई योजना के अन्तर्गत गांवों के खेतों में पर्याप्त व अधिक मात्रा में तथा अधिक गांवों के खेतों में पानी दिए जाने हेतु पानी के स्टोरेज के लिये छबड़ा-गुगोर बांध बनाने की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो यह योजना कितने रुपयों की लागत की बनाई गई है ?

उत्तर

(1) ऐसी कोई योजना अभी तक इस विभाग के विचाराधीन नहीं है।

भाखरा नहर की शाखा पर मोगे

604. **श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भाखरा नहर की शाखा टी.एस. एन. के. एन. एन. आर. पी. एम. व जे.एस. एम. के. जी. में कुल कितने चक हैं और मोगे कुल चक वाइज कितने हैं ? कच्चे कितने व पक्के कितने हैं ? चक वाइज तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा पक्के तामीर शुदा मोगों को बार-बार तुड़वाया जाकर तामीर किया गया है ? यदि हां, तो कितने पक्के मोगे उखाड़े गये व दुबारा या तिबारा तामीर हुए ? जो मोगे उखाड़ कर दुबारा तामीर करवाये व तीन बार तामीर किये गये इन मोगों के नाम व तारीख व खर्चा प्रत्येक मोगे की तालिका में दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि पक्के तामीर-शुदा मोगों को बार-बार बदलने के पीछे भारी भ्रष्टाचार हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच करवाने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में उक्त चकों में आबाद काश्तकारों ने लिखित शिकायत की है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही हुई ? जानकारी के लिए तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भाखरा परियोजना में टी. एस. एन. नाम की कोई नहर नहीं है, हां, के. एन. एम. आर. पी. एम. व जे. एम. एन. नाम की नहरें अवश्य हैं इन पर जितने मोगे हैं कितने पक्के व कच्चे हैं उनकी तालिका 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, तालिका 'ब' विस्तृत विवरण सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं उन पर नियमानुसार जांच की गई है। जानकारी के लिये तालिका 'स' सलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

उदयपुर से रतनपुर तथा उदयपुर से डूंगरपुर मार्गों पर चलने वाली बसें

605. **श्री विद्या सागर** (खेरवाड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर से रतनपुर तथा उदयपुर से डूंगरपुर के किन किन व्यक्तियों के नाम कितनी कितनी गाड़ियों के परमिट हैं तथा उनके नम्बर क्या हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर से रतनपुर तथा उदयपुर से डूंगरपुर चलने वाली गाड़ियों का कोई चैंकिंग नहीं होता है इसलिये इन बसों में हमेशा भीड़ रहती है और सीमा से अधिक सवारियों का पैसा लेकर भी टिकट नहीं दिया जाता है ? यदि नहीं, तो 1 अप्रेल, 1969 से 31 जनवरी, 1970 तक किन किन अधिकारियों ने किन किन तारीखों में चैंकिंग किया, व किन किन मोटर मालिकों की मोटरों में अधिक सवारियां थीं ?

(3) क्या उनका चालान किया गया है ? यदि हां, तो नामावली मोटर मालिक व मोटरश्नर्स से प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि अधिकतर मोटर मालिकों ने खुद गाड़ियां नहीं चलाकर ठेके पर दे रखी हैं। इस वजह से जिन व्यक्तियों ने ठेका लिया है अपना फायदा उठाने के लिये बसों में सीमा से अधिक सवारियां भरते हैं ? यदि हां, तो ऐसे बस ऑनर कौन कौन हैं तथा गाड़ियों के क्या नम्बर हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि कई ऐसी गाड़ियां हैं जो कि उस रूट पर चलने योग्य नहीं हैं और हमेशा कोई न कोई गाड़ी यथा स्थान नही पहुँच कर रास्ते में ही खड़ी रहती है ? क्या इसका मूल कारण पुराने मॉडल का होना है ? यदि नहीं, तो उदयपुर से रतनपुर और उदयपुर से डूंगरपुर चलने वाली गाड़ियां किस किस सन् के मॉडल की हैं ?

उत्तर

(1)व(2) सूची 'क' सदन की मेज पर रखदी गई है। इन गाड़ियों का चैंकिंग किया जाता है तथा जिन बसों में निर्धारित संख्या से अधिक यात्री पाये जाते हैं उनका चालान किया जाता है। यात्रियों को टिकिट नहीं देने की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। विभिन्न अधिकारियों द्वारा जिन तारीखों में जिन जिन गाड़ियों को चैक किया उनकी सूची 'ख' सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) व (4) यह सही है कि सर्व श्री ग्रीन बस (राजस्थान) प्राइवेट लि. उदयपुर ने अपनी बसें जो उदयपुर से डूंगरपुर व उदयपुर से रिखबदेव मार्गों पर चलती हैं उन्हें ठेके पर दे रखी है और इसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उक्त वाहन स्वामी को धारा 60 का नोटिस दिया जाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है तथा आर. टी. ए. उदयपुर की बैठक दिनांक 23 से 24 अप्रेल, 1970 में निर्णय लिया जावेगा। ग्रीन बस सर्विस के अतिरिक्त अन्य स्वामियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है शिकायत प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(यातायात मन्त्री)

(5) यह सही नहीं है कि गाड़ियां रूट पर चलने योग्य नहीं है। बसें फिटनेस सर्टिफिकेट लेने पर ही चलाई जाती हैं और यदि बसें राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मॉडल की नहीं होने पर उन परमिटों को रिन्यू करते समय यह शर्त लगाई जाती है कि उन बसों के स्थान पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मॉडल की दूसरी बसें निर्धारित समय पर लगाई जावेंगी।

बसों के रास्ते में रुकने की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

उदयपुर से डूंगरपुर व उदयपुर से रतनपुर मार्गों पर चलने वाली बसों के मॉडल सूची 'क' में अंकित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

बांस के जंगलों की निलामी

606. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) देवगढ़ रेंज के बांस के जंगलों की नीलामी 1967 से पूर्व कितने रुपयों में होती रही है ?

(2) 1967 में इस रेंज के बांस के जंगलों की नीलामी कितने रुपयों में हुई और किस ठेकेदार के नाम हुई ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1967 के बाद उक्त बांस के जंगलों की नीलामी नहीं की गई है बल्कि पुरानी दर अर्थात् 30 हजार रुपये पर ही पुराने ठेकेदार को बांस काटने की इजाजत दी जा रही है और आज भी वही क्रम जारी है ?

उत्तर

(1)

सन्	क्र.सं.	राशि	वि.वि.
64-65	3	318713	
65-66	—	—	कोई कूप नीलाम नहीं हुआ।
66-67	3	439002	

(2) 1967-68 में 5 कूप 340465 रु. में नियमानुसार नीलाम हुए:—

क्र.सं.	नाम जंगल	रकम ठेका	ठेकेदार का नाम
1.	पाल कम्पा. 20 से 26	130151	श्री सोहनसिंह पिता भूलासिंह सिख उदयपुर।
2.	मैवा कं. 1 से 12	70011	श्री खजानसिंह पिता ईश्वर सिंह उदयपुर
3.	मैवा कं. 22 से 24	60151	श्री अमरीख सिंह पिता सरदार सिंह उदयपुर
4.	सूरपुरा ब्लाक	50151	श्री दलजीत सिंह पिता सरदारसिंह जसवन्त सिंह उदयपुर

(वन मन्त्री)

5. सीतामाता पुरा ब्लाक	30001	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र गोरधन दास उदयपुर
	3,10,464	

क्र.सं. 5 का सीतामाता कूप की नीलामी 67-68 में स्वीकृत नहीं हुआ। शेष चार स्वीकृत हुए।

(3) 1968-69 में बांस का कूप नीलाम नहीं हुआ। किन्तु एक कूप सीतामाता पूरा ब्लाक गत वर्ष प्राप्त बोली 30001 रु. में श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र गोरधन दास ठेकेदार को इस कूप में कटने से बाकी रहे क्षेत्र से बांस कटने की अवधि में 3 मास का विस्तार शेष रहे कूप के मूल्य का 50% अवधि विस्तार शुल्क देने की शर्त पर 1969-70 में दिया गया जो 8-4-70 को समाप्त हो रहा है। 1969-70 में दो कूप 1,71,302 रु. में नीलाम होकर स्वीकृत हुए।

देडावास पंचायत क्षेत्र में काश्तकारों से ली गई भूमि

607. **श्री जगन्नाथ** (टोडारायसिंह) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील देवली की देडावास पंचायत में वन विभाग की स्थापना कब की गई ? इसमें वन का कितना रकबा है और उसका खसरा नम्बर कितना है ?

(2) क्या इसमें काश्तकारों की भूमि भी ली गई थी ? यदि हां, तो किस किस काश्तकार की कितनी कितनी भूमि ?

(3) जो भूमि ली गई वो काश्तकारों के खातों की थी या अतिक्रमण की ?

उत्तर

(1) 18-11-1956 में स्थापना हुई। कुल 68 खसरों का रकबा 4157.17 बी. है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) खाते तथा अतिक्रमण की भूमि वन वन्दोवस्त अधिकारी ने जांच के समय वन सीमा से अलग करने का निर्णय लिया था। ऐसी भूमि के सम्बन्ध में तहसील स्तर की भूक्षमता सर्वेक्षण समिति पुनः जांच कर रही है।

पेन्शन के लिये विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

608. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले में कितने व्यक्तियों को अन्धा, अपंग, वृद्ध, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है ? तहसीलदार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कम से कम एक व्यक्ति को कितनी पेंशम मिलती है ? क्या यह उसके गुजारे के लिये काफी है ?

Page No 43

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(3) जिलाधीश के पास कितने प्रार्थना-पत्र हैं और कितने समय से विचाराधीन हैं ? तहसीलदार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) विचराधीन प्रार्थना-पत्रों में देरी का क्या कारण है और उक्त प्रार्थना-पत्र कब तक मन्जूर हो जायेंगे ?

(5) क्या यह भी सही है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् वृद्धावस्था पेन्शन मन्जूर की गई ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में जितने व्यक्तियों को अन्ध, अपंग वृद्धावस्था पेन्शन मिलती है वह तहसीलवार निम्न प्रकार है:—

	तहसील	वृद्धावस्था पेन्शन	अन्य अपाहिज पेन्शन
1.	अजमेर	312	28
2.	ब्यावर	87	23
3.	केकड़ी	12	4
4.	किशनगढ़	37	6
5.	सरवाड़	7	1

(2) कम से कम पेन्शन 20 रुपये माहवार मिलती है जो गुजारे के लिये पूरी नहीं प्रतीत होती।

(3) जिलाधीश अजमेर के पास कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। विचाराधीन फार्म कोषाधिकारी से अथवा उप कोषाधिकारी द्वारा कराये जाकर स्वीकृति हेतु जिलाधीश के पास भेजे जाते हैं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) यह सही नहीं है।

भवन निर्माण के लिये ऋण एवं अनुदान

609 श्री **नन्दलाल बैरवा** पाटन) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के लिए सन् 1968-69 में भवन निर्माण को ऋण एवं अनुदान की राशि में से कितनी राशि व्यय की गई है? जिला वाइज कितनी कितनी राशि कौन कौन से गांवों में दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें:—

(2) सन् 1969-70 में कितनी ऋण एवं अनुदान की राशि दी जा रही है ? जिलेवार विवरण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

वर्ष 1968-69 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के लिए जो धन राशि स्वीकृत हुई उनकी सूचियाँ :१: विभाग द्वारा :२: पंचायत समितियों द्वारा संलग्न है। पंचायत समितियों द्वारा दी गई राशि की गांववार सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह व्यक्तियों को

(समाज-कल्याण मन्त्री)

उन्हीं द्वारा स्वीकृत की जाती है। विभाग द्वारा इस वर्ष कोई मत नहीं दिया गया।

वर्ष 1969-70 में दी गई राशि की सूचना भी उपरोक्त सूची में सम्मिलित है। उसकी सूचना अलग सूची में संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

अनुसूचित जाति पर विभिन्न जिलों में व्यय

610. श्री **रूपसिंह** (सरदार शहर) क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के अलग अलग जिलों में अनुसूचित जाति पर सन् 1967 से 31-12-69 तक प्रति वर्ष कितना कितना रुपया किस किस काम पर खर्च हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य के अलग अलग जिलों में अनुसूचित जाति पर वर्ष 1967-68 व 1968-69 के व्यय की सूची संलग्न है। सन् 1969-70 की सूचना संकलित की जा रही है जिसमें समय लगेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

स्थगित प्रश्न
17-3-70

यात्री कर से आय

185. श्री **रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बस यात्री कर से राजस्थान सरकार को प्रत्येक जिले से कितनी कितनी आय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व इस वित्तीय वर्ष में अब तक प्राप्त हुई है?

(2) प्रत्येक जिले में इस प्रकार बस यात्री कर से प्राप्त होने वाली ऐसी आय किस किस रूट में कितनी कितनी प्रत्येक मास 1-4-1965 से 30-9-1967 तक प्राप्त हुई है? इसके साथ साथ यह भी बताने की कृपा करें कि वह प्रत्येक रूट कितना मील लम्बा है तथा प्रति दिन कितनी बसें उस रूट पर जाती हैं? तथा इन बसों में प्रत्येक में कितने कितने यात्रियों को बैठने की क्षमता है?

(3) प्रत्येक जिले में कितनी बस रूट हैं? एवं उन पर कब से प्रति रोज कितनी बसें चल रही हैं? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यह सूचना तारीख 1-4-1965 से तारीख 30-9-1967 तक के समय तक की दिलवाने का कष्ट करावें।

(4) किन किन परमिट होल्डरों में वर्ष 31-3-1968 तक का यात्री कर अब तक बकाया पड़ा है?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

24-3-70

अकाल राहत कार्य और राहत समिति की सिफारिशें

323. **श्री भैरोंसिह शेखावत।** (किशनपोल जयपुर) क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(क) 1 अक्टूबर, 1968 से अब तक किस किस जिले में किस किस प्रकार के कितने कितने अकाल राहत कार्य खोले गये और इनमें प्रत्येक पर कितना कितना व्यय हुआ ?

(ख) इस अवधि में किस किस जिले में जिला अकाल राहत समिति की कब कब बैठकें हुईं ?

(ग) किस किस जिले में किस किस प्रकार के कितने कितने अकाल राहत कार्य ऐसे हैं जिनको जिला अकाल राहत समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई ? कृपया ऐसे कार्यों की तहसील वार तालिका सदन की मेज पर, प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(घ) किस किस जिले में किस किस प्रकार के ऐसे कितने अकाल राहत कार्य हैं जिनको जिला अकाल राहत समिति की सिफारिश के बावजूद नहीं खोला गया और क्यों ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(13-3-70) व (26-3-70)

तहसील लाड़पुरा में भूमि के बेचान एवं खरीद के विरुद्ध कार्यवाही

146. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** (कोटा) क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडपुरा में भूमि बेचान व खरीद के सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है ?

(2) अगर हां, तो उनके नाम व सम्बन्धित भूमि का विवरण देने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त कार्यवाही किन किन स्तरों पर चल रही है ?

उत्तर

(1) तहसील लाड़पुरा द्वारा यातहसील लाढपुरा में भूमि बेचान या खरीद के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं चल रही है परन्तु तहसील लाड़पुरा की भूमि बेचान व खरीद के सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोध विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

2–सूचि संलग्न है।

(3)–यह कार्यवाही भ्रष्टाचार निरोध विभाग, जयपुर में चल रही है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

Page No 46

स्थगित प्रश्न

27-3-70

ओला वृष्टि से फसलों को नुकसान

385. **श्री जुझा सिंह** (रामगंज मंडी) क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले के किन किन क्षेत्रों के कितने कितने गांवों में पिछले दो-तीन महीनों में हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है व सरकार द्वारा कृषकों को क्या रियायत दी गई है ?

(2) पंचायत समिति, सांगोद व चेचट के किन किन गांवों में ओलों से नुकसान हुआ है और सरकार द्वारा कृषकों की क्या मदद की गई है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले के जिन जिन क्षेत्रों के कितने कितने गांवों में पिछले 2-3 महीनों से ओलावृष्टि से फसल का नुकसान हुआ है उसकी स्थिति इस प्रकार है:—

नाम तहसील		प्रभावित गांवों की संख्या
1	तहसील लाड़पुरा	8
2	,, दीगोद	45
3	,, पीपलदा	17
4	,, बारां	48
5	,, शाहबाद	36
6	,, किशनगंज	61
7	,, मांगरेल	14
8	,, अन्ता	2
9	,, अटरू	16
10	,, छबड़ा	3
11	,, छीपा बड़ोद	16
12	,, रामगंज मण्डी	19
13	,, सांगोद	11
	योग	299

जहाँ पर ओलों से 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पर भू-राजस्व स्थगित कर दिया गया है तथा उन गाँवों में परीक्षण राहत कार्य प्रारम्भ करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(2) पंचायत समिति सांगोद व चेचट के जिन जिन गांवो में ओलों से नुकसान हुआ है उनकी सूची संलग्न है। कृषकों को तकावी ऋण हेतु 15000/-रु० की स्वीकृति दी गई है। यह तकावी ब्याजमुक्त है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(11-3-70)

राज्य में जन्म मृत्यु दर

65. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा) क्या ? आर्थिक सर्वेक्षण एवं

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

सांख्यिकी विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

राज्य में जन्म मृत्यु का वार्षिक एवं दैनिक अनुपात क्या है ? राजस्थान में कितने रोज पैदा होते हैं और कितने रोज मरते हैं ?

उत्तर

राज्य में जन्म दर 38 प्रति सहस्त्र प्रतिवर्ष और मृत्यु दर 19·6 प्रति सहस्त्र प्रति वर्ष है। (जन्म मृत्यु की दर प्रति सहस्त्र प्रति वर्ष की इकाई में ही दी जाती है दैनिक अनुपात के रूप में नहीं) राज्य में प्रतिदिन औसतन 2643 बच्चे पैदा होते हैं व 1366 व्यक्ति मरते हैं।

स्थगित प्रश्न

(11-3-70)

जिला जल बोर्ड के सचिव

93. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिण्डोली) क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जिला जल बोर्ड कब से शुरू हुआ और इसके सचिव कौन कौन रहे हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सचिव को क्या वेतन व दीगर सुविधायें दी जाती थीं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। सचिवों की नियुक्ति किस आधार पर की गई थी ? सब सचिवों की शिक्षा योग्यता क्या थी ?

(3) क्या जिला जल बोर्डों का ऑडिट कराया गया ? यदि हां, तो कब और उसकी रिपोर्ट क्या सदन में पेश की गई थी ?

(4) क्या यह सत्य है कि जो कांग्रेसी प्रत्याशी सन् 1952 के आम चुनावों में हारे उनको यह स्थान दिया गया था ? राजस्थान में जितने बोर्ड के सचिव नियुक्त किये गये उनमें कितने चुनाव में हारे हुए थे और उनके नाम क्या क्या हैं और किस जिले के किस किस क्षेत्र से हारे थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) जल बोर्ड बूंदी के कार्य की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कितने कार्य अधूरे पड़े हैं और कहां कहां के और क्यों ?

(6) क्या यह सत्य है कि जल बोर्ड के नाम पर सचिव और दीगर कर्मचारी कांग्रेस का प्रचार करते थे ?

(7) क्या यह सत्य है कि ग्राम चड़ी तहसील पाटन, जिला बूंदी में एक कुआ बनाया। दूसरे ने और जल बोर्ड ने अपना पत्थर लगा दिया और अपने कार्य में दर्ज करके पैसे खा गये।

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था !

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं :

पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से मिली है जिसमें ग्राम कोंकणी थाना लूनी तहसील जोधपुर के हरिजनों पर राजपूत होस्टल के कुछ छात्रों एवं अन्य लोगों द्वारा हमले से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री दौलतराम सारण, सदस्य विधान सभा ने खंडेला के बाजार में बहने वाली बरसाती नदी पर निर्माणाधीन बाँध के कार्य को जिलाधीश सीकर के पत्र दिनांक 31 मार्च, 1970 के अनुसार तहसीलदार श्री माधोपुर द्वारा रोक दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री नत्थीसिंह, श्री केदारनाथ, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री हरजीराम बुरड़क व श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें कल दिनांक 6–4–70 को दिल्ली में संयुक्त सोशियेलिस्ट पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी प्रहार करने एवं कई प्रदर्शनकारी घायल हो जाने व उनको गिरफ्तार किया जाना बतलाया गया है। राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल को भी गिरफ्तार किया जाना बताया गया है। इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से भी प्राप्त हुई है।

उपरोक्त तीनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूँगा।

इनके अतिरिक्त जिन स्थगन, प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं वे इस प्रकार हैं :

श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने कस्बा राजगढ़ जिला अलवर में म्यूनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से दुकानदारों का सामान तोड़ फोड़ करने और जबर्दस्ती उठा ले जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा से गंगानगर जिले के रावतसर-नौहर, नौहर-फेफाना, नौहर-भादरा, भादरा-डावड़ी तथा भादरा-हिसार रोड की मरम्मत न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है। सड़कों की मरम्मत के सम्बन्धी में सार्वजनिक निर्माण विभाग की माँग पर काफी चर्चा हो चुकी है।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं। अतः मैं इन्हें सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अलावा जिन पेंडिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है उनका उल्लेख नीचे किया जाता है :

(1) लूणी नदी पर अजमेर व पाली जिले में बांध बनाने से जोधपुर, जालौर व बाड़मेर जिलों में इस नदी का पानी जाना बन्द हो जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री वृद्धिचन्द्र जैन, श्री रघुनाथ विश्नोई, श्री हुकुमसिंह, श्री अब्दुल हादी, श्री रणजीतसिंह, श्रीमती मदन कौर, श्रीमती गौरी पूनिया, श्री बालसिंह सोढ़ा, श्री कालूराम, व श्री विरदाराम, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार से जो जानकारी मिली है उसमें यह कहा गया है कि इस नदी पर अजमेर व पाली जिलों में बांध बांधने से उपरोक्त जिलों के कुओं में पानी का स्तर अधिक नीचे गिरने का मुख्य कारण पिछले 4-5 वर्षों में इस क्षेत्र में वर्षा की लगातार कमी होना बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त इसी विषय में एक प्रश्न भी कल पूछा गया था और प्रश्न के उत्तर में इस पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। इस सम्बन्ध में यह भी सूचित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में पानी की कमी के मामले की जांच हेतु एक कमेटी भी बनाई गई है जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री बद्री प्रसाद गुप्ता एवं श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी जिसमें पंचायत समिति बानसूर (अलवर) के विकास अधिकारी द्वारा एक लेडी डाक्टर को समिति के कार्यालय में बन्द कर दिये जाने का उल्लेख किया गया था। इस विषय में राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें बताया गया है कि लेडी डाक्टर की गाड़ी किसी और कार्य से भेजी गई थी। जिससे वह नाराज हो गई और इस कारण उसको थोड़ी देर वहाँ ठहरना पड़ा। इस समय वहाँ और महिलायें भी थीं और बाद में लेडी डाक्टर को अलवर सकुशल पहुँचा दिया गया। लेडी डाक्टर ने कलेक्टर से भी टेलीफोन पर बात की थी परन्तु गाड़ी को ले जाने के अलावा किसी अभद्र व्यवहार की शिकायत नहीं की।

कोटा से प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की शाखा को उदयपुर स्थानान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार गोयल, सदस्य विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यह बतलाया है कि कोटा से इस प्रतिष्ठान की शाखा को उदयपुर स्थानान्तरित किए जाने के मामले को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

इन मामलों में राज्य सरकार द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी को देखते हुए मैं इन

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल के दिल्ली में बन्दीकरण एवं रिहाई सम्बन्धी सूचना पर चर्चा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री मुकुट विहारीलाल गोयल, सदस्य विधान सभा के बन्दीकरण एवं रिहाई के सम्बन्ध में, जुडिसियल मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली ने निम्नांकित सूचना तार द्वारा मुझको दी है : मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, क्षमा करेंगे :

"New Delhi
6-4-1970

Shri Mukat Beharilal Member, Legislative Assembly was arrested under section 188/147/148/332/307/149/186/353 I. P. C. today at Patel Chowk Roundabout at about 1 P. M. He is being produced before the concerned Magistrate for remand."

उसके बाद दूसरा टेलीग्राम मेरे पास आया है, 6-4-70 का

"Dear Mr. SPeaker,

I have the honour to inform you that Shri Mukat Behari Lal, M.L.A. who was arrested on 6-4-1970 u/s. 147/148/149/186/353/332/188/307 I. P. C. and 25 Arms Act was released on bail today the 6th April, 1970.

Yours faithfully,
Baldev Kapoor
Judicial Magistrate,
New Delhi.
6-4-1970.

श्री **विजयसिंह** (भकराना) : 307/

श्री **अध्यक्ष** : 307/

श्री **दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : एक स्थगन प्रस्ताव मेरा भी था।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली में जिस तरह से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के शान्त प्रदर्शनकारियों पर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : इसमें जानकारी राज्य सरकार से ली है ?

श्री अध्यक्ष : पार्डन !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दिल्ली में जो घटना हुई और जैसा संसोपा के प्रदर्शनकारियों के सम्बन्ध में सूचित किया है—इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई है वह राज्य सरकार से मांगी है या केन्द्रिय सरकार से ?

श्री अध्यक्ष : दोनों ओर से यह जानकारी; आप स्थान ग्रहण करें, यह जानकारी करूंगा। मैंने अपने स्तर पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। इस संबंध

(श्री अध्यक्ष)

में क्योंकि बहुत कुछ समाचार रेडियो पर आ चुके हैं इसलिए मैंने प्रोसीडिंग्स भी स्वयं की जानकारी के लिए मंगवाई हैं और रेडियो पर जैसा कहा गया कि जुडिसियल इन्क्वायरी इसमें करने का आदेश भी कर दिया गया है–इसकी पुष्टि करने के सम्बन्ध में मैंने जानकारी स्वयं के स्तर पर प्राप्त करने का प्रयास किया है ।

(12 मध्यान्ह)

और मुझको अभी जानकारी वहाँ से, संसद से मिली है कि कल जो लोक सभा में संसोपा के सदस्यों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी, उसमें माननीय केन्द्रीय गृह मन्त्री महोदय ने इस विषय को जुडिसियल इन्क्वायरी कराने का कहा था........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : रिग्रेट भी किया था, माफी भी मांगी थी ।

श्री अध्यक्ष : यह भी कहा, प्रधान मन्त्री ने भी कहा, जैसा रेडियो पर आये समाचारों से पता चलता है । जहां तक मेरी जानकारी का प्रश्न है सिर्फ प्रोसीडिंग्स में देखना चाहता था जो मंगाई हैं । साथ ही राज्य सरकार से भी जानकारी उनके स्तर पर प्राप्त कराने का संकेत दिया है ।

तो माननीय सदस्य इस प्रश्न को स्वयं समझ सकते है कि इस सदन का जहाँ तक प्रश्न है, जुडिशियल इन्क्वायरी के आदेश हो चुके हैं, लोक सभा में कल बहस हो चुकी हैं और प्रश्न केन्द्रीय सरकार का है ।

यह सारे प्रश्न इसमें समाहित हैं । इसलिए मैंने आज, इस पर व्यवस्था देने से अपने को वंचित रखा है । मैं चाहता हूं फिर भी इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाकर, मैं कल इस पर व्यवस्था दूंगा ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : एक जानकारी मैं चाहूंगा, श्री मुकुट बिहारीलाल को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है........ whether he was armed.

३०७ में किया है तो क्या whether he attempted to murder anybody.

श्री भैरोंसिंह : इसकी क्या जरूरत है?

श्री अध्यक्ष : दफा ३०७ जो है, पहले जिसमें अरेस्ट हुए और रिमाण्ड के लिए कहा उसमें दफा ३५३ है, ३०७ नहीं है । दूसरे आर्म्स एक्ट का तार में उल्लेख है, किन्तु इस आर्म्स एक्ट का पहले के तार में उल्लेख भी नहीं है, दफा ३०७ का भी नहीं है । दूसरे तार में ३०७ भी है, आर्म्स एक्ट भी है........

श्री पी. के. चौधरी : Whether he was armed and whether he attempted to murder anybody.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, आपने इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था दी है, उसके लिये मुझे विशेष नहीं कहना है पर मैं यह कहना चाहूंगा कि यह घटना कल दिल्ली में हुई पर जनता के अभाव अभियोगों को लेकर प्रदर्शन करने का हमें अधिकार है, हमे अधिकार है जलूस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

निकालने का और संगठन बनाने का। उन अधिकारों पर सरकार, जो हम मांगों को को लेकर प्रदर्शन करते हैं, जो आज की समस्याएं हैं, बेकारी की समस्याएं हैं, मंहगाई की समस्या है, ऊंचे चढ़ते हुए भावों की समस्या है, उन समस्याओं को लेकर जो प्रदर्शन संसोपा द्वारा किया गया, उन अभाव अभियोगों को सरकार दूर कर नहीं सकी और उन अभाव अभियोगों को लेकर जनता रोष प्रकट करना चाहे तो सरकार इस प्रकार का हक भी जनता को नहीं देना चाहती, प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करे, अश्रु गैस छोड़े और पिटाई करे तो यह प्रश्न केवल भारत सरकार का या किसी पर्टीक्यूलर सरकार का न होकर, यह हमारे प्रजातांत्रिक अधिकारों का प्रश्न हो जाता है, जो हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनका प्रश्न हो जाता है........

श्री अध्यक्ष : एक बात मैं निवेदन करना चाहूँगा। मुझको यह मालूम है कि माननीय सदस्य इस प्रश्न पर क्योंकि इस सदन के एक माननीय सदस्य का सम्बन्ध है, इसलिये माननीय सदस्यों की उग्रता इस प्रश्न पर होना आवश्यक है, उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, पर आज आप इस पर अपने विचार प्रकट करेंगे और कल मैं इस पर व्यवस्था दूंगा उस पर भी विचार प्रकट करेंगे, जो आप आज भी विचार प्रकट करें और कल भी विचार प्रकट करें तबतो यह दोहरा प्रश्न पैदा हो जायगा। इसलिये आप सोच लीजिये।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जानकारी करने की व्यवस्था दी है केन्द्रीय सरकार से और राज्य सरकार से आप जानकारी करेंगे। इस घटना के सम्बन्ध में रेडियो पर और समाचार पत्रों में समाचार आये हैं, आपके पास सूचना आई है। जहां तक सवाल है श्री मुकुट-विहारीलालजी आर्म्ड थे या नहीं थे, यह बात और है पर यह स्पष्ट जाहिर है कि किस तरह से घटनाओं को मोड़ दिया जा रहा है। इसमें गम्भीर बात तो यह है कि कल आप व्यवस्था देंगे तो हम चाहते हैं कि आपकी व्यवस्था में यह सब आना चाहिये आप केन्द्रीय सरकार से और राज्य सरकार से मालूम करेंगे। जब हम छोटी छोटी बातों को लेकर दंगे फसाद करते हैं तो राज्य सरकार सोचती है कि मूल भूत प्रश्नों को लेकर प्रदर्शन किये जायं। जहां मंहगाई को कम करने की मांग है, बालिग मताधिकार में 18 वर्ष के हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार देने की मांग है, संविधान में संशोधन लाकर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की मांग है, भूमि के वितरण की मांग है। इन मूलभूत मांगों को लेकर 50 हजार प्रदर्शनकारी शान्तिमय ढंग से आते हैं, शान्ति के साथ बैठे रहते हैं, पटेल चौक में सभा करते हैं तब उन शान्त प्रदर्शनकारियों पर निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज किया जाय, अश्रु गैस के गोले छोड़े जायं, लोगों को चोटें आयें, संसद सदस्यों को चोटें आयें, विधायकों को गिरफ्तार किया जाय, तब हम यह जानना चाहते हैं कि क्या भारतीय संविधान में जो हमें मूलभूत अधिकार दिये गये हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर

Page No 53

(श्री नत्थीसिंह)

प्रदर्शन कर सकते हैं, विधान सभाओं के सामने जा सकते हैं, लोक सभा में जा सकते हैं, शासक वर्ग के पास जा सकते हैं, तब इस प्रकार की मारपीट का कहां तक औचित्य है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान ने हमें छूट दी है कि निश्चित रूप से इस प्रकार हम अपनी मांगों के लिये प्रदर्शन कर सकते हैं। तो क्या सरकार हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीनना चाहती है। इस सम्बन्ध में केन्द्रिय सरकार का और राज्य सरकार का क्या रुख है, क्या हमें हमारे इन मौलिक अधिकारों, मूलभूत अधिकारों के उपयोग का हक नहीं है ?

(श्री मूलचन्द डागा द्वारा बैठे बैठे ही कुछ बोलने पर)

यह हमारे साथ ही नहीं कल आपके साथ भी हो सकता है।

क्या हमें अधिकार नहीं है कि विधान सभाओं के सामने, लोक सभा के सामने अपनी मांगों को लेकर, मंहगाई को कम करने की मांग को लेकर संविधान में संशोधन लाकर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की मांग को लेकर, हमें बेरोजगारी से छुट्टी दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करें ? इस प्रकार की मांगों को लेकर जो प्रदर्शन किया गया, उस पर लोगों को पीटा गया, संसद के सदस्यों को पीटा गया....

श्री **अध्यक्ष** : पर्याप्त होगा।

श्री नत्थीसिंह : इसलिये मेरा निवेदन है कि कल आप जब इस पर व्यवस्था दें तो इन बातों पर भी व्यवस्था दे दें। अध्यक्ष महोदय, आप कई बार परम्पराओं की, अधिकारों की बातें कहते हैं, पर यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि इसको मामूली तौर पर छोड़ दिया जाय। आप व्यवस्था दें, हमारे अधिकारों पर व्यवस्था दें, कल पूरी व्यवस्था दी जाय तो ठीक है। इसे टाला जायगा तो इस पर हमें संतोष नहीं होगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या हम प्रजातन्त्र में अपनी मांगे लेकर बेरोजगारी को दूर करने, मंहगाई को कम करने की मांग लेकर इन्दिराजी के पास जायें और लोगों के पास जायं, हमारी समस्याओं के समाधान के लिये जो हमें प्रजातन्त्र में अधिकार प्राप्त हैं, उनके अनुसार मांग करें जिस पर सरकार इस तरह से लाठियां, गोलियां, आंसू गैस के गोले लोगों पर चलाये तो सही माने में बडे दुःख की बात है। मैं भी वहां पर मौजूद था, परिस्थिति यह थी कि....

श्री अध्यक्ष : कल प्रश्न आयगा....

श्री हीराभाई : कई समाजवादी आदिवासियों पर आज क्या बीत रही है....

श्री अध्यक्ष : आज मत कहिये, कल पर छोड़ दीजिये।

श्री हीराभाई : आदिवासियों की हालत बताने के लिये इन्दिराजी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मैं कल इस प्रश्न को लूंगा।

श्री हीराभाई : इन्दिराजी से कहा राजनीति से मोह छोड़ कर दल के साथ चाल चलती रहीं, इस प्रकार का रवैया अपनाया गया है तो मैं सरकार से जानकारी चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । श्री रामानन्द ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो लोकसभा से कल प्रधानमन्त्री परम्पराओं और रूल्स को रिलेक्स कर के जीरो आॅवर में एडजर्नमेंट मोशन को एडमिट कर के रिप्लाई देने को तैयार हो गई । हम आशा करते थे कि सरकार भी तमाम तथ्यों की जानकारी करके और आज इस बारे में कोई स्वत: वक्तव्य देने के लिए तैयार रहेगी । हमें खेद है कि सदन के माननीय सदस्य गिरफ्तार हुए और उसके बावजूद भी सरकार ने सतर्कता नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी । मैं चाहूँगा कि अब आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो अभी जो श्री मुकुट-बिहारीलाल के सम्बन्ध में दो तार पढ़कर बताए गए, उन दोनों में असंगति है । पहले तार में न उन पर कोई आर्म्स रखने का आरोप है न फेटल एटैक का ही उल्लेख है जिसमें दफा 307 के तहत मुल्जिम बनाया जा सके लेकिन दूसरे तार में इस प्रकार की बात कही गई है । तो क्या कारण है ? इससे जाहिर होता है कि किसी न किसी तरह उनको इन केसेज में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं । तो मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रदर्शन. जिसके अन्दर लाठी चार्ज हुआ है, जिसमें जुडिशीयल इन्क्वायरी मुकर्रर की गई है, तो क्या अब उन केसेज को पेंडिंग रखा जायगा या जो केसेज इनके खिलाफ इन्स्टीट्यूट किए गए हैं, आटोमेटि-कली खत्म हो जाने चाहिए । इस बारे में एक्चूअल स्थिति क्या है ? मैं चाहूंगा कि वे केसेज खत्म होने चाहिए और जुडिशीयल इन्क्वायरी के नतीजे आने पर कोई बात होनी चाहिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपका ध्यान नियम 165 की ओर दिलाना चाहता हूं ।

"When a member is arrested and after conviction released on bail pending an appeal or otherwise released, such fact shall also be intimated to the Speaker by the authority concerned in the appropriate form set out in the Third Schedule."

Now I will draw your attention to Third Schedule at page 86 of the Rules of Procedure.

इसमें बाडी है :

"I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under section...........of the........

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(Act), to direct that Shri............ Member of the Rajasthan Legislative Assembly, be arrested/etained for...........(reasons for the arrest or detention, as the case may be)."

इस थर्ड शिड्यूल में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अध्यक्ष महोदय, मेरी ऐसी मान्यता है कि राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल को जो दिल्ली की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उस सिलसिले में रीजन्स फार दी अरेस्ट, It is not the section under which he has been arrested or the section under which offence has been committed, but the reasons for the arrest.

यह तो समाचार पत्रों में पढ़ लिया। इसकी जानकारी मिल गई रेडियो पर आ गई, लोक सभा में चर्चा हो गई और सारी परिस्थितियों पर लोक सभा ने गम्भीर रुख लिया और उसके कारण नियमों में ढिलाई दी गई और केन्द्रीय सरकार को झुकना पड़ा और जुडीशियल इन्क्वायरी की घोषणा करनी पड़ी। इसके लिए तो लोक सभा में विरोधी दलों के सभी नेतागण और सदस्य बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार को नियमों में ढिलाई करने के लिए और जुडीशियल इन्क्वायरी कराने के लिए, बाध्य किया लेकिन अगर हमें इसकी जानकारी रेडियो या समाचार पत्रों से नहीं मिलती तो क्या केवल मात्र इतनी सूचना अध्यक्ष महोदय को दिया जाना नियमों का कम्पलायन्स है कि Mr Mukat Behari Lal M. L. A. has been arrested under section such and such.

मैं समझता हूं, यह इसकी मन्शा नहीं है। यह कभी भी नियमों की मन्शा नहीं है। इस नियम की मन्शा यह है कि उसमें इस बात का उल्लेख होना चाहिए था कि किन परिस्थितियों में, किन कारणों से, इन माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है और इसलिए केवल मात्र आई० पी० सी० कि धारा कोट करने का उद्देश्य होता तो नियमों में स्पष्ट प्रावधान कर दिया जाता और इसमें लिख दिया जाता जैसा ऊपर लिखा हुआ है अन्डर सेक्शन सच एण्ड सच के बाद में लिखा हुआ है कि "......that Shri............Member of the Rajasthan Legislatve Assembly be arrested/detained for................ (reasons for the arrest or detention, as the case may be)."

यह इसमें लिखा जाना चाहिए, तो रीजन्स क्या हैं? हो सकता है, कि वे अन्लाफुल असेम्बली के मेम्बर्स हों, जुलूस निकाल रहे थे, उनके पास वायोलेन्स के हथियार थे यानि आखिर सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी कैसे हो? केवल मात्र दफा 307 लिख दिया जाय, जब कारण का उल्लेख न हो, तो इस प्रकार का आरोप लगाकर 307 में मर्डर का आरोप लगाकर, मैं समझता हूं यह माननीय सदस्य को बदनाम करने की नीयत है और सदन को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बदनाम करने की कोशिश है कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य ऐसे हैं जो आर्म्स एक्ट का उल्लघन करते हैं। जिन पर 307 के मुकदमे दिल्ली में बन जाते हैं, यह डिफेमेटरी है। तो केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन के जिन अधिकारियों ने कारण लिखकर नहीं भेजे हैं उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है और सदन के माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। ऐसा गम्भीर मसला सदन में पहले कभी नहीं आया। इसलिए सदन के माननीय सदस्य जो इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं इस बारे में समर्थन करेंगे कि जिस भी अधिकारी पर जिम्मेदारी थी उस अधिकारी पर जो जिम्मेदारी संविधान के अन्तर्गत डाली गई, नियमों के अन्तर्गत डाली गई है, उन्होंने नियमों की अवहेलना की है, उलघन किया है, फ्लेग्रेंट वायोलेशन आफ दी रूल्स है। इसलिए जिस अधिकारी पर जिम्मेदारी थी, इस परिपत्र के अनुसार शिड्यूल के अनुसार, समस्त जानकारी विधान सभा के अध्यक्ष को देते, उस अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार की कार्यवाही का तुरन्त नोटिस जारी किया जाना चाहिए और इस मामले पर सीरियस व्यू लेना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। यह घटना निन्दनीय है।

जो दिल्ली में हुआ, उस सम्बन्ध में आज मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन मै और मेरा दल और हम सब लोग हामी हैं कि जन भावनाओं को दबाया नहीं जा सकता। देश की समस्यायें केवल अश्रुगैस और दमनकारी रास्ते से सलटाई नहीं जा सकती। जनता की उभरती हुई भावनाओं को समझने की आवश्यकता है, सुलझाने की आवश्यकता है। दमनकारी रास्ते से आज केन्द्रीय सरकार कुर्सी पर बना रहना चाहती हैं, राजस्थान में तो बुनियाद ही इस पर है सरकार की...

श्री मूलचंद डागा : अध्यक्ष महोदय, इसमें सवाल था अन्डर सेक्शन दिस एण्ड दिस, यह मजिस्ट्रेट के लिए है लेकिन रीजन्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने बताया है सेक्शन 307, जो सेक्शन बताया है वह सफीशियेंट है लेकिन आपने इन्टरप्रेशन किया है अन्डर सेक्शन दिस एण्ड दिस। यह मजिस्ट्रेट की पावर्स का सवाल है। आप गलत पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से रीजन्स की। 307 आपने पढ़ा था, it is sufficient that he has given the sections.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : Is that the reason of the arrest ?

श्री मूलचंद डागा : yes, he has send under Section such and such.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आप पिटी यूअर लीगल नालेज।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको डिबेट के लिए नहीं रखता, मैं इस पर व्यवस्था दूँगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दा इस समय सदन के सामने उपस्थित है उस पर जो विचार यहां आए या सतीशचन्द्रजी ने सवाल प्रस्तुत किया वह

(श्री दौलतराम सारण)

वास्तव में गौर तलब है और मैं भी उसका समर्थन करता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि जिस पद्धति में हम विश्वास करके चलते हैं और जिस संविधान के अन्तर्गत हमें मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं संगठन बनाने के, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लेखन द्वारा और बोलकर या प्रदर्शन द्वारा, उन मूलभूत अधिकारों का कहीं प्रशासन द्वारा आघात होता है अगर यह प्रक्रिया शासन द्वारा चलती रही, प्रतिवेदन द्वारा,प्रतिनिधि मण्डलों के माध्यम से, विचार अभिव्यक्ति द्वारा शासन किसी बात को सुने नहीं, गौर नहीं करे, निर्णय न करे, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन की प्रक्रिया अपनाने पर, लाठियों, गोलियों और अश्रु गैस द्वारा उसका दमन किया जाय और संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को भी बल प्रयोग द्वारा अपने मूलभूत अधिकारों के प्रदर्शन करने से रोका जाय तो ऐसी हालत में और उस स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, यह सवाल एक अहमियत के साथ आया है कि इस प्रकार के शासन द्वारा स्थिति पैदा करने पर, शान्तिपूर्ण माध्यमों पर अरुचि अश्रद्धा और अविश्वास पैदा होने की स्थिति आ गयी है। यदि इस पर अविश्वास पैदा हो जावेगा तो एक खतरनाक स्थिति पैदा कर देंगे। उसका स्वाभाविक परिणाम यह आवेगा कि हिंसक तरीके देश में अपनाये जाने शुरू हो जावेंगे। दिल्ली में जो कल घटना हुई है उसने देश को एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कोई माननीय सदस्य अपनी मान्यताओं के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि पूरी जानकारी करके हमें फिर अवसर प्रदान करें कि हम इस पर विचार कर सकें। और....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

एक प्रश्न उठाया है माननीय श्री सतीशचन्द्रजी ने। यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का है, विशेषाधिकार का है। माननीय सदस्य ने जो फोर्म्स और तार मेरे पास प्राप्त हुए हैं उनकी तुलना करते हुए बताया है कि इसमें कम्पलायेन्स जो नियमों के अन्तर्गत फार्म से नहीं होती है माननीय सदस्य ने इस पर प्रकाश डालते हुए आग्रह किया है कि यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लिया जाय। इधर से माननीय डागाजी ने प्रकाश डाला इन एक्सरसाइज ऑफ माई पावर्स अन्डर सेक्सन....। लेकिन इन एक्सरसाइज ऑफ माई पावर्स इसमें और सेक्शन के लिखने में अगर इस फोर्म की यह मान्यता होती तो इसमें सेक्शन का इन्द्राज कर दिया जाता। रीजन्स हैं वे व्यापक हैं। क्या परिस्थिति थी।

(विरोधी पक्ष द्वारा हीयर हीयर)

इसी तरह से दूसरे फार्म इसमें हैं। माननीय सदस्य को रिलीज किया गया है। जमानत पर छोड़ दिया गया है। इसका उल्लेख तार में है दूसरा टेलीग्राम इस प्रकार का है। "रिलीज्ड ओन बेल टु डे।" "रिलीज्ड ओन बेल" का भी प्रेस्क्राइब्ड फोर्म इसमें दिया हुआ है।

(श्री अध्यक्ष)

"I have the honour to in form you that Shri............Member of Rajasthan Legislative Assembly.................. was released on bail pending appeal......."

यह इस तरह से है। मेरे सामने इस प्रकार से सूचना प्राप्त हुई। प्रेस्क्राइब्ड फोर्म में हुई या नहीं और टेलीग्राम दिया है वह प्रेस्क्राइब्ड फोर्म की कम्पलायेन्स करता है या स्ट्रिक्टली इस फोर्म पर होना चाहिये एक तो यह प्रश्न विचाराधीन है। दूसरा प्रश्न यह है कि सदन के जो नियम हैं उनका वहां क्या प्रभाव है। यह प्रश्न भी विचारणीय है। तीसरा क्या पार्लियामेन्ट में ऐसा प्रश्न जब उपस्थित होता है और वहां की सरकार के सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है तब वहां पर यह आवश्यक है कि नियमों के आधार पर हीहमें सूचित करें अथवा और कोई अन्य नियम वहाँ प्रभावशाली है लोक सभा में अथवा वहाँ के प्रशासन में। प्रश्न महत्वपूर्ण होते हुए भी मुझको इन सारे मुद्दों पर विचार करना पड़ेगा।

श्रीरामानन्द अग्रवाल : यह इन्फॉमेशन सबस्टेन्शियली करैक्ट है या कान्ट्राडिक्टरी है।

श्री अध्यक्ष : यह भी है।

एक मुद्दा यह भी है कि तार के बाद जैसे राजस्थान में भी होता है कि अरेस्ट के सम्बन्ध में जानकारी का तार हमें आता है और वह प्रेस्क्राइब्ड फार्म पर फिर से जानकारी देते हैं। मैं उसकी भी प्रतीक्षा में हूँ कि इस प्रेस्क्राइब्ड फार्म पर कोई सूचना आती है या नहीं। तार भेजते हैं तो उसकी कन्फर्मेशन के लिए दूसरी सूचना आजाती है। यह सब महत्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय हैं। यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं बनता है यह भी प्रश्न है। तार है उसमें व्यक्ति विशेष का नाम उल्लेखित नहीं है। इसलिए इस सम्बध में मैं निर्णय रिजर्व रखता हूं। सारी जानकारी लेने के बाद निर्णय दूंगा।

श्री **नत्थीसिंह** : कल ही देंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह विशेषाधिकार का प्रश्न अलग है। कल भी निर्णय न दूं, परसों भी न दूं तब भी विशेषाधिकार का प्रश्न कहीं जाता नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रश्न जब उठ गया है तो कम्पलायेन्स रिपोर्ट आ जावेगी। ब्रीच ओफ प्रिविलेज तो होगया है। रेडियो पर सुन लेंगे और अखबारों में पढ़ लेंगे। that gives them an opportunity.

श्री अध्यक्ष : अपने बचाव पक्ष क आधार हो जाता है। सदन चाहे तो उसको उस रूप में लिया जा सकता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : कितनी दूर पर लाठी चार्ज हुआ और कितनी दूर पर....

श्री अध्यक्ष : कितनी दूर, किस एंगल पर, किस स्थिति में ?

श्री भैरोंसिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय. आपकी आज्ञा हो तो संक्षेप में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा । आपने जो व्यवस्था दी है और इस सम्बन्ध में आपने रूलिंग रिजर्व रखी है कि आया इसमें कोई, ब्रीच आफ प्रिविलेज है या नहीं इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । यह अध्यक्ष महोदय, आसन से सम्बन्धित प्रश्न है । इस सम्बन्ध में मुझे अधिकार भी नहीं है कि विचार में व्यक्त करूं और अगर व्यक्त करू तो भी यह प्रिमेच्योर होगा ।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य सवाल तो यह है कि इस सदन के एक सम्माननीय सदस्य की गिरफ्तारी का सवाल भी इसके साथ-साथ विचारणीय है । मैं अपने विचार विशेष रूप से आज व्यक्त नहीं करना उचित समझूंगा लेकिन संक्षेप में यह कहूंगा कि, अध्यक्ष महोदय कि सारे देश के अन्दर जो एटमोस्फियर है वह सरचार्ज्ड विथ वायलेन्स है और हम आदी हो गये हैं ऐसी बातों को सुन सुन कर लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर लोक सभा के सामने प्रदर्शन हो, उस प्रदर्शन के अन्दर तीर भी चलें, उस प्रदर्शन के अन्दर लोक-सभा के माननीय सदस्य घायल भी हों और कई एम. एल. ए. गिरफ्तार हों और यह कहां ? पार्लियामेंटरी स्ट्रीट के अन्दर । यह एक साधारण मसला नहीं है, अध्यक्ष महोदय और मैं समझता हूं हर एक नागरिक कोअधिकार है चाहे उसको मैं पसन्द करूं या न करूं लेकिन प्रदर्शन करने का अधिकार हरएक नागरिक को जनतन्त्रीय व्यवस्था के अन्दर है । उस सम्बन्ध में केन्द्रीय माननीय गृह मन्त्री ने भी दुख प्रकट किया है । माननीय प्रधान मन्त्री ने भी इस सम्बन्ध में जो कुछ गिरफ्तारियां हुई उस सम्बन्ध में व्यक्तव्य दिया है और लोक सभा में भी असंतोष हर तरफ से प्रकट किया गया है । इस घटना के तुरन्त पश्चात ही केन्द्रीय गृह मन्त्री ने इस बात को उचित महसूस किया है कि इस बारे में निष्पक्ष जांच करायी जाय । मैं समझता हूं यह असाधारण घटना है । एक ऐसी घटना है जिसमें मैं यह कहूं कि जनतन्त्र की अवहेलना हुई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । जो कुछ भी रूलिंग आपने रिजर्व रखा है प्रिविलेज का आप जाने । लेकिन मैं समझता हूं इस बारे में खुलकर के और चर्चा होनी चाहिये । हम सब को अधिकार है कि हम अपनी भावना, अपने विचार आपके सामने प्रकट करें । अभी तो मुझे यही कहना है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री मूलचन्द डागा : 307, 347 यह अन-ला-फुल एक्ट है । यह आपको अधिकार नहीं है । आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है ।

श्री नत्थीसिंह : यह गलत है । यह बिल्कुल ही गलत है ।

(शोरगुल)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय. यह क्या है ?

(शोरगुल)

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, गृहमन्त्री महोदय ने—(शोरगुल)…. ऐसे लोग दकियानूसी की तरह हैं ।….(शोरगुल) भारत सरकार के गृह मन्त्री महोदय ने माफी मांगी है । और माननीय डागा जैसे लोग यहां कह रहे हैं यह अनियमित कार्य-वाही है, अनला फुल कार्यवाही की गई है ।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय. यह ऐसा मामला है….

(शोरगुल)

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय,

(शोरगुल)

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय दिया है वह हमने मान्य कर लिया है । परन्तु माननीय डागा जैसे लोग यहां यह कह रहे हैं, इसके लिये आपको मर जाना चाहिये (भारी शोरगुल में) आपको क्या पता है ?….

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय,

श्री हीराभाई : (शोरगुल में) अध्यक्ष की बिना इजाजत के आप बोल रहे हैं । आपसे कोई डरने वाला नहीं है । प्रजातन्त्र की हत्या की जा रही है । आपका कोई बिगड़ने वाला नहीं है । हम लोगों में से कईयों ने कुर्बानियां की हैं और आप मिलि-टरी के सहारे राज्य करना चाहते हैं । यह गलत है ।….

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।….

(शोरगुल)

श्री नत्थीसिंह : आपको चिलम भरने से कुछ नहीं मिलने वाला है । आप चाहें जितनी चिलम भरें ।….

श्री हीराभाई : (शोरगुल में) पुलिस के द्वारा आम जनता को आप डरा सकते हैं । परन्तु हम लोगों को डराने, धमकाने से आप वोट नहीं ले सकते । इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे । हम अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे । यह तो खाड़े में ले जा रहे हैं । परन्तु मरते मरते भी हम अपने वोट को सुरक्षित रखेंगे । हम तो यह कह रहे हैं कि जांच मत कराईये ।….(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : काफी हो चुका । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

(शोरगुल)

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक मिनिट….

श्री अध्यक्ष : है कहां एक मिनिट । आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक मिनिट….

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था आपने दी है उसका अनुशासनबद्ध होकर मान रहे हैं । जिसके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लिये केन्द्रीय सरकार के गृहमन्त्री ने भी माफी मांगी है और यह पिद्दी न पिद्दी का शोरवा आग में घी डालकर कूद रहे हैं। ये डागाजी आग में घी पटक रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री मूलचन्द डागा : इन्क्वायरी होने के लिये कहा है। इन्क्वायरी होगी। आप बराबर इसको कह रहे हैं। प्रदर्शन करने का आपको अधिकार है लेकिन अन ला फुल एक्ट करने का आपको अधिकार नहीं है। यह मैंने कहा है।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय. (शोरगुल)....गांधीजी की टोपी लगाते हो गांधीजी का नाम क्यों बदनाम करते हो।

श्री मूलचन्द डागा : शान्ति और कानून की व्यवस्था हर हालत में रखनी पड़ेगी।

श्री हीराभाई : तुम्हारी कोई ताकत नहीं है।....कोई....(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री डागा।.... (शोरगुल)

श्री हीराभाई : आर्डर, आर्डर। (शोरगुल)

माननीय श्री हीराभाई। स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : आसन अपने पैरों पर है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक मेरा निवेदन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लाठी, गोली जनता के ऊपर चलाई जाये यह लोकतन्त्र में नहीं चल सकता। ला एण्ड आर्डर इस तरह नहीं रखा जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : कानून की रक्षा करनी होगी।

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जनता की भावनाओं को आप समझें और उसके अनुसार चलें।

(शोरगुल)

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय,.... (शोरगुल)

श्री हीराभाई : जनता इनसे डरने वाली नहीं है....

श्री मनोहरसिंह महता : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट मुझे भी निवेदन करना है........

श्री अध्यक्ष : श्री डागा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Mr. Daga should not be petmitted to speak. हाऊस की व्यवस्थाएं बिगड़ जायेंगी। फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय डागा जी ने जो कुछ कहा वह मैं नहीं समझ पाया हूं। क्या वे शासन को प्रोटेक्सन

Page No 62

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ आज का शासन ब्रिटिश शासन से भी आगे बढ़ गया है।........ (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री हीराभाई : आपको शर्म आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

मैं और अब इसमें इजाजत नहीं दूंगा।

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(शोरगुल)

श्री डागा बातचीत न करें। ऐसी स्थिति पैदा न करें जिससे सदन का वातावरण उग्र हो ऐसा नहीं करें। स्थान ग्रहण करें। (शोरगुल चलता रहा)

श्री भैरोंसिंह, राजकीय उपक्रम समिति का सातवां प्रतिवेदन

चूरू, सांगरिया, भादरा गोली कांड की जांच की प्रक्रिया सम्बन्धी आपत्ति।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव चूरू, सागरिया, भादरागोली कांड में दोषी अधिकारी है उनके तबादले के बारे में दिया था। इस बारे में जो तार मिले हैं वह मैं पढ़ कर सुनाता हू।........

"S.D.M. Srivastava, Dy. S.P. Dalchand, Girdhari Singh, S.H.O. Sangaria terrorising persons day in and day out. Extorting false affidavits. Witnesses panic stricken Tension mounting. Pray immediate suspension for fair and impartial judicial enquiry."

इस तरह के सैकड़ों तार मेरे पास आये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कल से जो जुडिशियल कार्यवाही शुरू होगी, उसके पहले वहाँ जनता में आतंक और भय का वातावरण बनाया जा रहा है। क्या आप यह सोचते हैं कि इस तरीके से पब्लिक एवीडेंस को डिस्ट्राय कर सकेंगे और उनको डराया जा रहा है। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि ये आफिसर हैं, जो गोली चलाने के दोषी हैं उनको वहां से हटाया जाये। इम्पारशल इन्क्वाइरी की कण्डीशन यह होती है कि एक कोगनीजिबल क्लाइमेट बने। इसलिये आप यह चाहते हैं तो पहले इन आफिसरों का तबादला करके वहां से हटा दीजिये—सस्पेंड वैसे करना चाहिये, वह तो दूर की बात है पहले आप उनको वहाँ से हटा दीजिये और जो जख्मी हैं उनको इन्टरिम रिलीफ दे? जनता को अपना पक्ष तैयार करने के लिए मौका दें जिस तरह से आफिसरों को डिफेंस लाइन तैयार करने के लिए आप मदद कर रहे हैं तो क्या आप सोचते हैं कि इस तरह से इम्पारशली इन्क्वाइरी हो जायेगी। हमको फिर आन्दोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर सरकार जुडिशि-

(श्री केदारनाथ)

यल इन्क्वायरी करने के पक्ष में है, इम्पार-शली वर्किंग करना चाहती है तो उन आफिसरों का फौरन तबादला होना चाहिये और इन्टरिम रिलीफ जनता को सही तौर पर दें। जो लीगल एडवाइज अधिकारियों को दे रहे हैं वही जनता को भी दें।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जनता को डरा धमका कर, उन पर दवाव डाल कर गवाहियां तैयार की जा रही हैं। इसकी भी जांच होना चाहिये ताकि जांच के अन्दर इस प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। नहीं तो झूठे हल्फनामे ये दोषी अधिकारी पेश कर देंगे और जांच से बिल्कुल बच निकलेंगे। इसलिये इस बात के लिए सदन के अन्दर यह प्रस्ताव लाये हैं। इसको रोका जाये। वरना इससे यह साबित होता है कि राज्य सरकार जान बूझ-कर इस इन्क्वायरी को टालना चाह रही है।

श्री अध्यक्ष: आॅर्डर माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : इससे यह भी साबित होता है कि राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है.......

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : राज्य सरकार अब 15 दिन में उसको हटा दें लेकिन राज्य सरकार इस पर स्टेटमेंट देना टाल रही है। अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। इस पर विचार नहीं किया गया तो हम कमिश्नर की इन्क्वायरी का बहिष्कार कर देंगे। और इसके लिये ....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : दोषी अधि-कारियों को हटा दिया जाये। वर्ना हमें इस बात के लिए भी लड़ना पड़ेगा। यह सर-कार उनको संरक्षण दे रही है। इस प्रकार की गुण्डा-गर्दी नहीं करने दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, यह मामला जनता से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार की कार्यवाही जांच के दौरान में की जारही है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : इससे बढ़ कर और शर्म की बात नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : मैंने जानकारी इसमें मंगवाई है। आज जानकारी प्राप्त हो जायेगी। मैं इस पर आज ही निर्णय दे दूंगा, ऐसा मेरा ख्याल है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जानकारी करने का सवाल कहां है। जुडिशियल इन्क्वायरी तो कल से ही शुरू हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : आप दोबारा बोलने लगे, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि यह जुडिशियल इन्क्वायरी शुरू हो चुकी है। कल 8 तारीख को बीकानेर में उसकी सिटिंग होगी। माननीय जस्टिस छंगाणी ने एफेडेविट्स मांगे हैं। इसके लिये 11 तारीख आखिरी दी है। इस बात का एलीगेशन लगाया है कि लोगों पर दबाव देकर, लोगों से झूठे एफेडेविट लिये जा रहे हैं। इसमें फौरन इन्टरवीन करके दोषी अफसरों को हटाया जावे। एक एक दिन रोक कर आप चाहते हैं कि वे अपने मन चाहे एफेडेविट पेश कर सकें। जब वे पूरे एफेडेविट ले लेंगे एवीडेन्सेज को खराब कर देंगे उसके बाद आप उनको हटायेंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस बारे में काफी समय मिला है गृह मन्त्रीजी ने सरकार की तरफ से यह घोषणा की थी कि वे गंगानगर के मामले के बारे में निर्णय घोषित कर देंगे। अब आप इस इन्वेस्टीगेशन के सम्बन्ध में अपने निर्णय की घोषणा कर दें तीन चार बार यह सवाल उठ चुका है। हमने एडजोर्नमेण्ट मोशन भी दिया कल गृह मन्त्री उपस्थित नहीं थे इसलिये इसको स्थगित करना हमने स्वीकार किया। आज गृह मन्त्रीजी मौजूद हैं इस मामले को टालना उचित नहीं होगा। मैं चाहता हूं आप गृह मन्त्रीजी को यह आदेश दें कि आज ही इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें। आप इनको बाध्य करें कि वे आज ही इसका उत्तर देने को राजी हों।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं भी अध्यक्ष महोदय, दो शब्द इस बारे में निवेदन करना चाहूँगा माननीय सदस्य प्रो० केदारनाथजी ने जो आशंकायें व्यक्त की हैं उसके साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है। यह बड़ा गम्भीर विषय है, एवीडेन्स को टेम्पर विथ किया जाय। उसको तोड़ा मरोड़ा जाय। गृह मन्त्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं इस बात पर उनको कोई न कोई आश्वाशन देना चाहिये। धीरे धीरे विरोधी पक्ष ही नहीं मैं इस हद तक कहने को तैयार हूं जनता पर से भी आपकी साख हटती जा रही है। रेपुटेशन और साख आपको कुछ रखनी है तो गृह मन्त्री महोदय इस बारे में कम से कम आश्वासन सदन में देंगे कि एवीडेन्सेज को तोड़ मरोड़ने नहीं होने दी जायगी। इस बारे में जो कुछ भी वक्तव्य आपको दिलाना है मेरे ख्याल से सदन की मांग है, विरोधी पक्ष की इच्छा है जो सर्वथा उचित इच्छा है इसलिये गृह मन्त्री महोदय से पांच बजे तक भी आप वक्तव्य दिला दें। वैसे गृह मन्त्री महोदय विरोधी पक्ष तो निर्बल के बलराम हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपतो रावण से अपील कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संगरिया, भादरा, चुरू गोलीकाण्ड की जांच के संबन्ध में जो आयोग का गठन किया गया है उसके लिये चार मुद्दे विशेष रूप से मैंने उठाये थे। उस आयोग की जो रिपोर्ट होगी उसके एक्सेपटेन्स के बारे में राज्य सरकार ने घोषणा नहीं की है।

इसके लिये जो आपने सेन्टर मुकर्रर किया बीकानेर वह असुविधा जनक है। हनुमानगढ़ के सिलसिले में मैंने निवेदन किया

Page No 65

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है इसको स्वीकार करेंगे । कमीशन का हैडक्वार्टर बीकानेर के स्थान पर हनुमानगढ़ रखा जाय ।

दूसरा है पुलिस अधिकारियों के सम्बन्ध में उनको तुरन्त उस स्थान से हटा दिया जाय ।

तीसरा है जो घायल या मर चुके हैं उनकी तरफ से पैरवी कराने की दृष्टि से राजस्थान सरकार उनके लिये लीगल एडवाइज लीगल असिस्टेंन्स उनको दें जो कमिशन के सामने मृतकों और घायलों की तरफ से पैरवी कर सकें । इस प्रकार की पैरवी की व्यवस्था करनी चाहिये ।

इस तरह से चार मुद्दे मैंने उठाये थे बाकी और भी सदस्यों ने मुद्दे उठाये हैं । एक बात मैं और कह देना चाहता हूं हिन्दुस्तान की जनता इस बात को जानती है जिस प्रकार से राज्य सरकार ने बेरी कमीशन के सामने महान झूठा केस बनाया झूठे से झूठा केस इस कमीशन के सामने भी आप बनायेंगे । झूठे एफेडेविट्स पेश हो रही हैं । वैसे आज गृह मन्त्रीजी का राजनैतिक धरातल कुछ नहीं है वे केवल सर्विसेज के बल बूते पर बैठे हुए हैं इसलिये वे अधिकारियों के प्रति किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकते ।

श्री किशनलाल शाह : मैं राजकीय उपक्रम समिति से अपना नाम वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर आज ही व्यवस्था दे दूंगा । श्री भैरोंसिंह ।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) मैं अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उपक्रम समिति के 7 वें प्रतिवेदन का जो राजस्थान राज्य भण्डार व्यय निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1966-67 से संबन्धित है) तथा समिति के 8 वें प्रतिवेदन का जो राजस्थान लघु उद्योग निगम (अंकेक्षा प्रतिवेदन 1966-37) से संबन्धित है उपस्थापन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री पुखराज कालानी ।

श्री पुखराज कालानी (सभापति जनलेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं जन लेखा समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं जो विनियोग लेखे 1967-68 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरिक्त के मामलों से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । श्री नत्थीसिंह ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-सुजान गंगानहर, भरतपुर सम्बन्धी

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत भरतपुर की सुजान गंगा नहर की सुरक्षा की ओर स्वायत्त शासन मन्त्री का जो उपस्थित नहीं हैं, हनुमान चालिसा पढ़ने

Page No 66

(श्री नत्थीसिंह)

गये हैं इस ओर ध्यान आकर्षित करता हूं। वे अपने डिप्टी को बैठा गये हैं उनको यह भी पता नहीं कि भरतपुर में सुजान गंगा नहर है भी या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, यह सुजान गंगा नहर प्राचीन जमाने में भरतपुर किले की सुरक्षा की दृष्टि से भरतपुर शहर को पानी मिले इस प्रकार दोनों दृष्टियों से बनाई गई थी। इस नहर के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं जो तथ्य हैं। अंग्रेजों ने जिस समय भरतपुर पर हमला किया इसी नहर के बलबूते पर बार-बार पराजित होना पड़ा। एक-एक भरतपुर का सिपाही आठ आठ अंग्रेजों को लिए हुए इसमें गिरता था वह अपने साथ उन आठों को उसमें डूबा देता था। आज जिस नहर से भरतपुर की जनता को पानी मिलता था, आज उसकी इस प्रकार की उपेक्षा की गई है जिस ओर में इस मूक और बधिर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जैसा आपको विदित है भरतपुर शहर की सब से बड़ी समस्या पानी की समस्या है। इस बारे में सदन में कई बार हमने प्रश्न भी उठाये हमको यह कहा गया कि हम जमना से पानी लायेंगे, लेकिन वह योजना कब पूरी होगी, पता नहीं। आज दिन तक जो नल कूप बने हैं उन्हीं से पानी दिया जाता है जो नल कूप गर्मियों के दिनों में सूख जाते हैं। उस समय इस नहर के चारों ओर कुएँ खोदे गये हैं जिससे भरतपुर के अस्सी हजार लोगों को पानी मिलता है। नल विभाग इस नहर के पास स्थित कुओं का पीने के पानी के लिये उपयोग में लेती है और इसी से पानी की व्यवस्था करती है।

(1 म० प०)

अगर यह नहर नहीं हो और नहर के किनारे कुये नहीं हों तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ भरतपुर को पानी नहीं मिले। लेकिन आज हालत यह है कि नहर के किनारे पूर्णतः टूट चुके हैं। चारों तरफ से नहर में गन्दा पानी जाता है। नहर के किनारे वहाँ का अस्पताल स्थित है और वहाँ पर भी सेनीटेशन की व्यवस्था ठीक नहीं होने से अस्पताल का सारा गन्दा पानी उस नहर में जाता है। नहर की कोई सुरक्षा नहीं है। नहर की सड़कें टूट चुकी हैं-गोपाल बाड़ी, खिरनीघाट और गंगा घाट इलाके में नहर टूटकर मकानों से जाकर लग गई है, वे मकान कभी भी गिर सकते हैं। ऐसी अवस्था हो गई है। बार बार राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने पर भी अभी तक इस सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंगी है। सरकार को ज्यादा जोर देने पर कहा गया कि यह नहर ऐतिहासिक महत्व की और किला भी ऐतिहासिक महत्व का है इसलिये आर्कियोलोजी डिपार्टमेंट के बिना हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हमने आर्के-लोजी डिपार्टमेंट से सम्बन्ध स्थापित किया...

(श्री भीखा-भाई के आने पर)

अब आ गये हनुमानजी। अब ये क्या कहते हैं ? नहर की क्या सुरक्षा करवाते हैं ? मैं माननीय भीखा भाईजी कहता हूँ

(श्री नत्थीसिंह)

उस पर हनुमानजी की मूर्ति अंकित है और आप हनुमानजी के पक्के भक्त हो, उन पर पक्की निष्ठा रखते हो। उस नहर में चारों तरफ से गन्दा पानी जाता है, उससे उसकी सुरक्षा करो, जो नहर सारे भरतपुर को पानी देती है आप उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं फिर आप किसकी रक्षा कर सकते हैं ? आप तो हनुमानजी के प्रगाढ़ भक्त हैं, आपकी प्रगाढ़ निष्ठा है। आप इस सम्बन्ध में कितने आतुर हो यह देखने की बात है। मुझे मालूम है माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी क्या कहेंगे—कहेंगे पिछली बार हमने 30 हजार रुपये मंजूर करवाये थे। अबकी बार कलक्टर ने राहत कार्यों में जो बांध टूट गये थे उनके लिये जो पैसा मिला है उसमें से करीब 20 हजार मिलें हैं। केवल 50 हजार रुपया दिया है। इस 50 हजार में क्या हो सकता है ? केवल आधा मील सड़क का काम भी नहीं हो सकता है। ऐसी कोई व्यवस्था कीजिये जिससे नहर के किनारे सुधारे जा सकें। नहर सारी नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है, नहर की कभी सफाई नहीं हुई है। अगर यही स्थिति रही तो भरतपुर में भयंकर महामारी फैलेगी और लोगों का जन जीवन खतरे में पड़ जायगा। यहाँ पर मैं यह भी कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि एक जमाने में इस नहर के लिये राज्य सरकार द्वारा कहा गया था केन्द्र से इसके लिये मांग करे। भरतपुर से एक संसद सदस्य चुनकर जाते थे वे हमेशा हर चुनाव में कहा करते थे भरतपुर को जापान टाइप गार्डन से सुशोभित कर दूंगा बाहर जितनी खाइयाँ हैं उनमें किश्तियाँ चलेंगी। पूरी तरह नहर को साफ करके सुन्दर कर दिया जायगा। कभी यह भी कहा गया कि 14 लाख की मंजूरी की गई है कभी कहा गया इससे ज्यादा की मंजूरी हो गई है। आज वे भरतपुर क्षेत्र से प्रतिनिधि होने से तो समाप्त हो गये लेकिन एक पैसा राज्य सरकार से खर्च नहीं करा सके —

(1 05 म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

पिछले दिनों मुख्य मन्त्रीजी भरतपुर गये थे। जुलाई के महीने में उनका तूफानी दौरा हुआ था, बड़ी दावतें खाई सभापति महोदय और यह आरोप लगाया कि भरतपुर में सोशलिस्ट पार्टी है, जब मुख्य मन्त्रीजी जाते हैं तो काले झण्डे लेकर खड़े हो जाते हैं। कभी म्युनिसिपैलिटी की तरफ से दावत खाने जांय तो वहाँ भी काला झण्डा दिखाया जाय, जहाँ भी मुख्य मन्त्रीजी जायें वहीं उनको काला झण्डा दिखाया जाय इसलिये सभापति महोदय पिछले दिनों राज्य सरकार का यह बतीरा रहा जो सब जगह प्रचार करते हैं जहाँ से विरोधी दल के लोग जीतकर आते हैं वहाँ हम कोई काम नहीं करेंगे। हम मुख्य मन्त्रीजी से मिले उन्होंने कहा नहीं हमारा कोई ऐसा रुख नहीं है। जुलाई में मुख्य मन्त्रीजी गये थे तो कांग्रेस के लोगों ने कहा था अब की बार काले झण्डे नहीं दिखाते तो शायद नहर को सुधरवा देते। यद्यपि राज्य सरकार के वचनों में कोई आस्था नहीं है, वचन भग करने में हमारी

(श्री नत्थीसिंह)

राज्य सरकार ज्यादा माहिर है। हमने भी मौका दिया, हमने तमाम यूनिट्स को निर्देश दिया—जब वे रमेश स्वामी की यादगार का उद्घाटन करने जा रहे थे। इनको आने दो, कोई काले झण्डे नहीं दिखाये जायेंगे और हमने उनको एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जिसमें भरतपुर के कालेज में साईन्स के साथ एम. ए. के क्लासेज खोलने की मांग की दूसरी ओर भरतपुर नहर के बैंक्स बनवाने और उसकी पूरी सफाई हो, इसकी मांग की। सभापति महोदय मुझे कहते हुये अफसोस होता है मुख्य मन्त्रीजी ने जब यह सुना कि भरतपुर के लोग नाराज हो गये हैं तो मैंने कोई आश्वासन दिया नहीं है। गांधी पार्क में उस समय मिटिंग हो रही थी तो लक्ष्मीनारायणजी के मन्दिर में मिटिंग रखी गई। हमने कहा मुख्य मन्त्रीजी हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जनता इस मीटिंग में आयेगी और उसमें नहीं जायेगी ऐसा कुछ कहा गया लेकिन उसके बाद ए. डी. एम. को भेजा और हमें यह विश्वास दिलाया कि मुख्य मन्त्रीजी मीटिंग समाप्त होने के बाद विरोधी दलों से भेंट करेंगे और सार्वजनिक रूप से आश्वाशन देंगे। हमने उनसे भेंट की और उनका ध्यान दिलाया कि भरतपूर की नहर की जो दुर्दशा है उसको निश्चित रूप से सही कराया जाय तब हमें बताया गया कि एक योजना बनायेंगे और उस योजना के द्वारा नहर के सारे बैंक्स को ठीक कराया जायगा, नहर की सड़कों को ठीक कराया जायगा, नहर की सफाई नहीं हुई है, वह सफाई कराई जायगी। भरतपुर की सुजान गंग नहर को नष्ट नहीं होने दिया जायगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है जुलाई का महीना निकल गया, उसके बाद एक सेशन निकल गया, सारा बजट सेशन भी निकल गया लेकिन अभी तक सुजान गंग नहर के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। भरतपुर को अपनी हार पर मरने को छोड़ दिया गया है।

मैंने अलग तौर से मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया और कहा आप इस नहर के सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं तो उनका जो तरीका है मुस्कराने का, मुस्कराहट में कह दिया वह राजबहादुर जी का आश्वासन था वे भारत सरकार के टूरिस्ट मन्त्री थे वे भरतपुर को जापान टाइप बनाना चाहते थे। अब वे भारत सरकार के मन्त्रिमण्डल में नहीं रहे हैं। नेपाल के राजदूत बन गये 15 को जब कुम्हेर में अविश्वास का प्रस्ताव आया तो कहा गया विरोधी दलों को तोड़ दिया जायगा लेकिन वह अविश्वास प्रस्ताव भी पास हो गया। सभापति महोदय आज तक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उस भरतपुर की नहर की एक इन्च भी कोई भी प्रगति नहीं हुई है। इस लिए मेरा निवेदन है कि जुलाई के आश्वासन को ध्यान में रखकर भरतपुर की नहर को दुरुस्त कराइये। मेरा यह भी निवेदन है कि यह नहर दो, चार, पांच हजार में ठीक नहीं होगी इसमें करीब 5 से 8 लाख तक खर्च होगा तभी इस नहर का जीर्णोद्धार हो सकेगा। सारे बैंक्स टूटे हुये पड़े हैं।

(श्री नत्थीसिंह)

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, आपको भी कभी कभी भरतपुर जाना पड़ता है। पानी की समस्या आपके सामने आती है। भरतपुर के लोग इस नहर की दुरस्ती न होने के कारण और पानी न मिलने के कारण तड़फ रहे हैं और गन्दे पानी के प्रवेश के कारण महामारी फैलने का खतरा है लेकिन राज्य सरकार कानों में तेल डाले हुए है। मैं कहना चाहता हूं स्वायत्त शासन मंत्री जी अगर आपने कोई तुरन्त कदम नहीं उठाया तो ये भरतपुर के लोग हैं जो न संसद के पास हुए अश्रुगैस से डरने वाले हैं और न लाठी गोली से डरने वाले हैं, अगर भरतपुर की तरफ यही उपेक्षावृति रही और सही कदम नहीं उठाये तो हम भरतपुर में मन्त्री महोदय आपका घुसना मुश्किल कर देंगे और केवल भरतपुर में ही नहीं बल्कि आपका जयपुर में रहना भी दूभर कर देंगे। आप सही तौर से जो आम लोगों की समस्या है उनके प्रति उपेक्षा-वृत्ति दिखाते हैं यह निराशाजनक है। इसलिए मैं आपका प्रस्ताव के जरिये ध्यान आकर्षित करते हुए आपसे आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से यह घोषणा करेंगे कि भरतपुर की सुजान गंगा नहर को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए, बैंकों को दुबारा बनवाने के लिए, उसके आस पास की सड़क को बनवाने के लिए आप इतने लाख रुपयों का प्रावधान कर रहे हैं और अगली बरसात के पहले पहले जो कि जुलाई में आने वाली है यह सारे काम करा देंगे तभी आप भरतपुर के साथ न्याय कर सकेंगे वर्ना हम कहेंगे कि आपकी कोई औकात नहीं है, कोई आपको पूछता नहीं है। हनुमान जी का ध्यान रखकर मुख्य मन्त्री जी जो भरतपुर में आश्वासन देकर आये थे उस आश्वासन को पूरा करने के लिए भरतपुर की सुजान गंगा को जून तक बनवा दिया जाये—यही मुझे कहना है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये मन्त्री महोदय, का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भीखा भाई (स्वायत्त शासन मन्त्री) : सभापति महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यग्रता और उत्सुकता और चिन्ता प्रकट की है उस प्रकार की चिंता वास्तविक है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। जहां तक भरतपुर के मसले का सवाल है, जहां तक नहर और पीने का पानी का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में भी यही निवेदन करूंगा कि यह मसला राज्य सर-कार के सामने पहले आया, मुख्य मन्त्री जी के सामने आया और तत्कालीन मन्त्री जो पर्यटन के थे श्री राजबहादुर जी उनके सामने भी आया सभापति महोदय, भरतपुर की सारी स्थिति से आप अवगत हैं। भरतपुर एक ऐतिहासिक नगर है और जो वहां का किला है वह भी ऐतिहासिक किला है। वहां की एक खाई है वह भी ऐतिहासिक खाई है और ब्रिटिश हुकूमत के समय में कर्नल लेक या उस समय किले के तोड़ने का सवाल था वह भी सारी ऐतिहासिक चीज बनी हुई है। इसलिये जहां तक उसके महत्व का सवाल है उसके महत्व को कोई इन्कार नहीं कर सकता....

Page No 70

श्री सभापति : प्रश्न भी ऐतिहासिक है और उत्तर भी ऐतिहासिक होना चाहिए।

श्री भीखाभाई : ....और इस सम्बन्ध में विधान सभा के अन्दर भी कई बार इस प्रकार के प्रश्न आये हैं और प्रश्न का जवाब राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया गया है लेकिन मसला बहुत गम्भीर है। गम्भीर इस माने में है कि राजस्थान सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि उस काम को वह पूरा करा सके और साथ ही साथ दूसरी समस्या है वह यह है कि जैसा कि मैंने निवेदन किया कि भरतपुर ऐतिहासिक नगर है और उसकी जो खाई है चारों तरफ वह भी ऐतिहासिक है और उसके साथ में किले की दीवार, खाई के बाद जो सड़क है उसको मरम्मत कराने का काम नगरपालिका का है। नगरपालिका के जिस प्रकार के फण्ड्स हैं, और जिस प्रकार की धनराशि उसको उपलब्ध है उसके अनुसार लगातार इसका प्रयत्न किया गया है। पहले भी जब कि हमारे स्वायत्त शासन विभाग के संचालक वहाँ प्रशासक थे 1962-63 में उस समय भी उन्होंने सड़क को मरम्मत करवाई थी और सड़क का निर्माण कराने के बावजूद भी जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे वह बात सत्य है कि एक तरफ गोपालपुरा, एक तरफ अस्पताल और वहाँ की मोठ टूटी हुई है, दीवार टूटी हुई है और उसके टूटे रहने के कारण से जिसका काम राज्य सरकार अपने हाथ में नहीं ले सकती क्योंकि एक तो आर्केलोजीकल डिपार्टमेन्ट उससे सम्बन्धित है और दूसरा सवाल उठता है कि लगभग 3 लाख रुपये की मरम्मत की आवश्यकता है। 3 लाख रुपये की मरम्मत की जो स्थिति है उसके अन्दर भरतपुर की नगरपालिका नहीं है। और नगरपालिका नहीं देती है और वह इस बात के लिए प्रयास करे और माननीय सदस्य श्री नत्थीसिंहजी और सभापति महोदय आप भी कभी इसकी भावना लेकर राजस्थान फाइनेन्सज को लेकर इसकी चर्चा करें और इसकी स्वीकृति हो भी जाये या पी. डब्लू. डी, के फण्ड्स पास नगरपालिका के और सारे मिलाकर इसका प्रयत्न किया जाये तो यह काम हो सकता है। लेकिन उसमें सवाल यह भी रहेगा कि पुरातत्व विभाग से उसकी स्वीकृति लेने की बात रहेगी और पर्यटन विभाग के बारे में कहा कि भरतपुर एक खूबसूरत नगर बनाया जा सकता है, भरतपुर ट्रस्ट के पास पैसा हो तो उसको चारों तरफ से ब्यूटीफाई किया जा सकता है, सुजान गंगा को वास्तव में सुजान गंगा बनाया जा सकता है और उसके अन्दर किश्ती घुमाई जा सकती है, रोड्स की मरम्मत की जा सकती है, उसके ऊपर फुलवाड़ी बनाई जा सकती है लेकिन सवाल यह है सभापति महोदय कि पैसा नहीं है। नगरपालिका की स्थिति अच्छी नहीं है। ट्रस्ट ने जो काम पिछले दिनों में किया वह भी आपको मालूम है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि जहाँ तक राजस्थान सरकार का सवाल है नगरपालिका को अभी भी कुछ रुपया दिया है और उन्होंने कुछ सड़कें बनवाई लेकिन जैसा माननीय सदस्य कहते हैं कि सड़क बनाने का भी वह काम नहीं कर सकी और वह बेकार हो गया। मैं भी उसको मानता हूं इसलिए सड़कों को

(श्री भीखाभाई)

ठीक कराने के लिए हमें इसका प्रयास करना पड़ेगा कि जो दीवार टूटी हुई है उसका पहले निर्माण कराने की आवश्यकता दीखती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि नगरपालिका की ओर से लगातार भारत सरकार को कई पत्र भेजे गये हैं। पहला पत्र 1967 में, दूसरा 2-12-67 को लिखा गया, तीसरा 3-12-68 को लिखा गया, चौथा 15-7-68 को लिखा गया और पांचवां 9-1-69 को लिखा गया। लेकिन पुरातत्व विभाग की तरफ से सभापति महोदय कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में जिलाधीश भरतपुर ने उन पत्रों का हवाला देते हुए दो बार पत्र लिखे हैं और वह लिखा 13-8-68 को और दूसरा 22-1-69 को उन नगरपालिका के पांचों पत्रों का हवाला देते हुए उन्होंने भी पत्र लिखे है। लेकिन मैं अपनी ओर से केन्द्र के सम्बन्धित मन्त्री महोदय को लिखूंगा पर्यटन मन्त्री को लिखूंगा, पुरातत्व विभाग के मंत्री को भी लिखूंगा। सभापति महोदय इस मामले में मैं आपके सहयोग की भी अपेक्षा करूंगा और माननीय सदस्य के सहयोग की भी अपेक्षा करूंगा। जहां तक मुख्य मन्त्री के आश्वासन देने का प्रश्न है तो हम उससे मुकर नहीं सकते। हमारे केबिनेट स्तर का कोई भी मन्त्री हो और यदि वह कोई आश्वासन देता है तो वह मुकर नहीं सकते। लेकिन एक सवाल उठता है कि यह वित्तीय स्थिति का प्रश्न है और अगर वित्तीय मामले को ठीक किया जा सकता है तो यह काम हो सकता है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका सहयोग है तो इसमें कठिनाई नहीं हो सकती। तो मैं इस समय तो केवल इसी बात का आश्वासन दे सकता हूं, यह नहीं कह सकता कि बरसात के पहले-पहले सारा काम पूरा हो जायेगा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां तक नगरपालिका की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो भी सुधार सफाई का है वह करते रहे हैं और मैं जब भरतपुर जाऊंगा तो इसको देखूंगा और वहां के नागरिकों को बुलाकर बात करूंगा। ट्रस्ट वालों को, पी. डब्लू डी. वालों को, नगपालिका वालों को बात करके मीटिंग का आयोजन करके और भी कार्यवाही कर सकूंगा और साथ ही साथ मैंने यह भी निवेदन किया है कि भारत सरकार के पर्यटन विभाग के मन्त्री और साथ ही साथ पुरातत्व विभाग के मन्त्री से भी लिखूंगा।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी चाहता हूं। एक तो आपने यह कहा है कि पुरातत्व विभाग को कोई चिट्ठी लिखी गयी है और उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या यह सही है कि पुरातत्व विभाग को राजस्थान सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई भी न तो पत्र-व्यवहार किया गया है और न उनके साथ बैठकर कभी विचार ही किया है कि सुजान गंगा के सुधार के लिए कार्य किया जाये। आपने उल्लेख किया है कि नगरपालिका ने चिट्ठियां दीं जिलाधीश ने चिट्ठियां दीं, लेकिन राज्य सरकार ने पुरातत्व विभाग से

(श्री नत्थीसिंह)

इस सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं की, नंबर (१)।

(२) क्या यह सही है कि पुरातत्व विभाग का तो यह कथन है कि इस जगह को साफ करने में और इसके बेंक्स को बनवाने में उन्हें कोई एतराज नहीं है। इस सम्बन्ध में हम भी पुरातत्व विभाग से मिले हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें इस मायने में कोई एतराज नहीं है। सरकार ने इस नहर के बेंक्स को बनवाने के बारे में पुरातत्व विभाग से कोई बातचीत नहीं की।

(३) मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने सब्ज बाग दिखा दिया और मजबूरियां सबको बता दीं। इससे कुछ होने-जाने वाला नहीं है। तीन लाख की बात आप कहते हैं। स्वायत्त शासन विभाग से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने मन्त्री-मण्डल और वित्त विभाग से इस सम्बन्ध में कोई योजना बना कर इस बात के लिए भरतपुर की नगर-पालिका या उसके और से काम किये जाने के लिए पी० डबल्यू० डी० को पैसा दिये जाने की कोई मांग की है? आपके जवाब से मालूम होता है कि विभाग ने कोई मांग नहीं की है। यह बात सही है कि नगर-पालिका के पास अपने साधन नहीं हो सकते हैं। राजस्थान सरकार लाखों रुपये लगाकर उदयपुर में पार्क बना सकती है और आप हनुमान जी का मन्दिर बनवाने में लाखों रुपया खर्चा कर सकते हैं लेकिन भरतपुर जो आपको इतनी रेवेन्यू देता है और इतना अन्न उत्पादन करता है उसमें उसकी नहर को बनवाने के लिए, नष्ट होने से बचाने के लिये, उसके जन-जीवन को बचाने के लिए राज्य सरकार के मन्त्री मण्डल के समक्ष आपने सारा मामला रखकर ३ लाख रुपये वित्त विभाग से मन्जूर कराकर नगरपालिका को विशेष अनुदान दिलाकर उसको कराने के लिए कोई कदम उठाना चाहते हैं? हमारा सहयोग आपको मिलेगा! माननीय सभापति महोदय, हमारा सहयोग तो आपको है लेकिन आपका सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। मैं साफ बात कहता हूं कि आपको जागरुक होना चाहिए और इतनी कुंभकर्णी नींद में न सोयें। आपके हनुमानजी में कितनी शक्ति थी तो आपको हनुमानजी की तरह से अपने बल को देखना चाहिए और हम जामवन्त का काम कर रहे हैं और आपकी शक्ति का आभास दे रहे हैं। आपको वित्त मन्त्रीजी और मन्त्री-मण्डल के सामने कहना चाहिए। अगर कहीं आप इस भरतपुर की नहर को न बचा सके और भरतपुर पीने के पानी से वंचित रह गया तो आपके मन्त्री-मण्डल में रहने का कोई महत्व नहीं है। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सहयोग तो होगा ही। इस तरह से काम करेंगे आप तो वह होगा इस प्रश्न का जवाब यहां दे दिया और भाषण दे दिया उसमे कुछ नहीं होने का है। भरतपुर नहर के बनने और न बनने पर निर्भर करता है। भाषण आपका जो कुछ है उससे कुछ नहीं होने का है। स्पष्ट रूप से आप जवाब दें कि मन्त्री-मण्डल में इसको रखकर योजना के रूप में इस नहर को पूरा करायेंगे, यह आश्वासन देने की स्थिति में आप हैं कि नहीं?

Page No 73

श्री भीखा भाई : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि क्या राजस्थान सरकार ने पुरातत्व विभाग भारत सरकार को लिखे हैं पत्र तो मैंने अपने जवाब के अन्दर इस बात से सही सही इन्कार कर दिया है कि राज्य सरकार के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, लेकिन नगरपालिका ने ५ पत्र लिखे और जिलाधीश के द्वारा २ पत्र लिखे गये हैं। मैंने निवेदन किया है कि इस बारे में मैं दो मन्त्रियों को पत्र लिखूंगा और उसके बारे में जो कार्यवाही हो सकेगी वह की जायगी।

जहां तक पुरातत्व विभाग का सम्बन्ध है इसके लिए मैंने निवेदन किया है कि तीन लाख का खर्चा होता है और इस काम के लिए भारत सरकार के तत्कालीन मन्त्री थे उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी को कि वहां पर जो खर्चा होगा वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पर्यटन विभाग से दिलवाया जायगा, और उसका सारा प्रबन्ध किया जायगा। उस आधार पर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था........

श्री नत्थीसिंह : दो जुलाई को दिया है।

श्री भीखाभाई : उस आश्वासन से भुलाने को हम तैयार नहीं हैं....

श्री नत्थीसिंह : २ जुलाई को आश्वासन दिया गया है उसके लिए कह रहा हूं। पुराने आश्वासन की बात नहीं कह रहा हूं। भरतपुर में जाकर मुख्य मन्त्रीजी ने जो आश्वासन दिया है उसके लिए कह रहा हूं।

श्री भीखा भाई : आश्वासन से मुकर थोड़े ही रहा हूं।

श्री नत्थीसिंह : मुकर तो रहे ही हैं।

श्री भीखा भाई : मैंने आपसे कहा है कि उससे इन्कार नहीं किया है। यह जो खर्चा है वह भारत सरकार देगी और इसको करने के लिए कब तक सभी विभागों का कोआर्डिनेशन नहीं हो तब तक यह काम नहीं हो सकता है।

श्री नत्थीसिंह : आपको आर्डिनेशन करके कुछ करेंगे भी या भाषण देकर ही रह जायेंगे ?

श्री भीखा भाई : को आर्डिनेशन करने का पूरा प्रयत्न करूंगा मैंने यह बात कही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हनुमान जी सौगन्ध खायें।

सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष फ्लड कन्ट्रोल के लिए अलवर और भरतपुर को जो एलोकेशन हुआ है तो क्या इस नहर की मरम्मत के लिए जो फ्लड का पैसा आया था उसमें कोई एलोकेशन नहीं हुआ था ?

श्री मूलचन्द डागा : यह इरिगेशन डिपार्टमेन्ट से पूछिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टेक्निकल तरीके से नहर नगरपालिका के पुराने कागजों में उल्लेख हो सकता है, लेकिन पिछले साल के पहले भी फ्लड आया था उस समय भी नगरपालिका की पोजीशन फ्लड को कन्ट्रोल करने की नहीं थी और न ही नहर का उपयोग करने की है । अच्छा हो कि सिंचाई विभाग उस नहर को ले ले । फ्लड कन्ट्रोल में उस नहर का नुकसान हुआ था तो फ्लड एलोकेशन में से उसको पैसा मिलना चाहिए था । मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री को आया उसका पता है कि नहीं है कि फ्लड कन्ट्रोल के लिए जो एलोकेशन पिछले साल आपको मिला था उसमें उस नहर के लिए मिला या नहीं ? नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला ? आपने क्लेम किया था ।

श्री भीखाभाई : फ्लड कन्ट्रोल के बारे में जो आमतौर से पैसा मिलता है वह इरिगेशन डिपार्टमेंट के वर्क्स के लिए मिलता है । जहां तक यह सवाल है मैंने आपसे कहा है कि यह नहर आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेंट के अन्तर्गत है ।

श्री नत्थीसिंह : उसके कारण ही तो फ्लड की स्थिति बनी थी ।

श्री भीखाभाई : अगर वे राजस्थान गवर्नमेंट को देने को तैयार हों तो राजस्थान सरकार अपनी तरफ से खर्चा करके काम करेगी । आयन्दा भी यह बात हो जाय तो मैंने निवेदन किया है कि भारत सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं और उसके पश्चात् यह हो जाय तो राजस्थान सरकार काम कर सकती है और वह उसकी प्रोपर्टी रहेगी । यह बात वन्स-फार आॅल दिस हैज गाट टू बी डिसाइडेड ।

श्री सभापति : नेक्स्ट आइटम आफ एजेन्डा, विधायी कार्य । श्री रामकिशोर व्यास ।

विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1970

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : निम्नांकित सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सूचना दी है ।

(1) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (वि.सं. 164)
(2) श्री मूलचन्द्र डागा (वि. सं. 113)
(3) श्री वृद्धिचन्द्र जैन (वि. सं. 86)
(4) श्री कृष्णकुमार गोयल (वि. सं. 16)
(5) श्री श्रवणलाल (वि. सं. 161)
(6) श्री रामचन्द्र आर्य (वि. सं. 130)
(7) श्री हरजीराम बुरड़क (वि. सं. 174)
(8) श्री रामनन्द अग्रवाल (वि. सं. 137)
(9) श्री शिवनाथसिंह (वि. सं. 158)
(10) श्री कल्याणमल मीणा (वि. सं. 12)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल आदि)

(11) श्री देवीदत्त गाडिया (वि. सं. 52)
(12) श्री ओमदत्त भाटी (वि. सं. 9)
(13) श्री शंकरलाल जाट (वि. सं. 153)
(14) श्री किशनलाल वर्मा (वि. सं. 19)
(15) श्री भगवानदास शास्त्री (वि. सं. 93)
(16) श्री रामनारायण चौधरी (वि.सं.133)
(17) श्री केदारनाथ (वि. सं. 20)

ने क्रमशः प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि–

(1) " राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1970 को तीन माह/एक माह/ छः माह/ तीन माह/ एक माह/तीन माह/ एक माह/तीन माह/एक माह/ के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

(1) श्री दुर्गालाल बाढ़दार (वि. सं. 50)
(2) श्री रघुनाथ विश्नोई (वि. सं. 121)
(3) श्री पृथ्वीसिंह (वि. सं. 75)
(4) श्री यशवन्तसिंह नाहर (वि. सं. 120)

ने क्रमशः प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:–

(2) "राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1970 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह/ तीन दिन/ एक माह/ दो माह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, आप यह जो ला रहे हैं संशोधन वह मेरी समझ में नहीं आया है। आप कहते हैं—

"The State Government shall prescribe the qualifications of persons who shall be eligible for appointment as Chairman and Member of the Board,"

आगे और रूल्स आपको बनाने जरूरी होंगे। आप इसके अन्दर जो संशोधन ला रहे हैं

Page No 76

(श्री मूलचन्द डागा)

उसको मैं नहीं समझ सका । यह अमेंडमेंट अधूरा है और दुबारा लाने की जरूरत आपको इसमें पड़ेगी । रेवेन्यू लॉ कमीशन ने जो इस पर अपनी राय दी है उसको आप मानने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं ? उन्होंने यह रिकमण्ड किया है—

"These recommendations are embodied in clause 42 of the Draft Bill, sub-clause (1) to (5) of which are as follows :—

1. Every Member of the Revenue Board shall be appointed by the Governor on the recommendation of a Committee consisting of the Chief Justice of the High Court of Judicature for Rajasthan, the Chairman of the Rajasthan Public Service Commission and the Chief Secretary of the State Government.

2. The Chief Justice shall be the Chairman of the said Committee and shall preside over its meetings.

3. A person shall not be qualified for appointment as a Member of the Revenue Board unless he—

(a) has worked as an officer in the Indian Administrative Service for at least 10 years including for at least 3 years as Colector in the State,

(b) has for at least ten years, held a judicial office in the State,

(c) has, for at least ten years, been an Advocate of the High Court of Judicature for Rajasthan."

जब यह सारा है तो फिर आपने क्यों बना दिया इतना अधूरा कानून—

"The State Government shall prescribe the qualification of persons who shall be eligible for appointment as Chairman and Members of the Board..."

इसका मतलब यह है कि आपके रूल्स अलग बनेंगे और रूल्स बनने के बाद लागू किये जायेंगे । यह क्यों ? जो कुछ आलरेडी एक ड्राफ्ट बना हुआ है उसको आपने क्यों नहीं एप्रूव किया है । यह मेरी समझ में नहीं आया कि आप इस काम में डिले क्यों करना चाहते हैं । कई बार ऐसा हो गया है । आज भी रेवेन्यू बोर्ड में हजारों मुकदमात पैंडिंग हैं, और हम यह मान चुके हैं कि रेवेन्यू बोर्ड मैनेजमेंट पैंडिंग इसलिये है कि वहां पर आपने माना है कि जुडिशियरी का जिनको एक्सपीरियन्स नहीं है और जो काम नहीं करना जानते हैं वे लोग आगे बढ़ जाते हैं और आप उनको वहां पर बिठला देते हैं ।

जो आदमी कहीं फिट नहीं होता है, उसको आप रेवेन्यू बोर्ड में भेजते हैं । यह ऑर्डिनेन्स निकालने की जरूरत क्यों पैदा हुई ? ऑर्डिनेन्स निकला तो जो संशोधन

(श्री मूलचन्द डागा)

किया है, उसका मतलब यह होगा कि रूल्स अलग बनेंगे ।

"The State Government shall prescribe the qualifications of persons.........."

यह आलरेडी आपने प्रेस्क्राइब्ड किया है । क्या रेवेन्यू मिनिस्टर इस का जवाब देंगे ? यह ड्राफ्ट बनाया हैं, पी. ए.–2, के अन्दर या गवर्नमेंट की ओर क्या मंशा है । इसमें भी अमेंडमेंट किया जाय ।

तो यह जो आपने क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड की हैं या ओर भी इसमें एमेंडमेंट रखना है ? इसमें आप का परपज क्या था ? परपज होने के बाद एमेंडमेंट किया है वह भी अधूरा है जबकि आप रूल्स के अन्दर वह बातें नहीं लाते हैं । कौन सा आज गवर्नमेंट के सामने रास्ता खोल दिया है ? जो डिटेल्ड स्टडी करके रिपोर्ट तैयार की जज की ? मैं तो कहता हूँ कि रेवेन्यू बोर्ड में दो विंग होने चाहिए । एक एक्जीक्यूटिव विंग होना चाहिए और दूसरा जुडिशियरी विंग होना चाहिए । मैंने पाली के बारे में कहा है । वहाँ के तहसीलदार ने 4000 एलॉटमेंट गलत किये हैं । वह सस्पेन्ड हुए । मि० भटनागर थे उनके लिए कहा गया कि हटा दिया गया है लेकिन वह हटे नहीं है । आज भी क्वेश्चन अवर्स में कई शिकायतें हुईं । कई बार यह देखने में आता है कि हमारे रेवेन्यू अधिकारी जानबूझकर गलत काम करते हैं । रेवेन्यू बोर्ड में एक काम होना चाहिए, या तो एक्जीक्यूटिव का होना चाहिए या जुडिशियरी का हो । दोनों काम करना चाहते है तो एफीशिएण्ट नहीं हो सकते हैं । हम जो चाहते हैं........

श्री रामचन्द्र आर्य : आप बहुत बढ़ गये हैं । इतना ही रहने दो । और नहीं बढ़ें । (हँसी)

श्री मूलचन्द डागा : हाँ मैं बहुत बढ़ गया हूँ । इसीलिए मैं कहता हूं कि संशोधन अधूरा है । इसमें क्वालिफिकेशन निर्धारित करनी चाहिए अन्यथा गवर्नमेंट और कोई बात निकालेगी । यह मालूम नहीं हुआ है । डेलीगेशन्स होंगे वह गवर्नमेंट के पास आयेंगे । आपने डेलीगेट किया है । मैं चाहता हूं इस पर विचार करें ।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक जनमत जानने के लिए, मैंने संशोधन प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है, उसके बारे में अपने विचार सदन में रखना चाहता हूं । बार-बार विरोधी पार्टी के सदस्यों की ओर से एक आवाज उठाई जाती है कि ऑर्डिनेंस का प्रयोग गवर्नमेंट पार्टी को हर समय नहीं करना चाहिए । मैं भी यह देखता हूं कि बार-बार यह आवाज उठाई जाती है । इस आवाज में कुछ वजन है । कितने वर्षों से आप का रेवेन्यू बोर्ड का नक्शा चल रहा था । इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता बहुत पहले से थी । एकदम आपने ऑर्डिनेन्स पास किया । यह गलत परम्परा है । जबकि हम प्रजातन्त्र में रहना चाहते हैं तो उसकी

Page No 78

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

परम्पराओं को मजबूत करना चाहिए। आर्डिनेन्स द्वारा कानून बनाने के कार्य को काम में नहीं लेना चाहिए। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे आयन्दा आर्डिनेन्स को काम में नहीं लें। 26 फरवरी से यह एक्ट फोर्स में आने का प्रावधान रखा गया है। प्रश्न यह है कि अगर यह बिल पहले आ जाता तो इस अमेंडमेंट को रखने की आवश्यकता नहीं थी। सदन पहले ही बुलाना चाहिए था। 26 फरवरी से पहले ही बुलाना चाहिए था। 9 मार्च से सदन को बुलाया गया। इसके लिए गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए।

श्री सभापति : आर्डिनेन्स तो लैप्स हो गया तब ही तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इस कानून को देना चाहते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वह तो है, मैं जानता हूं, इसलिए ही इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी। अगर संशोधन बिल पहले लाया जाता तो इस आर्डिनेन्स की आवश्यकता नहीं होती।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड का गठन है उसके बारे में बराबर सदन मे आलोचना होती आ रही। यह जो अमेंडमेंट रखा गया है इस अमेंडमेंट के जरिये गवर्नमेंट कुछ रेवेन्यू बोर्ड में सुधार करना चाहती है। यह एक प्रगतिशील कदम है, हम इसकी सराहना भी करना चाहते हैं। इसमें जो आब्जेक्ट्स में बतलाया गया है उसमें यह विशेष तौर से कहा गया है कि जुडिसियरी का व्यक्ति इसमें लिया जायगा। हाई कोर्ट के जुडिसियल एक्सपीरियेन्स के एक एडवोकेट को भी मेम्बर के रूप में लिया जायगा। इस प्रकार का एडवोकेट रेवेन्यू बोर्ड में मैम्बर के रूप में लिया जायगा—यह प्राविजन इसमें रखा है। मेरा निवेदन है कि जो एडवोकेट लिया जाय, वह इस तरह के स्ट्रेचर का हो, जो हाई-कोर्ट का जज होने के लायक हो, इसमें ऐसा नहीं हो कि राजनैतिक आधार पर हाई कोर्ट के किसी एडवोकेट को लिया जाय। इससे जो रेवेन्यू बोर्ड के कार्य में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं उसके बजाय नुकसान ज्यादा हो जायगा। इसलिए एडवोकेट के लिए जो प्रावधान रखा है उसका किसी भी राजनैतिक आधार पर सलेक्शन नहीं किया जाना चाहिए-यह गवर्नमेंट को विशेष तौर से देखना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के, जुडिसियरी के व्यक्ति के लिए इसमें प्राविजन रखा है। लेकिन जो आवश्यक मालूम पड़ता है, इसमें हाई कोर्ट के जुडिसियरी के दो जज लिये जायं, तो उपयुक्त होगा। जो पाँच मेम्बर्स रेवेन्यू बोर्ड के होते हैं, इन पाँच मेम्बर्स में से दो तो हाई कोर्ट के जज बनने की कैपिसिटी के व्यक्ति हों और एक एडवोकेट हो और दो दूसरे व्यक्ति हों जो इस प्रकार के हों जिनको रेवेन्यू लाज की नालेज हो चाहे वह कलेक्टर रहे हों पाँच छः साल तक या एस. डी. ओ. रहे हों, नहीं तो यह पाया जाता है कि जो रेवेन्यू बोर्ड में मेम्बर्स लिये

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जाते हैं वह ऐसे लिये जाते हैं जिन्हें रेवेन्यू लाज की जानकारी नहीं होती है और वह रेवेन्यू बोर्ड में फिट नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति ले लिये जाते हैं जो कि जजमेंट तक नहीं लिख सकते हैं और उनके जजमेंट से जो प्रिसिडेन्ट बनता है वह अच्छा नहीं बनता है। इसलिए इसके सम्बन्ध में ध्यान रखना चाहिए कि जो रेवेन्यू बोर्ड के चेअरमैन या मैम्बर्स लिये जायं, वह रेवेन्यू लाज की नालेज रखते हों, वह रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर हों। मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करता हूं कि जो गवर्नमेंट ने पावर्स ली हैं और उन पावर्स के अन्तर्गत है कि दि स्टेट गवर्नमेंट शेल प्रेस्क्राइब रूल्स, गवर्नमेंट के हाथ में रूल्स बनाने की पावर है तो गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी रूल्स बनाये, और मैंने जो विचार रखे हैं उनको दृष्टि में रखते हुए रूल्स बनाये जायं रेवेन्यू बोर्ड का काम सुचारु रूप से चल सकेगा और जनता को न्याय और इन्साफ मिल सकेगा !

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय, आज से एक वर्ष पूर्व इसी विधान सभा के अन्दर रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर और चेअरमेन के प्रश्न को लेकर वाद विवाद हुआ था और सब ओर से, पक्ष और विपक्ष-दोनों ओर इस प्रकार की मान्यता थी कि माननीय श्यामलालजी की चेअरमैनशिप के बाद से रेवेन्यू बोर्ड का स्तर शनैः शनैः गिरता जा रहा है और उसका एकमात्र कारण यह है कि रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर जो चेअरमैन और मेम्बर्स नियुक्त किये जाते हैं वह योग्यता और अनुभव के आधार पर न होकर राजनैतिक आधार पर किये जाते हैं.... ...

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खंडार सु) : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बल्कि यहां तक कहा गया था कि जो आई, ए. एस. आफिसर्स का रिजेक्टेड मैटिरियल है....

श्री सभापति : कितना है कोरम ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वह रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर मेम्बर लिये जाते हैं....

श्री सभापति : स्वतंत्र पार्टी के मेम्बर ने कोरम का प्रश्न खड़ा किया है।

माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें। कोरम का प्रश्न खड़ा किया है। कोरम का अभाव है ?

श्री चुन्नीलाल जेलिया : कोरम का अभाव है।

श्री सभापति : कितना है कोरम ?

श्री चुन्नीलाल जेलिया : 18 !

श्री कृष्णकुमार गोयल : बैठो, बैठो।

श्री सभापति : 18 सदस्य का कोरम है—यह तो मालूम है न ? 18 सदस्य मौजूद हैं। यस !

Page No 80

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति जी, जिस समय इस पर चर्चा चली थी, तो राज्य सरकार की ओर से आज से एक वर्ष पूर्व यह स्पष्ट आश्वासन विधान सभा में दिया गया था कि राज्य सरकार तुरन्त एक इस प्रकार का विधेयक लेकर इस विधान सभा में आने वाली है कि राजस्थान हाई कोर्ट के जजेज और हाईकोर्ट के अन्दर प्रेक्टिसिंग एडवोकेट, जिनको कानून के बारे में ज्ञान हो, जो टेनेन्सी लाज से पूर्णतया परिचित हों-ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जायगी। इस प्रकार का एक बिल राज्य सरकार सदन के अन्दर लेकर आई है लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एक वर्ष के उपरान्त पहले आर्डिनेन्स का सहारा लिया, वह आर्डिनेन्स लेप्स हुआ और आज यह बिल लेकर इस सदन के अन्दर राज्य सरकार आई है, लेकिन सभापति जी, आप देखेंगे कि जो बिल लाया गया है, जिस मन्शा से इस बिल को लाना था, मैं यह कहूंगा कि यह बिल भी लूला लंगड़ा है। राज्य सरकार आज अपने आपके अन्दर स्पष्ट नहीं है कि इस बिल के अन्दर जो अपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में देती है उसी के आधार पर आज यह बिल सदन में लेकर आई है ? मैं इसलिए, सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट लिखा है :

"The question about the reorganisation of the Board so as to induct persons having legal or judicial knowledge and experience into it was under active considertion of the Government. At present only an officer of the Indian Administrative Service having experience of atleast 12 years is eligible for appointment as member of the Board. The Government proposed to make a member of the Rajasthan Higher Judicial Service and an advocate of High- court also eligible to be appointed as a member of the Board, and as such it is necssary to lay down the qualifications eligibility and conditions of service of the members of the Board."

आब्जेक्ट्स, एण्ड रीजन्स के अन्दर स्पष्ट रूप से लिखा है लेकिन जो धारा पांच है अभी विद्यमान, धारा ४, उसके अन्दर जो संशोधन चाहा गया है, इसी मन्शा से चाहा गया है कि जो आज तक की व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदल कर राज्य सरकार स्पष्ट रूप से अपने आप में साफ है कि वहां पर हायर जुडिशियल सर्विस के लोग और प्रेक्टिसिंग एडवोकेट हाई कोर्ट के ही केवल अपाइन्ट किये जांय। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज जो व्यवस्था लेकर आये हैं और जो बिल के अन्दर संशोधन सेक्शन चार में किया है, यह तो जो पुरानी व्यवस्था थी, सेक्शन चार में, उससे घटिया है, उससे लूला लंगड़ा है। सभापति जी, जोपहले सेक्शन ४ था, मैं समझता हूं वह कम से कम वेग नहीं था, अपने आप में बहुत

(श्री कृष्णकुमार गोयाल)

स्पष्ट था, उसमें जो राज्य सरकार की मन्शा थी वह स्पष्ट दिखाई देती थी :

A person shall not be qualified for appointment as member of the Board unless he has worked as an officer in the Indian Administrative Service for atleast 12 years.

आई. ए. एस. जिनकी बारह साल की सर्विस हो और अनुभव हो उससे कम की योग्यता के लोग इस रेवेन्यू बोर्ड में मेम्बर नहीं लिए जायेंगे। यह बहुत स्पष्ट था। लेकिन यह कानून संशोधन के रूप में लाया गया है इसमें बड़े वेग रूप में रखा गया है, इसमें राज्य सरकार आज कह रही है :

"The State Government shall prescribe qualifications of persons who shall be eligible for appointment as Chairman and members of the Board, the method of their selection for appointment and the condition of their service."

इस प्रकार से वेग रूप के अन्दर इस संशोधन धारा को रखना चाहते हैं। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा होता आपने इस धारा ४ का संशोधन इस प्रकार से किया होता कि कोई भी व्यक्ति रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह हायर जुडिशियल सर्विस व्यक्ति नहीं हो अथवा दस साल की जिसकी रेगुलर प्रेक्टिस हाई कोर्ट की नहीं हो और यह करके आप सिलेक्शन करने के नियम की बात करते, लेकिन नियम के सवाल पर आप सब बातों को, प्रश्नों को वेग रूप में रखना चाहते हैं एक्ट में यह साफ नहीं है। एक्ट इस बात को नहीं कहना चाहते हैं। वास्तव में राज्य सरकार की मन्शा स्पष्ट है कि केवल हायर जुडिशियल सर्विस के लोगों को और प्रेक्टिसिंग एडवोकेट्स को रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर बनायेंगे लेकिन धारा में यह कुछ नहीं कहते। कोई व्यक्ति आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को पढ़ेगा तो वह कह सकता है कि राज्य सरकार की मन्शा आब्जेक्ट्स में यह है, रीजन्स में यह है लेकिन यह धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि राज्य सरकार की मन्शा क्या हैं? इसलिए, सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी में बिल बनाना उचित नहीं है, इसलिए राज्य सरकार इसको वापिस ले या इसको सिलेक्ट कमेटी के अन्दर भेजे। मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाय। अगर इसको जनमत जानने के लिए नहीं भेजते हैं तो इसको सिलेक्ट कमेटी के अन्दर भेज दीजिये क्योंकि यह एक अपंग बिल लेकर आये हैं और राज्य सरकार की मन्शा इसकी धाराओं में स्पष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसा बिल इस विधान सभा से पास नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय, प्रश्न केवल रेवेन्यू बोर्ड का नहीं है, रेवेन्यू बोर्ड लास्ट अपीलेट और रिवीजन आथोरिटी है, लेकिन नीचे

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

के रेवेन्यू कोर्ट का ढांचा है, आज उस पर भी विचार करना चाहिए। आज रेवेन्यू की अपीलेट आथोरिटी है, जिसके पास राजस्व की अपील को सुनने का अधिकार है उसके पास में दूसरा कोई प्रशासनिक कार्य नहीं है। उसके पास कोई काम है तो वह एक्ट के अधीन अपील लाई करती है, रिवीजन लाई करता है, केवल उसी पर फैसला देगा। मैं समझता हूँ कि उनकी भी जुडिशियल एप्रोच होना आवश्यक है, वह भी जुडिशियल माइन्डेड हों। आज आर. ए एस. आफिसर या आई. ए. एस. आफिसर रखे जायं जिनका जुडिशियल एप्रोच नहीं हो तो मैं समझता हूं, यह उचित नहीं है। तो राज्य सरकार रेवेन्यू बोर्ड के बारे में अपनी मान्यता बना कर बिल लेकर आई है तो आवश्यकता इस बात की है कि अपीलेट अथोरिटी के बारे में विशेष तौर पर विचार करे कि किस प्रकार ऐसे व्यक्ति को अपाइन्ट किया जाय जिसका जुडिशियल एप्रोच हो। सभापतिजी, आपको अच्छी तरह से मालूम है, जयपुर आपका क्षेत्र है, यहाँ पर स्थिति क्या है। आज जो रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी यहां पर है, उसमें जो रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी के मेम्बर हैं वह विश्वम्भरसिंह जी हैं, इन विश्वम्भरसिंह के बारे में मैं ज्यादा नुक्ता चीनी नहीं करना चाहूंगा। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूँगा, कभी राज्य सरकार ने इस प्रकार की जानकारी की है, कि इस अदालत के खिलाफ कितनी ट्रान्सफर एप्लीकेशन हुई हैं? जैसा मेरी नालेज में है, दर्जनों की संख्या से भी अधिक आज रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर ट्रान्सफर एप्लीकेशन पैंडिंग पड़ी हुई है और जितनी भी, सभापति जी, यह ट्रान्सफर एप्लीकेशन्स हैं उनके अन्दर एक से अधिक कारण नहीं बताया गया है। जितनी भी ट्रान्सफर एप्लीकेशन दी गई हैं रेवेन्यू बोर्ड को और जिनमें स्टे दिया गया है, उनके साथ में एक एफीडेविट भी दिया गया है, जिनमें एक कारण बताया गया है कि अमुक केस में सुरेन्द्र व्यास को एडवोकेट एंगेज किया गया है, और सुरेंद्र व्यास को एडवोकेट एंगेज करने का नाम लेकर रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर ट्रान्सफर एप्लीकेशन दी गई है। मैं समझता हूँ, इसमें कुछ दाल में काला है। आखिर क्या कारण है कि जितनी ट्रान्सफर एप्लीकेशन होती है और जिनमें से कुछ में रेवेन्यू बोर्ड ने स्टे दिया है, उसमें जो लर्नेड एडवोकेट्स ने प्राथना पत्र दिया है उसमें यह लिखा है कि सुरेन्द्र व्यास अमुक पार्टी की तरफ से अमुक मामले में एंगेज हैं और वह अपना प्रभाव डालते हैं। और इस बिना पर ट्रान्सफर एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती हैं। और स्टे मन्जूर किये जाते हैं। और सभापतिजी, यह कहना बहुत साफ है, स्पष्ट कहना है, इस पर राज्य सरकार को आंख नहीं मींचनी चाहिये। आखिर यह विश्म्भरसिंह है कौन? यह श्री विश्म्भरसिंह 1962 में मालपुरा में एस. डी. ओ. थे, जब 62 में आम चुनाव हुए थे और दामोदरजी चुनाव लड़े थे और चुनाव हारे थे यह राजस्थान की जनता जानती है। इस सम्बन्ध में उस समय राजस्थान विधान सभा में प्रश्न भी आया था और उस पर बहस हुई थी, उस समय इन्होंने दफा 107 सी. आर. पी. सी. के तहत लोगों के खिलाफ झूठे कैसेज दर्ज किये थे और प्रतिद्विन्द्वी उम्मीदवार के

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

समर्थक लोगों को उलझाया था ताकि वे वे लोग उस उम्मीदवार का प्रचार न कर सकें, आज उन्हीं विश्वभरसिंह को जयपुर में रेवेन्यू अपीलेट अथॅरिटी बनाकर बैठा रखा है।

कुछ दिनों पहले अलवर से आने वाले माननीय सदस्य श्री बद्रीप्रसाद जी ने इनके सम्बन्ध में अलवर के बारे में, कहा था। यहाँ अलवर के बारे में, जयपुर के बारे में चर्चा की थी कि जब ये अलवर सर्किट कोर्ट को लेकर गये थे तो 6 केसेज में श्री सतीश कुमार शर्मा जो कि विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य रहे हुए हैं वे उन 6 केसेज में एडवोकेट थे। आज तक इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई होगी जैसी, इसमें हुई। जैसे ही वे कोर्ट के सामने पेश होते हैं, उन्होंने कहा इन 6 केसेज में मेरी हाजरी लिख ली जाय। मुझे इन केसेज में बहस नहीं करनी है क्योंकि संबंधित पार्टी ने आपसे बात कर ली है, आपसे सम्पर्क स्थापित कर लिया है। इससे अधिक लांछन किसी अदालत पर और क्या हो सकता है। क्या राज्य सरकार ने इस पर विचार किया है? उन्हीं विश्वभरसिंह जी को रेवेन्यू अपीलेंट अथॅरिटी बना कर जयपुर में बैठा रखा है। क्या इसी प्रकार से आप किसानों को इन्साफ देना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि रेवेन्यू अपीलेंट अथॅरिटी से एस. डी. ओ. की अदालत तक रेवेन्यू केसेज जाते हैं। आज हजारों केसेज एस. डी. ओ. के पास पड़े हुए हैं। रोजाना तारीखें पलटी जाती हैं, सहादतें देने लोग जाते हैं, सालों तक उनके केसेज के फैसले नहीं होते हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को और राजस्व विभाग को विचार करना चाहिये कि मुफस्सिल कोर्ट पर वर्क लोड ज्यादा नहीं हो ताकि वे जल्दी से केसेज को डिसाइड कर सकें, किसानों को जिससे राहत मिले और अधिकार प्राप्त हो जायं।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपने रेवेन्यू लॉ को इतना काम्प्लिकेटेड बना दिया है कि साधारण किसान नहीं जानता कि किस अदालत में जाऊं। कोटा की मिसाल में आपके सामने रखूं। कोटा में कोलोनाइजेशन का ऐसा भूलभलैया फैला रखा है कि किसान सोचता है कि मैं रेवेन्यू के तहसीलदार के पास जाऊं या कालोनाइजेशन के तहसीलदार के पास जाऊं। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम इस भूल भलैयां को दूर करें, रेवेन्यू और कोलोनाइजेशन का तहसीलदार एक ही हो, डुप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है। रेवेन्यू का तहसीलदार एक और कोलोनाइजेशन का तहसीलदार दूसरी और, आखिर वह किसान कहां कहां भटकेगा, रेवेन्यू के तहसीलदार के पास जाता है तो वह कहता है कि कोलोनाइजेशन के तहसीलदार के पास जाओ और कोलोनाइजेशन के तहसीलदार के पास जाता है तो वह कहता है कि रेवेन्यू के तहसीलदार के पास जाओ। इस तरह किसान को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

किसानों की क्या कहें, जब हम यहां विधान सभा में प्रश्न पूछते हैं तो राजस्व विभाग को प्रश्न लिख देते है, इस पर इस विधान सभा में राजस्व मन्त्रीजी की तरफ से कहा जाता है कि यह प्रश्न कोलोनाइजेशन से सम्बन्धित है। कोई किसान अपनी काश्त की जमीन पर मकान बनाना चाहता है और इस काश्त की जमीन को आबादी लैंड में कन्वर्ट करवाना चाहता है तो किसके पास जाय, इस तरह के मामलों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो मेरा निवेदन है कि रेवेन्यू और कोलोनाइजेशन में कन्फ्यूजन नहीं रहें। इसलिए इन दोनों का एक तहसीलदार रखा जाय हां आप अपीलेंट आथोरिटी और दूसरी रख सकते हैं पर कोलोनाइजेशन और रेवेन्यू का तहसीलदार एक ही रहना चाहिये।

राजस्थान सरकार पिछले बजट में घोषणा कर चुकी है कि एग्रीकल्चर लेंड को आबादी भूमि में कन्वर्ट करने के लिये हम तुरन्त रूल्स बना रहे हैं पर आपने कौनसे रूल्स बनाये हैं? आज तक आपने इसके कोई रूल्स नहीं बनाये और इसका परिणाम यह है कि एक ईमानदार आदमी यह चाहता है कि अपनी काश्त की जमीन में मकान बनावे पर वह तरस रहा है। और दूसरी तरफ चालाक आदमी है,- जिनको मास्टर प्लान का ज्ञान है, हांलाकि आपके मास्टर प्लान नहीं बने फिर भी आपको मास्टर प्लान्स का उन्हें ज्ञान है वे लोग शनैः शनैः अपनी एग्रीकल्चर लेंडस को बेच कर पैसा कमा रहे हैं, उन जमीनों पर कन्स्ट्रक्शन होते चले जा रहे हैं और यह राजस्थान सरकार अपंग होकर बैठी है। राजस्थान सरकार की हिम्मत नहीं हैं कि एक बार एग्रीकल्चर लेंड पर मकान बन जायं तो उनको डिस्पेंटल कर दे। आपको आज नहीं तो ५ साल बाद, १० साल बाद उन्हें रेगुलेराइज करना होगा तो आज आपको क्या दिक्कत है कि काश्त की लेंड को आबादी भूमि कन्वर्ट करने के रूल्स आप बना दें ?

इस बिल के सम्बन्ध में अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इसको पास करने में जल्दबाजी न करें क्योंकि आपकी जो मन्शा है है वह इस बिल की धाराओं में स्पष्ट नहीं है। इस लिए जो भी आप चाहते हैं, वह आप इस बिल की धाराओं में लाइये, फिर आप सिलेक्ट कमेटी में जाइये और दुबारा बिल लेकर आइये। आवश्यकता तो इस बात की है कि राजस्थान की आज की बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए, एग्जास्टिव रूप से, पूर्णरूप से आप एक नया लैंड रेवेन्यू एक्ट लेकर सदन में आये। अगर आप रेवेन्यू बोर्ड की स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो कम से कम इस धारा को लेकर नहीं आयें, जो कि लंगड़ी है, लूली है और वेग है........

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र आर्य।

(अनुपस्थित)

Page No 85

(श्री सभापति)

श्री हरजीराम बुरड़क :

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल :

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह :

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : सभापति महोदय, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में अमेंडमेंट बिल लाया गया है और जिस भावना से लाया गया है, उस भावना का तो मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि राजस्थान सरकार की यह नीति रही है और इस बिल को लाने के पीछे भी राज्य सरकार का यह इरादा है कि जुडिशियल सर्विस के आदमियों को रेवेन्यू बोर्ड में लिया जाय। पर इस बिल में जो धारा है उससे माननीय सदस्यों को आशंका है और वह आशंका किसी हद तक सही भी है, राज्य सरकार जो क्वालिफीकेशन तय करेगी और बाद में रूल्स बनेंगे, यह इसमें है तो इससे कोई परपज जो इस बिल को लाने के पीछे मन्शा है, उसका परपज सर्व नहीं होगा। इस बिल की धारा में, जितने भी जुडिशियल सर्विस के व्यक्तियों को सरकार रखना चाहती है, कितने जुडिशियल सर्विस के हों और जुडिशियल सर्विसेज के भी किस किस केडर के हों, यह सब चीजें सरकार इसी वक्त इसमें रख दे तो माननीय सदस्यों की इस एक आशंका का निराकरण हो सकता है और हमारे सामने एक स्पष्ट चीज आ सकती है। इसलिये मैं राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस चीज को वे स्पष्ट करें ताकि एक भ्रम का तो किवारण हो। इसी संदर्भ में जैसे कि राजस्व मंडल के लिए प्रावधान है, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। राजस्व मंडल पूरे राजस्थान के काश्तकारों सम्बन्धी जितने मामले हैं, उनके लिए वह ट्रिब्यूनल है, हर काश्तकार को वहाँ जाना पड़ता है। जैसे राजस्व मंडल की एक बेंच जयपुर में टैक्सेज के केसेज की सुनवाई के लिए आती है, इस संदर्भ में राज्य सरकार एक और बेंच जयपुर में स्थापित करे क्योंकि जयपुर में हर एक कोने से काश्तकारों को आना पड़ता है और उनको काफी सुविधा हो सकती है और राजस्व मण्डल को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि एक बेंच हमेशा आती हैं जो टैक्सेज के केसेज को सुनती है। उसी तरह से दूसरे केसेज, जो जयपुर के नजदीक पड़ते हैं जयपुर और कोटा डिवीजन के, उनमें कुछ जिलों की सुनवाई जयपुर में ही हो। इसी सम्बन्ध में इसी जिला में प्रावधान करें या दूसरे संशोधन द्वारा बिल लायें तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

दूसरी बात, अभी माननीय सदस्य ने कही कि इस बिल में जैसे क्वालिफिकेशन्स रखना चाहते है उनको स्पष्ट करें। इसी भावना से मैंने जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है और राजस्व मन्त्री उस पर अपना निर्णय बता दें।

श्री सभापति : श्री कल्याणमल मीना

(अनुपस्थित)

श्री देवीदत्त गाड़िया :

(अनुपस्थित)

श्री ओमदत्त भाटी :

(अनुपस्थित)

श्री सभापति :

श्री शंकरलाल (१५३) :

अनुपस्थित

श्री शंकरलाल (जैतारण) : मुझे ही बोलने दें, मैं भी शंकरलाल हूँ।

श्री सभापति : किशनलाल वर्मा

(अनुपस्थित)

श्री भगवानदास शास्त्री

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई

(अनुपस्थित)

श्री पृथ्वीसिंह

(अनुपस्थित)

श्री यशवन्तसिंह नहार

(अनुपस्थित)

मिनिस्टर टु रिप्लाई।

श्री शंकरलाल : (जैतारण) मुझे बोलने दीजिए।

सभापति महोदय, भूराजस्व (संशोधन) विधेयक जो लाया गया है। और जिस मक्सद से लाया गया है, मैं समझता हूँ, भूराजस्व अधिनियम के अन्दर हम और बहुत सी बातों की तरफ ध्यान देते हैं और केवल एक बात के लिए डेफीनेशन के लिए बिल लाया जाय और बार बार सदन में चर्चा हो, यह उचित नहीं है। इस बिल का मक्सद केवल यह है कि राजस्व मंडल के मेम्बर की जो क्वालीफिकेशन थी कि वह 12 साल तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अनुभव हो उसकी जगह सरकार वह क्वालिफिकेशन न रखकर और दूसरी क्वालीफिकेशन जैसे सरकार ने अपने स्टेट-मेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में बताया है कि हायर जुडीशियल सर्विस के आदमी हों या एडवोकेट्स हों. केवल इसी मक्सद के लिए बिल लाए हैं। संशोधन के अंदर यह है कि सरकार के पास पावर्स रखीं हैं कि गवर्नमेंट विल प्रेसक्राइब दी क्वालिफिकेशन्स ग्राफ दी मेम्बर्स ग्राफ दी रेवेन्यू बोर्ड। वह क्वालिफिकेशन्स क्या होंगी, यह नहीं बताया। इसका मतलब यह है कि स्टेटमेंट में बताने के बाद भी सरकार के पास जो पावर है उस पावर को अगर सरकार ने किसी दूसरे तरीके से काम में लिया, तो सरकार को मनाही नहीं की जा सकती; क्योंकि आज विधान सभा से इस पावर को अपने हाथ में ले रहे हैं कि क्वालिफिकेशन्स क्या होंगी ? जब एक तरफ कह रहे हैं कि हायर जुडी-शीयल सर्विस के आदमी रखना चाहते हैं, एडवोकेट्स को रखना चाहते हैं तो सेक्शन इटसेल्फ के अन्दर इन्सर्ट क्यों नहीं करते कि इतने मेम्बर्स होंगे, वन थर्ड एडवोकेट्स होंगे। और दूसरे हायर जुडीशियल सर्विस के होंगे। अनुपात रखना जरूरी है। कुछ ऐसे आदमी हों जो जुडीशियल सर्विस के हों, कुछ एड-वोकेट्स हों, क्योंकि आज एक वकील बरसों तक वकालत करता आया रेवेन्यू साइड की, उनको राजस्व मंडल का सदस्य न बनाया जाय, जिस प्रकार से वकील हाईकोर्ट के

(श्री शंकरलाल)

जज बन सकते हैं तो राजस्व मंडल में पैरवी करने वाला वकील क्यों नहीं मेम्बर बने। मैं राजस्व मंत्री से जानना चाहता हूं कि दिक्कत क्या है अगर कर दें कि इतने मेम्बर्स जुडीशियल सर्विस के होंगे और इतने वकीलों में से होंगे जो रेवेन्यू साइड में काम करते हैं।

दूसरा, उन्होंने यह बताया कि यह संशोधन इसलिए लाना चाहते हैं कि जब तक क्वालिफिकेशन्स प्रोस्क्राइब नहीं करते तब तक पुराने क्वालिफिकेशन्स लागू रहेंगे, ठीक है। मृत्यु व त्यागपत्रों के बाद स्थान रिक्त होते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन्स को स्पष्ट रखें।

भू-राजस्व अधिनियम के अन्दर कई मुद्दे ऐसे हैं सब पर पुनर्विचार करके कन्सोलिडेटेड रूप में उनको लाने की जरूरत है। 91 के अन्दर जो केसेज होते हैं बेदखली और जिसमें तरह तरह के आगे जाकर विवाद पैदा होते हैं और कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं, स्पष्ट तौर से बिल के अंदर संशोधन करके नहीं लाते हैं। उदाहरण के लिए 91 में यह बताया गया है कि अगर लोकल बोडीज या लोकल अथोरिटी जैसी पंचायत है, उसकी जमीन पर अगर कोई आदमी अतिक्रमण करता है तो वह 91 के तहत तहसीलदार को मूव कर सकता है लेकिन पंचायत एक्ट के अंदर एक प्रावधान है सेक्शन 24। उसमें पंचायत को अधिकार दिया गया है कि उनकी जमीन पर कोई अतिक्रमण करें तो उनको पंचायत इजेक्ट कर सकती है। तो सवाल पैदा होता है कि जब अदालत में वादविवाद पैदा होता है और पंचायत इजेक्ट करती है तो दूसरी तरफ वकील लोग धारा 91 बताते हैं कि इसके अंदर दिया हुआ है कि लोकल अथोरिटी मूव करे और तहसीलदार इजेक्ट करे और इसमें कहा गया है कि पंचायत खुद इजेक्ट कर सकती है। तो एक तरह से कन्फ्यूजन है दोनों धाराओं में। या इस धारा 91 को हटा दें। अगर पंचायत को अधिकार देना चाहते हैं कि उनकी जमीन पर यदि कोई अतिक्रमण करे और पंचायत इजेक्ट करें तो 91 में से इस धारा को हटा दें कि लोकल अथोरिटी की जमीन पर कोई ट्रेसपास करे, उसके लिए 91 में जाने की जरूरत हो।

दूसरा निवेदन है कि सेक्शन 91 होने के बाद में कई चीजें राज्य सरकार ने सक्यूर्लर के जरिए रेग्यूलेराइज करने का प्रावधान कर रखा है। 91 में किसी आदमी ने जमीन पर कब्जा कर लिया, उसके बाद सक्यूर्लर निकाला उसमें कहा गया कि किसी किसान का यदि पुराना कब्जा है संवत् 2023 का लैंडलेस है तो उसको रेग्यूलेराइज करके खातेदारी दी जायगी, बेदखल नहीं किया जायगा। सवाल यह है कि आप सेक्शन 91 के अंदर जिन जिन बातों के अंदर और जिन जिन कन्डीशन्स के अन्दर काश्तकारों को बेदखल न करके खातेदारी देना चाहते हैं, उनके लिए जो आपने अलग अलग सक्यूर्लर्स निकाले हैं और जिन सक्यूर्लर्स का अलग अलग इन्टरप्रेटेशन अदालतों में होता है, सब को आप इन्कोरपोरेट करें और 91 धारा लगा दें। राजस्थान के एक एक

(श्री शंकरलाल)

गांव में सैंकड़ों केमेज इजेक्टमेंट के पेंडिंग हैं और उनके अन्दर तहसीलदार को जहां खातेदारी देनी होती है, सक्यूंलर को लागू करता है लेकिन जहां पर खातेदारी नहीं देनी होती है तो इजेक्ट करते हैं और कई जगह इजेक्ट करने के बाद में भारी जुर्माना करते हैं, कई जगह जुर्माना नहीं करते हैं। तो प्रश्न यह है कि इजेक्टमेंट के मामले में आपके सक्यूंलर्स और आप के लॉ की बोडी है, दोनों के अंदर कम्पलीटली कन्फिजक्टिंग बातें पैदा होती हैं। आप 91 के बारे में विस्तृत कानून बनायें जिससे लोगों को परेशानी न हो।

आपने 91 के सैक्शन 101 के तहत एलाटमेंट रूल्स बनायें–राजस्थान एलाटमेंट आफ लेंड टु दी एग्रीकलचरिस्टस। उसके अंदर आपने कहा, जिस आदमी को एलाटमेंट होगा, वह 10 साल के लिए होगा और 10 साल गैर खातेदार रहेगा। जब सरकार की तरफ से जमीन एलाट की जाय, तो वह 10 साल तक गैर खातेदार रहेगा लेकिन जो आदमी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लें उसके लिए सेक्शन 91 के अनुसार 2023 से कब्जा है तो कहते हैं कि खातेदारी दे दो। जिस आदमी ने जबर्दस्ती कब्जा किया उसको आपने खातेदार बनाया और जिसको आप जमीन एलाट करते हैं तो प्रावधान कहता है कि 10 साल खातेदार नहीं बन सकता। लोगों के अंदर बड़ा आश्चर्य पैदा होता है, कई लोग कहते हैं कि क्या कानून है, हमने सरकार से जमीन एलाट करवाई, हम खातेदार नहीं बनते; लेकिन जिस आदमी ने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया, वह खातेदार हो गया। इतना ही नहीं 91 में जो सक्यूंलर निकाला है, उसका कई लोगों ने नाजायज फायदा उठाया है लोगों ने अपने को ट्रेसपासर दर्ज कराया है जो ट्रेसपासर वास्तव में नहीं है। तहसील का नोटिस प्राप्त कर लिया और जमीन पर कब्जा किया वह भी बेदखल किया जाय और उन्होंने कह दिया कि बेदखल कर दिया, खातेदारी मिल गयी। इसलिये लेंड रेवेन्यू कानून के अन्दर संशोधन करके सिलेक्ट कमेटी बिठा कर तरमीम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा। यह जो जमीन देवस्थान और ट्रस्ट के नाम की हैं उनको पुजारी खुद की जमीन समझ कर ट्रान्सफर कर देते हैं। उसको वैलिड माना जाता है और माना गया है। जब टिनेन्सी एक्ट की बातचीत हो रही थी तो मैंने उस समय भी निवेदन किया था कि लैंड रेवेन्यू अमेण्डमेन्ट एक्ट के जरिये यह हो सकता है किसी देवता का मन्दिर है। उसकी जमीन को वहां का पुजारी ट्रान्सफर कर देता है तो एक दिन ऐसा आवेगा कि मन्दिर के नाम जमीन नहीं रहेगी और कोई पूजा करने वाला भी उस मन्दिर में नहीं रहेगा। जो धर्मार्थ संस्थाओं की ओर से दी हुई जमीनें हैं उनके ट्रान्सफर को रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से इनवेलिड करें। बड़े बड़े महन्त और पुजारियों ने मन्दिरों की जमीनों की खातेदारी अपने नाम पर करा कर ट्रान्सफर कर दी और फायदा उठा लिया जैसे कि व्यक्तिगत जमीन हो। मन्दिर की पूजा और व्यवस्था करने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए यह लेंड रेवेन्यू एक्ट में आवेगा।

(श्री शंकरलाल)

मेम्बर्स की क्वालिफिकेशन्स के सम्बन्ध में आपने इतनी गम्भीरता समझी कि आप इसके लिये बिल ले आये लेकिन उसके लिए भी तो आपको बिल लाना चाहिये ताकि धार्मिक जमीनें ट्रान्सफर न हों।

ये बहुत सारी बातें हैं। अभी माननीय सदस्य जो कोटा से आये हैं उन्होंने भी कहा। यह मसले अधिकतर अदालतों में आते हैं। जमीन को इन्डस्ट्रियल परपज के लिये, नोनएग्रीकल्चरल परपज के लिये काम में लाने की बात है उसके लिये भी कोई कानून नहीं है। मकराना राजस्थान में है, जहां से माननीय विजयसिंहजी आते हैं। बहुत से लोगों ने खानें बना रखी हैं। बहुत वर्षो से है। ६१ के केसेज चल रहे हैं। रेगुलेराइजेशन हो तो इन्डस्ट्रीज में दें। या किसी में दें लेकिन अभी कोई कानून नहीं है इसके लिये। इसलिये ऐसा कानून बनाया जाय कि राजस्थान का किसान, साधारण आदमी उस कानून को समझ सके और रेवेन्यू अदालतें भी सही इन्टरप्रिटेशन कर सकें। अदालतों में जो रेवेन्यू ओफिसर्स होते हैं वे सरकुलर्स के गोरखधन्धे में पड़ जाते हैं, वकील लोग भी पड़ जाते हैं, मालूम नहीं होता है कि कौनसा कानून राजस्थान में भूमि से ताल्लुक रखने वाला है। कानून स्पष्ट होना चाहिये जिससे लोग फायदा उठा सकें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति की नियुक्ति करे जहां पर खामियां दूर होकर एक कन्सोलिडेटेड रूप में कानून आये तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय... ...

श्री सभापति : डिबेट समाप्त हो गयी थी और राजस्व मन्त्रीजी उत्तर देने के लिये खड़े भी हो गये थे और उनको काल भी कर लिया था। माननीय सदस्य का बहुत आग्रह हो तो मैं समय दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं बोलना चाहूँगा।

श्री सभापति : बोल लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(श्री देवीदत्त गाड़िया के खड़े होने पर) साधारणतया जो मेम्बर्स काल-अपोन किये जायं और सदन में उपस्थित न हों और फिर समय की मांग करें तो यह उचित नहीं रहेगा. माननीय रामानन्दजी ने सूचित किया था कि वे अध्यक्ष महोदय, के पास जा रहे हैं और उनका नाम आजाय, उनकी इस सूचना पर ही उनको यह समय दे रहा हूं अन्यथा उनको भी समय नहीं दिया जाता। आसन को सूचित करना चाहिये। एबसेन्टी मेम्बर्स के लिये भी कोई व्यवस्था रहनी चाहिये जबकि मेम्बर्स यहां प्रेजेन्ट हैं उनके लिए जैसी व्यवस्था है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सभापतिजी, आपने सूचना दी उसको तो मैं स्वीकार करता हूं। अत्यन्त आवश्यक कार्य के कारण मैं चला गया था और आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। जो आदेश दिया है उसको मैं शिरोधार्य करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, यह लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन बिल पेश किया है सरकार की ओर से मुझे देख कर यह आश्चर्य होता है कि राजस्थान सरकार ने 1962 में एक लैंड रेवेन्यू ला–कमीशन बिठाया और कमीशन ने चार वर्ष तक कार्य किया। उस कमीशन के अध्यक्ष हमारे भूतपूर्व राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय जस्टिस दौलतमलजी भंडारी थे। चार वर्ष की मेहनत के बाद उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। जिस रिपोर्ट में लैंड रेवेन्यू एक्ट, इसको रिप्लेस करने के लिये कितने ही अमेन्डिग एक्ट्स हुए थे, तो यह दृष्टिकोण था कि नयी आवश्यकताओं के अनुसार इस एक्ट में क्या क्या संशोधन होने चाहिये और पुराने एक्ट और अमेन्डिग एक्ट उन सब को कन्सोलिडेट करके एक नया बिल पेश किया जाय। चार वर्ष महनत करके उस कमीशन ने लैंड डेवलपमेन्ट मैनेजमेन्ट बिल अपनी एक रिपोर्ट के साथ गवर्नमेन्ट को पेश किया था। इस चौथे आम चुनाव से पहले राजस्थान सरकार ने उस कमीशन की उस रिपोर्ट के आधार पर टिनेन्सी बिल तो पेश किया और इसी सदन में यह आश्वासन भी दिया था कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट को रिप्लेस करने के लिये जो बिल में उस कमीशन की तरफ से विचार करके सिफारिश की गयी उस पर गवर्नमेन्ट विचार कर रही है और विचार करके शीघ्र ही उस बिल को भी सदन में पेश कर दिया जावेगा। मुझे याद है जब टिनेन्सी बिल की प्रवर समिति बनी तो उस प्रवर समिति में गवर्नमेन्ट की तरफ से यह विचार किया था हम लैंड रेवेन्यू एक्ट के संशोधन के लिये नया बिल पेश कर रहे हैं इस प्रवर समिति को वह बिल भी पेश कर देंगे ताकि एक ही प्रवर समिति टिनेन्सी बिल और लैंड मैनेजमेन्ट डेवलपमेन्ट बिल पर भी विचार कर सके। सभापति महोदय, वह पिछली विधान सभा विसर्जित हो गयी और वह पुराना टिनेन्सी बिल भी लैप्स हो गया। इस नयी विधान सभा के सामने टिनेन्सी बिल तो पेश कर दिया लेकिन उसकी स्थिति वही चली आ रही है। आज ही रखा है टिनेन्सी बिल। छोटा सा टुकड़ा। फर्स्ट अमेन्डमेन्ट, सेकिन्ड अमेन्डमेन्ट। पूरा का पूरा टिनेन्सी बिल रिप्लेस करके विचाराधीन है और जिसको रिप्लेस करने जा रहे हो उसके एक पोइन्ट पर अमेन्डमेन्ट करने के लिये अमेन्डमेन्ट बिल पेश कर रहे हैं। इधर लैंड रेवेन्यू एक्ट है जो कि गवर्नमेंट स्वीकार कर चुकी है उसको गवर्नमेंट रिप्लेस करना चाहती है। गवर्नमेंट यह कह चुकी है कि हम लैंड मैनेजमेंट और डेवलपमेंट बिल पेश करेंगे। इसको आज तक सदन में पेश नहीं किया गया है और अब इस बिल को, इस छोटे से मसले को लेकर यह बिल लाया गया है।

सभापति महोदय, आपकी मार्फत एक तो मैं यह जानना चाहूंगा सरकार से कि आखिर इस लैंड मैनेजमेंट और डेवलपमेंट बिल के बारे में क्या दृष्टिकोण है? क्या गवर्नमेंट ने इसके ऊपर विचार किया है? क्या गवर्नमेंट इस लैंड रेवेन्यू एक्ट को रिप्लेस करके दूसरा बिल लाने का इरादा रखती है या नहीं?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सभापति महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि यह सरकार एक बहुत ही जबर्दस्त गलतफहमी में चल रही है। वह गलतफहमी क्या है ? वह यह है, यह सरकार यह समझ बैठी है कि राजस्थान लैंड रिफोर्म्स के बारे में बहुत आगे, आखिरी मंजिल तक पहुँच गया है। इसलिये अब किसी प्रकार के रिफार्म करने की जरूरत नहीं है और नेचुरली, इसका लॉजिकल कन्कलुजन यह है कि सरकार की गाड़ी अब रिवर्स गियर में चल रही है। आखिर मंजिल तक सरकार पहुँच गई अगर कुछ उसके अन्दर मोशन हो रहा है, वह आगे तो नहीं हो सकता, अब मोशन वापिस ही हो सकता है। सभापति महोदय, इस रूप में मैं यह जानना चाहूँगा कि आखिर सरकार इस लैंड रेवेन्यू एक्ट के रिप्लेसमेंट के लिये और कोई बिल लाना चाहेगी ? या केवल यह छोटा सा अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, क्या सरकार इसमें यह महसूस करती है कि जो दूसरे आस्पेक्टस हैं वे इससे कवर हो जाते हैं ? रिकार्ड को मेन्टेन करने का सवाल है, सैटिलमेंट का सवाल है, लैंड रिलेशन के सवालात हैं, म्यूटेशन के मामलात हैं, क्या इन मसलों पर सरकार अपनी पुरानी नीति में तब्दीली करने के लिये तैयार हैं ? या नहीं ? इस पुरानी व्यवस्था में तब्दीली करने के लिये सरकार तैयार है या नहीं, यह मैं जानना चाहूंगा ? लैंड रेवेन्यू कमीशन ने जैसा कि सुझाया था आज किसी भी गवर्नमेंट का प्रोडक्शन माइन्डेड होना चाहिये, यह तमाम लगान न किसी तरह से वसूल किया जाये, यह दृष्टिकोण आज की माडन स्टेट का नहीं होकर और किसी भी लैंड से सम्बन्धित कानून हो उसका दृष्टिकोण इस तरह से हो कि जमीन के जरिये प्रोडक्शन अधिकाधिक बढ़ाया जा सकता हो, डाइवर-सीफाइज्ड किया जा सकता है, मैक्सीमाइज्ड किया जा सकता है, यह दृष्टिकोण होना चाहिये और इस दृष्टिकोण से कोई भी लैंड के सम्बन्ध में कानून बनना चाहिये। लैंड लॉ कमीशन के इस दृष्टिकोण से क्या सरकार लैंड मैनेजमेंट और डवलपमेंट बिल बना पायेगी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है ?

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जमीन के सम्बन्ध में यह सरकार बराबर यह घोषणा करती रही है कि हम लैंड रिफार्म्स के बारे में सबसे आगे हैं। आखिरी मंजिल पर पहुँच गये हैं। क्या यह सरकार भी, आपकी गवर्नमेंट भी कम से कम, आप जो भारत सरकार है, जो कांग्रेस दल है, उस कांग्रेस दल के आप एक अंग है, आपकी लायलिटी उसके प्रति है, उस दल ने जो अपनी घोषणा की है बम्बई कांग्रेस के अन्दर, दिल्ली के अधिवेशन के अन्दर कि आज तक जितने भी लैंड रिफार्मस् हुई है उनमें एक जबर्दस्त लैकूना है और आज उस लैकूना को भरने की आवश्यकता है और यह राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा सभापति महोदय, क्या आप इस रिजोलूशन को इम्पलीमेंट करने की तरफ, यह राजस्थान सरकार चलना चाहती है या नहीं ? गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने, इन्दिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है, ने कहा है कि हमारे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो लैंड रिकार्डस् अभी तक मैन्टेन किये जा रहे हैं, उनमें जो खुद काश्त करते हैं, जो मुजाहिर है, उन मुजाहिरों का इन्द्राज सही तरीके से नहीं होता है । सभापति महोदय, बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी राजस्थान की सरकार ने जो हमारा पुराना सिस्टम था जिसके अन्दर एक्चुअल टीलर आफ दी साइल का जो खसरा, जो गिरदावरी खसरा तैयार होता था, उसमें एक्चुअल टीलर का खाना नं० 16 में इन्द्राल होता था उसको बाकायदा इन्ट्रक्शन देकर निकाल कर के उसका इन्द्राज करना ही बन्द कर दिया । इसका नतीजा यह हुआहै कि आज जो लैंड काश्त होती है, जो खातेदार कहलाते हैं उस जमीन को मिस्टर बी काश्त करता है या मिस्टर सी काश्त करता है लेकिन अब राजस्थान सरकार के नये आदेश के अनुसार मिस्टर बी और मिस्टर सी का इन्द्राज नहीं होता है । कागजातों में मेरा ही नाम जाता है, याने लैंड होल्डर्स का ही नाम जाता है । नाम मिल्कीयत का ही जाता है, एक्चुअल काश्त की जगह जो कि सभापति महोदय, बड़ी-बड़ी जमीनों के मालिक है । यह लैंड होल्डर्स ज्यादा कांग्रेसी है । क्योंकि वे यह जानते हैं कि जनतन्त्र में कोई भी सरकार आ सकती है और वह सरकार पुरानी टिनेन्सी के बेसिस पर लोगों को खातेदारी हक्क दे दे और आज यह सारे देश के अन्दर हो रहा है । वेस्ट बंगाल की सरकार ने जो शेयर क्रापर्स हैं, उन शेयर क्रापर्स के नाम जिनका कि इन्द्राज था और नहीं था, उन शेयर क्रापर्स को उस जमीन का एक्चुअल टीलर मानकर आक्यूपेंसी राइट्स दे दिये । और अब उनको वे दखल नहीं किया जा सकता है और मालिक उनको नहीं निकाल सकते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल डवलपमेंट कौंसिल के अन्दर भी जो प्लानिंग कमीशन की लैंड के सम्बन्ध में पैनल है उसमें भी इस बात को रिकमण्ड किया है और गृह मन्त्री ने स्पेशली जो रिपोर्ट रूरल एरियाल के अन्दर अनरेस्ट है उसके जो कारण गिनाये हैं, उनमें एक कारण यह भी गिनाया है । जो एक्चुअल टीलर है उनका रिकार्ड मेन्टेन नहीं किया जाता है । इस वजह से एजेक्टमेंट आदि वापिस शुरू हो जाते हैं और चूँकि कानून के तहत जो एक तरफा कानून है, जो एक तरफ से किताबों के अन्दर अधूरा रह गया है, और रेवेन्यु आफिसर भी जो स्वयं लैंड लार्ड्स हैं, कानून में जो सहूलियतें हैं उनको इस तरह से इन्टरप्रेट करते हैं कि जो सहूलियतें मिल सकती हैं, वह न मिलने के कारण और भी ज्यादा आज अनरेस्ट देहातों में है । इस वजह से लोग इकट्ठा होकर सामूहिक तौर से अपने कब्जे की रक्षा करते हैं । सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या राज्य सरकार, गवर्नमेंट आफ इंडिया कांग्रेस के बम्बई रिजोलूशन में कमीटेड है तो क्या वह टिनेन्सी का रिकार्ड जो आज मेन्टेन नहीं होता है, सबटीनेन्ट का रिकार्ड दर्ज नहीं होता है इसको वापिस मेन्टेन करने के लिये कोई कानून बनायेगी या अपने उस आदेश को निरस्त करेगी जिस आदेश के तहत इनका इन्द्राज नहीं किया जाता है ।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ने इस प्रकार के आदेश किस प्रकार दिये, आखिर क्या वजह हो गई कि राजस्थान सरकार को इस प्रकार के आदेश देने पड़े, इसके पीछे एक पोलिटिकल बैक ग्राउन्ड है। पहले राजस्थान के अन्दर जो बड़े जागीरदार लोग थे, सभापति महोदय, वह एक पर्टीकूलर जाति, राजपूत कम्युनिटी थी, राजपूत कम्यूनिटी से वे लोग आते थे और जो किसान समुदाय था वह आम तौर पर जाट कम्यूनिटी में से आता था और इसलिये यहां पर फीड्यूल लैंड लार्डस की खिलाफत होती थी। जाट और राजपूत के बीच में संघर्ष होता था। इसको खत्म करने के लिये टिनेन्सी एक्ट बना और इसके बनने से जो खुद काश्त करते थे वे भी खातेदार बन गये। खातेदार बन जाने के बाद और जो पुराना काश्तकार था उसने भी यह कोशिश की सारी जमीन का वही खातेदार हो जाये। इसलिये आज एक तरफ राजा हरिशचन्द्र बन गये और दूसरी तरफ नाथूराम मिर्धा बन गये। एक राजपूत था और एक जाट—दोनों जागीरदार खातेदार बन गये। दोनो की जात एक बन गई। और यही आधार है राजस्थान में जाट और राजपूत राजनीतिक एकता का। यही इनकी पोलिटिकल बेस है। सभापति महोदय, आज पुराने जागीरदार या नये जागीरदार जो भी खातेदार बन गये हैं वे नीचे से, सब टीनेन्ट से काश्त करवाते हैं, उससे बटाई वसूल करते हैं। उनको बे दखल करने के लिये इन लोगों ने कानून के अन्दर इस तरह की तरमीम करा दी कि जिससे जो एक्चुअल टीलर है, जो जमीन की काश्त करता है, उसका नाम इसकी वजह से आज इन्द्राज नहीं होता है। इसकी वजह से आज वे अपनी हिफाजत कर रहे हैं और जो बेचारा एक्चुअल टीलर है वह मारा जारहा है अगर जरूरत हो तो उसके लिये लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में अमेण्डमेण्ट किया जाना चाहिये, एक्चुअल टीलर आफ दी सोइल है उसका इन्दराज करना बन्द कर दिया है उसको आप दुबारा शुरू करवाइये। उसके लिये अमेण्डमेण्ट बिल की भी जरूरत नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश से ही यह लिखना बन्द किया गया था उस को वापिस आदेश द्वारा ही शुरू करवा सकते हैं, खाना 16 गिरदावरी में भरने की हिदायत दे सकते हैं। जिसके अनुसार पटवारी द्वारा दुबारा इन्दराज जारी करेगा।

लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की बात कहते हैं इसके बारे में पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने और जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि आपके कानून के तहत सन् 55 से दफा 19 व 60 के तहत खातेदार बन चुके सो बन चुके चाहे कितने ही सालों का इफ सो फेक्टो हो न लेण्ड रेवेन्यू एक्ट और न टिनेन्सी एक्ट के खातेदारी राइट्स लेने के अधिकारी वे हैं नहीं। इस तरह से जो बड़े बड़े लेकुना रह गये हैं उनको आप स्टेबिलाइज करना चाहते हैं इस तरह से आप पूंजीपति प्रवृत्ति को पनपाना चाहते हो, लेण्ड रिफोर्म को पेगिंग करना चाहते हो, इसलिये जरूरत इस बात की है कोम्प्रीहैन्सिव लेण्ड रेवेन्यू अमेण्डिग बिल आना चाहिये। यह बिल जो पेश किया गया है इसमें सरकार का रवैया हो गया है जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बिल का सब्सटेन्स है उस पर इस हाउस को राय देने से वंचित करना चाहते हैं। अब तो ऐसा अनुभव होने लग गया कि आप केवल तीन सेक्शन्स बिल के सदन के सामने लाना चाहते हैं पहला तो नाम दूसरा डेलीगेशन आफ पावर्स का हो और तीसरा रूल्स बनाने के पावर्स है। तीनों सेक्शन्स बिल के आने चाहिये।

कल भी जब हाउसिंग बोर्ड का बिल डिसकस हो रहा था उसमें किस तरह से प्लाट्स का अलोटमेण्ट होगा किन को होगा यह सब आपने रूल्स के अन्तर्गत रखने की बात कही है। एक्ट की मोटी मोटी बातें आप हाउस से पास करा लेते हैं लेकिन जो असल आत्मा है वह उसके अन्दर नहीं होती। इसी तरह का यह बिल है। इसके ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में आपने लिखा है हायर जुडिशियल सर्विस के आदमियों को आप इस बोर्ड में लेना चाहते हैं अच्छे एडवोकेट्स को लेना चाहते हैं। लेकिन जो अमेण्डमेण्ट पास कर रहे हैं उसमें इन बातों का जिक्र नहीं है। गवर्नमेण्ट ने जब यह अपने अधिकार में रखा है तो वह उससे भी नीचे क्वालिफिकेशन के व्यक्तियों को इस में रख सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हू आप हाउस को कोनफीडेन्स में लेना चाहते है लेजिस्लेचर के पावर्स को आप मानते हैं तो आपको अपने रवैये को हाउस के सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहिये आप जो लेजिस्लेचर के पावर्स को औपचारिक बना देना चाहते हैं और उसमें से उसकी आत्मा को निकाल देना चाहते हैं और केवल औपचारिकता की मोहर सदन की लगवाना चाहते हैं, इस रवैये को आप बदलें। इससे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। पुराने लेण्ड रेवेन्यू एक्ट से संबन्धित रूल्स है दुनियादी सवाल रूल्स का है वे पटके हुए हैं। सामान्य जमीन है, प्रोजेक्ट की जमीन है उसमें भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है इसका कारण यह है कि कानून को सही रूप में आप इस सदन के अन्दर लाना नहीं चाहते। एक्चुअली जो सबस्टेन्स है बिल का वह आप सदन में रखकर उस पर डिसकस करवाना नहीं चाहते। यही कारण है कि आज इसमें भ्रष्टाचार पनप रहा है।

गंगानगर के सम्बन्ध में घोषणा करते हुए रेन्ट रेट्स के बारे में घोषणा की थी बारानी लैण्ड की रेन्ट रेट 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ायेंगे इसको लागू किया था पिछले एक साल से। इसमें केवल एक साल के कहने से काम नहीं चलता चूरू और राजगढ़ तहसीलों में यह रेन्ट, रेट्स में वृद्धि चार पांच बरस पहले से की गई है उसको भी आप 1968 से ही लागू करेंगे। जब मुख्य मंत्री जी से इस बारे में मिले उन्होंने कहा था गंगानगर के बारे में जो घोषणा की गई वह सारे राजस्थान भर के लिये है। चूरू जिले में रेन्ट रेट्स जो बढ़ाये गये हैं वे राजगढ़ तहसील में भी लागू होंगे। 68 के अन्दर लागू करने की बात कही थी उसमें भी बारानी जमीन पर 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ायेंगे। गवर्नमेंट का इस संबन्ध में क्या निर्णय है ?

अन्त में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 91 के तहत जो बेदखलियां जमीन की है वे भयंकर रूप धारण करती

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जा रही है। मेरे पास लूणकरणसर से पत्र आया है उसमें कहा गया है कि वहां का तहसीलदार जो राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट का भी तहसीलदार है वहां पर किसानों को पंचायत ने आबादी की जमीन मानकर अलोट की है जिस पर मकान बना लिये है और जिसमें वह रह रहे हैं उन मकानों से अन अथोराइज्ड आकूपेशन मानकर उनको बेदखल किया जा रहा है। उनके मकान ढहाये जा रहे हैं। लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की तहत पंचायतों को जो जमीन दे दी गई और पंचायत ने अपने अधिकार से अलोट कर दी है उस पर उनका कब्जा बहाल रखना चाहिये। तुरन्त आर्डर बेदखली के नहीं किये जायं। इतना ही निवेदन करता हुआ मैं अपने जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय सभापति महोदय, लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके संबन्ध में कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे हैं। राज्य सरकार ने जो रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया है उसके साथ साथ तहसीलदार पटवारी आदि की नियुक्ति और उसमें परिवर्तन करने का अधिकार भी दिया है। प्रशासनिक दृष्टि से मैं इसको उचित नहीं समझता। इस तरह से इनको नियुक्ति और ट्रान्सफर करने के जो अधिकार बोर्ड को दिये हैं वह मैं उचित नहीं समझता रेवेन्यू बोर्ड एक प्रकार से न्यायिक बोर्ड है जिस प्रकार हाई कोर्ट निर्णय देता है वैसे ही भूमि सुधारक के संबन्ध में तहसीलदार एस० डी० एम० और कलेक्टर के द्वारा जो मामले निपटाये जाते हैं उस पर निर्णय रेवेन्यू बोर्ड द्वारा लिया जाता है उस की अपील रेवेन्यू बोर्ड में होती है। इसकी पवित्रता को बनाये रखने के लिये बोर्ड को प्रशासनिक अधिकार नहीं मिलने चाहिये।

भूमि आवंटन के जो नियम बने हुए हैं उसके विपरीत भी आपके रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन है श्री हूजा उन्होंने उन नियमों के विरुद्ध अपने अधिकारियों की सहायता से भूमि का आवंटन कर लिया है इस तरह के जो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हो उनसे क्या न्याय की आशा कर सकते हैं। रेवेन्यू बोर्ड में ऐसे आदमियों को रखा जाना चाहिये जो बेदाग हो। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हों उनको इसमें नहीं लगाना चाहिये। सभापति महोदय, आज रेवेन्यू बोर्ड के जिस प्रकार के अध्यक्ष और उसके मेम्बर हैं जिन्होंने अनधिकृत रूप से भूमि आवंटन कर लिया है रूल्स के अन्तर्गत उसकी सूचना राज्य सरकार को देनी चाहिये वह भी नहीं दी गई है।

दूसरे मेम्बर है मि० सूद जिन पर भी अनेक गंभीर आरोप है। इस प्रकार के आदमियों को रखकर किसानों की जमीन संबन्धी अपीलों का क्या फैसला कर सकेंगे। इनसे जो भी उम्मीद राजस्थान की जनता करती है उस तरह का न्याय नहीं मिल पायेगा।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

इतना ही नहीं सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि आज जागीरदारी एबोलिशन हुआ 1959 के अन्दर, उन्होंने मुवाअजे ले लिये मुआवजे लेने के बाद सेटिलमेंट विभाग ने कोटा जिले में उनके नाम पर जमीनों को खाते बान्ध दी ? क्या मैं पूछना चाहूंगा किस कानून के तहत सेटिलमेंट ने खाते बांध दी ? क्या आपने कभी उसकी जांच करवाई ? इतना ही नहीं ग्रो मोर फूड में राज्य सरकार ने करोड़पति सेठों को, बड़े बड़े अफसरों को 20 साल पर जमीन दे दी, खातेदारी अधिकार नहीं दिये में एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कोटा जिले में किशनगढ़ और नवलगढ़ तहसील में रामजीदास परसराम पुरी को दस हजार बीघा जमीन ग्रो मोर फूड के नाम पर दे दी। आज उन्होंने उस जमीन को लाखों रुपये में बेच दी। किस कानून के तहत बेची, कैसे खातेदारी अधिकार उनको मिले ? में पूछना चाहता हूँ कौनसा कानून था ? किस प्रकार से एस. डी. एम. ने, कलेक्टर ने और तहसीलदार ने मोहर लगा दी। इसी प्रकार छबड़ा में भी 10 हजार बीघा जमीन अलाट करवाई और उस जमीन को भी बेच दी। भीलवाड़ा में खातेदारी अधिकार मिल गये। कौनसा एक्ट है, जिसके अन्तर्गत खातेदारी अधिकार मिले। माननीय सभापतिजी आज राजस्थान के अन्दर ग्रो मोर फूड के अन्दर कोई ऐसी जमीन नहीं है जहां इस नाम पर बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को, बड़े बड़े सेठों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को नहीं मिली हो। 20 साल की लीज पर उनको जमीने दे दी खातेदारी अधिकार उनको नहीं मिलने चाहिये लेकिन खातेदारी अधिकार भी उनको मिले है और उन्होंने जमीनों को लाखों रुपयों में बेची है। इतना ही नहीं सभापति जी भूमि आवंटन के जो नियम हैं बड़े लचीले है। तहसीलदार अपनी इच्छा के अनुसार जमीन का आवंटन कर देता है। अलाटमेंट कमेटी बनी हुई है लेकिन उसके मेम्बर्स की आपके तहसीलदार कोई परवाह नहीं करते हैं। तहसीलदार चाहे जिस व्यक्ति को घर बैठकर जमीन अलाट कर देता है। नियमों के अनुसार सरपंच के दस्तखत होने चाहिये लेकिन उसकी चिन्ता तहसीलदार को नहीं। राज्य सरकार के पास इस प्रकार की एक–दो शिकायतें नहीं है सैकड़ों शिकायतें है। मेरी समझ में नहीं आता उनको जमीनें कैसे अलाट हो गई। बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों ने और पूंजीपतियों ने फर्जी कार्यवाही करके अलाटमेंट करवा लिया। सरपंच के दस्तखत नहीं, अलाटमेंट कमेटी की कोई सिफारिश नहीं, केवल तहसीलदार ने अलाटमेंट कर दिया। माननीय सभापतिजी मैं अधिक समय न लेते हुये भूमि सम्बन्धी जो झगड़े है धारा 91 के तहत जो चालान करते है यह ऐसा लचीला है कि जो वास्तविक मजदूर है और कई वर्षों से खेती करता आ रहा है उसको जमीन के खातेदारी अधिकार नहीं मिलते है और दूसरी ओर जो पूंजीपति है जिन्होंने किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है इसी धारा के तहत बड़े आदमी को लाभ पहुँचाने के लिये कोई फैसला नहीं करते है। धारा 91 के तहत मुकदमा का फैसला एक–दो साल में हो जाना चाहिये लेकिन 5–5 साल से मुकदमों पर कोई फैसला नहीं हो रहा है।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

गरीबों को जमीन का अलाटमेंट होता जरूर है लेकिन वास्तविक कब्जा उनको नहीं मिलता है। आपके इन ट्रेसपासर्स की वजह से सरकार को पूरा लगान नहीं मिलता है और इसी कारण गरीब किसानों पर जुर्माना होता है और पैसे वालों को 5-10 जुर्माना पर जमीन खाते बान्ध देते है। इतना ही नहीं सभापतिजी आपको ध्यान होगा माननीय वित्त मन्त्री ने पिछले सेशन में घोषणा की थी कि आवास की व्यवस्था के लिये कृषि भूमि के लिये नियम बनाये है। मैं पूछना चाहता हूं राजस्व मन्त्रीजी वे नियम बने या नहीं। आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी ने क्या किया—एक साल से अधिक होने को आया लेकिन आज तक कृषि भूमि को आवास भूमि में बदलने के नियम नहीं बना सके। क्यों ऐसे व्यक्ति को यहाँ बैठा रखा है। रेवेन्यू सेक्रेटरी की पोस्ट सीनियर स्केल की पोस्ट होती है—चीफ सेक्रेटरी है, उसके नीचे का व्यक्ति ही रेवेन्यू विभाग का सेक्रेटरी होना चाहिये। लेकिन आज तक कोई कानून नहीं बना और कानून नहीं बनने से कृषि भूमि पर लोगों ने मकान बना लिये, तहसीलदार ने 5-10 रुपया जुर्माना कर दिया और उनको रेगूलराईज कर दिया। गवर्नमेंट को जो आमदनी होनी चाहिये थी वह भी नहीं हुई और बड़े बड़े लोगों ने इसका फायदा उठा लिया। सभापतिजी गरीब किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। तहसीलदार आपके अनुचित लाभ उठाते है। इतना ही नहीं एक बात यह कहना चाहता हूँ आज सेटिलमेंट आफिसर और तहसीलदार दो ऐसे अधिकारी है जो अपनी इच्छानुसार कागजों को बदल देते है, सरकार जाँच नहीं करवाती है। बड़े बड़े आदमियों ने फर्जी कार्यवाही करके गरीब किसानों की जमीनों को हड़प ली है। सरकार यह नहीं देखती है कि आया किसानों को अलाट हुई या नहीं हुई, किसानों को पट्टा मिला या नहीं और उस गरीब किसान को कभी खातेदारी नहीं बान्धते। बड़े बड़े आदमियों को ही जमीन खाते बान्धी जाती है। अन्त में एक बात कहता हुआ जो मन्दिरों की भूमि है वह पुजारी के नाम खाते बान्ध देने कारण जो लोभ आया है और वह यह कि मन्दिरों की पवित्रता विधिवत् चलती रहे इस की परवाह न करते हुए वे जमीनें बेच देते हैं, अगर यही नीति चलती रही तो एक दिन यह आने वाला है कि दो चार साल में मन्दिरों की पूजा करने वाला कोई नहीं मिलेगा और वे पुजारी जो इस समय पूजा करते हैं वे भी भगवान में आस्था न रखते हुए भूमि के बेचने का जो प्रलोभन है उसमें फंस जायेंगे और मन्दिरों की सेवा पूजा छोड़ देंगे। इसलिए इन मन्दिरों की पूजा होती रहे और मन्दिरों की पवित्रता बनी रहे मन्दिरों की जमीन बदस्तूर बनी रहे और अगर यही रहा तो कोई भी मन्दिर ऐसा आने वाले समय में नहीं रहेगा।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक माननीय मन्त्री महोदय यहां लाये हैं उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है........

(एक माननीय सदस्य के व्यवधान करने पर)

आपकी पार्टी के समर्थन में बोल रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ इस विषय पर पहले भी विवाद हुआ था और बाद में यह विधेयक लाये हैं। राजस्थान में भू सम्बन्धी जो अधिकार हैं और जो विवाद हैं उनके सम्बन्ध में रेवेन्यू बोर्ड एक उच्चतम संस्था है जो फैसले करती है लेकिन आज जन भावना यह बन गई है किसी मुकदमे को टालना है तो रेवेन्यू बोर्ड में जाकर अपील या रिविजन के जो अधिकार हैं पेश कर दो और उस मामले को खटाई में डाल दो। रेवेन्यू बोर्ड में इतनी फाइलें बढ़ती जा रही हैं कि कोई फैसला नहीं होता है। आपने सेशन जज के स्तर के आदमी और सीनियर एडवोकेट को नियुक्त करने की बात कही है उससे इस स्थिति में कोई बड़ा सुधार होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं रेवेन्यू बोर्ड की दशा सुधरे तो जो आई. ए. एस. आफिसर वहां बैठे हैं और अधिकांश उनमें वे हैं जिन्होंने कभी फैसला किया नहीं है वे या तो कलेक्टर बने है या सेक्रेटेरियेट में बैठे हैं उन लोगों को वहां से हटाइये। आज भी कलक्टोरेट में फैसले ए० डी० एम० करते हैं या सीनियर आर. ए. एस. होते हैं, उनके पास मुकदमे जाते हैं और यही हालत सेक्रेटेरियेट में बैठने वाले आई. ए. एस. अफसरों की है। वे रेवेन्यू के मामलों को ठीक तरह समझते भी नहीं हैं इसलिए मेरा सुझाव है सभापति महोदय अगर आप चाहते हैं न्यायिक व्यवस्था सही रहे लोगों को सही न्याय मिले तो रेवेन्यू बोर्ड के वर्तमान गठन को पूर्णतया समाप्त करना होगा और मैं राजस्व मन्त्री से निवेदन करूंगा हाई कोर्ट में अलग से रेवेन्यू की एक बेंच स्थापित होनी चाहिये और हाई कोर्ट की एक बेंच रेवेन्यू के फैसलों के सम्बन्ध में जो आज राजस्व मण्डल को अधिकार हैं वह समाप्त किये जाकर हाई कोर्ट की बैंच को वह अधिकार दिये जाने चाहिए जिसमें जजेज सारे फैसला करें, सही तौर से करें और इस सम्बन्ध में जनता को परेशानी भी नहीं हो। इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो पूर्वी राजस्थान की एक पुरानी मांग है और जायज मांग है और राजस्थान हाई कोर्ट कि बेंच की स्थापना जयपुर में भी आपको करनी चाहिए और इस क्षेत्र में राजस्व की अपीलें भी यहां पर वह बैंच सुने और जोधपुर में दूसरे इलाके की राजस्व की अपील सुनें तब जाकर लोगों को राहत मिलेगी। यह रेवेन्यू बोर्ड का जो आज का गठन है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसको जुडीशियरी के साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेशन के भी अधिकार दे रखे हैं, तहसीलदारों के ट्रान्सफर्स वह करते हैं। मैं राजस्व मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने रेवेन्यू बोर्ड की क्या हालत कर रखी है। आपकी हालत खस्ता है सो तो है ही लेकिन रेवेन्यू बोर्ड की हालत भी आपने बहुत खस्ता कर रखी है। सभापति महोदय, मुझे मेरे जिले का अनुभव वहाँ पर एक, दो, तीन, चार और पांच-

(श्री नत्थीसिंह)

पांच तहसीलदारों के नहीं अनेकों तहसीलदार जो कि उसी जिले के लगे हुए हैं जिनके आगे पीछे कई हिमायती घूमते हैं छः, सात और आठ-आठ और उनके ट्रान्सफर्स के आर्डर्स दिये जाते हैं और उनके बाद में छः, सात आठ-आठ बार ही उनके ट्रान्सफर्स के आदेश रद्द किये जाते हैं। आपके पास आते हैं तो आप अपनी मजबूरी जाहिर कर देते हो और कह देते हो कि मैं क्या करूं सुखाड़ियाजी का राज्य है और उनके राज्य में मैं भी सेवा के एक पद पर बैठा हूं। उनसे विमुख होकर मैं चल नहीं सकता। इसलिए रेवेन्यू बोर्ड को भी हुकम मानना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वह अधिकार सम्पन्न संस्था जिसमें चाहते हैं हम कि वह सही न्याय दे और उसके प्रशासन में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं हो और उसकी दुर्दशा आपने यह कर दी कि एक-एक आर्डर को दस-दस बार बदला जाता है। इस तरह से उसके अन्दर जनता की कोई आस्था नहीं जम सकती। पोलीटीकल इन्टरफियरेन्स उसमें बहुत अधिक है और इससे मुक्त करने के लिए यह जरूरी है कि रेवेन्यू बोर्ड का जो आज का स्वरूप है उसको बदल दिया जावे। सुखाड़ियाजी ने कुछ लोग ऐसे छोड़ रखे हैं कि उनके ही कहने पर तो ट्रान्सफर होगा और उन्हीं के कहने पर ही वह आर्डर्स कैंसिल होंगे और आप भी मजबूरी जाहिर करके कह देते हैं कि मैं इसमें क्या करूं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इस स्थिति को बदलने के लिए जरूरी है कि इसके स्वरूप को बदला जाये।

सभापति महोदय, अभी समाप्त करता हूं। दो तीन बातें और अर्ज करना चाहता हूँ। एक बात तो यह है कि रेवेन्यू बोर्ड में अलाटमेंट की बात है। अलाटमेंट के रिवीजन के पावर्स तो आपने मन्त्रालय को दे दिये, रेवेन्यू बोर्ड के पास नहीं हैं लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि यह अलाटमेंट के रूल्स आपने क्यों बनाये, इनको रद्द करो। आपने तहसीलदारों को अधिकार दे दिया कि हमारे टेलीफोन पर या कहने पर यह अलाटमेन्ट हुआ करें। कोई पालना नहीं की जाती अलाटमेन्ट रूल्स की और पंचायत हैडक्वार्टर पर काम होता है न प्रापर नोटिसेज दिये जाते हैं, न सूची सही बनाई जाती है। सभापति महोदय, इसी सदन में जब यह बात उठाई गई थी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जब तक विधान सभा चलती है तब तक इन अलाटमेंट कमेटीज की मीटिंग नहीं बुलाई जायेगी ताकि माननीय सदस्य भी उनमें जाकर हाजिर हो सकें। भरतपुर में सभापति महोदय, इन्हीं दिनों में मिनिस्टर साहब के आदेशों के बावजूद इस प्रकार की मिटिंग्स बुलाई गई। उसमें अलाटमेंट किये गये हैं और किन को किये गये हैं भूमिहीन किसानों को नहीं बल्कि उनको या तो किसी आफिसर के चपरासी को। चपरासी का तो नाम है या फिर शहर के रहने वाले किसी दूसरे आदमियों को। एम.एल.ए. यहां विधान सभा होने के नाते वहां जा नहीं पाता है, प्रधान है नहीं और बस सरपंच से दस्तखत करा लिए। इस तरह का वतीरा कर रखा

Page No 100

(श्री नत्थीसिंह)

है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि यह अलाटमेंट के रूल्स आपके सर्वथा बेकार हो गये हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जांच करालें और मैं तहसील और सब-तहसील में ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि जहां एक नायब तहसीलदार और तहसीलदार है वह अलाटमेंट के नाम पर लखपति होकर गया है। या तो अलाटमेंट के नाम पर या फिर रेगुलेराईजेशन के मामलों में ऐसे-ऐसे तहसीलदार हैं जो लखपति होकर गये हैं। सारी तहसील को बेचकर खा गये। एक तहसीलदार आया वह लखपति होकर चला गया और दूसरा आया वह भी लखपति हो गया। आज इस तरह से लूट मची हुई है। गरीबों को जमीन मिलती नहीं है। आपने एक आर्डर किया कि हम जांच करायेंगे। मेरा यह आरोप है कि जांच जिन अधिकारियों से कराने जा रहे हैं चाहे एडीशनल कलेक्टर के लेवल के वह अधिकारी हों या फिर रेवेन्यू के अधिकारी हों लेकिन आप जांच जिनसे कराने जा रहे हैं अब उस रेवेन्यू के नाम पर दुबारा लोग लखपति होंगे, दुबारा कोठियां भरी जायेंगी। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस व्यवस्था को बदलना है। इसके लिए जरूरी है कि रेवेन्यू बोर्ड रेवेन्यू लाज के सम्बन्ध में जो अपील जाये उसके सम्बन्ध में जुडीशियल अथोरिटी की व्यवस्था स्वतन्त्र रूप से करें। आपने अब ऐसा करना शुरू कर दिया है कि जांच रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारी करेंगे, पोकरण को भी रेवेन्यू बोर्ड के साहब जायेंगे जांच करने के लिए। ऐसा आप इसलिये कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि जुडीशियरी को तो आप एकाएक प्रभावित नहीं कर सकते और रेवेन्यू बोर्ड वाले आपके हुक्म के अनुसार चलते हैं। हाई कोर्ट में आपका विश्वास नहीं है। कोशिश तो आप यह भी कर रहे हो कि जुडीशियरी में भी हस्तक्षेप हो लेकिन पूरी तरह आप अभी तक कर नहीं पाये। इसलिए रेवेन्यू बोर्ड के जरिये आप जांच करायेंगे। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जरूरी है कि हम हाई कोर्ट की बेंच रेवेन्यू केसेज के लिए कायम करें।

इसके अलावा यह बहुचर्चित विषय रहा है कि रेवेन्यू लॉज कमिशन बनाया। आपने उसकी रिपोर्ट भी भेजी। वह किस लिए ? रद्दी की टोकरी में डालने के लिए भेजी थी। सरकार ने दस्तूर बना रखा है कि कानून में सफाई मत लाओ, जनता को पूरी राहत मत दो।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

और ऐसा घोटाला बना दो कि जिससे सही बात नहीं हो। पंचायतों के सम्बन्ध में जो हाल आपने सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट का किया वही हाल रेवेन्यू लाज कमिशन का हो रहा है। आप झिझकते हुए और एक-एक करके छोटे-छोटे अमेन्डमेन्ट्स लाते हैं। इनसे फायदा क्या है ? आप कोई एगजास्टिव तरीके से और कानून को पूरा क्रांतिकारी करने के लिए अमेन्डमेंट्स क्यों नहीं लाते हैं। यह रेवेन्यू बोर्ड की हालत है उसके कारण एक दुर्दशा और है कि गरीब मर रहे हैं, अमीर नहीं। मर वह रहा है जिस गरीब को जमीनों के सम्बन्ध में अवि-

(श्री नत्थीसिंह)

कार देना चाहते हैं, पैसे वाले नहीं मर रहे हैं, मुकदमा लड़ने की हिम्मत रखने वाले लोग और हम जैसे वकीलों को बड़ी फीस देने वाले लोगों को जमीन का अलाटमेंट कर देते हैं और गरीब लोगों को उलझा देते हैं। आपको विस्तारपूर्वक इस सम्बन्ध में विधेयक लाना चाहिए और ऐसे छोटे-छोटे विधेयक नहीं लाने चाहिए। मेरी अपील है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये और ऐसे लोगों की कठिनाइयों को जानिये कि जो अपने केसेज के बारे में कोटा और अजमेर के चक्कर लगाते फिरते हैं। गरीबों की कठिनाइयों को आप जानिये और उसके बाद यहाँ पर पूरे विस्तार से विधेयक लाइये तभी आप जनता के साथ न्याय कर सकते हैं इससे पहले नहीं।

श्री सभापति : राजस्व मन्त्री जी।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति जी, यह जो लैण्ड रेवेन्यू बिल में संशोधन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है वह एक बहुत सरल सा है, सीधा है। रेवेन्यू बोर्ड की कार्यप्रणाली में, उसका कार्य अधिक कुशल हो, अधिक सुन्दर हो और जिसके बारे में अक्सर इस सदन में भी विचार व्यक्त किये गये उसको हम लोग उचित समझते थे वह बात ठीक है वह की जानी चाहिए वही इस रूप में साकार करने के लिए यह बिल हाउस में रखा गया है।

(उ०म०प०)

जो मौजूदा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट है उसकी धारा 4 और उसके उपखण्ड (4) में रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर कौन हो सकते हैं, उसके बारे में बतलाया गया है। उसमें यह लिखा है कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर आई० ए० एस० अधिकारी हो सकते हैं। यहां पर रेवेन्यू बोर्ड के बारे में माननीय सदस्यों ने वहां के वर्किंग के बारे में, वहां के केसवर्क के बारे में भी कई शिकायतें की हैं। यह बात सच है कि रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान की सबसे बड़ी कोसीजुडिशियल बोडी है। यहां के रेवेन्यू लाज और टेक्सेशन लाज की अपील और रिवीजन जो फाइल की जाती हैं वह वहां की जाती है। मौजूदा रेवेन्यू बोर्ड जो है उसके दो फन्क्शन्स हैं—एक एडमिनिस्ट्रेटिव और कोसीजुडिशियल और जगह भी इस तरह के फन्क्शन्स हैं। कोसी-जुडिशियल के हिसाब से वह मुकद्दमें जिनकी रेवेन्यू लाज के तहत में जो अपील व रिवीजन वहां लाई करते हैं वे वहां सुने जाते हैं। इसी तरह से बहुत से टेक्सेशन लाज, जैसे सैल्स टेक्स वगैरह की अपील व रिवीजन वहां पर लाई की जाती है। कहा यह गया पहले भी कई दफा कि वहां के जो सदस्य हैं रेवेन्यू बोर्ड के उनको मुकद्दमात सुनने का तजुर्बा नहीं है, उनको केसेज के हियरिंग का अनुभव नहीं है इसलिए वहां ऐसे लोग जाने चाहिए जिनका मुकद्दमात फैसल करने का तजुर्बा रहा हो, जिनका अनुभव रहा हो और जो इस कार्य की क्षमता रखते हों और कुशलता रखते हों। यह बात समझ कर हमने भी यह समझा कि इस बात को मानना चाहिए और इसके लिए उचित प्रावधान भी किया जाना चाहिए।

(श्री रामकिशोर व्यास)

एक सवाल यह आया कि हमारे रेवेन्यू लाज कमीशन के बारे में कई शंकाएं प्रकट की गई यह भी कहा गया कि कमीशन बना तो दिये जाते हैं पर उन पर अमल नहीं किया जाता है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक अर्ज करना चाहता हूं कि रेवेन्यू लॉज कमीशन का 75 फीसदी हिस्सा आपके सामने आ चुका है, यानी टिनेन्सी बिल का जो सुझाव दिया था वह हाउस में है, और एक-दो दिन में उसकी रिपोर्ट सामने आने वाली है। दूसरा कोलोनोइजेशन के बारे में उन्होंने कहा वह बिल आपके सामने है। तीसरा ग्रामदान के बारे में कहा था वह बिल आ चुका है। एक लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का बिल मन्त्रि-मण्डल के विचाराधीन है। लास्ट ईयर यह कहा गया था कि जो संशोधन होंगे वे सब एक कन्सोलिडेटेड फार्म में लाये जायेंगे। जिस प्रकार से आपने कहा तो इस प्रकार की कोई गवर्नमेंट की मन्शा नहीं है कि रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट को शेल्फ कर दिया जाय, छिपा दिया जाय, अमल में नहीं लाया जाय। वह बिल्कुल मन्शा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है कि तीन हिस्से आ चुके हैं। चौथा जो है वह कन्सोलिडेटेड रूप में जहां भी लैण्ड रेवेन्यू के बारे में संशोधन होंगे वे आपके सामने आवेंगे। यह सारा इसलिए किया गया है कि एक सवाल यहाँ पर आया कि पीसमील में क्यों लाया गया है ? इसको भी उसके साथ लाया जा सकता था। आर्डिनेन्स के रूप में लाने की जरूरत नहीं थी।....

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह कब तक आजायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : मै समझता हूं कि अगले सेशन में आ जायेगा।

इसको अकेला क्यों लाया गया ? मैं अर्ज करूंगा कि इसको इसलिए लाया गया है कि हम यह चाहते हैं कि यह काम कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स का जो हम नया गठन करना चाहते हैं वह जल्दी से अमल में आजाय, और सदन के माननीय सदस्यों की भावनाएं जो गत बजट के टाइम पर जो डिसकशन हुआ था उसमें जाहिर की गई थीं और हम भी इस बात का अहसास करते थे कि इसको जल्दी से लाना चाहिए। इसी ख्याल से यह एमेंडमेंट लाया गया है। उसको रोका नहीं गया है। उसमें तीन-चार महीने और लग जावेंगे नया सेशन आयेगा तब तक....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आर्डिनेन्स की जरूरत क्या थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह इसीलिए किया गया था। अब तो बिल के रूप में आपके सामने आगया है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : सवाल यह है कि जो संशोधन आप लाते हैं उसकी मन्शा है ...

श्री रामकिशोर व्यास : आप मुझे सुन लें तो जरूरत नहीं रहेगी।

इसके बारे में कुछ शंकाएं जो हैं जिस प्रकार कि कहा गया हैं कि वह है भी और

(श्री रामकिशोर व्यास)

सामने आते भी नहीं हैं। हम रिवाइज करना भी चाहते हैं और जुडिशियरी को लाना भी चाहते हैं मगर करना भी नहीं चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की जो ऐसी मन्शा है कि कहना और कुछ चाहते हैं और करना और कुछ चाहते हैं, यहां पर तो यह कहना चाहते हैं कि रूल्स प्रेस्क्राइब करने की पावर्स दी जायं और वहां जो कुछ आज है उससे भी नीचे के स्तर पर रेवेन्यू बोर्ड को लाया जाय। इस प्रकार की शंकाएं जाहिर की गई हैं। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की कोई धारणा हो तो माननीय सदस्य अपने दिमाग से उसको निकाल दें। गवर्नमेंट की कोई यह मन्शा नहीं है। मैं जो हाउस के सामने अर्ज करूंगा उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि हम उसको नीचे ले जाना चाहते हैं या आगे उन्नत करना चाहते हैं।

इसमें प्रोवाइड नहीं करने के दो कारण मुख्य रूप से हैं। रूल्स के लिए इसलिए कहा है कि इसमें अगर मेन-एक्ट में वह सारा अगर आप लिखते हैं तो काफी लम्बा हो सकता था, क्योंकि उसमें कई बातें रूल्स में करना चाहते हैं कि कौन लोग जो हैं वह रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर बनने के एन्टाइटल्ड हो सकते हैं, या उनकी क्वालिफिकेशन्स क्या हो सकती है। क्वालिफिकेशन्स एण्ड एलिजिबिलिटी ऑफ दी मेम्बरशिप आफ दी रेवेन्यू बोर्ड यह उसमें प्रोवाइड करना पड़ता है। दूसरा, उसमें यह भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि उन मेम्बर्स का एपाइंटमेंट कैसे हो, उनका प्रोसीजर आफ एपाइंटमेंट जो है वह क्या हो। वह भी एक तरीका है उसके बारे में भी कुछ रायें आई हैं। तीसरी बात, उनकी टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स के बारे में लिखना पड़ेगा। अभी तक तो खाली आई० ए० एस० आफिसर्स होते थे उनकी तनख्वाह बन्धी हुई थी तो वे रूटीन में जाते थे। उनके बारे में तो यह तय करना पड़ेगा कि उनके इमोल्यूमेंट्स क्या हों? क्या वेतन हो वह भी कन्सीडर करना पड़ेगा। ये सब बातें एक्ट से आना मुनासिब नहीं थी, उचित नहीं थीं। इसलिये रूल्स में प्रेस्क्राइब करके बात की जाय यह बात हमने कही है स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में। उसका आपने मुलाहिजा किया होगा। हम हाई जुडिशियल सर्विसेज के भी आदमी लेना चाहते हैं, एडवोकेट्स में से भी लेना चाहते हैं। मैं निवेदन करूं आप से कि गवर्नमेंट यह चाहती है कि रेवेन्यू लॉज कमीशन के बारे में जो अभी कहा है भाई डागाजी ने जो पाली से आये हैं। उन्होंने यह बात कही है कि वे जानना चाहते हैं कि रेवेन्यू लाज कमीशन ने जो रेवेन्यू बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन के बारे में लिखा है उसको करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? यह उन्होंने जानना चाहा। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम करना चाहते हैं और इसी के द्वारा करना चाहते हैं। उसमें तीन बातें उन्होंने बताई हैं। रेवेन्यू लॉज कमीशन ने इस सम्बन्ध में एक बात तो यह कही है कि जो मैंने पहले आपसे कही है कि मेम्बर्स की क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब होजाना चाहिए। दूसरी जो उनमें मेम्बर्स का एपोइंटमेंट है

(श्री रामकिशोर व्यास)

वह किसी ऐसी बोडी के द्वारा होना चाहिए कि जो ऊंची से ऊंची बड़ी हाई पावर कमेटी की तरह से हो, जिसके लिए उन्होंने यह सजेस्ट किया है कि उसमें एक चीफ जस्टिस, एक पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हो और चीफ सेक्रेटरी हो। इन तीनों आदमियों की कमेटी बनाई जाय और वह सिलेक्शन करे, आने वाले नये मेम्बर्स का। हम इस बात को एक्सेप्ट करते है और हमने हाउस के सामने कहा है कि यह डिसीजन लिया है कि आयन्दा एक आदमी हायर जुडिशियल सर्विस में रेवेन्यू बोर्ड में लिया जाना चाहिए और लेंगे। हायर जुडिशियल सर्विस मीन्स डिस्ट्रिक्ट जज की रेंक का हायर जुडिशियल सर्विस का एक आदमी रेवेन्यू बोर्ड में हम लेना चाहते हैं दूसरा यहां के एडवोकेट्स की बहुत मांग थी कि वकीलों को भी मौका मिलना चाहिए इस बात का कि वह भी बेंच में जा सकें। आज जिस तरह से हाई कोर्ट के अन्दर बार से बेंच में प्रोमोशन होता है, और जो योग्य वकील होते हैं, अभिभाषक होते हैं उनको भी अवसर मिलना चाहिए बेंच में जाने का। तो इधर रेवेन्यू साइड में इस तरह का कोई अवसर अभी तक नहीं था। यहां के वकील हाई कोर्ट में पैरवी कर लेते हैं वह रेवेन्यू बोर्ड में जाते हैं। अभी तक यह प्रावधान नहीं था कि वकील लोग बेन्च में जायं रेवेन्यू बोर्ड में। अब इससे में समझता हूं कि कुशलता आयेगी, नया ब्लड आयेगा, नई जानकारी होगी, नया तजुर्बा होगा। एक प्रिन्सीपल एक्सेप्टेड था कि जब हाई कोर्ट के अन्दर वकील लोग जा सकते हैं तो फिर रेवेन्यू बोर्ड की मेम्बरशिप में क्यों नहीं जा सकते? वह प्रिंसिपल भी हमने एक्सेप्ट किया कि एक वकील भी जाना चाहिए। इस बिल के जरिए एक हायर जुडिशियरी का लेना चाहते हैं और एक एडवोकेट लेना चाहते हैं। उनकी वही क्वालिफिकेशन रखना चाहते हैं जो रेवेन्यू कमीशन में किया है। उन्होंने यह किया है कि या तो 10 साल का जूडिशियरी का अनुभव हो या 10 साल की वकालात का तजुर्बा हो। हाई जूडिशियरी में जाते जाते यह हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था जो यह क्वालिफिकेशन बताई है उसके अनुसार लेंगे। इनका रूल्स में प्रोविजन करना चाहते हैं। इसमें डिले करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि इस बारे दिमाग साफ है। दूसरे एक यह कहना चाहता था, इसकी सिलेक्शन कमेटी हाई पावर की हो। चेयरमैन हाई कोर्ट के जज होंगे। चीफ जस्टिस को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। वह सिलेक्सन करेंगे। यही शिकायत थी।

दो बातें और हैं, अपाईंटमेंट के बारे में और प्रोसीजर के बारे में टर्म्स एंड कण्डीशन्स हैं। हम तो जल्दी जारी करना चाहते हैं। जल्दी अमल में आजायेगा। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो विचार जाहिर किये हैं, उसमें एक यह भी आया है, बजाय यहां के हाई कोर्ट में एक बेंच कर दी जाए जो रेवेन्यू के मामले सुन लिया करे। मैं ऐसा मानता हूँ कि रेवेन्यू अलग ही रहना चाहिए। काश्तकारों के लिहाज से यह बाडी ज्यादा दुरुस्त है और जो रेवेन्यू

(श्री रामकिशोर व्यास)

ला में जो एवीडेंस के पावर्स हैं, जो लागू होना चाहिये वह लागू हों। अगर रेवेन्यू केसेज बढ़ जायें तो काफी शिकायतें आ सकती हैं। इसलिये उनको सस्ता न्याय मिल जाये। वह परपज सर्व हो जाता है बजाय वहां ट्रान्सफर करने के। इसी प्रकार से केसेज की बात आई। दरअसल वह शिकायत सही हैं। इस माने में सही है कि साढ़े चार हजार केसेज पड़े हैं। डिस्पोजल पहले के मुकाबले काफी बढ़ा है। ये नये चेयरमैन आये हैं तब से काफी बढ़ा है। फिर भी साढ़े चार हजार केसेज हैं इसलिए हमने एक साल के लिए, एरियर निकालने के लिए एक मेम्बर को बढ़ाया है। और जयपुर के बारे में जो डिस्कशन आया है, मैं उसके सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जांच करूंगा जो कोई कार्यवाही होगी की जावेगी। एलाटमेंट के बारे में शिकायत आई। एलाटमेंट के बारे में कोई मुझे सिद्धान्त के सज्जन मिलें, मुझे उनका मार्ग दर्शन मिले। जो मौजूदा नियम हैं उनमें क्या परिवर्तन कर सकते है। जिससे वह सुचारू रूप से कार्य चल सके।

श्री मूलचन्द डागा : तहसीलदारों के बारे में।

श्री रामकिशोर व्यास : तहसीलदार अकेला नहीं करता है। क्षेत्र का एम. एल. ए. होता है, प्रधान होता है। उसमें नोन ऑफीसियल एलाटमेंट काफी होता है। मगर कोई दस्तखत नहीं करता है। वह बात सही नहीं है, गलत है। उसमें प्राइमाफेसी ही नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस विधान सभा में चर्चा हुई थी। प्रधान और सरपंच आदि उनके बारे में एक कमेटी बनाई जायगी।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : (सवाई माधोपुर): माननीय नत्थीसिंह जी ने एतराज किया था। लेकिन फिर भी वह बराबर एलाटमेंट करते है जबकि विधान सभा चल रही हो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : करना है, वह बाद में भी करेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : जब कि असेम्बली, धारा सभा चल रही हो। तो उस समय के बीच में एलाटमेंट नहीं हो। अभी गान्धी शताब्दी में, दिसम्बर के महीने में एलाटमेंट किए तो जिन जिन महानुभाव ने कहा तो हमने कलेक्टर को फोन किया है। वह लीगल नहीं रखे हैं। जिनकी जानकारी होगी, दुबारा वही कार्यवाही करूंगा। ताकि माननीय सदस्य शामिल हो जायें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : विधान सभा की कमेटी बनाई जाएगी, इस सवाल का जवाब देंगे ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा: मै मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूं कि एक जनरल आर्डर क्यों नहीं निकाल देते हैं। जब तक कि

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

विधान सभा के सदस्य शामिल न किये जायें एलाटमेंट न किये जायें।

श्री रामकिशोर व्यास : जैसा कि आपने कहा है, वह मैंने माना है। उसमें आपको एतराज है तो आप बता दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसमें यह भी बात है, तहसीलदारों ने जो जमीन अलाट की है, जब कि विधान सभा चलती है। ऐसी कितनी जमीनें अलाट की गई हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि वह नाजायज तरीके से, रिश्वतखोरी के तरीके से की हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : विगत तीन वर्ष में मेरे क्षेत्र में जितनी भी अलाटमेंट हुए हैं, वह सब विधान सभा के कार्य काल में हुए है।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर आप के क्षेत्र में अलोटमेंट हुए हैं तो वह सैट एसाइड हो जाएंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह कार्यवाही क्या सभी जगह हो जाएगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप लिख कर देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : लिख कर दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप रिपोर्ट मंगा लें। कहां कहां अलोटमेंट विधान सभा चलने के दौरान किया गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : दुबारा इस बात को और जारी कर देंगे जो असेम्बली के टाइम पर एलाटमेंट कमेटी की मीटिंग हुई हैं उसके लिए।

तीसरी बात इसमें है......

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) **:** माननीय मंत्री महोदय से मैं एक श्न पूछना चाहता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पहले मंत्री महोदय उत्तर पूरा दे दें और बाद में प्रश्न पूछें तो ठीक रहेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : पहले मैं पूरा कर लूं। अगर जवाब अर्ज करता रहूंगा तो यह सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। मुझे भी कुछ कहना है ....

श्री श्रवणलाल : जैसा आपने अभी बताया, माननीय सदस्य ने जो अभी प्रश्न उठाया था कि विधान सभा की बैठक चलती हैं तब एलामेंट होता है, उसके बारे में, यह एक जगह का सवाल नहीं है.......

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि उसके बारे में जारी कर दिया है और एक का नहीं सब का मामला हल होगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह पिछले सभी वर्षों के लिए कर दिया है ?

श्री सभापति : आप कहते हैं कि सब के लिए कर देंगे।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैंने 1966 से 70 के लिए कहा.........

श्री रामकिशोर व्यास : माननीय सदस्य गोयल जी ने कहा उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं कि कहां कहां गवर्नमेंट आफिसियल्स को आवंटन हुआ है और उसकी जानकारी करके अर्ज कर दूंगा।

श्रीदेवीदत्त गाड़िया : ग्रो मोर फूड के सम्बन्ध में हजारों बीघा भूमि एलाट हुई है, लीज पर दी गई है.........

श्री सभापति : ऐसा है.......

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो जमीन एलाटमेंट कमेटी के द्वारा खारिज की गई, उसको दुबारा तहसीलदार ने खारिज हुई जमीन को दुबारा दरख्वास्त लेकर नजर शानी के नाम से एलाट कर दी है। इस प्रकार के बहुत से केसे हैं। इसकी आपकी जांच करायें।

श्री रामकिशोर व्यास : कोई एस्पेसिफिक इन्सटान्स बता दें तो मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ग्रो मोर फूड के सम्बन्ध में ....

श्री रामकिशोर व्यास : ग्रो मोर फूड के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बहुत पुराना मामला है, किसको दी गई है किस को नहीं। यह दस पन्द्रह साल पहले का मामला है। आप कोई इंडिविजुअल केस बतायें तो जानकारी कर सकता हूं। वैसे एग्रीकल्चर विभाग ज्यादा डील करता है लेकिन कोई पर्टीक्यूलर केस बारे में जानना चाहते हैं तो आप केस बतायें। वैसे दस साल के अन्दर खातेदारी एक्रू हो जाती है, वह होगई होगी। अब किसी पर्टीक्यूलर केसे के बारे में जानना चाहें तो वह बतायें।

श्री सभापति : (श्री रामचन्द्र आर्य के खड़े होने पर) श्री रामचन्द्र आर्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : ग्रो मोर फूड के लिए जमीन दी गई है उसमें नालियों की जमीन में दी गई हैं। बाकी की भूमि में नहीं दी गई है। नाली में व्रजप्रकाश गोयल, जो उप मन्त्री हैं, के भाई के नाम से और इस प्रकार अन्य लोगों के नाम से खातेदारी दी गई है, जब कि आज छः हजार रुपये बीघा जमीन है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि स्पष्टीकरण के नाते प्रश्न पूछना चाहें और फिर दुबारा खड़े हो जायं—यह उचित नहीं है। एक दो प्रश्न पूछना चाहें वह पूछ लीजिये। एक प्रश्न आये उसका उत्तर आ जाय, फिर दूसरा प्रश्न पूछे। उसमें भी कोई नया प्रश्न न पूछें, जिसका जवाब दिया जा सकता है आसानी से वह प्रश्न पूछें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने कहा कि एलाटमेंट में क्या तब्दीली लाई जा सकती है जिसकी वजह से गरीबों को जमीन मिल सके—इसके ऊपर विचार करेंगे। इसका तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

उसके लिए क्या होगा जिसमें यहाँ से भूल हुई है। मैं अर्ज करूं कि 1968 में आपने जो जंगलात का बोड़ था उसका आपने यहाँ से अलाटमेंट का आर्डर भेज दिया, जो नाजायज है, बेजा है और आपके अधिकार का नहीं है क्योंकि जंगलात में बोड है वह 1969 में जंगलात से निकली है। तो वहाँ जो एलाटमेंट में गड़बड़ी हुई है उसको तो दुरुस्त कर देंगे लेकिन यहाँ से आर्डर निकला है उसको आप कैसे दुरुस्त करेंगे ? ताज्जुब तो यह है कि मन्त्री महोदय ने आर्डर दिया, उसको राजस्व सेक्रेटरी ने भेज दिया, जब कि उनके अधिकार की वह चीज नहीं है क्योंकि वह जंगलात का बोड है। उसमें से आप पन्द्रह पन्द्रह बीघा जमीन दे रहे हैं उसको आप कैसे दुरुस्त करेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं राजस्व मन्त्री जी से। आपने आज तक किन अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाया है ? किसी को एलाटमेंट के मामले में आज तक आपने सस्पेन्ड करके पनिश किया है या नहीं ? मैं तो कहता हूं कि आपकी सख्ती कैसी है ? किसी आपके कलेक्टर ने जाँच की है और रिपोर्ट दी है ? कितने अधिकारियों के खिलाफ केसेज पैंडिंग हैं और कितनों को आपने सस्पेन्ड कर दिया है ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : एक और प्रश्न पूछ लूँ, उसका जवाब भी साथ ही साथ दे दें। मैं आपको एलाटमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ, तहसील खण्डहार मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी की तहसील है, उसमें एस. डी ओ. कलैक्टर, तहसीलदार, विकास अधिकारी—ऐसा कोई व्यक्ति बाकी नहीं बचा है, और मेरे ख्याल में कुछ विधायक, कुछ मिनिस्टर भी हैं जिन्होंने अपने नाम से बेनामी एलाटमेंट कराया है। आपने कहा कि अधिकारी के मार्फत जांच करवा रहे हैं, तो मैं मान कर चलता हूं कि वहाँ जो सिवाय चक भूमि है उसके वन थर्ड का एलाटमेंट अधिकारियों, प्रधान, सरपंच एवम् मिनिस्टरों को बेनामी ढंग से एलाटमेंट हुआ है। कोई सरपंच या प्रधान ऐसा नहीं है...

श्री सभापति : जानकारी क्या चाहते हैं ? अभी क्या जानकारी चाहते है ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आप इसकी जाँच करवायें। वहाँ के बाकी के आदमी जानते हैं कि इस ढंग से बेनामी ढंग से एलाटमेंट हुआ है और जिनके नाम से एलाटमेंट हुआ है वह वहाँ रहते नहीं हैं, गाँव में नहीं रहते हैं। इस प्रकार की जांच कमेटी मेरे ख्याल से तहसील लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर जाँच करे। जब तक जांच कमेटी नहीं बनायेंगे और कलैक्टर की मार्फत रिपोर्ट ले रहे हैं कि किन किन कर्मचारियों को और अधिकारियों को जमीन एलाट की गई है तो उससे मालूम नहीं पड़ सकता है। उसकी सही रिपोर्ट नहीं होगी। तो एक तो मेरा प्रश्न यह था कि विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बनायें। विधान सभा के सदस्यों की समिति नहीं बनायें तो मैं कहता हूं कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनायें जो हर जगह

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

जाकर मालूम कर सके और एलाटमेंट की गड़बड़ी का पता लगा सके।

दूसरा मैंने यह निवेदन किया कि आपने विधान सभा के सत्र काल में एलाटमेंट कार्यक्रम न रखने का आर्डर तो जारी कर दिया है, लेकिन मैं आपको सूचना देता हूँ कि 1967 से जब जब इस विधान सभा के सत्र हुए हैं तब तब शुरू की तारीख से लेकर आज की तारीख तक एलाटमेंट के प्रोग्राम रखे गये हैं....

श्री सभापति : इस प्रश्न को...

श्री हरिवल्लभ शर्मा : दो तीन वर्ष से यह चल रहा है।

श्री सभापति : इस प्रश्न को तो आप उठा चुके हैं और मन्त्री महोदय उस पर आश्वासन दे चुके हैं। बार बार वही प्रश्न आप कर रहे हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : वह तो गांधी शताब्दी के लिए आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि 1969-70 का है वह देख लेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा ?

श्री सभापति : मिलेगा अवश्य !

श्री परसराम गंगाराम : सभापति महोदय, परवतसर तहसील के प्रधानजी ने क्योंकि जाति के जाट हैं, वहाँ पर कलेक्टर साहब भी जाट हैं और तहसीलदार भी जाट है—सब अपनी जातियों के लोगों को जमीन एलाट करा ली, अपनी औरत के नाम, बेटे के नाम और अपने नाम सैकड़ों बीघा जमीन एलाट करवा ली है, उसके लिए मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के पास गया और उनको अर्जी भी दी लेकिन आज दिन तक उस एलाटमेंट का कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर साहब खुद लिखते हैं, पंचायत समिति के प्रधान श्री अर्जनाराम को यह जमीन एलाट की जाय। कलेक्टर साहब के लिखित में है, इतनी गड़बड़ी है लेकिन आज दिन तक कुछ नहीं किया और विश्वास दिया था कि कुछ न कुछ इसके लिए कदम उठायेंगे। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि उसके लिए आज दिन तक आपने क्या किया ?

श्री सभापति : इस सम्बन्धी प्रश्न पूछा है ?

श्री परसराम गंगाराम : हुकम !

श्री सभापति : हाँ तो उसका उत्तर जब होगा जब पहले का उत्तर आयगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। ग्रो मोर फूड के नाम से जमीन आवंटित हुई है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! यह प्रश्न उठाया था डिबेट में ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : जी।

श्री सभापति : अभी ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : जी।

श्री सभापति : आज ही ?

Page No 110

श्री देवीदत्त गाड़िया : जी।

श्री सभापति : लैंड रेवेन्यू बिल पर ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : जी !

श्री सभापति : यह प्रश्न आपने पूछ लिया है...

श्री देवीदत्त गाड़िया : बीस साल की लीज जो दी गई है उसके खातेदारी अधिकार नहीं मिलते हैं। लेकिन इन्होंने पांच दस साल में ही बेच दी है। राजस्थान में कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें ऐसे मामले नहीं हों। तो जब आपकी यह स्पष्ट नीति है तो फिर क्यों नहीं जांच करते हैं ? एक प्रश्न तो मैं यह पूछना चाहता हूँ, दूसरा यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जनवरी के सत्र के अन्दर माननीय मन्त्रीजी ने...

श्री रामकिशोर व्यास : सभापति महोदय, इंडिविजुअल केसेज में मैं अर्ज नहीं कर सकता। वैसे आप फर्मा दें, मुझे एतराज नहीं है। लेकिन अगर अलग से बतायें या लिख कर दे दें तो एक्शन आगे हो सकता है। इस वक्त इंडिविजुअल केसेज के लिए क्या कहूँ कि कहाँ एलाटमेंट हो गया या कहाँ खातेदारी मिल गई। यह कहना मुश्किल है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एलाटमेंट के बारे में विधान सभा में यह प्रश्न उठा था, जो इल्लिगल एलाटमेंट होते हैं उनके लिए विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाय, उस समय यह कहा था कि मामला विचाराधीन है....

श्री रामकिशोर व्यास : जनरल बात कही गई थी, कोई स्पेसिफिक केस नहीं बताया था।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप कोई स्पेसिफिक केस बतायेंगे....

श्री देवीदत्त गाडिया : आप यह चाहते हैं या नहीं ? आप इसको उचित समझते हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि कोई स्पेसिफिक केस बतायें, कोई ऐसा केस मेरे नोटिस में लाये तो उसकी जांच कराने में मुझे क्या एतराज है।

श्री रामानन्द अग्रवाल, गस्त गिरदावरी में एक्चुअल टिलर का नाम रिकार्ड करने की बात है उसके लिए भी कह दें।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि छोटा या बडा गांव हो, हमारे पास जो जमीन सिवाय चक की थी, जिस पर पुराने गांव वालों ने बाडे के रूप में बना रखे हैं, उसके सम्बन्ध में आये दिन पटवारी के द्वारा तहसीलदार परेशान करता है। मैं जानना चाहूँगा कि जिनका बहुत पुराना कब्जा है, आज से दस बीस साल पुराना कब्जा है, छोटे छोटे बाडे जिस में बना कर जानवरों के लिए चारे का अरेंजमेंट जिसमें होता है, उनके लिए 190 के तहत जो परेशान किया जाता है, क्या आप उससे मुक्त करेंगे ? एक प्रश्न तो यह है।

(श्री श्रवणलाल)

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो पंचायतों को पन्द्रह बीघा भूमि एलाट करने का आपका नियम है, उस नियम के तहत जहां भी भूमि है, मान लीजिये कि किसी पंचायत में नहीं है, तो दूसरी पंचायत में सरपंच जाकर पंचायत के नाम से जमीन एलाट कराते हैं और उससे वह जमीन भूमिहीनों को न मिल कर ग्राम पंचायत के द्वारा जमीन हड़पने की कोशिश की जाती है। आज मौजूदा स्थिति उन जमीन की क्या है, न उस पर काश्त करते हैं, ग्राम पंचायत दूसरों से काश्त कराती है और पूरा लाभ वह स्वयं खा जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो भूमि ग्राम पंचायत को इस प्रकार से अगर एलाट की जाने वाली है और जो की जा चुकी है—उसको किसी भी प्रकार से इन पंचायतों को एलाट न करके गरीबों को वितरित किया जाय। इसमें आपका क्या जवाब है ?

श्री कल्याणमल (जहाजपुर सु०) : सभापति महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि हमारे यहां के तहसीलदार ने 9-3-70 को अलोटमेंट की सूचना निकाली और 13 से 23 तारीख तक 30 पंचायतों में अलोटमेंट करने की सूचना निकाल कर जानबूझ कर कमेटी के मेम्बर उसमें नहीं आ सकें इस इरादे से 30 पंचायतों का पांच सात दिन में ही अलोटमेंट कर दिया।

श्री शंकरलाल : यह तो राज्य सरकार का सर्कुलर हैं कि जब तक मीटिंग नहीं बुलाई जाय अलोटमेंट नहीं किया जाय। फिर कैसे सर्कुलर के अगेन्स्ट में अलोटमेंट कर दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मै देख लूंगा।

कुछ बातें माननीय सदस्यों ने कही है, हालां कि जो संशोधन बिल यहां आया है उसके बाहर हैं उसके बाहर की बातें भी कहते रहते हैं ...

श्री सभापति : उनको भी इसलिये इजाजत दे दी कि और दूसरा बिल है उसको पास करवाने में सहयोग मिले।

श्री रामकिशोर व्यास : मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, उसके बारे में मैंने उनसे भी निवेदन किया था और अब भी निवेदन करना चाहता हूं कि मुझसे पहले इस बीड़ के बारे में कहा था मै वहां गया। बहुत वर्षों बाद बीड की जमीन निकली और रेवेन्यू विभाग के पास आई है, अलोटमेंट अब होगा, अलोटमेंट कमेटी में वह जायगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : भूतपूर्व मंत्रीजी ने आदेश दिये, उनको कैन्सिल क्यों नहीं करते ?

श्री रामकिशोर व्यास : कैन्सिल तो अपने आप हो गये जब मैंने कहा कि अलोटमेंट किया जायगा।

माननीय सदस्यों ने बाड़ों के बारे में कहा उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सेटलमेंट में दर्ज नहीं हैं और

(श्री रामकिशोर व्यास)

साबित कर सकते हैं तो ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा पंचायतों में 15 बीघा जमीन देने का कहा, यह प्रावधान आलरेडी है। दी जानी चाहिये, मैं भी मानता हूं। आपने सब टिनेन्ट के बारे में फरमाया, जो इतिहास और भूमिका आपने बांधी है वह तो आपकी प्रतिभा के लिये शोभा की बात है पर दरअसल ऐसा किया नहीं। पहले जमाने में लोग पटवारी से मिल कर एक्चुअल काश्त दर्ज करवा देते थे, उससे करप्शन फैला ऐसी शिकायतें आई कि एक्चुअल काश्त करते नहीं, दो तीन साल तक काश्त करना दर्ज करवाया, ऐसी बात आई। पर अब ऐसा नहीं है,

एक बात ठीक है, इसमें डिफिकल्टीज दूसरी एराइज होती है, उसका रेकार्ड नहीं रहता इसको हम कन्सीडर करेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 1970 को जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने के लिये जो प्रस्ताव सर्व श्री मूलचन्द डागा, वृद्धिचन्द जैन, कृष्णकुमार गोयल आदि ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 2

श्री पृथ्वीसिंह :

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3

श्री रामकिशोर व्यास : खण्ड 3 को विलोपित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को विलोपित किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 विलोपित किया गया।

खण्ड 1

श्री रामकिशोर व्यास : वर्तमान खन्ड उप खण्ड (1) संख्यांकित किया जाये, और पुन: संख्यांकित उप खण्ड (1) के पश्चात् उप खण्ड (2) इस प्रकार जोड़ा जाए : "(2) It shall be deemed to have come into force on the 26th day of February, 1970"

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 1 में जो संशोधन मंत्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि प्रियेम्बल, टाइटल इत्यादि स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

प्रयेम्बल, टाइटिल इत्यादि स्वीकार किये गये।

श्री रामकिशोर व्यास : सभापति महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1970 को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1970 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक निवेदन है, खण्ड 4 में मेरा संशोधन है।

श्री सभापति : खण्ड फोर तो इसमें है ही नहीं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक सेक्शन फोर, खण्ड 2 में मेरा अमेंडमेंट है।

श्री सभापति : खण्ड 2 तो बहुत पहले पारित हो गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कब हो गया।

श्री सभापति : आप चाय पीने बाहर गये थे तब।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अभी लिया हैं आपने तो।

श्री सभापति : पारित हो गया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मंत्री महोदय ने एग्री कर लिया था।

श्री रामकिशोर व्यास : (बैठे बैठे ही) एक्सेप्ट कर लेंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हाउस में कह दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : एम्स एण्ड ओब्जेक्ट्स में रख दिया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1970 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, मैंने भी कल सदन में जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, भादरा, सांगरिया और चूरू गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस काम को निवटा लें, उसके बाद ले लेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : ३॥ बजे देने का था......

श्री सभापति : कौन वक्तव्य देने वाले थे ?

श्री रामचान्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आज व्यवस्था दे देंगे, उसके बाद गृह मन्त्रीजी का वक्तव्य हो जायगा। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मैं देख लूंगा। अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था आज होने वाली थी।

श्री सभापति : अभी मैं उसके बारे में देख लेता हूँ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, जनमत के लिये प्रसारित करने का प्रश्न समाप्त हुआ, उस वक्त तो मैं यहां बैठा हुआ था।

श्री सभापति : फिजिकली यू मे बी हीयर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं तो उस वक्त आगया था, आपने आश्वासन कब दिया मुझे यह भी मालूम नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नाहर-साहब, हम तो हमेशा बर्दास्त करते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बर्दास्त करने की बात नहीं है, मेरा अमेंडमेंट है, आपने एग्री किया था। मुझे पता ही नहीं कि मन्त्री महोदय ने क्या कहा......

श्री सभापति : नोट नेसेसरी......

माननीय सदस्य, जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव था, वह मैंने रखा, मतदान लिया, सदन ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद खण्ड २ रखा, उसे सदन ने स्वीकार किया, उसके बाद खण्ड ३ रखा, उसको विलोपित करने का प्रस्ताव आया, सदन ने उसे विलोपित किया, उसके बाद खण्ड १ लिया, उस पर मन्त्री महोदय ने संशोधन रखा, संशोधन को सदन ने स्वीकार किया, और उसके बाद खण्ड १ को संशोधित रूप में रखा, सदन ने उसे पारित किया, तब तक तो आपने कहा नहीं, जब मूव ही नहीं हुआ तो मैं उसे कैसे ले सकता हूं? Unless the amendment is moved in the House, there is no question of putting it to the vote of the House.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : निवेदन यह है कि, आप (मन्त्री महोदय) फरमा रहे हैं कि मैंने आश्वासन दे दिया, हाउस में कोई आश्वासन दिया हो तो मुझे पता नहीं।

Page No 115

श्री सभापति : माननीय सदस्य अनुपस्थित रहें तो उसका क्या इलाज है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैंने कल सुबह ११ बजे संशोधन दिया था कि यह one third of the Members of the Board shall be from Advocates. मैंने मूव किया था।

श्री सभापति : उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में जिस तरह प्रोपोर्शन ले लेते हैं, उस आधार पर लेंगे।

श्री रामानंद अग्रवाल : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। कोई बिल पारित हो जाने के बाद क्या उस पर किसी भी स्टेज पर बहस रीओपन हो सकती है ?

श्री सभापति : कोई बहस रीओपन नहीं हुई है, माननीय सदस्य को संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ जिससे सदन में अव्यवस्था पैदा न हो। अव्यवस्था का ठेका केवल आपका तो नहीं है ?

श्री रामानंद अग्रवाल : माननीय सदस्य नियमों को बहुत ज्यादा मानने वाले हैं ? अक्षरशः।

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1970

श्री सभापति : अब नहीं खड़े होंगे। राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1970 राजस्व मंत्री।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1970, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस बिल में एग्जेम्पशन्स के विथड्राल की बात तो पेश नहीं कर रहे हैं जिसमें एग्जेम्पशन्स को विथड्रा करने के बारे में......

श्री रामकिशोर व्यास : सीलिंग वाला ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : हां।

श्री रामकिशोर व्यास : आएगा।

श्री सभापति : यह राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक तो केवल गैरखातेदार टैनेन्ट्स को लोन वगैरह दिए जाने के बारे में एक क्लाज का बिल है। इसमें अधिक बात नहीं है।

श्री पी.के चौधरी : यह जो बिल है, इसमें सेक्शन 43 को सबस्टीट्यूट करने का जो प्रस्ताव रखा है, उसमें एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : अमेंडमेंट्स पर ले लेंगे।

श्री पी.के. चौधरी: I have not moved the amendment.

श्री सभापति : इसको विचारार्थ ले लेता हूँ. फिर आपको छूट दे देंगे, जो सुझाव रखने हों, रख दें।

श्री पी के. चौधरी : मैंने अमेंडमेंट मूव नहीं किया है।

श्री सभापति : कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री महोदय को आपका सुझाव अच्छा लगेगा तो स्वीकार करेंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1970, को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया। अब क्लाज बाई क्लाज जो महत्वपूर्ण सुझाव आप देना चाहें तो आई वुड परमिट देम।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : मेरा सुझाव था कि इसको सबस्टीट्यूट कर रहे हैं 43 को। इसमें है : "(1) A Khatedar tenant, or, with the general or special permission of the State Government or any officer authorised by it in this behalf, a Ghair Khatedar tenant, may hypothecate or mortgage his interest........"

मेरा सवाल यह था कि जो गैरखातेदारों को अधिकार दे रहे हैं तो फिर क्लाज रखें कि स्टेट गवर्नमेंट की जनरल परमिशन हो या किसी अधिकारी की जनरल परमिशन हो, जब लेजिस्लेशन पास कर रहे हैं व्हेन व्ही आर ब्रिंगिंग इट आन दी स्टेच्यूट, जिस प्रकार से खातेदार टेनन्ट को आपने जमीन को हाईपोथीकेट करके, मोर्टगेज करके, शिड्यूल्ड बैंक से या लेंड डेवलपमेन्ट बैंक से लोन मिल सकता है, उसी प्रकार गैर खातेदार को भी मिल सकता है तो यह रखने की क्या जरूरत है कि "with the general or special permission of the State Government or any officer authorised by it" इसकी जरूरत मुझे महसूस नहीं होती मैं मानता हूं कि एलाटमेन्ट होने के बाद और उसने फसल पैदा कर ली, उसके बाद गैर खातेदारी 10 साल तक रहनी चाहिए। वाई दिस डिस्क्रिमिनेशन ? जब हाइपोथीकेट करने के अधिकारी हैं तो स्ट्रेट-अवे आपको करना चाहिए कि जिस प्रकार खातेदार टेनेन्ट जमीन के विकास के लिए, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार वह मोर्टगेज कर सकता है जमीन को, उसी प्रकार गैर खातेदार टेनेन्ट को भी यह अधिकार प्राप्त होगा स्ट्रेटअवे। कहने में क्या दिक्कत है ?

ओरिजिनल एक्ट में जो शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रोवीजो था कि वह अपनी जमीन सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स को मोर्टगेज कर सकता था, दूसरे किसी को नहीं, क्योंकि सेक्शन 43 के रिप्लेसमेंट के बाद वह रेस्ट्रिक्शन था, वह हट जाता है और जब वह हट जाता है तो मैं समझता हूं कि सिर्फ बैंक या फाइनेन्शियल इन्सटीट्यूशन्स में हाइपोथीकेट या मोर्टगेज करने का जो मामला है, उस पर शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स या सवर्ण में भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रोवीजो होना चाहिए कि जब प्राइवेट इन्डिवीज्युअल कुछ मोर्टगेज कर सकता है तो इट मस्ट बी बिटवीन शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब।

खंड 2

श्री सभापति : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा(सवाई माधोपुर): मन्त्री महोदय उत्तर दें कि जबसे आप अध्यादेश लाए हैं तो फाइनेन्शियल इन्सटीट्यूशन्स से गैर खातेदार टेनेन्ट्स को जो कर्जा मिला है, वह अब तक किसकी मन्जूरी से दिया है। आपने लिखा है कि जनरल या स्पेशल परमीशन से गैर खातेदार टिनेन्ट कर्जा ले सकते हैं। मैं अमेंडमेंट मूव करने के बारे में मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अब तक आपने कौनसी एजेन्सी मुकर्रर की है जिसकी सैक्शन से गैर खातेदार टिनेन्ट फाइनेन्शियल संस्थाओं से कर्जा लेते रहे हैं? पंचायत समिति, जिला परिषद या तहसीलदार ?

श्री रामकिशोर व्यास : सुनाई नहीं दिया।

श्री सभापति : आपका संशोधन प्रस्ताव है कि एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी की परमीशन से ही कर्जा दे सकें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : हां हां। अब तक जो गैर खातेदार बैंकिंग इन्सटीट्यूशन्स से कर्जा लेते रहे हैं, कौनसी एजेन्सी से यानि राज्य सरकार ने किसको ओथोराइज किया है, किसकी मन्जूरी से गैर खातेदार को फाइनेन्शियल संस्थायें कर्जा देती रही हैं, अध्यादेश जारी करने के बाद ? किसी को पावर्स डेलीगेट की हैं क्या ? क्योंकि अखबारों में आ रहा है कि खातेदार व गैर खातेदारों को भी कर्जा दिया गया है, तो अब तक किस को मन्जूरी से देते रहे हैं। अगर कोई सरल तरीका हैं तो मैं अपना संशोधन वापस ले सकता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : एस. डी. ओ. को देना चाहते हैं ?

श्री सभापति : राज्य सरकार के बजाय एस. डी. ओ. को पावर्स देना चाहते हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं सरकार का इन्टेन्शन जानना चाहता था कि दरअसल किसकी मन्जूरी से गैर खातेदार को कर्जा देना चाहते हैं। जहां तक एस. डी. ओ. को पावर्स देने का प्रश्न है, शायद राजस्व मन्त्री जब सवाई माधोपुर पधारे थे जनवरी में और एक किसान सम्मेलन के आयोजन के बहाने पधारे थे और बार में भी गए थे और सारे के सारे बार मेम्बर्स ने एस. डी. ओ. के खिलाफ शिकायतें की थी यूनानीमसली। उसके पास पहले ही इतना काम है जो वह ओवरलोडेड रहता है, उनके पास इतने मल्टीफेरियस काम रहते हैं कि मामूली दरखास्तों पर एक एक साल दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच साल लग जाते हैं। तो इस कर्ज देने के मामले में यह एजेंन्सी उपयुक्त नहीं होगी। उससे बैटर तो यह होगा कि मैंने जो संशोधन मूव किया है कि लैंड एलाटमेंट कमेटी को पावर्स दिये जायं, पाबन्दी नहीं रखी जाय। उस कमेटी में एस० डी० ओ० है, तहसीलदार हैं, प्रधान, विधायक, आदि। तहसील हैड-क्वार्टर पर कम से कम एक महीने में दो सिटिंग्स कर लें, सारी दरखास्तें आसानी से डिस्पोज आफ कर सकते हैं। मैंने संशोधन इसलिए रखा है कि ऐसा न हो कि कोई गैर खातेदार कर्जा लेने के बगैर रह जाय।

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

एस. डी. ओ से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वह दरखवास्तों का स्पीडी डिस्पोजल करेगा। दरख्वास्त देने गए, कभी एस. डी. ओ. नहीं मिला, कभी वह घर पर ही तारीखें बदल रहा है। केवल मन्जूरी प्राप्त करने में महीना नहीं साल भी लग जाता है, मन्जूरी देते नहीं, गैर खातेदार का कर्जा मिलता नहीं। तो इसी उद्देश्य से मैंने संशोधन मूव किया है कि in place of the expression, "with the general or special permission of the State Government, or any officer authorised by it in this behalf" इसके बजाय मैंने संशोधन मूव किया है उसमें चाहा है कि यह जो पावर्स हैं वह अलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी को दे दिये जायं और उसको यह पावर्स दिये जाने से पंचायत हैडक्वार्टर पर सिटिंग करने की जरूरत नहीं है। सात दिन का नोटिस हो, तहसील हैडक्वार्टर पर बैठ कर मिटिंग कर लें और गैर खातेदार को अधिकार दे दें। इसलिए क्लाज में यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि राजस्थान अधिनियम 3, सन् 1955 की धारा 13 जो प्रतिस्थापित की जाती है उसकी उपधारा (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति A khatedar tenant or के पश्चात् प्रयुक्त अभिव्यक्त, "with the general or special permission of the State Goveroment, or any officer authorised by it in this behalf"

विलोपित की जाय और इसके स्थान पर निम्नांकित अभिव्यक्ति प्रस्थापित की जायः—

"with the permission of the Allotment Advisory Committee of the Tehsil formed under the Rajasthan Agricultural Allotment Rules, 1957,"

यह सब्स्टीट्यूट कर दिया जाय। अलोटमेंट के रूल्स हैं. एक महीने का नोटिस जारी होगा और एप्लीकेशन्स इन्वाइट होंगी। वह न होकर सात दिन का नोटिस देकर तहसील हैडक्वार्टर पर मिटिंग बुला लें। हर महीने में दो मिटिंग तो आप कम्पलसरी कर ही दीजिये ताकि किसान को कर्जा मिलने में आसानी होगी। इसमें रेवेन्यू का रिप्रेजेन्टेशन होगा, पब्लिक और पंचायत का रिप्रेजेन्टेशन भी होगा। इसीलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। यह रिजनेबल है। मुझे आशा है कि राजस्व मन्त्रीजी इनको स्वयम् स्वीकार करेंगे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, यह जो बिल पेश किया है और सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेंट रखा है ये दोनों ही भ्रान्ति के आधार पर चल रहे हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर को इस बात का ज्ञान नहीं है कि कर्जा लेने में कितनी दिक्कत आती है और अभी भी पूरे परिचित नहीं मालूम होते हैं। दो चीजें तहसीलदार और कलेक्टर से लेनी पड़ती है। खातेदार और गैरखातेदार टिनेन्ट्स महीनों तक महरूम रहते हैं। कई कई महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं

(श्री नत्थीसिंह)

कलेक्टर भरतपुर के नोटिस में लाया हूं कि तहसीलदारप्रमाण पत्र नहीं देते हैं सौ सौ रुपया मांगते हैं। पास बुक इन्ट्रोड्यूस नहीं होने से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

यह नियम है कि नावालिग उसको कर्जा देने के लिये क्लेक्टर के यहां से डिक्लेरेशन लेना पड़ता है उसके लिये एक एक साल डेढ साल लग जाते हैं। नाबालिग को कर्जा नहीं मिलता है। परमिशन से कर्जा लिया जावेगा तो निश्चित रूप से यह जो अमेन्डमेन्ट बिल लाये हैं उसका परपज डिफीट हो जावेगा और गैर खातेदार को ऋण नहीं मिलेगा। इसलिए परमिशन वाला क्लाज हटा देना चाहिये। अलाटमेंट होता है। दो साल में कब्जा न ले तो रिज्यूम कर लें। अलाटमेंट कर लेते हैं लेकिन कभी भी छीनते नहीं है अफसर की परमिशन का सवाल नहीं रखना चाहिये। वरना अमेन्डिग बिल का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा। गैर खातेदार को अधिकार देने चाहिये कि वह अपनी भूमि सुधार के लिये नेश्नेलाइज्ड बैंक से या कोओपरेटिव बैंक से ऋण ले।

इसको पढ़ने से निश्चित रूप से मालूम पड़ता है, माननीय चौधरी जी ने भी शंका उठायी थी और वह मुझे भी लगती है। शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स की जमीनों का ट्रान्सफर का आपने प्रोविजन नहीं रखा है। बैंक के सिवाय कहीं भी भूमि शिड्युल्ड कास्टस शिड्युल्ड ट्राइब्स भूमि ट्रान्सफर नहीं कर सकेंगे। वरना दूसरे लोग सारी उनकी जमीनें ले जावेंगे। ये दोनों ही संशोधन आपको मानना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय राजस्व मंत्रीजी।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर के खड़े होने पर) : आपका अमेन्डमेन्ट क्लाज 2 पर है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह अमेन्डमेन्ट मैंने इसलिये मूव नहीं किया है कि गैर खातेदार को कुछ मिल गया है या मिलने वाला है। कानूनी कठिनाइयां हैं वह मै सदन के सामने रखना चाहूंगा।

क्लाज 1 में....

श्री सभापति : क्लाज 2 में।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्लाज 2 में गैर खातेदार को मोर्टगेज करने का अधिकार दिया है। है तो गैर खातेदार और नोन खातेदार में दो फर्क है। ट्रान्सफररेबिलिटी और नोनट्रान्फरेबिलिटी। मोर्टगेज तो कर देगा लेकिन रुपये नहीं देगा तो उस सम्पत्ति का क्या होगा? बैंक कैसे रियेलाइज करेगा यह मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। कहीं करना है तो खातेदार हटा कर गैर खातेदार कर दिया जाय। कई और कठिनाइयां आ सकती हैं। गारन्टी गवर्नमेंट दे रही है। एक चान्स था कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट इतना इन्विल्व्ड होता कि कुआ भी खोद देता जमीन भी तैयार कर देता।

(श्रीयशवन्तसिंह नाहर)

मुझे एग्रीकल्चरल डाटा मिला है उसके आधार पर निवेदन कर रहा हूँ। 750.54 पैसे एकड़ जमीन पर खर्च आता है और 1725 रुपये की इनकम होती है। खरीफ की फसल में पांच सौ की पैदा होती है। ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेन्ट के फीगर्स हैं जिनके आधार पर मैं अर्ज कर रहा हूँ। एक एकड़ जमीन पर चाहे हाई यील्डिंग कहो या ला यील्डिंग कहो। आधा भी मान लें तो भी मैं यह मान कर चलता हूं कि 800 की इन्कम माननी चाहिये। छोटे गांव में एक हजार पर एकड़ की जमीन की कीमत है। कहीं भी प्राइवेट मार्टगेज में पचास परसेन्ट से ऊपर नहीं मिल सकेगा। 10 इयर्स में रिडेम्प्शन आफ मनी है वह बहुत ज्यादा है और को हमारा प्रिन्सिपल अमाउन्ट है उससे कई गुना मिल जाता है। यह प्रोविजन तो इसमें है। जो प्राइवेट पार्टीज को मार्टगेज करते हैं वह बिना पेमेन्ट के हो जावेगा तो उसके लिये मेरा अमेन्डमेन्ट है वह यह है कि "The mortgager may file a suit even within specified time...."

जो आपने ऊपर वाले क्लाज में यह दिया हुआ है....

श्री सभापति : पहले आप सारा पढ़ दीजिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उससे पहले यह निवेदन कर दूं कि टाइम स्पेसिफाई होगा वह तो 10 इयर्स का होगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि राजस्थान अधिनियम 3 सन् 1955 में प्रति स्थापित की जाने वाली धारा 43 की उप धारा (3) के अन्त में निम्नांकित जोड़ा जाय "The mortgagor may file a suit even within specified time for redemption of mortgage, and the court shall pass a decree for redemption and possession if the court necides that the mortgagee has received double the amount of mortgage, ard if it decides that the amount received is less than double the amount, then on payment of such difference of the amount as to actual receipt and double the mortgage money."

(4 म० प०)

यह मेरा निवेदन है। इससे कम से कम अभी जो नान एग्रीकल्चरिस्ट है जिसके हाथ में चला जाता है अल्टीमेटली वह एग्रीकल्चरिस्ट को ही हो, वह इसका शेयर देता है। इसमें टेन ईयर का जो प्रोवीजन है उससे लोस होगा। उसका आधार यह नहीं होगा। किसी न किसी पार्ट को अमेन्डमेन्ट करना चाहिये। उसका आधार यह हो कि डेट पीरियड निकल जाने के बाद वह उसको ले सके। यह मेरा अमेंडमेंट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, सेक्शन 343 को रिप्लेस कर रहे हैं। मैं समझता हूं जो आब्जेक्टस और रीजन्स गवर्नमेंट ने दिये हैं उससे कहीं आगे जाता है यह सेक्शन....

श्री सभापति : इसमें कोई संशोधन है माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह . आप रिलेक्सेशन की बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : ऐसा है, इसका पूरा विरोध करना है तो इसके पासिंग के समय पूरा टाइम दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसको में नोटिस में लाना चाहता हूं, ऐसा लगता है....

श्री सभापति : Error apparent on the face of the record...

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस पुराने सेक्शन में यह प्रोविजन है कि जो पुराना मोर्टगेज है वह मेक्जीमम 20 साल में अपने आप रीडिम हो जायेगा। इसमें पुराने मोर्टगेज का जिक्र नहीं किया गया है और नया मोर्टगेज दस साल में खत्म हो जायेगा। यह क्या है? यह पहले में था लेकिन पुराने के बारे में बिलकुल चुप्पी रही है ....

वित्तीय समितियों के निर्वाचन संबंधी सूचना

श्री सभापति : सूचना।

में माननीय सदस्यों को यह सूचित करता हूँ कि जनलेखा समिति 1970-71, प्राक्कलन समिति 1970-71 और राजकीय उपक्रम समिति 1970-71 से नाम वापिस लेने का समय दिनांक 9 अप्रेल, 1970 के दिन के 3 बजे तक के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बढ़ाया गया है। निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक 10-4-70 को किया जायेगा।

विधायी कार्य राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1970

यस, श्री रामानन्द जी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो में ऐसा समझता हूं कि जहां यह उद्देश्य है इस बिल का तो इस बिल को रेवेन्यू मिनिस्टर साहब भी गौर से देखें। मेरा ख्याल है कि यह जो नया सेक्शन है उसके हिसाब से अब जितने भी पुराने मोर्टगेज हैं जो सन् 55 से हुए हैं उनको 20 साल नहीं हुए हैं, 54 में भी एन्टर हुए हो तो नहीं हुए हैं, तो यह डिफेक्ट्स मोर्टगेज में है, और यह इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा। कोई पीरियड हो तब तक चलेगा। यहां केवल इसके बाद नया मोर्टगेज है उसके बारे में कहा गया है बाकि पुराने बारे में नहीं है।

दूसरी बात, में यह कहना चाहता हूँ कि माननीय पी० के० चौधरी साहब ने जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात कही है, वह उचित है। अब जो मोर्टगेज होगा जो गैर खातेदार है, किसी दूसरे खातेदार को रख सकेगा। याने शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स वाला गैर शिड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्स को मोर्टगेज कर सकेगा। इस नये सेक्शन के मुताबिक में समझता हूँ कि वह रेस्ट्रीक्शन जो पुराने सेक्शन में था उसको रिमूव करने की मंशा नहीं है और इस सेक्शन से वह रेस्ट्रीक्शन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रिमूव हो जायेगा, इस पर विचार कर रहे हैं, यहआपकी मंशा नहीं मालूम पड़ती है। आप गैर खातेदार को लोन लेने के लिये यह अधिकार देना चाहते हैं। वह बैंक के पास अपनी जमीन को मोर्टगेज कर सके उसमें यह स्पेशल परमीशन की बात आपने लगाई है। यह अनावश्यक है। इसको आपको हटा देना चाहिये।

श्री सभापति : यस, राजस्व मंत्री।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, दो बातें मुख्य रूप से आई हैं। एक तो यह गैर खातेदार लोगों के बारे में जो लोन लेंगे उनकी परमीशन के बारे में। इस बारे में जो संशोधन लाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अब जो क्रेडिट मिल रही है, बैंक से जो क्रेडिट मिलने लगी है उसका फायदा सब लोगों को मिले। जो खातेदार लोग हैं उनको चूंकि ओनरशिप का राइट है और इसलिये वे बैंक से लोन ले सकते है और जो नये लोग हैं, जिनको अभी भूमि का आंवटन हुआ है और उनके पास साधन नहीं हैं, वे भूमि का विकास करना चाहते हैं, ऐसे गैर खातेदार लोगों को ऋण मिल सके यह उद्देश्य इस बिल के पीछे है।

अब एक संशोधन आया है वह यह आया है कि हमने इसमें प्रोवीजन रखा है :

"A Khatedar tenant, or, with the general or speeial permission of the State Government or any officer authorised by it in this behalf, a Ghair Khatedar tenant..."

प्रश्न यहां यह आया है कि इसकी जरूरत नहीं है। खातेदार जो हैं वे बगैर किसी परमीशन के लोन ले सकते हैं। इसी तरह से गैर खातेदार लोगों को अधिकार दिये जाने चाहिये। मेरा सबमीशन यह है। यह क्यों रखा है। यह इसलिये रखा है कि खातेदारों को तो ऑनरशिप के राइटस हैं इसलिये उनको गवर्नमेंट की परमीशन की जरूरत नहीं है। गैर खातेदार जो हैं, उनको ओनरशिप के राइटस नहीं है। यह अलग बात है कि कोई तरमीम कर दें और उसको राइटस दे दे। इसके तीन रीजन्स हैं जिसके पीछे परमीशन की बात रखी गई है। एक तो यह है कि गवर्नमेंट गारन्टी देती है। वह जो लोन लेगा उसकी गवर्नमेंट गारन्टी देती है—5 एकड़ इर्रीगेटेड और 15 एकड़ नान इर्रीगेटेड। इसलिये इसको देखना होगा। दूसरी बात यह है। यह देखने में आता है कि जो लोन दिया जाता है वह उस परपज में यूज हो रहा है? अक्सर देखने में यह आया है कि जिस कार्य के लिए जिस काम के लिये लोन दिया जाता है वह उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। परमीशन से गवर्नमेंट को इसकी जानकारी रहती है। इन्हीं वजूहातों को ध्यान में रखते हुए यह किया गया है। यह जो सुझाव आया है कि गैर खातेदारों को जो भूमि आवंटित होती है, उस पर उसको ही खातेदार मान लिया जाये। यह जो अधिकार है वह उसको उस वक्त मिल जायेगा, जब एक एक्स्ट्रीम

(श्री रामकिशोर व्यास)

लॉ का वह कर लेगा। खातेदारी का हक दस साल में उसको अपने आप मिल जायेगें। यह अलग बात है कि तरमीम कर के इसको हम कम कर दें। यह एक अलग बात है। इसके पहले वह लोन ले, तो उसको परमिशन देने में सुविधा रहेगी, और उनको भी यह सुविधाजनक रहेगी। नीचे तक, एस. डी. एम. की मार्फत यह सोचते हैं कि इनको परमीशन मिल जाये। कोई दिक्कत परमीशन मिलने में नहीं होने वाली है।

श्री रामचन्द्र आर्य : गरीबों को मालूम है। क्या दिक्कत होती है। जो खातेदार हैं उनको भी लोन, कर्जा नहीं मिलता है। गैर खातेदारों को देने के लिये कानून पास कर रहे हैं उसमें आपने यह रखा है कि लोन की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें फायदा क्या ? जैसे लोन खातेदार को मिलता है वैसे ही उसको मिलना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : खातेदार को मिलता या नहीं मिलता लेकिन उनको परमीशन की जरूरत नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मारे मारे फिरते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। कभी कोई तस्दीक नहीं करता है, कभी तहसीलदार तस्दीक नहीं करता है, कभी पटवारी चक्कर लगाता है और 100/- रुपये की रिश्वत देनी पड़ती है। यह हालत है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपको यह बता रहा था कि ये कारण है जिनकी वजह से परमोशन का क्लाज रखा है। बैंक का मामला है। बैंक उनको देता है।

सभापति महोदय, अब एक संशोधन यह आया है कि बजाय किसी आफिसर के जो एलाटमेंट कमेटी है उनको ही ओथोराइज्ड कर दिया जाये। अफसोस है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। जो अलाटमेंट कमेटी है। उसका फन्कशन इस तरह का है कि वह महज एक एडवाजरी कमेटी है। इस लिये वह मन्जूर नहीं है।

श्री सभापति : श्री नाहर का संशोधन है।

श्री रामकिशोर व्यास : जो संशोधन है वह यह है कि दस साल में रीडीम होना चाहिए। यह जो अमेंडमेंट है यह महज गैर खातेदारों को लोन देने के बारे में है। टिनेन्सी बिल आपके पास में आने वाला है। उस वक्त संशोधन दें (वी विल अक्सेप्ट इट)।

तीसरी बात जो आयी है शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स् के बारे में कही गई उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ यह इसमें से इसलिए हटाया गया है कि इस के रहते हुए वे मोर्टगेज नहीं कर सकते इस लिये इसमें से हटाया गया है। पहले भी इस बारे में काफी विचार हो चुका है। कई दफा यह मामला डिसकशन में भी आया है इनको क्रेडिट फेसिलिटीज मिलनी चाहिए और जमीन उनके पास से नहीं जानी चाहिए। हमने इसमें प्रोवाइड किया है जहाँ भी उन की भूमि मोर्टगेज हुई है दस साल के बाद

Page No 124

(श्री रामकिशोर व्यास)

इनकी जमीन दूसरे के पास चली जायगी, इसके अन्तर्गत ऐसा नहीं हो सकेगा।

इसके अलावा, आलरेडी जो मोर्टगेज हैं उसके बारे में भी कहा गया उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं पुराने रूल्स के मुताबिक जो मोर्टगेज हुई है वह उसी के अनुसार गवर्न होगी.......

श्री रामानन्द अग्रवाल: पुराने सेक्शन्स के अन्तर्गत जो आलरेडी मोर्टगेज हैं प्रेसक्राइब्ड पीरियड में अगर उस भूमि को नहीं छुड़ा पाये हैं तो वह पीरियड इनडेफीनट पीरियड तक कन्टिन्यू करेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास: : इस सेक्शन के अन्तर्गत बाद वाले मोर्टगेज गवर्न होंगे और जो पहले के हैं वे पहले वाले के अनुसार गवर्न होंगे।

श्रीरामानन्द अग्रवाल: पुराने जो मोर्टगेज थे मोर्टगेज के लिए यह सेक्सन जो रिलीफ देता है जैसे मैंने पचास में मोर्टगेज किया और उसका 70 में रिडीम होता नहीं तो यह सहूलियत आप मेरे से छीन रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास: मेरा कहना यह है कि यह अमेंडमेंट जब से फोर्स में आयगा उसके बाद के मोर्टगेज इससे कवर होंगे और इससे पहले के पुराने जो हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं सभापति महोदय, स्पष्टीकरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं मैं समझता हूं सरकार की इसमें भावना शुद्ध है फिर भी मैं उदाहरण के तौर पर रख देना चाहता हूं। मान लीजिये एक आदिवासी या हरिजन है वह अपनी जमीन किसी के यहां रहन रखता है दस साल के बाद कानून के प्रावधान के अनुसार जिसको वह रहन रखी हुई है वह दूसरे दिन किसी अन्य के पास जमीन रहन रख देता है तो स्कीम आफ दी एक्ट उसका जो ओब्जेक्ट है वह डिफीट होता है यह होना सम्भव है ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत न भी हो लेकिन ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हो सकते हैं इसकी सम्भावना मुझे लगती है। अगर आप रोकथाम करना चाहें तो इस पर विचार करें।

श्री रामकिशोर व्यास: हमने एग्जामिन कराया है ऐसी बात नहीं आनी चाहिये फिर भी आपके सुझाव को एग्जामिन करा लेंगे।

श्री रतनलाल रोत (चौरासी) : सभापति महोदय, यह जो अमेण्डमेण्ट बिल हाउस के सामने है इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदिवासियों और हरिजनों की जमीन है वह गैर आदिवासी के पास गिरवी रखने की बात है। मेरा ख्याल है कि इस प्रकार का बिल में प्रावधान रख देने से आदिवासियों और हरिजनों की जमीन गैर आदिवासियों के पास चली जायगी। इससे जो आदिवासियों के लिये हरिजनों के लिये जो राहत का प्रावधान अब तक किया है उस सारे पर पानी फिर जाने की बात

(श्री रतनलाल रोत)

होगी। अगर आप आदिवासियों और हरिजनों को उस जमीन पर उनका राइट बनाये रखना चाहते हैं तो इस क्लाज को हटा देना बहुत आवश्यक है। अन्यथा आदिवासी मारे मारे फिरते रहेंगे न उनके पास जमीन रहने वाली है न जेवर रहने वाला है और न मकान ही रहने वाला है। यह मैं दावे के साथ कहता हूं इसलिये यह क्लाज जो रखा है उसको हटा देना चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने फरमाया कि अगर इस क्लाज को नहीं हटाया गया तो आदिवासियों के पास जमीन नहीं रहने वाली है। आप तो यह नेक नीयति से कर रहे हैं लेकिन उल्टी उनकी बुरी हालत हो जायगी। उनको कर्ज बैंक से ही दिलाने की व्यवस्था कीजिये प्राइवेट वह नहीं लें। इस तरह से उनको हर जगह गिरवी नहीं रखना पड़े।

श्री रामकिशोर व्यास : जो आप कहते हैं वह मैं भी कहता हूं। मेरा यह कहना था कि इस प्रोवीजन के बाद इसमें डिफीकल्टी नहीं आयगी। अगर आवी है तो टिनेन्सी बिल जो आयेगा उसमें अमेण्डमेण्ड कर लेंगे। यह एग्जामिन करवाने के बाद कोन्क्लूजन निकालेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने जो कहा है उसमें मैं सहानुभूति रखता हूँ लेकिन हमारा तो यही निवेदन है उस गरीब की जमीन जानी नहीं चाहिये वह उसी के पास रहनी चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : एक गरीब किसान जो अनपढ़ भी है वह क्या क्लेक्टर की या एस. डी ओ. की परमिशन प्राप्त कर सकेगा और इस तरह से क्या वह ऋण प्राप्त कर लेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : एस.डी.ओ. से परमिशन प्राप्त कर लेगा।

श्री दौलतराम सारण : असम्भव है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में श्री हरिवल्लभ शर्मा ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, मैं अपने खण्ड 2 में रखे गये संशोधन को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि श्री नाहर को संशोधन वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को पारित किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टिनेन्सी एक्ट के कमेन्समेण्ट के पहले मोर्टगेज के बारे में क्या आप फेक्चुअल स्टेटस को मेन्टेन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करना चाहते हैं या अमेण्डमेण्ट करना चाहते हैं ? हमारा इन्टेन्शन तो इसको हटाने का है ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह क्लाज नये मोर्टगेज को गवर्न करेगा ।

श्री नत्थीसिंह : आपकी यही नियत है कि शिड्यल्ड कास्ट और सिड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन बोहरों के पास चली जाय ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किसी ने सन् 55 में मोर्टगेज की है फोर इन्डेफीनेट पीरियड जो एक्सपायर हो जाता है तो लीगल पोजीशन उसकी क्या रहेगी ?

श्री रामकिशर व्यास : इसकी वही रहेगी जैसे अमेण्डमेण्ट आया ही नहीं है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : लॉ पोइन्ट को आप लॉ पोइन्ट ही रहने दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुराना सेक्शन तो यह कहता है :

"A usufructuary mortgage of any land made before the commencement of this Act or in pursuance of the provisions contained in sub—section (1) shall, upon the expiry of the period mentioned in the mortgage deed, or twenty years from the date of the execution thereof, whichever period is less, be deemed to have been satisfied in full without any payment whatsoever by the mortgagor and the mortgage debt shall accordingly be deemed to have been extinguished".

अब यह हट जाने के बाद नये सेक्शन में यह है ही नहीं तो फिर नये सेक्शन में—

Before the commencement of the Tenancy Act.

जितने मोर्टगेज हुए हैं जिसमें पीरियड मेन्शन नहीं है । 20 साल नहीं है, इनडेफिनिट पीरियड चलेगा, यह माननीय मन्त्री महोदय के कहने मात्र से नहीं होगा जब तक ये वर्डस इसमें नहीं बढ़ें । आप इसको एग्जामिन करवा लीजिये, जल्दीबाजी मत कीजिये ।

श्री रामकिशर व्यास : कोई इन्टरप्रिटेशन लॉ का निकलेगा तो अमेन्डमेंट ले आयेंगे ।

We will get it examined.

श्री रामानन्द अग्रवाल : देखते हुये मक्खी क्यों निगलते हो ।

श्री रामकिशोर व्यास : जनरल क्लाजेज के माफिक उससे गवर्न होता है । पहले वाले ट्रान्जेक्शन्स हैं वे पहले वाले से गवर्न होंगे और बाद वाले ट्रान्जेक्शन है वे बाद वाले से गवर्न होंगे और फिर टिनेन्सी बिल आ ही रहा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यनि आप क्लीयर कट लॉ नहीं बनाना चाहते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : कोई बात आपकी मान लूं तो यह....

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को स्वीकार किया गया।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 पारित किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, ना पक्ष जीता है।

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में आप डिविजन क्लेम करना चाहते हैं ? मैं फिर से पढ़ देता हूँ प्रश्न यह है कि खण्ड दो पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 पारित किया गया।

श्री नत्थीसिंह : कांग्रेस असली स्वरूप में आ रही है—वोहरों और महाजनों के ऐजेन्ट बन कर।

श्री रामचन्द्र आर्य : हरिजनों के खिलाफ फैसला हुआ है। इनकी जमीनें नहीं रह सकेंगी।

श्री रामकिशोर व्यास : हरिजनों को भड़काने से काम नहीं चलेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय को एक विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा। माननीय सदस्यों की यह आशका है कि आदिवासी और हरिजनों को भूमि सम्भवतः गैर काश्त पेशा वाले लोगों के पास जायगी। यह बात आपत्तिजनक हो सकती है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा मैं इस समस्या को फिर से एग्जामिन करा लूंगा। मेरा निवेदन है जाँच नहीं करा कर अपनी शंका को निवारण नहीं करें तब तक मैं समझता हूं विधेयक को पारित करने का कोई विशेष महत्व नहीं है। मेरे ख्याल में इधर बैठने वाले माननीय सदस्य और उधर से भी बैठने वाले माननीय सदस्य और खास तौर से उधर बैठने वाले एक सम्मानीय सदस्य जो मेरे जिले से आये हैं उन्होंने भी यह आशंका व्यक्त की है कि गैर काश्त वालों के पास जमीनें चली जायगीं। 20 वर्ष की सीमा खत्म कर दी सभापति महोदय मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं जानता हूं बेनामी ट्रान्जेक्शन के द्वारा...

श्री सभापति : नेता महोदय मुझे क्षमा करें—खण्ड दो के बारे में आप बोल रहे हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय का पुन: ध्यान आकर्षित कर रहा था।

श्री सभापति : मैं उसके लिये पूरा समय दूंगा और सदन चाहेगा तो यह री-ओपन भी हो सकता है। मैं खण्ड तीन पारित करा लूं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पारित कराने में प्रेस भी चली जायगी और माननीय मन्त्री महोदय की प्रेस्टिज का सवाल भी होगा। वे बहुमत में है, उनका आधार है लेकिन मैं शुद्ध हृदय से कहता हूँ आदिवासी और हरिजनों को कोई विशेष लाभ नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : नेता महोदय ने कहा है, मैं यह बात कह दूं जांच कराने के लिये मंजूर कर लिया है। जो आपकी भावना है, उसको स्वीकार करते हैं।

खंड 3

श्री सभापति : खण्ड तीन में संशोधन।

श्री रामकिशोर व्यास : खण्ड 3 के स्थान पर निम्नांकित स्थापित किया जाय:—

"3 Saving-Notwithstanding the expiry of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Ordinance, 1969 (Rajasthan Ordinance 12 of 1969) anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act."

श्री सभापति : खण्ड 3 में माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने संशोधन प्रस्ताव रखा है। आपको सुनना चाहिये था लेकिन फिर भी मैं जल्दी बाजी में इस प्रकार का काम नहीं करना चाहता हूं—खण्ड 3 इस प्रकार है—

The Rajasthan Tenancy (Amendment) Ordinance 1969 (Rajasthan Ordinance 12 of 1969) is hereby repealed.

Now the Hon. Minister wants to add the following clause-"Saving--Notwithstanding the expiry of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Ordinance 1969 (Rajasthan Ordinance 12 of 1969) anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act."

This is the amendment proposed by the Rev. Minister. If any member wants to oppose it, he may say, Otherwise If wi'l put it to vote.

श्री पी. के. चौधरी : माननीय मंत्री कहते हैं पुराने एक्ट को रिपील कर दिया पहले 20 साल की मियाद थी वह अब अन लिमिटेड हो जाता है। कोई मियाद नहीं रहती है। जो अग्रीमेंट है इस एक्ट को रिपील करने से पहले उस एक्ट के प्रावधान में यह था कि 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिये। कम से कम सभापति महोदय वह तो रहना ही चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : You have put the amendment before us. I venture to feel that the Hon'ble Minister.......

(disturbance)

(Many member rose to speak)

श्री पी. के. चौधरी : I can put an amendment and it can be taken as moved. It any land with the previous....

श्री सभापति : You are completely mistaken That will not serve the purpose. It will not save the future mortgages under this Act. This is for an unlimited period,

(श्री सभापति)

अभी इस कानून के पास होने से जो प्रावधान है वह पुराने पर लागू हो जाय—पुराने पर तो पुराना लागू है ही । अब जो मोर्टगेज होंगे उसमें माननीय रामानन्दजी ने कहा अन लिमिटेड पीरियड नहीं हो सकता है इसलिये सेविंग—क्लाज से नहीं बच सकते हैं । उसमें प्रोविजन है—यह नया क्लाज एड किया जाय—

Then it can be possible. If the Government agrees to it, I can re-open it. Otherwise I cannot do anything.

क्लाज 3 में प्रश्न यह है कि संशोधन का प्रस्ताव माननीय राजस्व मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि धारा 3 संशोधित रूप से स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

धारा 3 संशोधित रूप में स्वीकार की गई।

खण्ड 1, राजस्व मन्त्री जी।

श्री रामकिशोर व्यास : सभापतिजी (क) वर्तमान उप खण्ड 1. संख्यांकित किया जाय। (ख) पुनः संख्यांकित उप-खण्ड (1) के पश्चात निम्नांकित उप-खण्ड (2) जोड़ा जाय:—

"(2) It shall be deemed to have come into force on the twenty sixth of February, 1970."

श्री सभापति : खण्ड एक में संशोधन का प्रस्ताव माननीय राजस्व मन्त्री जी ने इस प्रकार रखा है :—

"It shall be deemed to have come into force on the twenty sixth day of February, 1970."

सम्भवत: आर्डीनेन्स की मियाद खतम हो रही थी उससे लिंक करके कन्टीन्यू करना चाहते हैं। यह संशोधन है।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 संशोधित रूप से स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया

प्रश्न यह है कि प्रिएम्बल, टाइटल आदि पारित किये गये ?

(स्वीकृत)

प्रिएम्बल, टाइटल आदि पारित किये गये

Page No 130

श्री रामकिशोर व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, यह जो बिल आपने रखा इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह कहते हुए पारित करने प्रस्ताव रख रहे हैं कि हम गैर-खातेदार काश्तकारों को ऋण देने की सुविधा देना चाहते हैं, उस पर भी पाबन्दी लगाई है कि राज्य सरकार की स्पेशल या जनरल परमीशन के तहत ही वह ऋण ले सकेगा। इससे गैर खातेदारों को तो लाभ होने वाला है नहीं। जैसा पहले कहा उनको निश्चित रूप से ऋण समय पर नहीं मिल सकेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और रिश्वतखोरी बढ़ेगी। उसके बाद यदाकदा किसी को मिलेगा लेकिन यह इस बहाने से जो संशोधन करने जा रहे हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को जो सुरक्षा मिली हुई थी कि वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा किसी और को अपनी जमीन को ट्रान्सफर नहीं कर सकते थे आपने वह कहते हुए गैर खातेदार को हम अपनी परमीशन से ऋण की सुविधा देना चाहते हैं—इसमें प्रावधान किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग कर्जा लेने के लिए दस वर्ष तक अपनी जमीनें महाजनों और बोहरों के पास रख सकते हैं गैर काश्तकार के पास रख सकते हैं। इसकी साफ मन्शा है। आप समाजवाद की बात करते हैं, आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को संरक्षण देने की बात करते हैं। नामाकूल बहाने से सारी चीजें वापिस ले रहे हैं। उन लोगों को भेड़ियों के लिए छोड़ रहे हैं जो कि समाज का शोषण करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस राज्य सरकार के द्वारा निन्तर इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिससे गरीब लोग महाजनों के शिकार बन जायें और डागा जी जो उस वर्ग से आते हैं। इन के मन में राम बगल में ईंटें हैं। यह चाहते हैं कि इस तरह के विधेयक पारित हों। आप चाहते हैं कि जो शोषित वर्ग है वह और भी शोषित हो जाये इसलिए मैं इस आधार पर कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के साथ धोखा है और जो उनको संरक्षण था वह बेकार है और उसको वापिस किया जा रहा है और कांग्रेस की सरकार यह कहते हुए कि हम गैर खातेदारों को अधिकार देना चाहते हैं उसमें पाबन्दी लगाई है उससे कोई फायदा होगा नहीं और जो गरीब वर्ग है वह लुटेगा और उनकी जमीनें महाजनों के पास जायेंगी. इसलिए इस बिल का घोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : सभापति महोदय, जो संशोधन विधेयक राजस्व मंत्री जी ने रखा है उसकी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मन्शा स्पष्ट है। राजस्व मंत्री जी बार-बार यह कहते हैं कि हमारी मन्शा नहीं है लेकिन उनकी स्पष्ट मन्शा है कि इस संशोधन प्रावधान के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जमीनों पर जो पाबन्दी थी कि वह केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही दे सकेंगे इस प्रावधान को हटाकर और खत्म करके दूसरा प्रावधान ला रहे हैं जिससे वह जमीनें निश्चित रूप से मालदार लोगों के हाथों में जायेगी और उनके हाथों में जायेगी जो कि खेती का काम नहीं करते हैं। सभापति महोदय, जब यह कानून था तो ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों ने जमीने बेचने के लिए मालदार लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया, ईसाई बनाया और उसके बाद जमीन की रजिस्ट्री करवाई और फिर वापिस अपनी बिरादरी में आ गये। उन लोगों की जमीने येनकेन प्रकारेण आज इस कांग्रेस की सरकार जो अपने आप में समाजवादी बनती है, जो अपने आपको गांधीवादी कहती है, जो अपने आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हिमायती कहती है उस सरकार ने जो हमारे हक थे उनको खत्म करने की सोची है यह इनके लिए शर्म की बात है। जो लोग गरीब हैं, जो कानून से भिज्ञ नहीं है, जिनके पास छोटी-छोटी जमीनें हैं उसके ऊपर सरकार की आंख लगी है। यह उनके लिए शर्म की बात है। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आज कलंक का विषय है, आज काला दिन है जो कांग्रेस की सरकार इस प्रकार का अमेन्डमेंट इस बिल में करके उन लोगों की जमीनें खोसना चाहती है और उन लोगों को बेसहारा छोड़ना चाहती है। आखिर क्या मन्शा है इस प्रावधान को लाने की? इसमें साफ जाहिर है कि इन लोगों की एक चाल है और दांवपेच है। उसके पीछे एक मात्र कारण यही है कि इन लोगों की जमीन मालदार लोगों के हाथों में जाये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हरिजनों को विशेष सहूलियत नहीं देकर आप अपने आपको गांधीजी के अनुयायी कहते हो? आप अपने आप को कांग्रेसी कहते हो? मेरे विचार में तो आप कांग्रेसी नहीं हैं। कम से कम इतना तो रहम खाओ कि जिसके पास छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े हैं उनको आप मालदार लोगों के हाथों में गिरवी रख देंगे। दस साल के लिए जमीन गिरवी रखकर वह मकान बनवा लेगा, लड़की की शादी कर लेगा लेकिन फिर उसके बाद में क्या खायेगा? इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जो प्रावधान आप इस कानून में लाना चाहते हैं, वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये एककाला कानून है, घोर निन्दनीय कानून है और उनके हकों पर कुठाराघात है। इसलिए आप महरबानी करके इसको वापिस ले लें।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्रकुमार।

श्री भैरोंसिंह : गंगानगर के बारे में स्टेटमेंट होने वाला था वह किस समय होगा ? समय बता दिया जाये।

श्री सभापति : आपकी भावना अध्यक्ष महोदय तक पहुँचा रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : पहले ही पहुंचा दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह भावना पहुंचते-पहुंचते कई दिन लग गए।

श्री सभापति : मैंने पहले भी पहुंचा दी थी।

श्री रामचन्द्र आर्य : भावना को तो दो रोज हो गए। पेट नहीं भरता है और समस्या का हल होता नहीं है और जब स्टेटमेंट नहीं दे दिया जावे तब तक हमारे दिलों में जिस प्रकार की व्यथा है इसको कहे बगैर नहीं रह सकते। किस प्रकार से गंगानगर के गोलीकण्ड के सम्बन्ध में वहां के अधिकारी वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं....

श्री सभापति : माननीय श्री आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : बरदास्त नहीं किया जा सकता....

श्री सभापति : देवेन्द्रकुमारजी का भाषण हो जाये उसके बाद ले लेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिए आज ही इसके ऊपर स्टेटमेंट होना चाहिए।

श्री सभापति : मैंने निवेदन किया कि श्री देवेन्द्रकुमार अपना ५-७ मिनिट में भाषण समाप्त करें उस बीच में वह प्रश्न आजायेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार से, सभापति महोदय, वह कल भी वक्त देते देते रह गये और सदन की कार्यवाही खत्म कर दी गई। यह धारणा बनती है कि वक्तव्य नहीं आयेगा, और अध्यक्ष भी यहाँ नहीं आयेंगे।

श्री सभापति : अध्यक्ष नहीं आयेंगे तो मैं समय दूंगा और जब तक वह नहीं होगा सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं होगी। आप श्री देवेन्द्रकुमार को अपना भाषण समाप्त करने दें। मैं यहां पर हूं तो समय आपको दूंगा।

श्री देवेन्द्रकुमार : सभापति महोदय...

श्री रामकिशोर व्यास : सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट् और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के ट्रान्सफर के बारे में प्रश्न आया है तो मैं यह कह दूं कि उनकी भूमि नहीं जा सकती है। दस साल में ओटोमेटिकली वह पे-आफ हो जायगा। फिर भी शंका की गुन्जायश हो तो इस बात को मैं एग्री करता हूँ कि शिड्यूल्ड कास्ट वालों की भूमि नहीं जाय और ट्रान्सफर हो तो वह उनकी बिरादरी वालों को ही हो। इसमें कोई शंका की गुन्जायश नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : कानून तो आप ऐसा बना रहे हैं। आप इसके रीजन्स को पढ़ लें। आप उनको न्याय देने के लिए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कानून बना रहे हैं या मनीलेण्डर्स के हाथ उनकी जमीन देने के लिए कानून बना रहे हैं ?

श्री जयनारायण खालोदिया : कल अमेंडमेंट ला रहे हैं तो आज क्यों इसको पास करा रहे हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : हरिजनों के पास जमीन नहीं रहेगी, सभापति महोदय, अगर इसको चेन्ज नहीं किया तो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके भाषण से कोर्ट फैसला नहीं देगी कोर्ट तो फैसला कानून से देगी।

महरावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, it is very objective that you have moved.

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदय, इसमें यह होना चाहिए कि बेंक के अलावा आदिवासी और हरिजन अपनी जमीन को किसी दूसरी जगह गिरवी नहीं रख सकते हैं। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं।

(विपक्ष से हियर, हियर)

श्री देवेन्द्रकुमार : सभापति महोदय, जो टिनेन्सी बिल यहां पर लाया गया है आदिवासी, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीन को गिरवी रखने का इसका मैं सख्त विरोध करता हूं। क्योंकि आदिवासी......

(4·43 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

लोगों के पास जमीन है थोड़ी बहुत उस जमीन को पैसे वाले लोग खरीद लेंगे। इस लिए इस कानून में ऐसा बनायें कि बेंक के अलावा आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट वालों की जमीन है वह और कहीं गिरवी न रखी जाय। इस बिल को यदि पास कर दिया जायगा तो आदिवासियों के पास जमीन नहीं रह सकेगी।

(विपक्ष से हियर, हियर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी यह मांग है कि बेंकों के अलावा शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले कहीं रहन न रखें इस बात का प्रोवीजन होना चाहिए।

श्री नाथूराम (बांगीडोरा) : मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी और हरिजन राजस्थान में आज लाखों की तादाद में भूमिहीन हैं और जिनके पास में थोड़ी सी जमीन हैं तो सरकार ने पहले कानून बनाया था उसके लिए तो जो जमीन गिरवी रखने का यह प्रावधान ला रहे हैं और टिनेन्सी एक्ट में संशोधन ला रहे हैं कि दूसरे व्यक्तियों के पास गिरवी रख सकते हैं तो इसका मैं सख्त विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि वे केवल बेंकों में ही गिरवी रख सकते हैं ऐसा प्रोवीजन होना चाहिए। बैंकों के अलावा किसी व्यक्ति के पास आदिवासी और हरिजनों की जमीन नही रखने दी जाय। यह मैं मांग करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूं कि इसको ठीक करे। इस संशोधन का मैं विरोध करता हूँ।

श्री **हीरा भाई** : इस बिल का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री **रामकिशोर व्यास** : मेरी बात सुनलें।

श्री **हीराभाई** : अगर आप वापिस लेते हैं तो ले लें।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : रिप्लाई बाद में देंगे।

श्री **अध्यक्ष** : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आर्डर, आर्डर।

श्री **रामकिशोर व्यास** : अध्यक्ष महोदय, इस बात पर शंका जाहिर की गई है यह जो विधेयक फायदे के लिए लाया गया है उससे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नुकसान हो जायगा। वह जाहिर किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बारे में शंका नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाउस चाहे तो और क्लियर एमेंडमेंट लाकर इस बात को साफ किया जा सकता है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन नाम शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के यहां रहन नहीं कर सकता। यह बात और साफ की जा सकती है। इस क्लाज को ओपन कर लें। मै अभी अमेंडमेंट मूव करता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आर्डर प्लीज। माननीय श्री जयनारायण स्थान ग्रहण करें।

माननीय राजस्व मंत्री, क्लाज दो को रिओपन करने का और उसे संशोधित करने का प्रश्न पैदा होता है और आप यह चाहते हैं कि कोई संशोधन इस पर प्रस्तुत हो जाय। क्या सदन इस...

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि संशोधन लाने में समय लगेगा इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको कल पर रख लिया जाय। उनको भी सोचने का समय मिल जायगा। काफी सीरियस बात है। कल इसको कर लें तो एक मिनिट के अन्दर पास हो जायगा।

श्री **अध्यक्ष** : सभी माननीय सदस्य एक साथ नहीं। स्थान ग्रहण करें।

श्री **नाथूलाल करोल** : अध्यक्ष महोदय एक मिनिट...

श्री **अध्यक्ष** : आप स्थान ग्रहण करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने माननीय मंत्रीजी का आसन के द्वारा इस पर दुबारा ध्यान आकर्षित किया है कि इस विधेयक को पारित करने में कोई हर्ज नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा कि उस पर पुनः विचार करेंगे। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को अभी पारित नहीं किया जाय। इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और माननीय सदस्य, श्री रामानन्द जी ने जो सुझाव दिया है कि इस बारे में पुर्नविचार किया जाय तो फिर इसको ओपन करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री **अध्यक्ष** : किस पर कहना चाहते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह विधेयक के सम्बन्ध में कह रहा हूँ।

श्री रामकिशोर व्यास : जो एतराज है उसको मन्जूर कर रहा हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वापिस विध्ड्रा नहीं करेंगे तो उसी स्थिति में रहने दें।

श्री नाथूलाल करोल : माननीय राजस्व मंत्रीजी जो सदन की भावना है.... एक मिनिट।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहेंगे एक मिनिट में। मै इसको स्थगित करने जा रहा हूँ। माननीय राजस्व मंत्री जी ने वापस क्लाज 2 को ओपन करके जो सशोधन उस पर आते हैं उनको लिया जाय, यह निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में मैं इस विधेयक को डेफर करता हूँ।

(विपक्ष से हियर, हियर)

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं तो सरकार गिर जाती।

स्थगन-प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मेरा भी बड़ा दुरुह कार्य है। माननीय सदस्य आज ही इस व्यवस्था को चाहते हैं यद्यपि सामान्यतः कल भी दी जा सकती थी। फिर भी मैं यह व्यवस्था सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि भादरा, सांगरिया, चूरू गोलीकाण्ड के दोषी अधिकारियों द्वारा गवाहों को डराने, धमकाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदारनाथ, श्री विजयसिंह (मकराना), श्री भैरोंसिंह, श्री दौलतराम सारण, श्री मेघराज, श्री हरजीराम बुड़रक, सदस्य, विधान सभा ने दी है।

इसी प्रकार के एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री केदारनाथ, श्री नत्थीसिंह, सदस्य, विधान सभा से भी प्राप्त हुई है जिसमें सांगरिया, भादरा एवं चूरू मे हुए गोलीकाण्डों की जांच के लिए नियुक्त आयोग द्वारा जांच कार्य से सम्बन्धित निम्न प्रश्न उठाये गये हैं। इन दोनों को मैं अलग अलग प्रस्तुत करूंगा—

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को जो जानकारी मिली है उसमें यह कहा गया है कि आयोग के आदेश की तामील में जिला प्रशासन अधिकारी भी अपने बयानात तैयार कर रहे हैं और आयोग को नियुक्त करने की भी मन्शा यही है कि जो सामग्री आयोग के सामने आये उसकी हर सम्भावित छानबीन करके तथ्य निरूपण करें। इस प्रक्रिया को सुचारू और सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जिला प्रशासन और अन्य व्यक्ति जो आयोग के सामने अपनी जानकारी या दृष्टिकोण रखना चाहते हैं वे सुविधा पूर्वक ऐसा कर सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के तबादले करने से उनको इस बात की वाजिब शिकायत पैदा हो सकती है कि उन्हें अपना केस तैयार करने में न्यायसंगत अवसर नहीं दिया गया।

(श्री अध्यक्ष)

राज्य सरकार के उत्तर में यह भी कहा गया है कि किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को डराने धमकाने की शिकायत राज्य सरकार के पास नहीं आई है और यदि ऐसी कोई सूचना मिलेगी तो उस पर उचित कार्यवाही की जायगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई अधिकारी किसी को डराता है, धमकाता है तो ऐसी शिकायत आयोग को भी की जा सकती है और आयोग भी उस पर उचित कार्यवाही कर सकता है।

इस स्थगन-प्रस्ताव की सूचना में किसी विशेष अधिकारी का उल्लेख भी नहीं किया गया है। जिसने किसी को डराया धमकाया हो। अतः यह एक प्रकार से जनरल एलिगेशन है। इसके अलावा चूंकि जांच आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया है और दिनांक 11 अप्रेल, 1970 को उसके रूबरू शपथ पत्र और बयानात पेश होने वाले हैं। इसलिए इस विषय पर यहां चर्चा किया जाना उपयुक्त नहीं होगा। अतः मैं इस स्थगन-प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव जिसका मैंने उल्लेख किया है, निम्न प्रश्न उठाये गये हैं:—

(1) जांच आयोग का केन्द्र बीकानेर न होकर हनुमानगढ़ रखा जावे।

(2) जांच के दौरान दोषी पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण अभी तक नहीं किये गये हैं।

(3) मृतकों एवं घायलों की ओर से पैरवी किये जाने हेतु सरकार द्वारा अभी तक भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि गृहमन्त्री जी अभी वक्तव्य दें।

श्री गृहमन्त्री।

शासकीय वक्तव्य-भादरा, सांगरिया एवं चूरू गोली कांड

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री): माननीय श्री सतीशचन्द्र एवं सदन के कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भादरा, सांगरिया एवं चूरू में जनवरी 1970 में होने वाले पुलिस फायरिंग की आयोग द्वारा जांच के संदर्भ में दो स्थगन प्रस्ताव पेश किये गये हैं।

इन स्थगन प्रस्तावों में उठाये हुए मुद्दों पर राज्य सरकार का निम्नलिखित निवेदन है:

(1) जांच आयोग ने अपना कार्यक्रम तथा बैठने का स्थान अपने डिस्क्रीशन के अनुसार तय किया है। इसमें राज्य सरकार बीच में नहीं आती। फिर भी यदि किसी पार्टी द्वारा आयोग से यह निवेदन किया गया कि जांच बीकानेर के अलावा किसी और जगह की जावे तो राज्य सरकार ऐसे निवेदन का विरोध नहीं करेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास

(2) जांच के विषय में शपथ पत्र और बयान पेश होने के लिये तारीख 11-4-70 की तिथि और बीकानेर का स्थान मुकर्रर कर दिया है और समस्त सम्बन्धित लोग अपने-अपने बयान और शपथ पत्र तैयार करने में व्यस्त हैं। आयोग के सन्मुख अधिकारियों को भी अन्य सब लोगों की भांति अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा मौका मिलना जरूरी है। इन अधिकारियों को इस स्टेज पर दोषी की सज़ा देना संभव नहीं है क्योंकि इस बात की जांच तो आयोग करेगा। अतः जांच के दौरान जांच की वजह से किसी अधिकारी का स्थानान्तरण करना उपयुक्त नहीं समझा जाता। राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत भी नहीं आई है कि ये अधिकारी किसी पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं। यदि किसी ने यह शिकायत पेश की कि उसको अधिकारियों की ओर से दबाव ग्रस्त या भयभीत किया गया है तो उस सूरत में राज्य सरकार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगी। यदि किसी व्यक्ति पर नाजायज दबाव डाला जा रहा है तो इसकी शिकायत आयोग के सामने भी की जा सकती है।

(3) जिला प्रशासन की ओर से तथ्यों के बाबत जो रिपोर्ट अभी तक सरकार को उपलब्ध है, उसके अनुसार मरने या घायल होने वाले लोग प्राइमा फेसी [प्राइमा फेसी] तौर पर एक मज्मा नाजायज के शरीकदार थे। अतः उनकी ओर से पैरवी के लिये सरकार द्वारा वकील मुकर्रर करने की न कोई वजह है, न ऐसी परम्परा ही है। यदि आयोग की जांच से यह पाया जावे कि इसमें से कोई लोग निरपराध थे और उनके परिवार को आर्थिक सहायता की जरूरत है तो ऐसी आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर सकती है। ऐसी सहायता में घायलों अथवा उनके आश्रितों द्वारा पैरवी में किये खर्च का भी आवश्यक लिहाज किया जा सकता है।

आयोग की नियुक्ति कमिशन्स आफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 के अन्तर्गत हुई है। उपरोक्त कानून के तहत आयोग की रिपोर्ट के निस्बत जो भी जिम्मेदारियां राज्य सरकार पर आती है उन सब का राज्य सरकार निर्वाह करेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : घोर आपत्तिजनक वक्तव्य आपने दिया है। निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाकर उन लोगों की हत्याएं की हैं। उन्हीं अधिकारियों को आपने सिर पर बैठा रखा है। क्या ऐसे प्रयत्नों से आप राज्य कर सकेंगे ? प्रजातन्त्र का जनाजा निकाल दिया है। आप प्रजातन्त्र का जनाजा निकाल सकेंगे। उन लोगों पर गोलियां चलाकर हल्फ नामा पेश करेंगे। रातोंरात लाशों को जलाया। मासूम बच्चों पर गोलियां चलाई। उन्हीं लोगों को गंगानगर के सिर पर बैठा कर आप नंगा नाच करना चाहते हैं। क्या माननीय मन्त्री इसे उचित समझते हैं। इस राजस्थान की जनता का कौन धणी-धोरी है ? क्या आप उचित नहीं समझते हैं कि उन को हटाया जावे। कमीशन का हैडक्वाटर हनुमानगढ़ रखें। दोषी अधिकारियों को निलम्बित करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य : मैं निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उनको पूछिये....

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गृह मन्त्री जी का स्टेटमेंट हुआ है, उस पर भाषण हो रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या स्टेटमेंट हुआ है? कोई स्टेटमेंट नहीं है। (अनेक सदस्य एक साथ—शोरगुल) सरकार ने फैसला किया है। (पुनः भारी शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सतीशचन्द्रजी, आप कोई व्यक्तव्य पर स्पष्टीकरण चाहते हो तो पूछ सकते हैं।

(शोरगुल)

आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : मैं दो बातों की जानकारी करना चाहूँगा। एक तो गृहमन्त्री जी ने कहा है कि अगर बीकानेर से स्थान परिवर्तन किया जाता है तो हम विरोध नहीं करेंगे। यह स्थान क्या कमीशन की तरफ से तय किया गया था या सरकार की तरफ से?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कमीशन की तरफ से किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे माननीय मुख्य मन्त्री जी व्यक्तव्य देना चाहते थे कि किन स्थितियों में गोलीकाण्ड हुआ था। वह वक्तव्य, कब होगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन सा वक्तव्य?

श्री अध्यक्ष : उसके लिए 10 तारीख रखी गई है?

श्री नत्थीसिंह : इन मुद्दों पर मुख्य-मन्त्री ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है।

(5 म० प०)

श्री अध्यक्ष : गोली काण्ड का कहीं प्रश्न नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम चाहते हैं, गृह मन्त्री जी ने स्टेटमेंट दिया है, मुख्य मंत्री जी कहना चाहते हैं वह कह दें और उस पर सुबह विचार करने का वक्त दिया जाय। अभी तो पांच बज रहे हैं। अभी इस पर विचार व्यक्त नहीं कर सके तो फिर एडजोर्नमेंट मोशन या कोई और मोशन देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। उस पर कोई वाद विवाद नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मंत्री जी की बात को सुन लें उसके बाद सारी चर्चा होनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने गंगानगर के सम्बन्ध में वक्तव्य देते हुए यह बात कही थी कि कुछ मुद्दे बाकी हैं जिन पर वह बाद में कहना चाहेंगे। हमने यह प्रश्न उठाया था कि गंगानगर आन्दोलन के सम्बन्ध में बहस होने से पूर्व मुख्य मन्त्री जी उसके बारे में अपना वक्तव्य दे दें ताकि गंगानगर आन्दोलन के ऊपर पूरी बहस हो सके। मुख्य मन्त्री जी ने इस बात से एग्री किया था कि उसमें जो बातें बाकी रह गई हैं, कुछ और भी बातें हैं लेकिन मुद्दा जुडिशियल इन्क्वायरी के सम्बन्ध में था, उसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी को वक्तव्य देना था। लेकिन अभी तक वह वक्तव्य नहीं हुआ है। इसलिए सदन में हमने इस बात को उठाया है कि मुख्य मन्त्री जी बाकी मुद्दों के बारे में कब वक्तव्य देने वाले हैं ? यह बात क्लीयर होनी चाहिए। अभी मुख्य मन्त्री जी मौजूद हैं, वह खड़े होकर कह दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, पांच बज रहे हैं।

श्री शंकरलाल : टाइम बढ़ा दिया जाय।

श्री वृद्धिचन्द जैन : टाइम बढ़ा दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में जहां तक सम्भव होगा मैं कोशिश में हूं कि कल शाम तक इस बारे में वक्तव्य दे सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : कल सुबह दें कल शाम तक क्यों ?

श्री अध्यक्ष : कल शाम को। माननीय सतीशचन्द्र जी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पांच बज चुके हैं इसलिए मैं न तो कुछ पूछ सकता हूं और न ही कुछ उत्तर मिल सकता है। यह एक बहुत गम्भीर प्रश्न है, यह गोलीकाण्ड का मसला है। इसलिए सरकार की ओर से क्लेरीफिकेशन पहले हो जाय तो ठीक है वरना इन्क्वायरी रिपोर्ट आने के बाद में जो स्थिति पैदा होती है वह उचित इस सरकार के लिए भी नहीं है और हम भी नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : दस मिनिट के लिए समय बढ़ा दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दस मिनिट के अन्दर तो कुछ भी नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : दस मिनिट के अन्दर जो स्पष्टीकरण करना चाहें वह स्पष्टीकरण तो होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मन्त्री जी स्वयं बस सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं हैं इसलिए ही वह कल शाम तक वक्तव्य देना चाहते हैं। वह स्वयं स्पष्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कि गृहमन्त्री जी ने वक्तव्य किया है उस पर स्पष्टीकरण मांगे जा सकते हैं। उस प्रश्न पर मैं सदन की अनुमति से सदन का दस मिनिट का समय बढ़ा देता हूं।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ है गृह मन्त्री के स्टेटमेंट से, पहले माननीय सदस्यों द्वारा मांग की गई थी कि जो घायल हैं, जो मृतकों के परिवार के व्यक्ति हैं उनको कमीशन के सामने एपील होने के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाय। गृह मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में, जैसा कि मैं सुन पाया हूं, यह कहा है कि दोषी व्यक्तियों को सहायता देने की व्यवस्था राज्य सरकार नहीं कर सकती है और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि सरकारी पक्ष को सहायता देगी सरकार, तो यह मेरी समझ मे नहीं आता है....

श्री दामोदरलाल व्यास: आपने स्टेटमेंट का मतलब यह कहां से लगा लिया। मैंने कब कहा कि सरकारी पक्ष की सहायता सरकार करेगी और दोषी पक्ष की नहीं।

श्री भैरोंसिंह: आपने कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास: कतई नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह: यहीं तो अहमियत का प्रश्न है, आप कहते हैं कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा सकती। देंगे तो कह दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने कहा है कि जो प्रशासनिक रिपोर्ट है उसके लिहाज से वह मज्मा नाजायज में शरीकदार थे, ऐसी सूरत में न तो ऐसी परम्परा है, न कानून है कि उनको किसी प्रकार की सहायता वकील आदि की, की जा सके।

श्री भैरोंसिंह: यही तो है विवाद का प्रश्न। आप जिनको प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर दोषी मानते हैं, सदन उनको दोषी नहीं मानता है।

श्री दामोदरलाल व्यास: सदन मत कहिये। आप नहीं मानते हैं, लेकिन आप सदन नहीं हैं।

श्री नत्थीसिंह: हम भी सदन के अंग हैं।

श्री भैरोंसिंह: आप दोषी नहीं मानते हैं और आपका फर्ज कन्विक्शन होता कि अधिकारियों ने किसी प्रकार का दोष नहीं किया तो यह मान कर चलते कि जुडिशियल इन्क्वायरी की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपने जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा की है तो सीधा अर्थ छिपा हुआ यह प्रकट होता है कि राज्य सरकार अपने अधिकारियों की रिपोर्ट पर पूर्णतः विश्वास नहीं करती है और इस मामले का सही तरह से निराकरण होजाय इसलिए जुडिशियल इन्क्वायरी की जायगी। इस घोषणा के बाद सरकार यह कह कर चले कि वहां पर जो आफिसर्स ने रिपोर्ट दी थी वह सही है, तो अध्यक्ष महोदय, आप स्वीकार करेंगे कि इस प्रकार से जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को प्रिजुडिस करने की चेष्टा की जाती है यह कह कर कि डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स ने जो रिपोर्ट दी है वह सही है और उसके आधार पर सरकार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को दोषी मान कर चलती है और उनको मज्मा नाजायज में शामिल होने के कारण किसी प्रकार की सहायता नहीं दे सकती है। हम चाहेंगे,

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर वाद विवाद हो, इस पर चर्चा हो- उस चर्चा में सरकार के इस रुख का डट कर विरोध किया जायगा कि जिनका दोष साबित नहीं हुआ है एड-मिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट उनको दोषी डिक्लेअर कर दे। मैं समझता हूँ कि यह जनता की और सदन की भावनाओं का अपमान है और इसका हमें विरोध करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप दस पांच मिनिट का समय इसके लिए निर्धारित कर दें इससे इसका निराकरण नहीं होगा। अभी गृह मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया है, और मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह भी कल प्रात: अपना वक्तव्य दे दें और इसके बाद में इन वक्तव्यों पर फुलफ्लेज्ड डिबेट होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में हम डिबेट की मांग करना चाहेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जहां तक चूरू जिले के गोलीकाण्ड का सम्बन्ध है खुद सरकार का भी जो स्टेन्ड है, सरकार ने जो वक्तव्य चूरू के गोली काण्ड के सम्बन्ध में दिया था वह साफ तौर से यह दिया था कि वह गोली काण्ड अनधिकृत रूप से कुछ पुलिस के सिपाहियों ने किया और उसी रूप में एक केस भी दर्ज किया गया है, जिससे कुछ सिपाहियों का मुजरिम के रूप में चालान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कम से कम और दूसरे सांगारिया और मादरा की बात जाने दीजिए, लेकिन यह कमीशन चूरू के गोली काण्ड के बारे में भी जांच करेगी, उसके बारे में तो प्राइमा फेसी स्टेन्ड गवर्नमेंट का भी यह है कि लोग मारे गये हैं वह दोषी नहीं थे और जिन लोगों ने गोली चलाई वह दोषी थे। यह बात अलग है कि जुडिशियल इन्क्वायरी होगी इसलिए यह सारी चीजें सुपरसीड होकर इन सब चीजों के बारे में कोई नतीजा इन्क्वायरी के बाद होगा। बहरहाल, चूरू के सम्बन्ध में जो भी फैसेलिटी किन्हीं को दी जा रही है उसमें जो गवर्नमेंट अधिकारियों को, जो जिम्मेदार हैं गोलीकाण्ड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वकील वगैरह दें, उसके विपरीत दूसरे जो लोग हैं उनकी गैर कानूनी कार्यवाही होने या दोषी होने की स्थिति नहीं है आपके कहने के अनुसार उनको आप सहायता नहीं दे यह उचित नहीं है क्योंकि वहां कोई मजमा नाजायज या भीड़ में शामिल होने वाली बात नहीं थी। बाकायदा आर्गेनाइज्ड एक इन्स्टीट्यूशन के स्टूडेंट उसके अन्दर थे, उनको आप मजमा नाजायज में शरीकदार नहीं कर सकते। यह स्थिति नहीं है। दूसरे यह जो आन्दोलन चलाया जा रहा था वह बाकायदा आर्गेनाइज्ड पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा था, उसको आप भीड़ कहें, अनआर्गेनाइज्ड भी कहें जब कि वह आन्दोलन किसान सभा और किसान संघर्ष समिति की तरफ से चलाया जा रहा था शान्तिपूर्ण ढंग से....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके लिए कहें कि वह लोग मजमा नाजायज में शरीकदार थे, मैं समझता हूं कि वह वास्तविक स्थिति नहीं है। इसलिए चूरू की स्थिति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को देखते हुए आप यह करना चाहते हैं कि आपके सरकारी अधिकारी हैं चाहे वह दोषी भी हों, दोषी होते हुए भी आप उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और इकानामिक एण्ड फाइनेंशियल मदद देना चाहते हैं और जो पब्लिक के लोग हैं, जो दोषी नहीं थे, जो निर्दोष होते हुए मारे गये हैं, उनको अनप्राटेक्टेड रह कर जुडिसियल कमीशन के सामने एपीअर होने की छूट देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह न्याय के बिल्कुल उल्टी बात है, जिसके द्वारा कि आप किसी को भी कन्विन्स नहीं कर सकेंगे। बहरहाल, जो मसला इसके साथ जुड़ा है, वह काफी गम्भीर मसला है। माननीय गृह मन्त्री जी, उन लड़कों, बच्चों को जो शहीद हुए हैं, घर वालों को, उनके परिवार को आप क्या एडहाक मुआवजा सरकार देगी—इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है। आपके लिए यह प्रश्न भी अभी नहीं उठता है। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो स्टैन्ड इस सदन में इससे पहले लिया है जहां तक घायल और मृतकों का सवाल है, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का स्टैन्ड था कि उन लोगों को एडहाक रूप में मदद देने में गवर्नमेंट को एतराज नहीं होगा। इसलिए हम समझते थे कि गवर्नमेंट की तरफ से उनके बारे में कोई घोषणा होगी। लेकिन अभी जो गृह मन्त्री जी ने घोषणा की है, उसमें यह मुद्दा भी नदारद है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हम इस पर पूरी बहस करना चाहेंगे, पूरी बहस की जरूरत है। दूसरे जिस प्रकार वेरी कमीशन के ऊपर काफी सदन में बाद में कहना पड़ा, उसी तरह इस पर भी बाद में कहना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि पहले इस पर कह लें और बाद में कोई नतीजे निकल सकें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा, इस स्टेटमेंट को अगर हम आइसोलेटेड स्टेटमेंट समझ कर चलेंगे तो सही भूमिका इसकी हम अदा नहीं कर पायेंगे। जो बातें कही गई हैं उनको रिपीट न करके मैं कहना चाहूँगा कि जो फायरिंग तीन जगह हुआ वह एजीटेशन के सिलसिले में हुआ, उसको हमारी सरकार अपने वक्तव्य में एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के आधार पर एक अनबील्डी मोव मान कर चलती है और दोषी अधिकारियों को निर्दोष मानकर चलती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत, अगर सरकार अपने आप का एक एसोसियेशन साबित कर देती है दोषी अधिकारियों के साथ तो वह सरकार इम्पार्सियल इन्क्वायरी कभी करा सकती है— इसमें मैं विश्वास नहीं करता। इसमें दो पक्ष हैं, एक जो जनता का पक्ष है और एक सरकारी पक्ष है, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिकारियों को भी जनता के स्टेटस पर लायें, जो जनता की पोजीशन है वही पोजीशन उनकी हो। अभी वह एडवान्टेजिअस पोजीशन में है, वही रिपोर्ट

(श्री केदारनाथ)

देने वाले हैं, वही फायरिंग करने वाले हैं, वही टेरर का वातावरण तैयार करने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि क्या सरकार इस बात को मान कर नहीं चलती है कि वह वहां से तब्दील हो जाय ? आप उनको वहां ले आयें गंगानगर में उस प्लेस से रिमूव करके ताकि जनता और वह दोनों इक्वेलिटी की पोजीशन में आ जायं और दोनों अपनी बात कह सकें तभी सही इन्क्वायरी हो पायेगी।

एक बात मैं और कहना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में अनबील्डी मोब कहा गया है । आप ताज्जुब करेंगे, वह एजीटेशन बिल्कुल शान्तिपूर्ण ढंग से हुआ। इसलिए उन अधिकारियों को उस प्लेस से हटाने की बात पर आपको एतराज नहीं होना चाहिए, भले ही आप इन्टरीम कम्पेन्सेशन देने की बात पर विचार करें या नहीं करें। आपने इन्क्वायरी कमीशन एक्ट का हवाला देकर इन्क्वायरी, जुडिशियल इन्क्वायरी कराने की बात कह दी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी बहस एजीटेशन के सिलसिले में है, इसको आइसोलेटेड इंसिडेन्ट न मान कर हम चाहते हैं कि एजीटेशन का समाधान हो, मांगों के बारे में बहस हो, जिससे सही दृष्टिकोण सरकार का हो, और उस पर हम अपनी बात कह दें ताकि कोई हल निकल सके । मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सरकार को फौरन उन अधिकारीयों को वहां से तब्दील कर देना चाहिए। अभी कल लोक सभा में बहस हुई थी तो गृह मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि जुडिशियल इक्क्वायरी की बात के साथ ही हम उन लोगों के सस्पेन्शन के बारे में सोच रहे है। सस्पेशन कराने के बजाय हम मांग कर रहे हैं कि सांगरिया और भादरा में उन्हें न रख आप गंगानगर सरदारशहर में फिक्स कर दें, वह वहां बैठे रहें, अपने केस की तैयारी करें, अपने डिफेन्स की तैयारी करें। लेकिन जहां पर उन्होंने गोली चलाई हैं वहीं पर वह तैनात रहें और टेरर का वातावरण तैयार करते रहें तो हम यह कभी नहीं मान सकते कि इम्पार्सियल इन्क्वायरी होगी चाहे जुडिसियल इन्क्वायरी कमीशन आप इन्क्वायरी कमीशन एक्ट के अन्डर में बनायें या किसी और तरह बनायें। आखिर चार पांच महीने हो गये हैं इस एजीटेशन को चले और इस एजीटेशन में गोलीकाण्ड में इन्नोसेन्ट आदमी मर गये हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सस्पेन्शन की बात नहीं कहते, आप उनका तबादला कर दें और उनको डिफेन्स का मौका दें। अभी तीन दिन पहले आपके पास वहां के आदमी आये, आपने अच्छी तरह से बात की और आपने आश्वासन दिया, लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के आधार पर आप उस एजीटेशन को अनबीलडी मोब कहते हैं, जो मर गये हैं, जो जख्मी हुए हैं उनको अनबीलडी मोब मे शरीक करते हैं। जब आप इस बारे में कन्विन्स हैं तो आप क्यों जुडिशियल इन्क्वायरी कर रहे हैं। आप जुडिशियल इन्क्वायरी न करें और एक डी आई. जी. की मार्फत इन्वेस्टीगेशन करा लें तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा ...।

अध्यक्ष : मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता था जैसा कि माननीय सदस्यों की यह भावना रही कि इस पर डिबेट हो, मेरे सम्मुख दो ही प्रश्न थे, दो स्थगन प्रस्ताव थे, एक पर वक्तव्य दिया गया और एक को मैंने अस्वीकार किया। ऐसी हालत में डिबेट का प्रश्न तभी पैदा होता है जबकि नियमों के अन्तर्गत मेरे पास कोई दूसरा प्रश्न हो। जब तक कि मेरे सामने नियमों के अन्तर्गत कोई दूसरा प्रश्न नहीं, विशेषतः जबकि जुडिशियल एन्क्वायरी इस मामले में हो रही है, उस हालत में मैं विवश हूँ कि इसमें डिबेट का रूप देकर चलूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियमों के अन्तर्गत ले सकते हैं ...

श्री अध्यक्ष : आप भी दूसरे नियमों के अन्तर्गत ले सकते हैं। मैं विवश हूँ। मुझे देखना है कि किस सीमा में इसको डिबेट का रूप दिया जा सकता है यदि जुडशियल एन्क्वायरी नहीं होती तो मुझे डिबेट चलाने में कोई एतराज नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और....

श्री रामचन्द्र आर्य : (दोनों एक साथ बोलते रहे अतः अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य : जो वक्तव्य दिया है, इसमें अन्याय भरा हुआ है, फरेब-बाजी भरी हुई है, धोखेबाजी भरी हुई है और जनता के साथ विश्वासघात भरा हुआ है, उनका हम पर्दाफाश करना चाहते हैं। यदि आप इसकी इजाजत नहीं देंगे तो हम सदन को नहीं चलने देंगे, यह चेलेंज मैं देना चाहता हूं।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): प्रोसीजर के सम्बन्ध में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कोई महत्वपूर्ण विषय हो तो सरकारी उत्तर के बाद उस विषय को डिबेट में परिणित किया जा सकता है। यह सदन की लोक सभा की और राज्य सभा की परम्परा रही है। यह कोई नई बात नहीं है। राज्य सभा में भी यह प्रश्न आया, सरकारी उत्तर के बाद एक माननीय सदस्य ने खड़े होकर कहा कि इसको डिबेट के रूप में परिणत किया जाय तो आसन द्वारा डिबेट के रूप में उस प्रश्न को परिणत करने की आज्ञा प्रदान की गई। ऐसी नजीरें मौजूद हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष, महोदय, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, नियमों में इसके लिए कोई बाधा नहीं है। आप सहानुभूति पूर्वक याद कीजिये १५ जनवरी की ७ तारीख को जिस समय भादरा और सांगरिया में गोली चली, और १३ तारीख को चूरू में गोली चली, १५ तारीख को यहां विधान सभा हो रही थी, १५ तारीख को राज्यपाल यहां भाषण देने आये, लोगों में बड़ी उग्रता थी लेकिन हमने लोकतन्त्र की परम्पराओं को मानते हुए राज्यपाल के अभिभाषण में किसी प्रकार की आपत्तियां पैदा नहीं कीं। विरोधी पक्ष ने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शान्ति रखी । क्या हमारी शराफत को कमजोरी समझा जा रहा है, क्या यह समझा जा रहा है कि विरोधी दल कमजोर है, हमने राज्यपाल के अभिभाषण में उस उग्रता वातावरण में भी बाधा उत्पन्न नहीं की, हमने धैर्य रखा, संयम रखा, सदन की परम्परा को, लोकतन्त्र की परम्परा को नहीं तोड़ने दिया और केवल राज्यपाल के अभिभाषण का शान्तिपूर्वक बहिष्कार कर के ही अपना असन्तोष प्रकट किया, जबकि आपकी पार्टी इस प्रकार के हालात में देश के और प्रान्तों में किस प्रकार की गड़बड़ी पैदा करती है।

ऐसी हालत में गृह मन्त्री जी का यह वक्तव्य, यह कोई विरोधी दलों का सवाल नहीं है, यह लोकतन्त्र में विश्वास करने वाले सभी लोगों का सवाल है । सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि आज लोकतन्त्र में सर्विसेज के लिये तो आप वकीलों की व्यवस्था करें और जनता जो कि आपकी मास्टर है उनके लिये सरकार वकीलों की कोई व्यवस्था नहीं करती । ऐसी हालत में गृह मन्त्री जी के वक्तव्य का कोई समर्थन नहीं कर सकता ।

जहां तक परम्परा का सवाल है, क्या हिन्दुस्तान की किसी भी विधान सभा का इतिहास है जहां स्थगन प्रस्ताव पर दो दिन तक बहस हुई हो, किसी विधान सभा का कोई ऐसा इतिहास नहीं है । पर सदन की कार्यवाही ठीक तरह से चले, सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका मिले इसलिए हमने दो दिन तक स्थगन प्रस्ताव पर बहस की है । कौनसे नियमों में लिखा है, कौनसी परम्पराओं में लिखा है कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस प्रकार के अहम प्रश्न को डिबेट का रूप नहीं दिया जा सकता ? पुरानी परम्पराएं आज की बदली हुई परिस्थितियों में रूढ़िवादी हो गई है तो नई परम्पराओं के आधार पर हम सदन में विचार कर सकते हैं ।

गृह मंत्री जी ने हाउस में कह दिया है कि जो दोषी हैं, उनके लिये वे वकील आदि का इन्तजाम नहीं करेंगे । उन्होंने पब्लिक इन्क्वायरी एक्ट का हवाला दिया, उसके अनुसार वे यह मान कर चलते हैं कि जो दोषी हैं, उनका प्रोसीक्यूशन करवायें, जनता दोषी है इसलिये उनका प्रोसीक्यूशन करवायें पर यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त की बात है कि कमिशन्स इस लिये बैठाये जाते हैं कि वास्तव में गलती किसने की है ? जनता ने गलती की है या सर्विसेज ने गलती की है, उनका जुडिशियल बेसिस पर हमारे सामने निष्कर्ष आवे, इस भावना को लेकर कमिशन्स द्वारा इन्क्वायरी करवाई जाती है । जनता और सर्विसेज में संघर्ष हुआ इन दोनों में संघर्ष के लिये कौन दोषी है, इसकी फाइन्डिंग्स कमिशन देगा, ऐसी हालत में यदि सरकार लोकतन्त्र में विश्वास करती है तो दोनों के लिये सरकार को वकील मुहैय्या करना चाहिये ।

5 बज कर 15 मिनिट हो गये हैं ।

Page No 146

श्री अध्यक्ष : अब क्या किया जाय ?

श्री भैरोंसिंह : बहस रखी जाय ।

श्री अध्यक्ष : समय तो निकल गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मै वे आउट सजेस्ट करता हूं....

श्री अध्यक्ष : समय तो निकल गया, में पीछे भी नहीं ले जा सकता ।

श्री भैरोंसिंह : वह व्यवस्थित व्यवस्था होगी, पीछे भी चला जाय तो कोई हर्ज नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर मुख्य मंत्री जी कल सवेरे बहस रख दें तो 10 तारीख को जो बहस रखी है वह कल ही कर डालें । इस सम्बन्ध में गंगानगर एजीटेशन के बारे में समय बचेगा और पूरी बहस हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष : मैं अब सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तदन्तर 5.18 पर सदन की कार्यवाही दिनांक 8 अप्रैल, 1970 के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 564 के भाग (2) में निर्दिष्ट सूची)

जिला जालोर में समाज कल्याण विभाग द्वारा व्यय की गई धनराशि की सूचना

क्रमांक	नाम मद	व्यय 1968-69	अनुमानित व्यय 1969-70
1.	प्रोवेशन	8509.00	12383
2.	अनुसूचित जन जाति छात्र वृत्ति	310.00	प्राप्त नहीं
3.	अनुसूचित जन जाति छात्रावास राजकीय	22764.00	21984
4.	अनुसूचित जन जाति छात्रवृत्ति	4655.00	प्राप्त नहीं
5.	अनुसूचित जन जाति छात्रावास अनुदान	5584.00	9800.00
6.	अन्य पिछड़ी जातियां छात्रवृत्ति	2440.00	प्राप्त नहीं
7.	अनुसूचित जाति अनुदानित छात्रावास व कुटीर उद्योग	8204.00	11814
8.	संस्कार केन्द्र	3755.00	2150
9.	छात्रवृत्ति	14113.00	प्राप्त नहीं
10.	स्वयं सेवी संस्थाओं को सहायता	2811.00	10000
11.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां	3732.00	प्राप्त नहीं
12.	प्रशासन	10352.00	7120
13.	पंचायत समितियों को आवंटन	8000.00	7300

छात्रवृत्ति पर व्यय धनराशि की सूचना वर्ष 1969-70 की जो शिक्षा विभाग के माध्यम से वितरित की जाती है अभी प्राप्त नहीं होने के कारण नहीं दी गई है।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 572 के भाग (3) में निर्दिष्ट सूचि)

पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी व कृषकों के कृषि कार्य हेतु मुफ्त दी जाने वाली लकड़ी की निर्धारित मात्रा।

1. हल, हाल, कुलो	दो प्रति वर्ष 15 बीघा तक की खेती के लिए एक हल की व 15 बीघा के ऊपर इसी अनुपात में किन्तु तीन हल से अधिक नहीं।
2. चाडा, चऊ	चार प्रति वर्ष।
3. ढाणा (चरस)	दो वर्ष में एक बार।
4. समाडा व रहेट की लकड़ी	पांच वर्ष में एक बार।
5. डागला (टोपा)	तीन वर्ष में एक बार।
6. सोठो के लिए	वर्ष में एक बार।
7. जूडा जूडी	एक प्रति वर्ष।
8. कुआ व नाली	एक प्रति वर्ष।
9. गुड बनाने के लिए झोक की लकड़ी व खेती की बाड के कांटे	आवश्यकतानुसार पास लेकर

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सीमा क्षेत्रों की प्राथमिक पाठशाला

573. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर, बाड़मेर तथा बीकानेर सीमा क्षेत्रों की प्राथमिक पाठशालायें शिक्षा विभाग के अधीन हैं ?

(2) क्या शिक्षा विभाग के सर्कुलर नम्बर एफ. 6 (ए) (10) ई. डी. यू. सी. 11-1-63 दिनांक 6-3-64 को प्रसारित किया था ?

(3) क्या इस सर्कुलर के अनुसार अध्यापकों को भत्ता दिया जा रहा है ? अगर नहीं दिया जा रहा है तो क्यों और कब से नहीं दिया जा रहा है ?

(4) क्या उपरोक्त सभी सीमा क्षेत्रों के अध्यापकों को भत्ता नहीं दिया जा रहा है या किसी एक क्षेत्र में नहीं दिया जा रहा है ?

(5) क्या सरकार शीघ्र ही पिछली रकम दिलायेगी ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले की सीमा क्षेत्रों की समस्त प्राथमिक पाठशालाएं व बाड़मेर जिले की सीमान्त क्षेत्र बाड़मेर, शिव, चोहटन पंचायत समिति क्षेत्र की प्राथमिक पाठशालाएं व बीकानेर जिले की बीकानेर, कोलायत तहसील की प्राथमिक शालायें शिक्षा विभाग के अधीन है।

(2) जी हां।

(3) बीकानेर क्षेत्र के सम्बन्धित अध्यापकों को दिया जा रहा है। जैसलमेर व बाड़मेर के सीमावर्ती अध्यापकों को भत्ता नहीं दिया जा रहा है।

(4) बाड़मेर, जैसलमेर जिला के अध्यापकों को भत्ता नहीं दिया जा रहा है।

(5) कार्यवाही की जा रही है।

मालपुरा के सरकारी गोदाम का गेहूं

574. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि टोंक जिले के मालपुरा कस्बे के सरकारी गोदामों में करीब 900 सौ बोरी सरकारी गेहूं गत तीन साल में पड़ा 2 खराब हो गया है ? यदि हां, तो अकाल के समय में इतनी बड़ी मात्रा में हजारों रुपयों का खाद्यान्न लापरवाही के कारण खराब होना राष्ट्र विरोधी है ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(2) क्या यह भी सच है कि इसकी सूचना व प्रस्ताव जिलाधीश टोंक व जिला खाद्य सलाहकार समिति ने बार बार सरकार, को दी पर सरकार ने समय पर कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो जिन अधिकारियों की वजह से इतना गेहूं खराब हुआ उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) इस पर अब तक कितनी दवा खर्च की गई व कितना व्यवस्था खर्च हुआ ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं, मालपुरा सरकारी गोदाम में केवल 526 बोरी गेहूं उपलब्ध है यह भी गलत है कि उक्त खाद्यान्न खराब है अतः खाद्यान्न के नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) यह सही है कि इस खाद्यान्न के निस्तारण हेतु जिलाधीश टोंक ने सरकार को लिखा, परन्तु यह सत्य नहीं है कि सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। उक्त गेहूं में से 40 टन गेहूं के निस्तारण हेतु सरकार द्वारा आदेश दिये जा चुके हैं अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) सन् 1967 से लेकर फरवरी 70 तक उक्त गोदाम में रखे गये समस्त खाद्यान्न पर दवा एवं तकनीकि निरीक्षण हेतु 3187.92 रुपये तथा छनवाने एवं साफ करवाने पर 557.20 रु० खर्च हुये।

कामां निर्वाचन क्षेत्र में छात्रावास

575. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कामां निर्वाचन क्षेत्र के हाई स्कूल कामां, हाई स्कूल जुरहडा और हाई स्कूल पहाड़ी तीनों स्थानों पर कहीं भी पिछड़े हुए वर्गों के छात्रों के लिये छात्रावास नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार कामां हाई स्कूल के साथ एक छात्रावास खोलने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां।

प्रश्न विचाराधीन है। नये छात्रावासों के लिये सामान्यतः माह जून के अन्त तक ले लिये जावेंगे।

यात्रियों से अधिक किराये की वसूली

576. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता सिटी से मारवाड़ मूण्डवा वाया रेणबुटाटी से जो बसें चलती हैं, उस रास्ते के बीच चकढाणी ग्राम पड़ता है।

(2) क्या यह सही है कि चकढाणी से राजोद ग्राम तक, फाटे से आज कल बसें आती जाती है और बस मालिकों ने यात्रियों से किराया अधिक लेना शुरू कर दिया है ?

Page No 151

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(3) क्या यह भी सही है कि आजकल राजोद ग्राम में कुछ बसें न जाने पर भी यात्रियों से वही बढ़ाया हुआ किराया बस वाले चार्ज करते हैं ?

(4) क्या यह जनता पर अधिक भार नहीं है और बस मालिक अपनी मनमानी नहीं कर रहे हैं ?

(5) क्या सरकार इस प्रकार मनमानी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाकर जनता पर से किराये का अधिक भार उठाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। परन्तु मेड़ता से राजोद व राजोद से चकढ़ाणी का किराया नियमानुसार ही लिया जाता हैं।

(3) मून्डवा से लौटते वक्त जो बसें राजोद नहीं जाती हैं, मुण्डवा से झुन्झाला, मूण्डवा से फिरोजपुर, मून्डवा से कुचेरा, मूण्डवा से बुटाटी, मूण्डवा से चकढ़ाणी का किराया क्रमश: 11,7,2,2 व 22 पैसे ज्यादा लेते हैं जिसके लिये धारा 60 का नोटिस वाहन परिवहन प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा इसकी सुनवाई माह मई की बैठक में होगी।

(4) यात्रियों से अधिक किराया वसूल करने के कारण बस मालिकों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

(5) नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नागौर जिले में अकाल राहत कार्य

517. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल):— क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) (अ) नागौर जिले में मेड़ता से रेंण, रेण से कुचेरा, कुचेरा से मुण्डवा व भगड़ के पास कंकरोट के राहत कार्यों के कैम्प किस किस तारीख से चालू किये गये ?

(ब) उपरोक्त आटों कैम्पों के मजदूरों को मजदूरी का चुकारा किस किस पखवाडे का हो चुका है ? एवं किस किस पखवाडे का चुकारा अभी तक नहीं हुआ है ?

(स) उपरोक्त चुकारा किस किस पखवाडे का किस किस तारीख को किस किस अधिकारी ने मजदूरों को किया ?

( ) क्या नागौर मेड़ता सड़क पर चल रहे राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की मजदूरी में कोई कटौती की गई ? यदि हां तो किस किस कैम्प पर, कितनी कितनी कटौती की गई इस कटौती करने की सूचना मजदूरों को भुगतान के रोज ही दी गई या पहले दी गई ?

(3) नागौर जिले में चल रहे राहत कार्यों में किस किस कैम्प पर किस किस पखवाडे में मजदूरों को मजदूरी कितनी कितनी काटी गई ?

(4) नागौर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग (बी. एण्ड आर.) द्वारा चलाये जा रहे अकाल राहत कार्यों में किस किस कैम्प पर कौन कौन व्यक्ति (मय नाम, बल्दियत,

(श्री रामसिंह कुड़ी,)

कौमियत व सकूनत के विवरण सहित) मिस्त्री लगे हुऐ हैं एवं उनकी नियुक्ति के क्या क्या आधार हैं ?

(स्थगित किया गया)

बीगोद में सिचाई

578 **श्री मनोहरसिंह मेहता** (माण्डलगढ़) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीगोद की भूमि को सिंचित करने का केवल मात्र आधार लिफ्ट इरिगेशन ही हो सकती है ?

(2) क्या यह सही है कि त्रिवेणी नदी तथा बनास नदी में बड़े बड़े जल के दह भरे हुये है ?

(3) यदि हां, तो इस जल का उपयोग करने के लिये क्या सोचा जा रहा है ?

(4) क्या बीगोद की भूमि को सिंचित करने का सर्वे हो चुका है ?

(5) क्या लिफ्ट इरिगेशन में पिलाई की दर ज्यादा होती है ? यदि हां, तो बीगोद के प्रति एकड़ कितने रुपये प्रति फसल होने का अनुमान है ?

(6) क्या लिफ्ट से सिंचित होने वाली भूमि की इस दर को बांध से सिंचित होने वाली भूमि की रेट में बढोतरी करके कम नहीं किया जा सकता ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, कहीं कहीं थोड़ा पानी अवश्य बहता है जो गर्मियों में बहुत कम रह जाता है।

(3) त्रिवेणी के नीचे बनास में पानी का एक देह है, वहां लिफ्ट सिचाई योजना बनाने का विचार किया जा रहा है।

(4) प्रारम्भिक सर्वे का कार्य हो चुका है पास में 11 के. जी. विद्युत लाइन खींचे जाने के बाद योजना बनाई जावेगी।

(5) जी हां, लिफ्ट इरिगेशन से पिलाई की दर "न लाभ न हानि" के सिद्धान्त पर तय की जाती है। बीगोद तहसील में उपरोक्त योजना पर बिजली व डीजल पम्प से लिफ्ट सिचाई के दो क्रमशः 23) व 40) रुपया प्रति पानी प्रति एकड़ अनुमानित है।

(6) जी नहीं।

पहाड़ों के नीचे की जंगलात की जमीन

579. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जयपुर व सवाई माधोपुर जिले में पहाड़ों के नीचे जंगलात की जमीनों में किसानों द्वारा सिचाई के लिये कुए खोदने पर जंगलात विभाग द्वारा रोक व मनादी की जा रही है ?

(2) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(वन मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) यह कोई समस्या नहीं है अत: सुलझाने की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

डूंगरपुर का अस्पताल

580. **श्री महेन्द्रकुमार** (पाड़वा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि डूंगरपुर में अस्पताल 'सी' श्रेणी का है ? यदि हां, तो किस किस जिले के मुख्यावास पर 'सी' श्रेणी के अस्पताल हैं और क्यों ?

(2) क्या यह सत्य है कि डूंगरपुर के अस्पताल में आपरेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि डूंगरपुर व बांसवाड़े के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में सुविधा आदि नहीं है, जिससे मिशन अस्पतालों में ज्यादा उपचार होता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सत्य है कि डूंगरपुर के अस्पताल की अव्यवस्था सरकार के समक्ष कई बार रखी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे 'बी' श्रेणी का अस्पताल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर अस्पताल तृतीय श्रेणी का है । बांसवाड़ा व गंगानगर जिले के मुख्यावास पर तृतीय श्रेणी अस्पताल हैं । जिन अस्पतालों की रोग शैयाएं 100 से 149 तक होती है वह तृतीय श्रेणी में आते हैं ।

(2) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(3) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(4) इस अस्पताल में 150 तक रोगी शैयाएं करने का प्रस्ताव है ।

श्री कोलायतजी से वाया भाप जैसलमेर रेल्वे लाइन

581. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या बीकानेर जिले की श्री कोलायतजी से वाया भाप जैसलमेर की रेल्वे लाइन से जोड़ने की मांग राज्य सरकार ने भारत सरकार से की थी ? यदि हां, तो कब व इस सम्बन्ध में भारत सरकार से राज्य को क्या उत्तर प्राप्त हुआ ?

उत्तर

इस लाइन के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि राज्य सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में राजस्थान राज्य में रेल

(यातायात मन्त्री)

मार्गों के निर्माणार्थ जो प्रस्ताव भारत सरकार को शुरू में भेजे थे उनमें कोलायत से फलौदी तक रेल लाइन निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। किन्तु इसी अवधि के लिये भेजे गये प्रस्तावों पर राज्य सरकार ने पुनः विचार किया और प्रथम बार भेजे गये प्रस्तावों की वरीयता (Priority) बदलकर दूसरी बार जो प्रस्ताव भेजे उनमें कोलायत को जैसलमेर से रेल लाइन द्वारा जोड़ने हेतु सर्वे कराने का ही निवेदन किया गया था। इस प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

मन्दिर के रुपये व जेवर

582. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन नगर (लंकागेट) के बाहर एक नृहसिंहजी का मन्दिर है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस मन्दिर के पास झालरापाटन में एक मकान पट्टी पोश व रकम, नोट, जेवर, मन्दिर कुल तादाद मालियत तीस हजार रु० से ज्यादा होने पर भी ट्रस्ट नहीं बनाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि मन्दिर के रुपये (अमानत) व जेवर तहसील में अमानत थे ? यदि हां तो वह अब कहां किसके पास (तहसील) हैं और कितने जेवर, उनका तोल व रुपयों आदि के विवरण की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस मन्दिर की कुल मालियत 30,000) रु. से अधिक होने की जानकारी नहीं है। ट्रस्ट का पंजीयन नहीं हुआ है।

(3) मन्दिर के रुपये व जेवर तहसील में अमानत जमा होना मौजूदा रेकार्ड से जाहिर नहीं होता है।

बढ़ी हुई दर से भू-राजस्व की वसूली

583. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पेटा काश्त की भूमि को गिरत सिंचाई विभाग के गिरदावर द्वारा की जाती है और वही लगान की दर कायम कर तहसीलदार को वसूली हेतु भेजी जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग के गिरदावर को यह अधिकार है कि वह लगान कायमी को बढ़ा कर भेज सकता है ?

(3) क्या यह सही है कि जो भूमि गलवा बांध तहसील उनियारा, जिला टोंक के डूब में आई की उसकी दर 5 आना बीघा है और मुआवजा उसी रेट पर दिया गया है ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(4) क्या यह सत्य है कि काश्तकारों को जो मुआवजा दिया गया है वह भी बारानी का ही दिया है ? क्या यह सही है कि अभी हाल ही में इस भूमि का लगान 5 रुपया बीघा कर दिया गया है और विभाग द्वारा इसी आधार पर डिमान्ड तहसीलदार को भेजी है ? यदि हां, तो यह दर बढ़ाना कहां तक न्याय व वैध है ।

(5) क्या यह सही है कि भूमि की दर जब तक दुबारा सेटिलमेंट नहीं हो जाता या उसे जिलाधीश की स्वीकृति नहीं हो भू-राजस्व बढ़ाया नहीं जा सकता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी हां ।

स्थगित प्रश्न

(21-3-70)

अकाल राहत कार्य खोले जाने का आधार

219. श्री दुर्गालाल वाढ़दार (हवा महल, जयपुर) क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अकाल राहत कार्यों को खोले जाने की क्या विधि या नीति प्रत्येक जिले के स्तर पर अपनाई गई ?

(2) क्या प्रत्येक जिले में अकाल राहत कार्य खोले जाने के पूर्व राहत समिति द्वारा सिफारिश प्राप्त हो गई ? क्या ऐसी भी जिले हैं जिनमें अकाल राहत कार्य समिति के बजाय कोई छोटी समिति का निर्माण कर दिया गया जो राहत कार्यों की सिफारिश राज्य सरकार को करती रहेगी ?

(3) ऐसे कौन मन्त्री हैं जिन्होंने अपने स्तर पर ही विभिन्न जिलों में राहत कार्य खोले जाने की स्वीकृति दी ? क्या ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्होंने बिना राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये अकाल राहत कार्य खोल दिए ?

(4) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना खोले गये राहत कार्यों की संख्या क्या है और किन किन जिलों में हैं ?

(5) ऐसे कितने अकाल राहत कार्य है जो बिना स्वीकृति खोले जाने पर उनको बाद में रेग्यूलेराईज किया गया ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों को खोले जाने के सम्बन्ध में मूलतः जिला राहत सलाहकर समिति कि सिफारिशों के आधार पर जिलाधीशों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाकर उनके औचित्य को दृष्टि में रखते हुए कार्यों की स्वीकृति दी गई । जहां अकाल राहत सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तावित अनुपयुक्त एवं अपूर्ण अनुभव किये गये या

(अकाल सहायता मन्त्री)

जहां स्थिति को देखते हुए सहायता कार्य स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गई, वहां राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिया जाकर सहायता कार्य स्वीकृत किये गये ।

(2) जहां तक सम्भव हुआ है, प्रत्येक जिले में अकाल राहत कार्य खोले जाने से पूर्व जिला राहत सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया । केवल उदयपुर जिले में जिला राहत सलाहकार समिति ने जिला राहत उप समिति का निर्माण किया था, और इस उप समिति द्वारा सहायता कार्यों का समय समय पर सिफारिश की गई है । अन्य किसी जिले में इस प्रकार की छोटी समिति का निर्माण नहीं किया गया ।

(3) सहायता मंत्री महोदय के अतिरिक्त वित्त मंत्री जी एवं मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा जिलों सहायता कार्यों का दौरा करते समय स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहायता कार्यों की स्वीकृति दी गई ।

(4) जिलाधीश, चित्तोड़, जयपुर, पाली, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर एवं भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृति की आशा में स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए सहायता कार्य खोल दिये गये थे । 4 ऐसे सहायता कार्यों की संख्या इस प्रकार है :—

1. जयपुर 103

2. चित्तोड़गढ़ 353

3. पाली

(5) उपरोक्त सभी कार्यों को अब रेग्युलेराइज कर दिया गया है ।

स्थगित प्रश्न

(28-3-70)

प्राइमरी स्कूल ग्राम पुलू के अध्यापकों के विरुद्ध शिकायतें

347. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री किशनराम पुत्र घीसाराम ग्राम पुलू में प्राइमरी स्कूल में कितने वर्ष से मास्टर है ?

(2) क्या यह सही है कि इस मास्टर के खिलाफ कई तरह की शिकायतें गांव के लोगों ने पंचायत समिति मेड़ता, जिला परिषद् नागौर, जिलाधीश नागौर. शिक्षा विभाग नागौर में की है ? यदि हां तो जांच का क्या परिणाम निकला ? शिकायतों का विवरणमय तारीखवार सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही हैं कि बावजूद कई शिकायतों के अब तक मास्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

उत्तर

(1) श्री किशनसिंह पुत्र श्री घीसाराम दिनांक 31-10-66 से अध्यापक नियुक्त है ।

(2) पंचायत समिति कार्यालय में दिनांक 28-3-69, 25-6-69 व 3-11-69

तथा जिला परिषद् कार्यालय में 10-7-68 को गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर-युक्त शिकायत की गई पंचायत समिति के शिक्षा प्रसार अधिकारी ने मौके पर जांच की उस समय अध्यापक मेडिकल अवकाश पर या शिकायत में दर्ज व्यक्तियों के नाम में से एक व्यक्ति श्री रमजान तेली ने अपने हस्ताक्षर अनभिज्ञतावश करना बताया व लिखकर भी दिया। अन्य कोई व्यक्ति जांच में सहयोग देने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। दूसरी बार मुख्याध्यापक प्राथमिक शाला पुलू को पंचायत समिति द्वारा 1-11-69 को लिखा गया। मुख्याध्यापक ने दिनांक 19-11-69 को पत्र द्वारा अध्यापक का समय पर आना व जाना बताया। जनगणना कार्य में लगे होने के कारण श्री किशनसिंह का स्थानान्तरण नहीं किया गया और न ही इस सत्र में अध्यापकों के जनरल स्थानान्तरण किये गये हैं।

(3) शिकायतों के बारे में जांच की गई व अध्यापक के खिलाफ पंचायत समिति को कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 594 की सूची)

पंचायत समिति, लाडपुरा के ग्राम खेडा रसूलपुर में सन 1964 से जनवरी, 1970 तक हुए निर्माण का विवरण

क्र०सं०	निर्माण कार्य	पंचायत समिति द्वारा दी गई अनुदान की राशि	राशि देने का दिनांक	क्या कार्य ठेके पर करवाया गया	कार्य स्थिति पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1.	सड़क मरम्मत	600.00	28-3-64	नहीं	पूर्ण
		500.00	30-3-64		
2.	पार्क	700.00	30-3-66	,,	,,
		560.00	29-8-66		
		140.00	25-9-67		
3.	(1) टट्टियां वार्ड नं० 3 व 5	1200.00	30-3-66	,,	,,
		960.00	7-11-66		
		240.00	8-3-68		
	(2) टट्टियां वर्ड नं० 1, 4, 7	1600.00	8-3-66	हां	वार्ड न० 1 व 4 का कार्य पूर्ण। वार्ड नं० 7
		2000.00	22-11-68		

1	2	3	4	5	6
4.	टट्टियां बालखेड़ा	600 00	20-3-66	नहीं	का कार्य प्रारम्भ है।
		480.00	12-10-66	,,	पूर्ण
5.	मरम्मत आदर्श कुआ	950.00	23-12-66	,,	अपूर्ण
		760.00	25-9-67		
6.	स्कूल भवन भोजपुरा	1750.00	2-9-67	नहीं	पूर्ण
		1400.00	30-9-67		
		150.00	9-9-69		
7.	खरेवा वार्ड नं०	600.00	13-7-69	हां	अपूर्ण
8.	पुलिया निर्माण	600.00	13-7-69	,,	कार्य भवन एवं पथ विभाग द्वारा कराया गया।
9.	खरेवा वार्ड नं० 1, 2, 3, 4	600.00	13-7-69	हां	पूर्ण उपयोगिता प्रमाण जारी नहीं हुआ है।
10.	घाट निर्माण जालखेड़ा	600.00	13-7-69	नहीं	अपूर्ण
11.	माध्यमिक शाला के दो कमरों का निर्माण	600.00	13-7-69	,,	पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है।
12.	माध्यमिक शाला के सामने का अहाता	600.00	13-7-69	,,	अपूर्ण

पंचायत समिति लाड़पुरा के ग्राम खेड़ा रसूलपुर में निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त टेन्डरों का तुलात्मक विवरण ।

क्रमांक	नाम ठेकेदार	खुदाई	मिट्टी	गर्जना	दर्जे से
1.	श्री हीरालाल	4)रु० प्रति सैकडा	72)रु०	98)रु०	12)रु०
2.	श्री वदरूद्दीन	50)रु०	70)रु०	67)रु०	15)रु०
3.	श्री दाऊद	4)रु०	शेष कुल काम 159)रु० से ।		

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 599 की सूची)

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, नागौर (राजस्थान)

नियमानुसार नियुक्त किये गये अध्यापकों की सूची।

क्र०सं०	विषय	नियुक्त किये गये अध्यापकों की संख्या
1.	हायर सेकेन्डरी विज्ञान (जीव एवं गणित)	14
2.	सेकेन्डरी विज्ञान (गणित एवं जीव)	40
3.	हायर सेकेन्डरी कला	14
4.	सेकेन्डरी कला	5
5.	हायर सेकेन्डरी कामर्स	3
6.	सेकेन्डरी कामर्स	2
7.	बी० ए० बी० एड	2
8.	बी० एस० सी०	2
9.	बी० टी० आई०	3
10.	संस्कृत	3
11.	उर्दू	5
12.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति	27
	कुल	120

ह०

विद्यालय निरीक्षक,

शिक्षा विभाग, नागौर।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 601 की सूची)

सार्नजनिक निर्माण विभाग की सूचि में सम्मिलित न होने वाले भवन

क्र०सं०	खातों का नाम	स्थान	भवन बनाने का वर्ग	भवन जिला को देने का अर्थ	विशेष विवरण
1.	रा० मा० शाला	जसवन्तगढ़	1949-50	1950	
2.	रा० मा० शाला मोरोठ	मारोठ	1962-63	18-1-66	
3.	जिला पुस्तकालय नागौर	नागौर	1956	30-7-59	जिला पुस्तकालय नागौर के भवन को पी० डब्लू० डी० के सम्बन्ध में राज्य सरकार को 16-5-1969 को लिखा गया था व उसका स्मरण मत दिनांक 3-5-70 को दिया गया है ।

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 146 की सूची)

भूमि बेचान व खरीद के सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों के विरूद्ध चल रही कार्यवाही की सूचि तहसील शाहपुरा, कोटा ।

क्र०सं०	नाम व्यक्ति जिनके विरूद्ध कार्यवाही चल रही है	मि० नं० मय दिनांक	ख० नं० मय क्षेत्रफल		नाम व्यक्ति जिसे भूमि निलाम की गई
1.	श्री राम लखन शुक्ला तहसीलदार कोडा	275 दि० 6-3-63	101।2	4)	श्री राजेन्द्र वल्द श्री रामनिवास साकिन कुचर्रल जि० नागौर ।
2.	श्री छोटेलाल इन्सपेक्टर तहसील लाडपुरा	276 दि० 6-3-63	101।1	8)50	श्री सोहनलाल वल्द लछराज हिन्दू साकिन खांडा फलसा भांनपुर ।
3.	श्री रामप्रताप कुर्क जमीन जची, कोटा	277 दि० 6-3-63	104।1	4)	श्री लक्ष्मीचन्द्र वल्द प्रभुन्द ।
4.	श्री धर्मेन्द्र परिहार अवकाश प्राप्त जिला एवं	274 दि० 5-3-63	297।279।4	5)	श्रीमती पूरण पुत्री जन्नतराम, टाक स्टूडियो जयपुर ।
	सेशन जज, कोटा ।	194दि०22-1-63	175।790।2	1)75	श्री रामसेवक वल्द केदारनाथ सा०
			175।791।2	3)2	कोटा ।
			कुल	5)2	
		121दि०15-11-62	175।791।1	3।4	श्री रामसेवक वल्द केदारनाथ सा०
			175।790।1	2।।1	कोटा ।
			कुल	6)	

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 385 की सूची)

पं० स० सांगोद एवं चेतट के श्रोता पुष्टि के प्रभावित मार्ग

पंचायत समिति सांगोद के मार्ग	पंचायत समिति चेतट के मार्ग
1. गुरायता	1. रायपुरा
2. गोरीनाखुई	2, रवन्नो
3. काकरया	3. मोला
4. कान्याखेडी	4. गादिया
5. गिरधरपुरा	5. रामपुरया घाटोली
6. किशनपुरा	6. उदमाकलां
7. नीमखेड़ी	7. उदपुरा
8. टास्या	8. नीमोदा
9. टोल्या	9. भोलू
10. दांता	10. योलीपुरा कलां
11. लोडाखेड़ा	11. मनोहरपुरा
12. तरकन्या	12. जोतीपुरा
13. बरखेड़ा	13. हनोल्या
	14. सवारिया
	15. सागेरा खुर्द
	16, रोली
	17. पीपल्या
	18. सडंवा
	19. लेखाखेड़ी

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 7 अप्रैल, 1970)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
2	8	इसो	इसी
3	11	कब व्यवस्था, जो	व्यवस्था कब
4	6	व्मक्ति	व्यक्ति
5	4	: (मीनमाल)	(मीनमाल) :
5	15	कोर्थ	फोर्थ
5	अन्तिम से 5	75'22	75.22
9	4	खर्ब	खर्च
9	6	रह्वी	रही
9	अन्तिम से 6	कांस्ट्रीट्यूएन्सी	कान्सटीट्यूएन्सी
9 ,,	1	क्या	क्या
14	3	कितेना	कितना
16	6	पाने	छिपाने
16	8	सड़को	सड़कों
18	4	कार्यवाह्ी	कार्यवाही

2

1	2	3	4
18	अन्तिम से 5	अप्रसारित	प्रसारित
31	13	पर	में
44	अन्तिम से 7	(आश्रव्य)	(अश्रव्य)
46	" 6	श्री	—
47	शीर्ष	श्री महारावल	महारावल श्री
49 ,,	4	एर्जेसी	एर्जेन्सी
52	15	19,39	19.39
52	16	15,.42	15.42
53	4	व	में
53	अन्तिम से 8	की	--
55	7	(अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर)	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
57	अन्तिम से 9	नियाजन	नियोजन
58	7 ,,	सदन	--
63	शीर्षक	(वित्त नियम मंत्री)	(वित्त मन्त्री)
67	12	सहकार	सरकार
67	अन्तिम से 5	674459,	67/4459,
74	5	व	—
80	अन्तिम से 12	मार्गो	मार्गो
84	अन्तिम से 6	अम्धा	अन्धा
84	,, 5	तहसीलदार	तहसीलवार

1	2	3	4
84	अन्तिम से 2	पेंशम	पेन्शन
85	3	तहसीलदार	तहसीलवार
85	अन्तिम से 7	विशनगढ़	किशनगढ़
87	2	मत	ऋण
88	7	आप	आय
88	अन्तिम से 2	बकया	बकाया
90	12 ,,	या	—
90	11 ,,	लाढपुरा	लाडपुरा
90	4 ,,	भूमि	सूची
91	4	जुझासिंह	जुझारसिंह
91	अन्तिम से 9	कितने कितने	जितने जितने
92	1 ,,	क्या ?	क्या
96	3 ,,	सम्बन्धो	सम्बन्ध
101	14	को	में
105	8	प्रदशंन	प्रदर्शन
106	5	अधिकारी	अधिकारों
109	3 व 4	etained	detained
110	अन्तिम से 3	मउर	मर्डर
112	12	इंटरप्रेशन	इन्टर प्रिटेशन
112	अन्तिम से 8	आय	आई
113	9	अधिकारी	अधिकारों

1	2	3	4
113	अन्तिम से 8	अक्षद्धा	अश्रद्धा
116	अन्तिम से ४	क	का
117	2	सक्षेप	संक्षेप
118	5	या	गया
119	12	अध्वक्ष	अध्यक्ष
122	3	लाटी	लाठी
122	अन्तिम से 6	Petmitted	Permitted
123	1	हु'	हूं
126	8	संरक्षक	संरक्षण
128	3	एवोडेन्स	एवीडेन्स
128	12	कग	कम
128	13	ने	—
130	5	राजस्थान	राजकीय
130	8	1966-67	1966-67)
131	16	आज	—
131	10	(105 म. प.)	(1.05 म. प.)
135	अन्तिम से 3	वैवम	बैंक्स
136	8	अपनी हार	अपने हाल
139	7	किया	दिया
139	अन्तिम से 6	मोठ	मोट
142 ,,	6	बेटे . र	बैठकर

1	2	3	4
143	अन्तिम से 1	उसमें	उसमें क्या
144	5	धिमाग	विभाग
1:4	10	महयोग	सहयोग
145	अन्तिमसे 12	कि	—
145	3	से	को
145-146	शीर्षक	ध्याना आकर्षण	ध्यानाकर्षण
146	14	आपको आर्डिनेशत	आपको आर्डिनेशन
146	अन्तिम से 7	जी	जी की
148	" 10	सतीसचन्द्र	सतीशचन्द्र
156	3	एक्सपीपिरियेन्स	एक्सपीरियेन्स
159	अन्तिम से 6	आकर्षिन	आकर्षित
161	शीर्ष	गोयाल	गोयल
161	अन्तिम से 1	अब	जब
162	1	व्यक्ति	का व्यक्ति
164	8 व 9	एं गज	एन्गेज
164	अन्तिम से 19	प्राथना	प्रार्थना
166	14	में	मैं
166	अन्तिम से 8	और	—
167	8	लैड	लैंड
167	अन्तिम से 1	लैउस	लैंड्स
1ó8	1	पसा	पैसा

1	2	3	4
168	2	कनस्ट्क्स	कन्सट्रक्शन
168	10	भूमिा	भूमि में
168	14	है	—
168	अन्तिम से 6	में	मैं
169	2 ,,	करूंगा	करूंगा
169	1 ,,	किवारण	निवारण
171 ,,	12	नहार	नाहर
172	4	एडमिनिस्ट्रेटिस	एडमिनिस्ट्रेटिव
172	8	आब्जेक्टस	आब्जेक्ट्स
173	2	बने ।	बनें ?
173	10	प्रोस्क्राइब	प्रेस्क्राइब
173	अन्तिम से 8	जेमी	जैसे
175	10	कन्पिजलिटंग	कन्फ्लिक्टिंग
175	14	के	के और
181	अन्तिम से 3	का	को
181	1 ,,	माउन	माडर्न
182	,, 5 व 15	आप	आज
183	10	इन्द्राल	इन्द्राज
183	11	इन्ट्रक्शन	इन्स्ट्रक्शन
184	7	उसमें	उसने
184	16	तरफ	तरह

1	2	3	4
186	अन्तिम से 5	रिफोर्स	रिफार्म्स
187	7	है	हों
188	4	है दुनियादी	हैं बुनियादी
188	अन्तिम से 2	भो	जो
188	,, 1	है	हैं
189	1	है	हैं
189	7	से	को
192	अन्तिम से 8	और	ओर
192	,, 2	स	से
193-194	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
193	9	संसर्न	सेशन
208	8	में	ने
208	13	था	था कि
208	अन्तिमसे 16	वारे	बारे में
208	,, 13	की	को
208	,, 12	सिलेक्सन	सिलेक्शन
208	,, 2	ने	से
212	7	श्न	प्रश्न
216	11	पुआ	हुआ
220	4	देदित्त	देवीदत्त
221	4	मूमि	भूमि

1	2	3	4
221-222	शीर्षक	1070	1970
226	3	श्री	श्री
251	7	शिड्यल्ड कास्ट ग्रोर सिड्यूल्ड	शिड्यूल्ड कास्ट ग्रौर शिड्यूल्ड
252	15	इन्टट-	इन्टर-
252	ग्रन्तिम से 4	यनि	यानि
257	,, 8	से	में
258	5	Sixth	sixth day
258	ग्रन्तिम से 7	से	में
258	,, 3	गये	जायं
259	7	प्रस्ताव	का प्रस्ताव
261	6	ग्रनुमूचित	ग्रनुसूचित
261-262	शीर्षक	1770	1970
262	ग्रन्तिमसे 15	भेरे	मेरे
263	,, 11	गोलीकण्ड	गोलीकाण्ड
264	,, 9 व 15	कास्ट्	कास्ट्स
265	,, 16	महरावल	महारावल
265	,, 7	(विपक्ष से हिरय, हियर)	—
265	,, 4	कास्ट	कास्ट्स
266	5	कास्ट	कास्ट्स
266	10	(विपक्ष से हियर, हियर)	—
266	12	कास्ट	कास्ट्स

1	2	3	4
267	अन्तिम से 9, 11 व 17	कास्ट	कास्ट्स
267	,, 9	नाम	—
268	,, 2	अध्यश्न	अध्यक्ष
269	,, 11	(विपक्ष से हियर, हियर)	—
270	6	बुड़रक	बुरड़क
271	18	शपन	शपथ
272	14	एष	एवं
273	शीर्ष	श्री दामोदरलाल व्यास	(श्री दामोदर लाल व्यास)
275	15	एक सात्र	एक साथ बोलने लगे
276	14	अध्मक्ष	अध्यक्ष
277	अन्तिम से 2	शाध	शाम
278	5	अगवाल	अग्रवाल
278	अन्तिम से 13	अग्दर	अन्दर
278	,, 8	वस	इस
279	6	अपील	अपीयर
279	9	व्दक्तियों	व्यक्तियों
279	12	सरकार	—
279	अन्तिम से 10	भैरोंसिह	भैरोंसिह
279	,, 6	ध्यास	व्यास
281	,, 4	हे	है
284	अन्तिम से 11	का	को

1	2	3	4
285	अन्तिम से 18	शान्तिपूर्ण	शान्तिपूर्ण
285	,, 19	करगे	करेंगे
286	2	इक्ववायरी	इन्क्वायरी
286	अन्तिम से 10	लेकित	लेकिन
289	5	वातावरण	के वातावरण
291	5	मे	में
291	9	व्वस्था	व्यवस्था
295–296	शीर्षक	अप्रेअ	अप्रेल
297	1	वना	क्या
299	8	मरकार	सरकार
308	5	एसी	ऐसे